Corona Warriors of the Country

Growing Leaps & Bounds

Marching towards Paper Less Office

- E-Governance
- E-Office
- E-RP

63 वीं वार्षिक रिपोर्ट
63rd Annual Report 2019-2020

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

जन-जन के लिए भण्डारण / WAREHOUSING FOR EVERYONE

श्री राम विलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री 2 मार्च, 2020 को केन्द्रीय भंडारण निगम के 64वें स्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए।

Shri Ramvilas Paswan, Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution addressing on the occasion of 64th Foundation Day of Central Warehousing Corporation on 2nd March, 2020.

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2019-20

केन्द्रीय भंडारण निगम
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम की 58वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर 28 सितम्बर, 2020 को अंशधारियों को संबोधित करते हुए।

Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, CWC addressing the shareholders on the occasion of 58th Annual General Meeting on 28th September, 2020.

विषय सूची
CONTENTS

क्र. सं. Sl. No.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1.	निदेशक मण्डल Board of Directors	iv
2.	प्रबन्धन Management	vi
3.	अंशधारियों को सूचना Notice to Shareholders	x
4.	लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य Mission, Vision & Objectives	xiii
5.	प्रमुख विशिष्टताएं Highlights	xiv
6.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट Directors' Report	1 - 49
7.	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट Report on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities	55 - 58
8	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट Report on Corporate Governance	59 - 76
9	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाणपत्र Compliance Certificate on Corporate Governance	78 - 81
10	केन्द्रीय भण्डारगृहों की सूची एवं उनकी भंडारण क्षमता List of Central Warehouses and their Storage Capacity	82 - 107
11	तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखे के विवरण (सामान्य निधि) Balance Sheet and Profit & Loss Accounts (General Fund)	109 - 121
12	सामान्य निधि अनुसूचियां General Funds Schedules	122 - 190
13	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निगम के प्रत्युत्तर Auditors' Report and Replies of the Corporation	191 - 196
14	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निगम के प्रत्युत्तर Report of the C&AG of India and Replies of the Corporation	197 - 205
15	अध्यक्ष का अभिभाषण Chairman's Address	206 - 215

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री डी.वी. प्रसाद, आईएएस
अध्यक्ष
(11.01.2019 से)
Sh. D.V. Prasad, IAS
Chairman
(w.e.f. 11.01.2019)

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक
Sh. Arun Kumar Shrivastava
Managing Director

श्री ई.के. माझी, आईएएस
अपर सचिव
(संग्रह एवं पीजी)
(10.02.2020 तक)
Sh. E.K. Majhi, IAS
Additional Secretary
(Storage & PG)
(Upto 10.02.2020)

सुश्री नन्दिता गुप्ता, आईएएस
संयुक्त सचिव
(संग्रह एवं पीजी)
(10.02.2020 से)
Ms. Nandita Gupta, IAS
Joint Secretary
(Storage & PG)
(w.e.f. 10.02.2020)

श्री अधिकेसवन एस.
(20.07.2020 तक)
Sh. Adikesavan S.
(Upto 20.07.2020)

श्री शारदा प्रसाद
(आईएएस रिटायर्ड)
(31.01.2020 तक)
Sh. Sharda Prasad,
(IAS Retd.)
(Upto 31.01.2020)

श्री वीरेन्द्र सिंह
Sh. Virendra Singh

श्री के.वी. प्रदीपकुमार
Sh. K.V. Pradeepkumar

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एस.सी. मुदगेरिकर
निदेशक (एम एंड सीपी)
(30.09.2019 तक)
Sh. S.C. Mudgerikar
Director (M&CP)
(Upto 30.09.2019

श्री एस. चार्ल्स
निदेशक (वित्त)
Sh. S. Charles
Director (Finance)

श्री राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)
Sh. Rakesh Kumar Sinha
Director (Personnel)

श्री सुरेश वारियर
(20.01.2020 से)
Sh. Suresh Warior
(w.e.f. 20.01.2020)

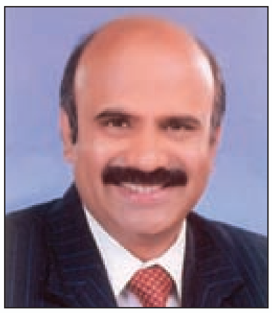

श्री राजेन्द्र कुमार पी.
(20.01.2020 से)
Sh. Rajendra Kumar P.
(w.e.f. 20.01.2020)

श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी
(20.01.2020 से)
Smt. Anupama Singh Lodhi
(w.e.f. 20.01.2020)

श्री बी. राघवेन्द्र राव
(20.07.2020 से)
Sh. B. Raghvendra Rao,
(w.e.f 20.07.2020)

श्री मुकुल एन. डांडिगे
(05.08.2020 से)
Sh. Mukul N. Dandige
(w.e.f 05.08.2020)

प्रबंधन
MANAGEMENT

श्री प्रणय प्रभाकर, आई.आर.टी.एस.
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. Pranai Prabhakar, IRTS
Chief Vigilance Officer

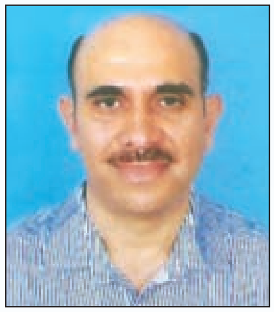

ले. कर्नल एस.सी. चतुर्वेदी
समूह महाप्रबंधक
(तकनीकी)
Lt. Col. S.C. Chaturvedi
Group General Manager
(Technical)

श्री अनिल मानिक राव
समूह महाप्रबंधक
(प्रणाली)
Sh. Anil Manik Rao
Group General Manager
(System)

श्री एम.के. वर्मा
समूह महाप्रबंधक
(एसपी एंड सी डिवीज़न)
Sh. M.K. Verma
Group General Manager
(SP&C Division)

श्री आर.आर. अग्रवाल
समूह महाप्रबंधक
(लेखा)
Sh. R.R. Aggarwal
Group General Manager
(Accounts)

श्री सोमनाथ आचार्य
महाप्रबंधक
(कार्मिक)
Sh. Somnath Acharya
General Manager
(Personnel)

श्री अमित पुरी
महाप्रबंधक
(टैक्स/लेखा)
Sh. Amit Puri
General Manager
(Tax/Accounts)

श्री सैम्युएल प्रवीण कुमार
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)
Sh. Samuel Praveen Kumar
General Manager (Commercial)

डॉ. एच.बी. दास
सचिव
Dr. H.B. Das
Secretary

प्रबंधन
MANAGEMENT

श्री अतुल गहराना
मुख्य अभियंता (आई/सी)
Sh. Atul Gahrana
Chief Engineer (I/c)

श्री अमरीश गौतम
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)
Sh. Amrish Gautam
Deputy General Manager
(Personnel)

श्रीमती जेसी जेकब
उप महाप्रबंधक
(एफ एंड ए)
Mrs. Jessy Jacob
Deputy General Manager
(F&A)

श्री सुबल चन्द्र मल्लिक
उप महाप्रबंधक
(आंतिरिक लेखा)
Sh. Subal Chandra Mallick
Deputy General Manager
(I/A)

ले. कमांडर पवन कुमार
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक)
Lt. CDR Pawan Kumar
Deputy General Manager
(Personnel)

श्री नरेन्द्र कुमार
उप महाप्रबंधक
गुणवत्ता विभाग
Sh. Narendra Kumar
Deputy General Manager
Quality System

श्रीमती मिताली गुहा
उप महाप्रबंधक
(एसपी एंड सी)
Mrs. Mitali Guha
Deputy General Manager
(SP&C)

क्षेत्रीय प्रबंधक
REGIONAL MANAGER

श्री विष्णु वर्धन मंगलम्
महालक्ष्मी चार रास्ता, उन्नति विद्यालय के सामने पालदी, अहमदाबाद-380007
Sh. Vishnu Vardhan Mangalam
Mahalaxmi Char Rasta, Opp. Unnati Vidyalaya, Paldi, Ahmedabad-380007

श्री शिवानंद राय
नं.–9, मिशन रोड, पल्लवी कॉम्पलैक्स, बेंगलुरु-560027
Sh. Shivanand Rai
No. 9, Mission Road, Pallavi Complex, Bangalore-560027

श्री पी.के. साव
75, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 के सामने, मैदा मिल, भोपाल-462011
Sh. P.K. Saw
75, Arera Hills, Opp. Kendriya Vidyalay No. 1, Maida Mill, Bhopal-462011

डॉ. अनुराग त्रिपाठी
बे सं. 39–42, सैक्टर–31ए, चंडीगढ़-160030
Dr. Anurag Tripathi
Bay No. 39-42, Sector-31a
Chandigarh-160030

श्री के.के. पांडा
थिरुवल्लरीलम, 4, नॉर्थ एवेन्यू, श्री नगर कॉलोनी, सैदापेट, चेन्नई-600015
Sh. K.K. Panda
Thiruvalarillam, No. 4, North Avenue, Sri Nagar Colony, Saidapet, Chennai-600015

श्री राजीव के. बंसल
स्कोप मीनार, कोर–3, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सैंटर दिल्ली-110092
Sh. Rajeev K. Bansal
Scope Minar, Core-3, I[st] Floor, Laxmi Nagar District Centre, Delhi-110092

श्री विनय चिरानिया
39, सप्तस्वाहिद पथ, सारूमटोरिया, दिसपुर गुवाहाटी-781006
Sh. Binay Chirania
39, Saptashvahid Path, Sarumotoria, Dispur, Guwahati-781006

क्षेत्रीय प्रबंधक
REGIONAL MANAGER

श्री अजय ज़ादौ
वेअरहाउसिंग सदन, गांधी भवन के पीछे,
पीबी सं.–34, नामपल्ली, हैदराबाद-500001
Sh. Ajay Jadoo
Warehousing Sadan, Behind Near Gandhi
Bhawan, Post Box No.-34, Nampally,
Hyderabad-500001

श्री मनीष तयाल
ए–25, सिद्धार्थ हाउस, उद्योग भवन के सामने
तिलक मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर-302005
Sh. Manish Tayal
A-25, Sidharth House, Opp. Udyog
Bhawan, Tilak Marg, "C" Scheme
Jaipur-302005

श्री पी.आर.के. नायर
2253 डी. मावेली रोड, गांधी नगर,
कदवंतरा, कोच्चि-682020
Sh. P.R.K. Nair
2253 D, Maveli Road, Gandhi Nagar
Kadavanthara, Kochi-682020

श्री विवेकानंद मिश्रा
सीएमसी बिल्डिंग, फेस–1 छठा तल, न्यू
मार्केट कॉम्पलैक्स, 15–एन, नेली सेनगुप्ता
सरणी, कोलकाता-700087
Sh. Vivekanand Mishra
CMC, Building, Phase-I, 6th Floor,
New Market Complex, 15 N, Nellie
Sengupta Sarani, Kolkatta-700087

श्री राम कुमार
वेअरहाउसिंग भवन रोडवेज़ वर्कशाप के निकट,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
Sh. Ram Kumar
Warehousing Bhawan, Near Roadways
Workshop, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow-226010

श्री बी. निर्मल
तुर्भे के पास रेलवे स्टेशन, वाशी,
नवी मुंबई-400613
Sh. B. Nirmal
Near Turbhe, Railway Station,
Vashi, Navi Mumbai-400613

डॉ. सिद्धार्थ रथ
मौर्य लोक कॉम्प्लैक्स, ब्लॉक–ए, द्वितीय
तल, डाक बंगला रोड, पटना-800001
Dr. Shdharth Rath
Maurya Lok Complex, Block-A,
2nd Floor, Dak Bungalow Road
Patna-800001

केन्द्रीय भण्डारण निगम

केंद्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सं. के.भ.नि./बीएण्डसी/एजीएम/2020 दिनांकः 25 अगस्त, 2020

सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम, 20 के साथ पठित भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के अनुसरण में तथा कोविड–19 के कारण चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन हेतु जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र सं. 14/20 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय भंडारण निगम के अंशधारियों की 58वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के द्वारा दिनांक 28.09.2020 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगेः–

1. केन्द्रीय भंडारण निगम की 28 सितम्बर, 2019 को हुई 57वीं वार्षिक साधारण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2. वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2019–20 के दौरान निगम के कार्यकलापों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण।
3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016–नीति, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा–निर्देशों पर निगम का अनुपालन नोट।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय।

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) द्वारा भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रोक्सी–1 फार्म भेजना होगा। प्रोक्सी–1 फार्म पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए तथा समय से पूर्व डाक/कोरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि वह इस कार्यालय में दिनांक 24 सितम्बर, 2020 को 17.00 बजे तक अवश्य पहुँच जाएं। यह अनुरोध है कि संलग्न अनुलग्नक–क का संदर्भ लें जिसमें (वीसी) द्वारा की जाने वाली वर्चुअल बैठक के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

मौजूदा कोविड प्रकोप स्थिति के कारण तथा केंद्रीय भंडारण निगम में प्रोक्सी–फार्म समय पर जमा/प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे डाक/कोरियर द्वारा भेजने के अलावा अंशधारियों को सलाह दी जाती है कि वे विधिवत रूप से भरे हुए तथा स्कैन किए हुए होलोग्राम सहित प्रोक्सी फार्म को ई–मेल द्वारा secycwc@cewacor.nic.in पर अथवा व्हॉटसएप नम्बर +91-9971236904 पर भेजें।

प्रोक्सी–1 फार्म प्राप्त होने के बाद केंद्रीय भंडाण निगम द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए लिंक को प्रोक्सी–1 फार्म में उपलब्ध कराए गए ई–मेल/मोबाइल पर 28.09.2020 को 10.00 बजे तक शेयर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभागी के मोबाइल के नंबर में व्हॉटसअप सुविधा हो। उपरोक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक प्रोक्सी–1 फार्म में दिए गए ई–मेल आईडी/व्हॉट्सअप नम्बर पर शेयर किया जाएगा।

अंशधारी द्वारा वर्चुअल मीटिंग में सफल लॉग–इन उपस्थिति की गणना के लिए ई–वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है।

नोट

अधिनियम नियमों और सामान्य विनियमों के संबंधित प्रावधान

क. कोई भी अंशधारी या प्रोक्सी धारक निगम की वार्षिक साधारण बैठक में शामिल अथवा वोट नहीं कर सकता जब तक प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी की मोहर के तहत हस्ताक्षरित विधिवत प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि तथा निर्धारित प्रपत्र विशेषकर वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान के उद्देश्य से प्रोक्सी–1 फार्म (मूल रूप में) को निगम के निगमित कार्यालय में 24 सितम्बर, 2020 को 17.00 बजे तक या उससे पूर्व डाक द्वारा भेजकर जमा न कराया जाए। (केंद्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 व 32)।

ख. निगम का अंश रजिस्टर 30 अगस्त, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक 30 दिनों के लिए बंद रहेगा (वेअरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1963 का नियम 21)।

ग. नियम के अनुसार, अंशधारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को केंद्रीय भंडारण निगम में अंशधारियों हेतु दिनांक 28.09.2020 को 12.00 बजे आयोजित होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने के लिए टीए/डीए के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

भवदीय

एच. बी. दास

(डा. एच. बी. दास)
सचिव

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124 फैक्स नं.: 26518013
जन–जन के लिए भण्डारण/ Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
ईपीबीएक्स EPBX: 011-26566107, एक्स. Extn. 263 ई–मेल E-mail:drhbd.cwc@cewacor.nic.in, वेब web: www.cewacor.nic.in

Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)

No. CWC/B&C/AGM/2020 Dated: 25th August, 2020

NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 and in compliance with The Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020 read with general circular No. 14/20 dated 08th April, 2020 and general circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 issued in view of the ongoing lockdown due to COVID 19 and social distancing norms to be followed, notice is hereby given that the 58th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Warehousing Corporation will be held through Video Conferencing (VC) at 12.00 hrs on 28.09.2020 to transact the following business:-

1. To confirm the minutes of the 57th Annual General Meeting held on 28th September, 2019.
2. To discuss and adopt the Annual Accounts of the Corporation for the year 2019-20 and Auditor's Report, thereon, together with the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year 2019-20.
3. The compliance note of the Corporation on the guidelines on capital restructuring of CPSEs issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Govt. of India vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016.
4. Any other matter with the permission of the Chair.

For participation in the meeting through Video Conferencing (VC), the participant has to send the Form proxy-1. The Form Proxy-1 duly filled needs to be send through post/courier well in advance so that the same reaches this office latest by 1700 hours on 24th September 2020. It is requested to refer the attached Annexure-A, which contains detailed instruction in reference to the virtual meeting to be carried out through (VC).

Owing to prevailing COVID outbreaks situations and in order to ensure timely submission/receipt of Proxy Form-1 at CWC besides sending through post/courier, shareholders are advised to send the duly filled proxy form having hologram duly scanned through e-mail at secycwc@cewacor.nic.in or on Whatsapp no +91-9971236904.

Upon receipt of Form Proxy-1, the link for attending the meeting shall be shared by Central Warehousing Corporation through e-mail/ mobile provided in the Form Proxy-1 by 10:00 hours on 28.09.2020. It must be ensured that the mobile is having the facility of Whatsapp in the mobile number of participant. The above said VC link shall be shared on email id /Whatsapp number, as provided in the Form Proxy-1.

The successful login into the Virtual Meeting by shareholder, confirms their presence in e-AGM, for reckoning attendance.

Note

Relevant Provisions of the Act Rules & General Regulations

a) No shareholder or proxy holder shall attend or vote at Annual General Meeting of Corporation unless a copy of the duly certified resolutionsigned under the seal of the certifying officer and the **Form proxy- 1** (in Original) in the prescribed form specially for the purpose of voting at the Annual General Meeting is submitted through Post & reached at the Corporate Office of the Corporation on or before 17: 00 hours of 24th September, 2020. (Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).

b) The Share Register of the Corporation shall remain closed 30 days from 30th August, 2020 to 28th September, 2020 (Rule 21 of the Warehousing Corporation Rules, 1963)

c) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of the shareholding institutions, who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Central Warehousing Corporation scheduled to be held on 28.09.2020 at 12: 00 hours.

Yours truly,

(Dr. H.B. Das)
Secretary

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124 फैक्स नं.: 26518013
जन–जन के लिए भण्डारण/ Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016
ईपीबीएक्स EPBX: 011-26566107, एक्स. Extn. 263 ई–मेल E-mail:drhbd.cwc@cewacor.nic.in, वेब web: www.cewacor.nic.in

बैंकर्स Bankers	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank केनरा बैंक Canara Bank यूको बैंक UCO Bank सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया Central Bank of India बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India इंडियन बैंक Indian Bank बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda आईडीबीआई बैंक IDBI Bank यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक Punjab & Sind Bank यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India एचडीएफसी बैंक HDFC Bank
सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors	जे के सारावगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट J K Sarawgi & Company, Chartered Accountants
शाखा लेखा परीक्षक Branch Auditors	उत्तरी क्षेत्र Northern Zone, जे के सारावगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट J K Sarawgi & Company, Chartered Accountants पूर्वी क्षेत्र Eastern Zone मैसर्स बी. चावाचारिया एंड कंपनी., चार्टर्ड एकाउंटेंट M/s. B.Chhawchharia & Co., Chartered Accountant दक्षिण क्षेत्र Southern Zone मैसर्स जवाहर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट M/s. Jawahar & Associates, Chartered Accountants पश्चिमी क्षेत्र Western Zone सुरेश सुरना एण्ड एसोसिएट्स एल.एल.पी., चार्टर्ड एकाउटेंट्स Suresh Surana & Associates LLP, Chartered Accountants

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भण्डारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भण्डारण, हैण्डलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भण्डारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैण्डलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी.एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भण्डारण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

MISSION

To provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner.

VISION

To emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

OBJECTIVES

- To meet changing needs of agriculture, trade, industry and other sectors by providing scientific warehousing and related infrastructural facilities.
- To reduce losses during warehousing, handling and distribution.
- To be a major player in providing pest control services using environment friendly methods.
- To assist in implementation of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 with a view to expand credit potential of Warehoused goods through banking institutions and NBFCs.
- To plan and diversify across the logistics value chain, through forward and backward integration in areas such as port handling, procurement and distribution, cold chain, warehousing financing, 3PL, consultancy services, multi–modal transport, etc.
- To achieve global presence in the warehousing and logistics field.
- To plan and implement Human Resource Development programmes to improve commitment, motivation and productivity of employees for achieving customer satisfaction.

2019–20 के दौरान कार्य निष्पादन के मुख्य बिन्दु

1. निगम ने वर्ष 2019–20 के दौरान 1727.63 करोड़ रु. का टर्नओवर प्राप्त किया। गत वर्ष यह 1604.62 करोड़ रु. था।
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कर–पूर्व लाभ 409.67 करोड़ रुपये रहा जबकि गत वर्ष यह 225.42 करोड़ रुपये था। गत वर्ष 163.61 की तुलना में कर–पश्चात् लाभ 372.32 करोड़ रु. रहा।
3. गत वर्ष में 49.71 लाख मी.टन की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्नों की कुल क्षमता उपयोगिता 52.22 लाख मी.टन रही।
4. 02 राज्यों में 06 स्थानों पर 38100 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।
5. वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत की दर से 111.75 करोड़ रुपये का लाभांश दिया गया है।
6. कीट नियंत्रण सेवाओं से 19.04 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

HIGHLIGHTS OF PERFORMANCE DURING 2019-20

1. The Corporation has achieved the turnover of Rs. 1727.63 crore during 2019-20 as against Rs.1604.62 crore in the last year.
2. During the financial year 2019-20, the profit Before Tax is Rs. 409.67 crore as against Rs 225.42 crorein the last year. The profit after Tax is Rs. 372.32 crore as against Rs. 163.61 crorein the last year.
3. Overall capacity utilization of food grains was 52.22 lakh MT during this year as against 49.71 lakh MT during the last year.
4. Additional storage capacity of 38100 MT constructed at 6 locations in 2 states.
5. Dividend for 2019-20 is @30% of Profit after Tax amounting to Rs. 111.75 crore has been paid.
6. Earned revenue of Rs. 19.04 crore from Pest Control Services.

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएँ–गत 5 वर्षों के दौरान निरन्तर वृद्धि
Performance Highlights-Consistent Growth During Last 5 years

क्र. सं. S. N.	मानदण्ड Parameter	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1.	वार्षिक औसत क्षमता (लाख मी. टन) Average Operational Capacity (LMT)	100.18	99.80	99.69	99.65	115.11
2.	स्वयं की/निर्मित क्षमता (लाख मी.टन) Owned/Constructed Capacity (Lakh MT)	78.74	78.22	77.88	77.59	76.64
3.	औसत क्षमता उपयोग (%) Average Capacity Utilization (%)	84.35	83.00	79.00	74.53	80.00
4.	खाद्यान्नों के लिए उपयोग की गई वर्षवार औसत क्षमता (लाख मी. टन) Average Utilization for storage of Foodgrain	52.22	49.71	44.81	40.71	43.09
5.	कुल टर्नओवर (करोड़ रु. में) Total Turnover (Rs. in Crore)	1727.63	1604.62	1582.94	1606.29	1639.93
6.	परिचालनों से राजस्व (करोड़ रु. में) Revenue from Operations (Rs. in Crore)	1612.30	1519.51	1502.09	1508.51	1540.66
7.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रु. में) Profit Before Tax (Rs. in Crore)	409.67	225.42	27.62	260.59	283.56
8.	कर पश्चात् लाभ (करोड़ रु. में) Profit After Tax (Rs. in Crore)	372.32	163.61	31.88	231.22	197.82
9.	पैस्ट नियंत्रण सेवा से आय (करोड़ रु. में) PCS Income (Rs. in Crore)	19.04	17.08	16.24	19.66	19.05
10.	हैंडल किए गए टीईयू (लाख टीईयू) TEUs Handled (Lakh TEUs)	6.36	5.60	6.49	7.79	9.25

ಕೇಂದ್ರ ಉಗ್ರಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ
केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)
CONTAINER FREIGHT STATION
Plot No. 107/109, EPIP Zone, KIADB Industrial Area, Whitefield, Bangalore - 560 066.
TÜV Rheinland
CERTIFIED

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारियों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के विवरण सहित निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास, लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कारपोरेट गवर्नेंस, लेखों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी के साथ केंद्रीय भंडारण निगम **(के.भ.नि.)** के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यद्यपि, उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वेअरहाउसिंग और औद्योगिक स्थान की लीजिंग धीमी हो गई है लेकिन कोविड–19 के बाद ई–कामर्स में संभावित वृद्धि और विनिर्माण गतिविधियों के अन्य देशों से भारत में संभावित रूप से शिफ्ट होने से मांग बढ़ सकती है। तथापि आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निगम की आय तथा समग्र क्षमता उपयोगिता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

1. वित्तीय परिणाम

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present their report on the business and operations of the Central Warehousing Corporation (**CWC**) and the statement of accounts for the financial year ended on 31st March, 2020 along with Reports on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Corporate Governance with the Auditors' Compliance Certificate thereon, Audited Statements of Accounts together with the Auditors' Report and Comments on the Accounts by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. Though the leasing of warehousing and industrial space has slowed down because of the nationwide lockdown but demand may rise post-COVID-19 with expected growth in e-commerce and possible shift of manufacturing activities to India from other countries according to industry experts, yet you will be pleased to know that there is considerable growth in overall capacity utilisation and the income of the Corporation during the financial year 2020-21.

1. FINANCIAL RESULTS

(करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

विवरण Particulars	2019-20	2018-19
टर्नओवर Turnover	1727.63	1604.62
व्यय Expenses	1317.96	1379.20
मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीटी) Profit Before Depreciation & Tax (PBDT)	490.15	312.32
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) Profit Before Tax (PBT)	409.67	225.42
कर पश्चात् लाभ (पीएटी) Profit After Tax (PAT)	372.32	163.61
प्रचालन से राजस्व Revenue from Operations	1612.30	1519.51
प्रचालन लाभ Operating Profit	294.34	140.31
निवल मूल्य Net Worth	2369.45	2034.00
नियोजित पूंजी Capital Employed	2158.97	1898.78
औसत निवल मूल्य Average Net Worth	2201.73	1980.23
पूंजी व्यय CAPEX	204.18	167.51

विवरण Particulars	2019-20	2018-19
प्रचालन लाभ/प्रचालनों से राजस्व (%) Operating Profit/Revenue from Operations (%)	18.26	9.23
पीएटी/निवल मूल्य (%) PAT/Net Worth (%)	15.71	8.04
पीएटी/औसत निवल मूल्य (%) PAT/Average Net Worth (%)	16.91	8.26
प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्ति योग्य व्यापार Trade Receivable as number of days of Revenue from Operations	56.68	74.40
निगम के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावों में कमी का प्रतिशत (समग्र आधार – पर) {31.03.2019 को 809.47 करोड़ रु. के प्रारंभिक शेष पर 31.03.2020 को 674.32 करोड़ रु.} %age reduction in claims against the Corporation not acknowledged as debts (overall basis-on) {Rs.674.32 crore as on 31.03.2020 against opening balance of Rs.809.47 crore as on 31.03.2019}	16.70	15.45

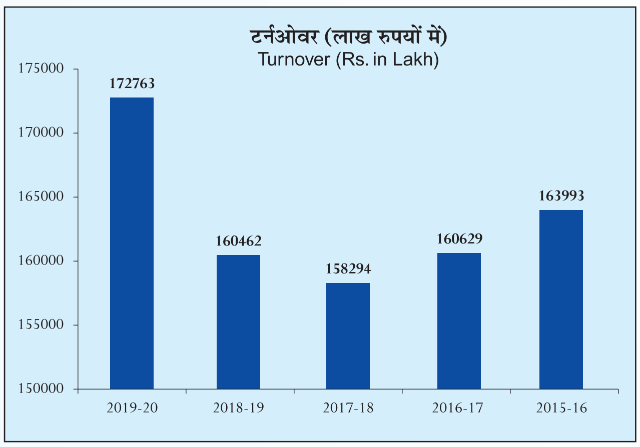

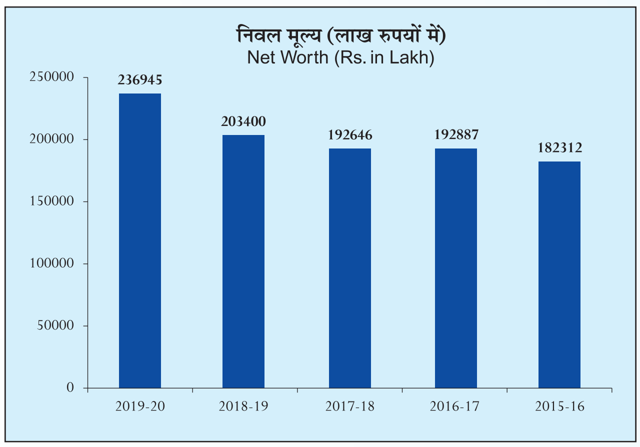

1.1 लाभांश

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए निगम ने कर पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत की दर से 11175.52 लाख रु. का लाभांश प्रस्तावित किया है। वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित लाभांश का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बही खाते में नहीं किया गया है।

डीआईपीएएम के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार न्यूनतम वार्षिक लाभांश कर–पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होता है। वर्ष 2020–21 के दौरान निगम की पूंजी व्यय आवश्यकताओं को देखते हुए निगम ने लाभांश का भुगतान करने के संबंध में जारी डीआईपीएएम के

1.1 DIVIDEND

For the financial year 2019-20, the Board has proposed to pay dividend @30% of Profit after Tax (PAT) amounting to Rs.11175.52 lakh. The proposed dividend for the year 2019-20 has not been accounted in the books as per AS 4 (Para 14) issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

The guidelines issued by DIPAM vide its OM dated 27.05.2016 provides for payment of minimum annual dividend @30% of Profit After Tax or 5% of Net Worth, whichever is higher. Keeping in view, the CAPEX requirements of the Corporation during the year 2020-21, Corporation has applied for seeking exemption from DIPAM

दिशा–निर्देशों में छूट के लिए आवेदन किया और निगम को निवल मूल्य के 5 प्रतिशत के लाभांश के भुगतान किए जाने पर जोर दिए बिना कर–पश्चात लाभ के 30 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

to pay the dividend as per the said guidelines and allow the Corporation to pay dividend @30% of PAT, without insisting for payment of dividend @ 5% of net worth.

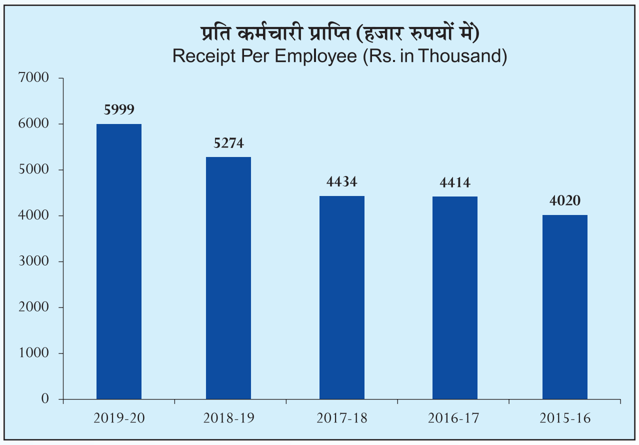

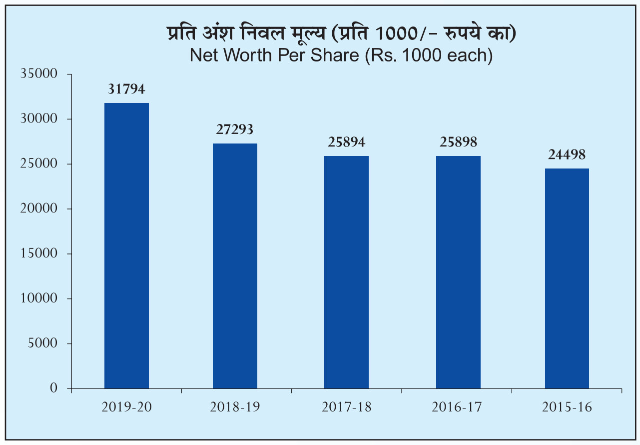

1.2 वित्तीय विशिष्टताएं

आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष के 1604.62 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019–20 में 1727.63 करोड़ रुपये रहा अर्थात् इसमें 123.01 करोड़ रुपये यानि 7.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 225.42 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कर पूर्व लाभ 409.67 करोड़ रुपये रहा। अर्थात् 184.25 करोड़ रुपए की वृद्धि यानि 81.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। गत वर्ष के 163.61 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2019–20 में कर पश्चात् लाभ दोगुने से अधिक 372.32 करोड़ रु. रहा यानि 127.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.2 FINANCIAL HIGHLIGHTS

The turnover of your Corporation for the year 2019-20 is Rs. 1727.63 crore as compared to Rs. 1604.62 crore in the previous year i.e. increase of Rs. 123.01crore i.e. increase of 7.67%. Profit before Tax for the year 2019-20 is Rs. 409.67crore as against Rs. 225.42 crore in the previous year an increase of Rs 184.25 crore i.e. increase of 81.73%. The Profit after Tax for the year 2019-20 is more than double at Rs. 372.32 crore as against Rs. 163.61 crore in the previous year i.e. increase of 127.56%.

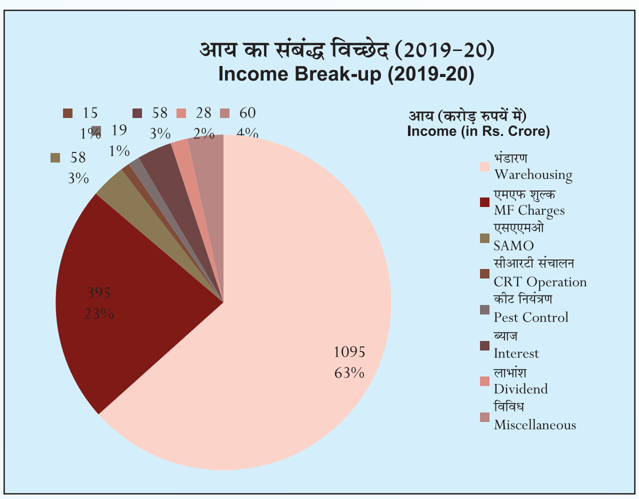

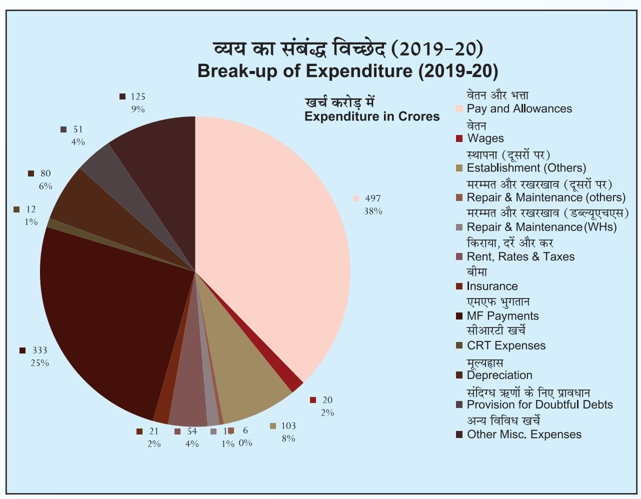

2. प्रचालनात्मक निष्पादन

2.1 31 मार्च, 2020 को आपका निगम 412 वेअरहाउस चला रहा था जिनकी कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 99.62 लाख मी. टन (प्रबंधन क्षमता को छोड़कर) है। इसमें 39 कस्टम बांडेड वेअरहाउस, 25 सीएफएस/आईसीडी, एक एकीकृत रेल टर्मिनल–कॉलम्बोली एवं 1 एअर कार्गो कॉम्पलेक्स (एसीसी)–गोवा, एक अकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू)–आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम, दिल्ली, 1 तापमान नियंत्रित यूनिट – वाशी, 2 एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) अटारी एवं पेट्रापोल हैं। वर्ष के दौरान 38100 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के दौरान क्रमशः 79 तथा 83 प्रतिशत की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 84.35 प्रतिशत तथा 2017–18 के दौरान 79 प्रतिशत रहा।

गत दो वर्ष की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम के भौतिक निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:–

2. OPERATIONAL PERFORMANCE

2.1 As on 31st March, 2020, your Corporation operated 412 warehouses with a total operational storage capacity of 99.62 lakh MT (excluding management capacity). This includes 39 Custom Bonded warehouses, 25 CFSs/ICDs, one Integrated Rail Terminal-Kalamboli and one Air Cargo Complexes (ACC) – Goa, one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) –IGI International Airport, Palam, Delhi, one Temperature Controlled Units -Vashi, two Integrated Check Posts (ICPs) Attari and Petrapole. During the year, 38100 MT additional storage capacity have been constructed. The average capacity utilization during the year under report was 84.35% as against 83% during 2018-19 and 79% during 2017-18.

Comparative status of the physical performance of the Corporation during the year under report as against the preceding two years is as under: -

क्र. स. S. No.	विवरण Particulars	2019-20	2018-19	2017-18
1				
क a	औसत प्रचालन क्षमता (लाख मी.टन) Average operational capacity (Lakh MT)	100.18	99.80	99.69
ख b	औसत क्षमता की उपयोगिता का प्रतिशत Average Capacity Utilization (%)	84.35	83.07	78.97
2				
क a	खाद्यान्न Foodgrains	52.22	49.71	44.81
ख b	उर्वरक Fertilizers	1.53	1.31	2.42
ग c	अन्य Others	30.75	31.89	31.50
घ D	कुल Total	84.50	82.91	78.73

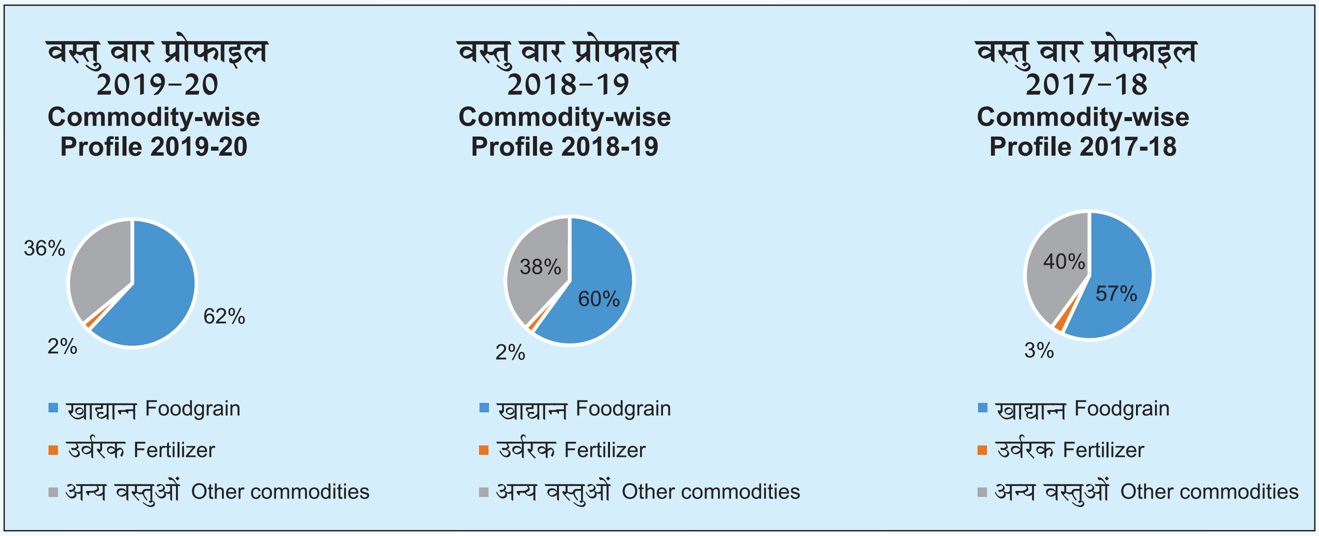

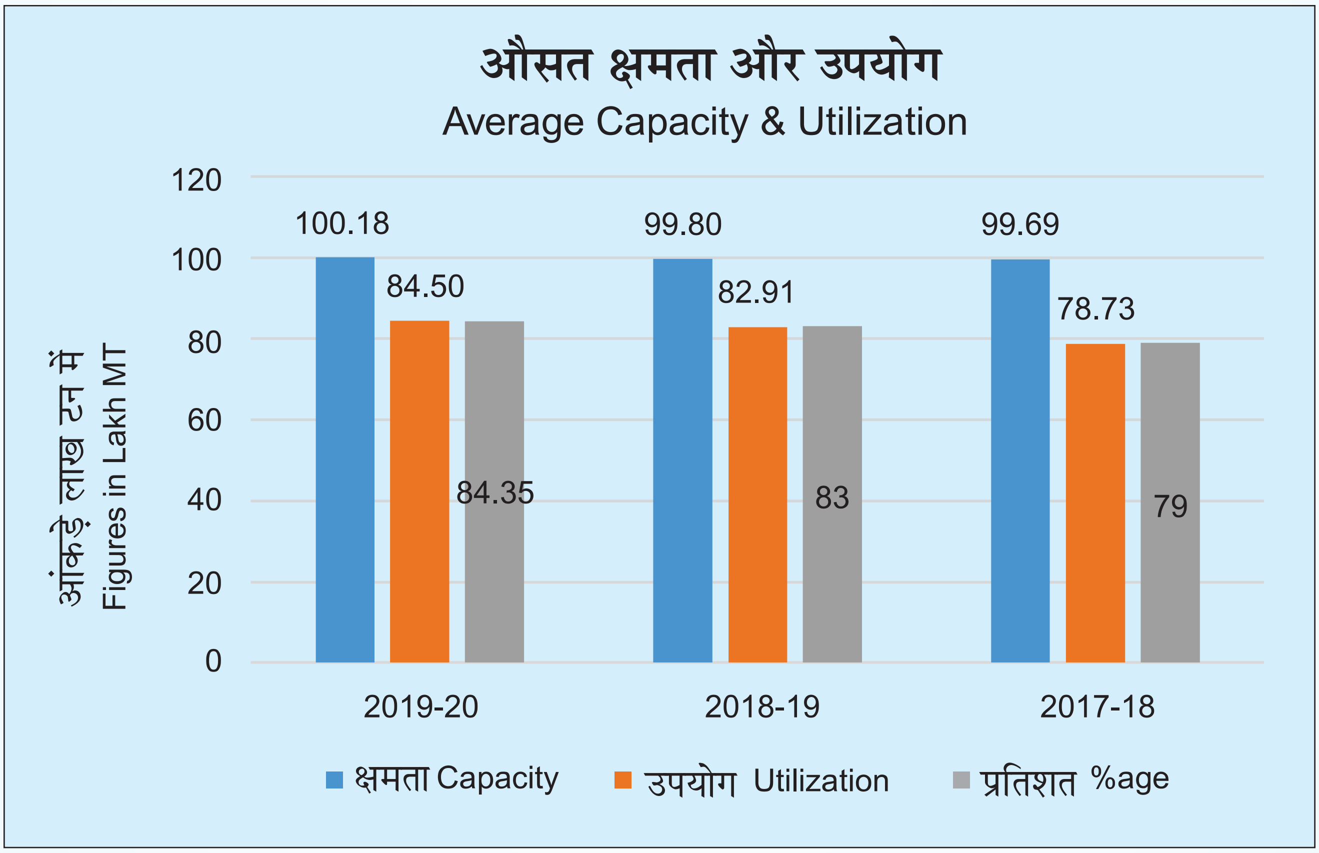

2.2 आईसीडी/सीएफएस/एसीसी/एबीडब्ल्यू का प्रचालन:

कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की ''डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी'' में वृद्धि के बावजूद आपके निगम ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने 25 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैंड क्लिअरेंस डिपो (आईसीडी) द्वारा 6.36 लाख टीईयू हैंडल किए। वर्ष

2.2 Operation of ICDs/CFSs/ACC/ABW

In spite of stiff competition and increase in 'Direct Port Delivery' of Containers at major ports, your Corporation handled 6.36 lakh TEUs during the year under report at its 25 Container Freight Stations (CFSs)/ Inland Clearance Depots (ICDs). Your Corporation

के दौरान आपके निगम ने गोवा में एक एअर कार्गो कॉम्पलैक्स (एसीसी) एवं आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली में एक अकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू) का प्रचालन भी किया है।

also operated one Air Cargo Complex (ACC) at Goa and one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) at IGI Airport, Delhi during the year.

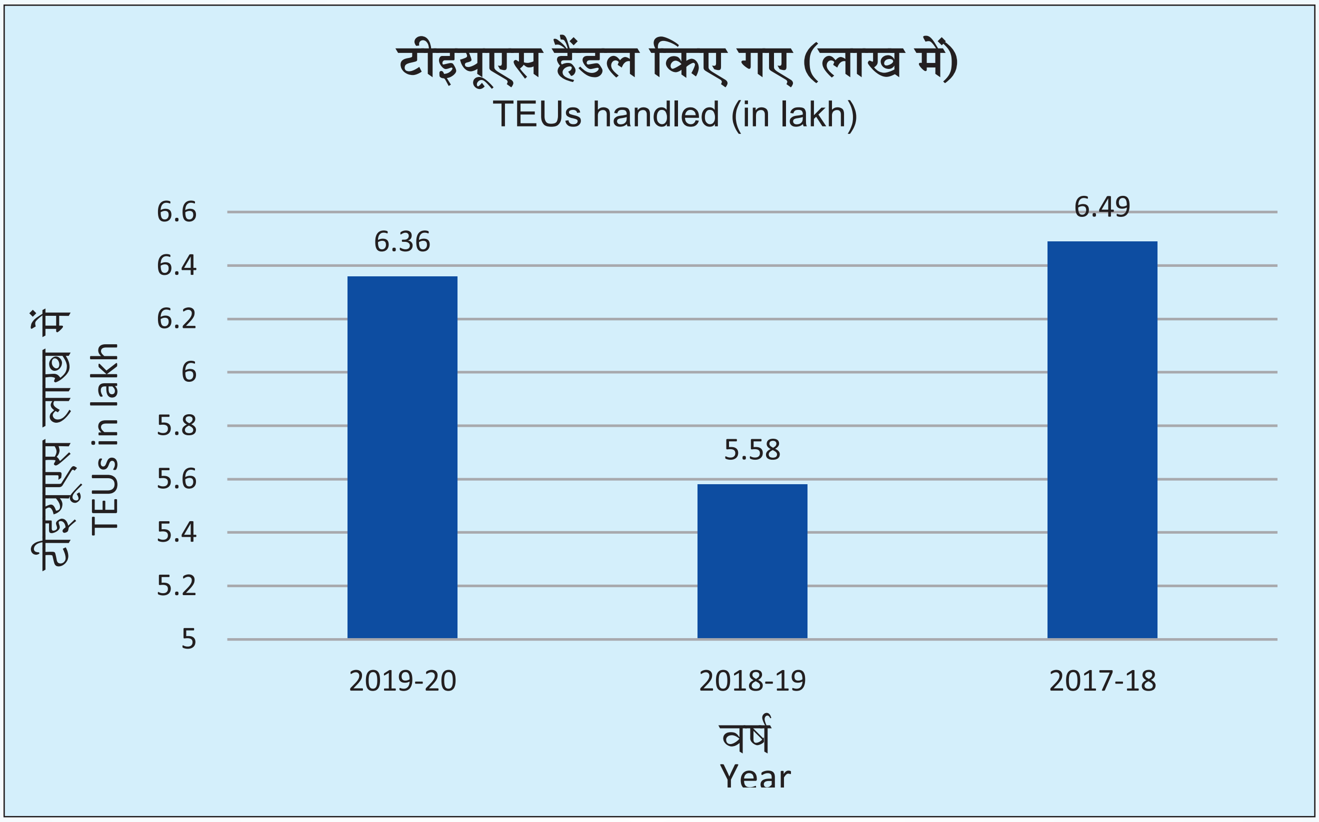

2.3 कार्गो टर्मिनल एवं एकीकृत चैक पास्ट (आईसीपी):

एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी), अटारी (अमृतसर के पास भारत–पाक सीमा पर) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा निगम को सौंपा गया है। भारत–पाक सीमा पर आवाजाही में प्रतिबंध के कारण इस आईसीपी का निष्पादन प्रभावित हुआ है तथा यहां केवल 14 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई और वर्ष 2019–20 के दौरान 8.85 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

भारत–बांग्लादेश सीमा पर पैट्रापोल, (पश्चिम बंगाल) में लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) सड़क मार्ग से बांग्लादेश के साथ आयात–निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे 12 फरवरी, 2016

2.3 Cargo Terminals & Integrated Check Posts (ICP)

The management of the Cargo Terminal of the Integrated Check Post (ICP) at Attari (near Amritsar on Indo Pak border) has been entrusted to your Corporation by the Land Port Authority of India (LPAI). The performance of this ICP has been affected due to movement restriction on Indo-Pak border and the facility recorded only 14% occupancy and earned gross revenue of Rs.8.85 crore during 2019-20.

Land Customs Station (LCS) at Petrapole (West Bengal) on the Indo Bangladesh border facilitating the Import/Export trade with Bangladesh through land route has been converted in to Integrated Check Post (ICP)

सैन्ट्रल वेअरहाउस, आर.वी. लेआउट, बेंगलुरु में निदेशकों के साथ केन्द्रीय भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक का दौरा

Visit of Managing Director, CWC alongwith Directors at CW, R.V. Layout, Bangalore

में एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) में परिवर्तित कर दिया गया। आईसीपी, पैट्रापोल सुविधा का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा आपके निगम को दीर्घ अवधि आधार पर सौंपा गया। समीक्षा वर्ष के दौरान, इस सुविधा से 100 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता दर्ज की गई और 20.50 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

2.4 कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) प्रचालनः

निगम लगातार अन्य कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) की ट्रेनों के माध्यम से लोनी तथा मुंद्रा एवं पिपावाव बन्दरगाहों के बीच आयात–निर्यात कंटेनरों के परिवहन के अतिरिक्त जेएन पोर्ट तथा आईसीडी, लोनी, गाजियाबाद के बीच कंटेनर ट्रेन चला रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने 2018–19 में शुरू किए गए आईआरटी, कालम्बोली में रेल द्वारा कार्गो परिवहन की हैंडलिंग जारी रखी।

on 12th February, 2016. The management of this facility of ICP, Petrapole has been entrusted by Land Port Authority of India (LPAI) to your Corporation on long term basis. During the year under review, the facility recorded 100% capacity utilization and it earned gross revenue of Rs. 20.50 crore.

2.4 Container Rail Transportation (CRT) Operations

EXIM containers are being transported from various ports namely, JNPT, Pipavav and Mundra, to and from ICD Loni under an awarded contract under a Strategic Alliance Management Operator (SAMO) agreement. This is being transported under some arrangement between SAMO and Container Train Operators. During the year 2019-20, the Corporation had also continued handling of cargo transported by rail at IRT, Kalamboli which started in the FY-2018-19.

केंद्रीय भण्डार गृह पर खाद्यान्न का प्राथमिक उपचार
Prophylactic treatment of food grains at a central warehouse

2.5 वेअरहाउसिंग (विकास एवं विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन वेअरहाउसों का पंजीकरण:

31.03.2020 को निगम के कुल 149 वेअरहाउस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत किए गए हैं जिसका उद्देश्य डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत ऐसे वेअरहाउसों द्वारा जारी इलैक्ट्रानिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (ई–एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों एवं अन्य को ऋण की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है।

निगम ने 7 बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पूर्व सिंडिकेट बैंक सहित केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पूर्व आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के साथ करार ज्ञापन (एमओए) भी किया है।

इसके अतिरिक्त, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निगम के 37 वेअरहाउसों को सब मार्किट यार्ड के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वेअरहाउसों को

2.5 Registration of warehouses under Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (WDRA).

The Corporation had 149 warehouses registered with WDRA as on 31.03.2020 with the objective to facilitate the farmers and others in availing credit facilities on the strength of electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWRs) issued through such WDRA registered warehouses.

The Corporation has Memorandum of Agreement (MoA) with seven banks namely Central Bank of India, Punjab National Bank, Punjab & Sind Bank, Canara Bank including erstwhile Syndicate Bank, IDBI Bank, Union Bank of India (erstwhile Andhra Bank and Corporation Bank), ICICI Bank,

Further, 37 CWC warehouses were notified as Sub Market Yards in Telangana and Andhra Pradesh. These warehouses were

ई–नाम (ई–एनएएम) के साथ भी जोड़ा गया था और ये मार्किट यार्ड के रूप में काम करेंगे जहां किसान अपने उत्पाद का भंडारण और बिक्री कर सकते हैं।

2.6 निजी फ्रेट टर्मिनलों (पीएफटी) का विकास:

आपके निगम ने नाभा और कालम्बोली में निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) शुरु किया है। निगम ने कालम्बोली में एक इंटीग्रेटेड रेल टर्मिनल (आईआरटी) भी शुरू किया है। बामनहेड़ी, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में ब्राउनफील्ड पीएफटी के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा निर्माण कार्य जारी है। निगम मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को वाशी में ग्रीनफील्ड पीएफटी और मिराज (महाराष्ट्र) में ब्राउनफील्ड पीएफटी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है।

2.7 आईआरटी वेअरहाउस, कालम्बोली में हैंडल की गई गुड्स ट्रेन :

आईआरटी, कालम्बोली में वर्ष 2018–19 में हैंडल की गई 130 की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 168 गुड्स ट्रेन हैंडल की गईं।

3. पूंजी संरचना

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह क्रमशः 100 करोड़ रु. और 68.02 करोड़ रु. रही। अंशधारण पद्धति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, 33 अन्य अधिसूचित बैंक, 401 सहकारी समितियां, 7 बीमा कंपनियां और 6 कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं/कंपनियां अंशधारी हैं।

4. पूंजी व्यय:

भंडारण क्षमता के निर्माण, भूमि अधिग्रहण, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और अन्य उपकरण इत्यादि पर 204.18 करोड़ रु. का पूंजी व्यय किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान 02 राज्यों में 06 स्थानों पर 38100 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। जोड़ी गई क्षमता का केन्द्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

also linked with E-NAM and will work as Mandi Yards where a farmer can store and sell their produce.

2.6 Development of Private Freight Terminal (PFT)

Corporation has commissioned PFT at Nabha and Kalamboli. It has also commissioned one Integrated Rail Terminal (IRT) at Kalamboli. In Principle Approval has been obtained for Brownfield PFT at Bamanheri, Muzaffarnagar (UP) and construction is ongoing. The Corporation is in the process of converting the existing infrastructure into Greenfield PFT at Vashi and Brownfield PFT at Miraj (Maharashtra).

2.7 Goods Train Handled at IRT Kalamboli

A Total of 168 goods trains were handled during 2019-20 at IRT Kalamboli as against 130, handled during the year 2018-19.

3. CAPITAL STRUCTURE

During the year under report, the authorized and paid-up capital of the Corporation unchanged at Rs. 100 crore and Rs. 68.02 crore respectively. The shareholding pattern also remained unchanged. The shareholders are the Government of India, State Bank of India, 33 other Scheduled Banks, 401 Cooperative Societies, 7 Insurance Companies and 6 Recognized Associations/Companies dealing in agricultural produce.

4. CAPITAL EXPENDITURE

Capital expenditure of Rs.204.18 crore was incurred on construction of warehousing capacity, acquisition of land, IT infrastructure, furniture and other equipments. During the year 2019-20, additional storage capacity of 38100 MT was constructed at six locations in two states. Details of centre-wise capacity addition are given below:

क्र. सं. S. No.	केन्द्र Centre	राज्य State	क्षमता (मी.टन में) Capacity (In MT)
1.	झुंझनु Jhunjhunu	राजस्थान Rajasthan	7700
2.	सीकर Sikar	राजस्थान Rajasthan	5000
3.	बीकानेर – II Bikaner-II	राजस्थान Rajasthan	9400
4.	चौमू Chomu	राजस्थान Rajasthan	8400
5.	कोन्नमथानम Kunnamthanam	केरल Kerala	2600
6.	कांजीकोड़ Kanjikode	केरल Kerala	5000
TOTAL			38,100

बंगलौर में डायरेक्टर कॉन्क्लेव (कस्टमर मीट) के अवसर पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मार्केटिंग फेडरेशन कर्नाटक को पुष्प प्रदान करते हुए
Chairman and Managing Director presenting bouquet to Managing Director Marketing Federation on the occasion of Directors conclave (Customer Meet) at Bangalore

इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में 172 और वेअरहाउसों को अपग्रेड करने की योजना बनाई है। इनमें से 31.03.2020 को 63 का कार्य पूरा हो चुका है और 109 का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आपके निगम ने देश के विभिन्न स्थानों में 3.90 लाख मी. टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण कार्यों को शुरू

Further, your Corporation has drawn up plan to upgrade 172 more warehouses during the year 2019-20 and 2020-21 out of which 63 have been completed and 109 are in progress as on 31.03.2020.

Your Corporation has initiated action to construct additional storage capacity of around 3.90 Lakh MT at various locations in the country during the financial year 2020-21. Three units of Seed

किया है। निगम ने नेशनल फर्टिलाइज़र लि. के जमा कार्य के रूप में पानीपत (हरियाणा), भटिंडा (पंजाब) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में प्रत्येक के लिए 4400 मी.टन क्षमता के सीड प्रोसेसिंग गोदामों के तीन यूनिटों के निर्माण का कार्य भी किया जिसमें से भटिंडा यूनिट नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटडे को सौंप दिया गया है। सैंट्रल वेअरहाउस, मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) में निगम द्वारा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के निर्माण का कार्य चल रहा है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित भंडारण अयोग्य क्षमता को भंडारण योग्य बनाया गया:

Processing godowns as deposit work for National Fertilizers Limited each of 4400 MTC located at Panipat (Haryana), Bathinda (Punjab) and Indore (Madhya Pradesh) were taken up by your Corporation. Out of the same, the unit at Bathinda has been handed over to National Fertilizer Limited. The Corporation is in the process of construction of a Private freight terminal at CW Muzaffarnagar (Uttar Pradesh).

In addition to above, the following un-storage worthy capacity has been converted to storage worthy: -

वर्ष 2019–20 के दौरान भंडारण अयोग्य घोषित क्षमता को भंडारण योग्य क्षमता बनाना

CAPACITY MADE STORAGEWORTHY FROM DECLARED UNSTORAGE WORTHY CAPACITY FOR UTILIZATION DURING THE YEAR 2019-20

क्र. सं. S. No.	केन्द्र का नाम Name of Centre	राज्य State	क्षमता (मी.टन में) Capacity (MT)
1.	मुंद्रा Mundra	गुजरात Gujrat	66000
2.	रायपुर–III Raipur-III	छतीसगढ़ Chhattisgarh	6400
3.	अगरतला–सीएस Agartala-CS	आसाम Assam	3750
4.	गुडीवाडा Gudiwada	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	3500
5.	नंदयाल Nandyal	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1700
6.	निदामानूर Nidmanur	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	2500
7.	रायनापाडू Raynapadu	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	1250
8.	टी.पी. गुड्डम T. P. Guddem	आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh	3300
9.	हल्दिया–सीएफएम Haldia-CFS	पश्चिम बंगाल West Bengal	15000
10.	बांदा Banda	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	5200
11.	कानपुर–आईसीडी Kanpur-ICD	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	8575
12.	सहारनपुर–I Saharanpur-I	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	1250
13.	हजारीबाग Hazaribagh	झारखंड Jharkhand	2500
	कुल Total		**120925**

5. सूचना प्रौद्योगिकी

5.1 **वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस)**, एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है, जिससे विभिन्न भंडारण प्रचालनों को स्वचालित करके देशभर में 396 वेअरहाउसों में शुरू किया गया है।

5.2 गोदामों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए देशभर में 383 वेअरहाउसों पर **सीसीटीवी निगरानी**

5. INFORMATION TECHNOLOGY

5.1 **Warehouse Management System (WMS)**, a cloud-based application automating various warehousing operations, has been rolled out at 396 warehouses across PAN India.

5.2 **CCTV Surveillance System** has been installed at 383 warehouses accross PAN

प्रणाली स्थापित की गई है। मोबाइल फोन पर रिमोट व्यूइंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है।

5.3 निगम की वेबसाइट www.cwcwms.com पर एक डैशबोर्ड को निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों के सैन्ट्रल पूल स्टॉक को देखने के लिए विकसित किया गया है। डैशबोर्ड में वेअरहाउस डैशबोर्ड, कपेसिटी टोटल डैशबोर्ड इन एमटी, कपेसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस) इन एमटी, कपेसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस डिपोजिटर्स) इन एमटी, कमोडिटी डैशबोर्ड (डब्ल्यूएमएस वेअरहाउस) एवं सैन्ट्रल पूल डैशबोर्ड (एफसीआई) शामिल हैं।

5.4 **निगमित कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–ऑफिस को लागू कर दिया गया है।** कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच निगम का प्रचालन बाधा रहित सुनिश्चित करते हुए ई–ऑफिस निगम के अधिकारियों की ''वर्किंग फ्रॉम होम'' में सहायता कर रहा है, इसके अलावा, ई–ऑफिस से निगम में पेपरलेस वातावरण बना है जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय लेने में तेजी, लागत में बचत और कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी आएगी।

5.5 **निगम की नई वेबसाइट** (www.cewacor.nic.in) को शुरू कर दिया गया है। सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के पृष्ठों के साथ नई वेबसाइट को सूचनाप्रद बनाया गया है। साथ ही, वेबसाइट की क्रियाशील प्रकृति उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाती है।

5.6 ग्राहकों को उनके मोबाइल सुविधा के माध्यम से पार्किंग स्थल को दूर से बुक करने एवं उसका प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आईसीपी, पेट्रापोल में **स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल** और उसके मोबाइल एप्लीकेशन को (ई–पेमेंट गेटवे एकीकरण के साथ) शुरु कर दिया गया है।

5.7 यू ट्यूब वीडियो के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन वीडियो से स्वयं डब्ल्यू एम एस और ई–ऑफिस सीखने के लिए ई–लर्निंग बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं को डब्ल्यूएमएस संचालन के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया गया था।

India to strengthen the security of the warehouses. Infrastructure has also been made available to upgrade CCTV cameras with remote viewing facility on Mobile phone.

5.3 A **dashboard** of The Corporation website www.cwcwms.com has been developed to view the central pool stock of food grains at warehouses of CWC. The dashboard comprises of Warehouse dashboard, Capacity total dashboard in MT, Capacity Utilization (WMS) in MT, Capacity Utilization (WMS Depositors) in MT, Commodity Dashboard (WMS Warehouse) and Central Pool dashboard (FCI).

5.4 **E-Office has been implemented in CO and all ROs**. E-Office is assisting the officials of Corporation in "Working from Home", amidst the outbreak of Corona Virus, ensuring un-interrupted operations of CWC. Further, e-Office shall result in paperless environment in CWC, with enhanced efficiency, faster decision making, cost saving and reduced carbon footprints

5.5 The **revamped website of Corporation** (www.cewacor.nic.in) has been made live. The revamped website has been made informative with dedicated pages for all the Divisions and ROs. Also, the dynamic nature of the website increases the user experience.

5.6 In order to enable the customers to remotely book and manage the parking space through the convenience of their mobile, **Smart Parking Management System** portal and its mobile application at ICP Petrapole with e-payment gateway integration has been made live.

5.7 **E-Learning** through YouTube videos on WMS, e-Office has been created for self-learning by users vide online videos. Users were also trained through remote access software for knowledge transfer in the field of WMS operations.

5.8 **बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस)** को निगमित कार्यालय और निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया गया है ताकि एक मंच के माध्यम से बिलों की मूवमेंट तथा उनके भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके। यह थर्ड पार्टी भुगतान पर सीवीसी दिशा–निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए निगम को सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, बीटीएस विक्रेताओं की सैन्ट्रल रिपोज़िटरी तैयार करने की भी सुविधा देता है।

5.9 **निगमित कार्यालय के लिए चेहरे की पहचान सहित बायोमिट्रिक उपस्थिति और पेरोल के साथ इसके एकीकरण** को शुरू कर दिया गया है।

5.10 **ऑफिस के जीओफैंसिग द्वारा मोबाइल ऐप** के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना शुरू कर दिया गया है।

5.11 दौरे के अनुमोदन, अग्रिम (यदि आवश्यक हो तो) **दौरा डायरी तथा दावा निपटान के लिए दौरा प्रबंधन प्रणाली** को शुरू करने सहित उपस्थिति प्रणाली के साथ इसका एकीकरण कर दिया गया है।

5.12 **विज़न 2024, के.पी.आई.एस. तथा पहल को अद्यतन करने और निगरानी के लिए डैशबोर्ड** को शुरू कर दिया गया है।

5.13 **सी.सी.टी.वी. शिकायतों और ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल** को शुरू कर दिया गया है।

5.14 निगम ने सर्तकता विभाग द्वारा की गई प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए **सतर्कता सूचना प्रणाली (वीआईएस)** को वर्ष 2020–21 में शुरू करने हेतु विकसित तथा पूर्ण रूप से परीक्षित किया है। सभी दस्तावेजों और फाइलों को डिजीटाइज्ड कर दिया गया है तथा सतर्कता विभाग की सभी मैन्युअल फाइल (मूवमेंट) को समाप्त कर ई–फाइल मूवमेंट को शुरू कर दिया गया है।

5.15 **निगम द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल (जीआरपी)** को 2020–21 में लॉन्च करने के लिए विकसित तथा पूर्ण रूप से परीक्षित किया गया है, जहाँ शिकायतों को रजिस्टर कराया जा सके। प्रमाणीकरण के कई स्तर, फर्जी शिकायतों को सीमित करते हैं। किसी भी शिकायत के समाधान के लिए लगने वाले समय को जी.आर.पी. कम करती है। इसके अतिरिक्त, यह सपूंर्ण प्रक्रिया पेपरलैस है, अर्थात् इस संपूर्ण प्रक्रिया में पेपर का उपयोग नहीं किया जाता

5.8 **Bill Tracking System (BTS)** has been implemented in Corporate Office and all the Regional Offices of the Corporation to track the movement of bills and status of payment online through one platform. This facilitates the Corporation to ensure the CVC guidelines on 3rd party payments. Further, BTS also allowed in preparing a central repository of the vendors.

5.9 **Biometric attendance with face recognition and its integration with payroll for Corporate Office** have been made live.

5.10 **Marking attendance through mobile app** by Geofencing of office has been made live.

5.11 **Tour Management System** for approval of Tour, Advance (if required), Tour Diary and its claim settlement, along with its integration with attendance System has been made live.

5.12 **Dashboard for Vision 2024, KPIs and initiatives updating and monitoring** has been made live.

5.13 **Online portal for CCTV complaints and tracking** has been made live.

5.14 Corporation has developed and thoroughly tested **Vigilance Information System (VIS)** for launching in 2020-2021 for digitizing the processes undertaken by Vigilance Division. Further, all the documents and files have been digitized and all the manual file movement in Vigilance Division had been dispensed with **e-File movement**.

5.15 **Grievance Redressal Portal (GRP)** of the Corporation has been developed and thoroughly tested for launching in 2020-2021 wherein the grievances can be registered. Several layers of authentication limits the fake complaints. GRP reduce the dwell time for resolving any Grievance. Further, the whole process is paperless i.e. no paper is used in the whole process and the

और शिकायतकर्ता आसानी से अपनी शिकायतों के वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक कर सकता है।

5.16 आगंतुकों को ई–पास जारी करने के लिए निगमित कार्यालय में **विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस)** स्थापित किया गया है। यह प्रणाली आगंतुकों और अन्य विवरणों का ट्रैक रखती है।

5.17 **वर्चुअल हायरिंग के माध्यम से,** नई भर्ती के रिकार्ड डिजिटल किए जाते हैं और इन्हें सभी मानव संसाधन कार्यों के लिए डिजिटल रूप में उपयोग किया जाता है। नए भर्ती हुए व्यक्ति द्वारा मैन्युअल रूप से भरे जाने वाले सभी रिकार्ड अब ऑनलाइन भरे और अपलोड किए जा रहे हैं। कॉरपोरेट एच.आर. सभी विवरणों की पुष्टि करता है और इस प्रणाली के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत/संलग्न सभी प्रकार के नामांकन फार्म को प्रमाणित करता है। केवल इस प्रणाली के माध्यम से कॉरपोरेट एच.आर. द्वारा आवश्यक अनुमोदन भी प्राप्त किया जाता है।

5.18 **कैश मैनेजमेंट सोल्यूशन और ई–पेमेंट** गेटवे को चेन्नई क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर डब्ल्यू.एम.एस. के साथ एकीकृत किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी, फंड ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि द्वारा जमाकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त सेवाओं का भुगतान करने के लिए एक प्लेटफार्म साबित हो रहा है।

5.19 **निगम के विभिन्न डिजिटल उपकरणों को एक्सेस करने के लिए एक ऑनलाइन कॉम्प्रीहैन्सिव पोर्टल एडं–यूजर्स** को एक पेज से निगम के सभी उपकरणों तक एक्सेज करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है।

5.20 **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पोर्टलः** निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपनी सुविधानुसार घर से इंटरनेट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ले सकें।

5.21 **ई–ऑक्शनिंग और ई–टेण्डरिंग पोर्टल** को नया रूप दिया गया है ताकि बेहतर पारदर्शिता, व्यापक प्रचार एवं सुचारू रूप से काम किया जा सके।

5.22 **निगम का कैरियर पोर्टल** उम्मीदवारों के लिए निगम से संबंधित सभी नौकरियों की अद्यतन जानकारी

complainants can easily track real time status of their complaints.

5.16 **Visitor Management System (VMS)** has been installed in the Corporate Office in order to issue e-pass to the visitors. This system keeps track of the visitors and other details.

5.17 **Through Virtual Hiring,** the records of new recruitees are digitized and are used in digital form for all the HR functions. All the records which had to be filled manually by the new recruitees are now filled and uploaded online. Corporate HR verifies all the details and authenticates all types of nomination forms submitted/attached by the candidates through the system. Necessary approval is also accorded by Corporate HR through system only.

5.18 **Cash Management Solution and e-payment gatewa**y has been integrated with WMS on pilot basis in Chennai region providing a platform to the depositors to make payment against the services availed on-line by means of various modes such as RTGS, NEFT, Fund transfer, Debit card, credit card, etc.

5.19 **An Online comprehensive portal for accessing various digital tools of the Corporation** has been launched for enabling end-users to access all the tools of the Corporation from one page.

5.20 **Post-retirement medical benefit portal** has been launched to enable the retired officials of the Corporation to manage their post-retirement medical benefits from the comfort of their home through the internet.

5.21 **Portals for e-auctioning and e-tendering have been revamped** for better transparency, wider publicity and smoother working.

5.22 **Career Portal for the Corporation** has been launched for providing candidates a single

और उनके प्रश्नों के उत्तर एक ही मंच से देने के लिए शुरू किया गया है।

5.23 **सी.एफ.एस/आई.सी.डी. सॉफ्टवेयर सी.एफ.एस. व्हाइटफील्ड, बंगलौर क्षेत्र जैसे नए स्थानों पर सी. एफ.एस. प्रचालनों** को स्वचालित करने के लिए लगाया गया है ताकि यूज़र्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे सभी प्रचालनों का निष्पादन ऑनलाइन करने में सक्षम हो सके।

6. मानकीकरण/प्रमाणन

आपके निगम ने उन्नत गुणवत्ता मानक को सफलतापूर्वक कार्यान्वित एवं व्यवस्थित रखा है। सभी 368 स्वनिर्मित वेअरहाउसों/सीएफएस/आईसीडी/एसीसी और 14 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निगमित कार्यालय को क्यूएमएस के लिए आईएसओ 9001:2015, ईएमएस के लिए आईएसओ 14001:2015 तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 के तहत प्रमाणित किया गया।

7. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. का गठन 10 जुलाई, 2007 को हुआ और इसने व्यावसायिक शुरूआत के लिए 24 जुलाई, 2007 को प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. **(सीआरडब्ल्यूसी)** केन्द्रीय भंडारण निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी इक्विटी में 40.56 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

परिचालन विशेषताएं

7.1 सैन्ट्रल रेल साइड वेअरहाउस कम्पनी लि. **(सीआरडब्ल्यूसी)** कुल 334567 मी.टन की कुल भंडारण क्षमता के 19 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स (आर.डब्ल्यू.सी.) का प्रचालन कर रहा है और वर्ष 2019–20 के दौरान 134505 वैगन हैंडल किए गए।

7.2 वर्ष के दौरान पहलेजा, बिहार में 13800 मी.टन क्षमता के रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स का निर्माण पूरा हो गया है, और परिचालन किया जा रहा है।

7.3 फतुहा, बिहार में 20400 मी.टन क्षमता के वेअरहाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इसके पूरा होने की संभावना है।

platform for all job-related updates from the Corporation and their queries regarding the same.

5.23 **CFS/ICD software has been rolled out at new locations, i.e. CFS Whitefield, Bangalore region** for automating CFS operations at the new location enabling the users to perform all such operations online through the software.

6. STANDARDISATION/CERTIFICATIONS

Your Corporation successfully implemented and maintained upgraded Quality Standards. All the 368 own constructed warehouses/CFSs/ICDs/ACCs and 15 Regional Offices and Corporate Office have been certified under ISO 9001:2015 for QMS, ISO 14001:2015 for EMS and OHSAS 45001:2018 for occupational Health & Safety Management System.

7. WHOLLY OWNED SUBSIDIARY

Your Company has one wholly owned Subsidiary Company- Central Railside Warehouse Company Limited, with investment of Rs. 40.56 crore in its equity. The same was incorporated on 10th July, 2007 and received the certificate for commencement of business on 24th July, 2007 under the Companies Act, 1956. Major operational and financial highlights of Company are as follows:

Operational Highlights

7.1 CRWC has been operating 19 Railside Warehouse Complexes (RWCs) with an aggregate storage capacity of 334567 MT and has handled 134505 wagons during the year 2019-20.

7.2 Construction of 13800 MTC RWC at Pahleja in Bihar was completed and has been operationalised.

7.3 Construction of 20400 MT warehouse at Fatuha, Bihar is under progress and the same will be completed shortly.

7.4 मार्च 2020 के दौरान मनचेश्वर में 9500 मी.टन क्षमता के आर.डब्ल्यू.सी. के निर्माण का कार्य प्रदान किया गया। इस परियोजना के मई, 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

7.5 गांधीधाम (गुजरात), असरवा (अहमदाबाद), सनकेल (पश्चिम बंगाल), व्हाइटफील्ड फेज़–III (कर्नाटक), उधमपुर और चन्न अरोरियन (जम्मू एवं कश्मीर) में अतिरिक्त रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स के निर्माण की योजना में बनाई जा रही है, जिसके लिए रेलवे को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

7.6 गत तीन वर्षों की वित्तीय विशिष्टताएं नीचे दी गई हैं:–

7.4 Construction of 9500 MTC RWC at Mancheswar had been awarded during March, 2020. The project is expected to be completed by May, 2021.

7.5 Additional RWCs are being planned at Gandhidham (Gujarat), Asarwa (Ahmedabad), Sankrail (West Bengal), White field phase-III (Karnataka), Udhampur & Chhan Arorian (Jammu & Kashmir) for which proposals have been submitted to Railways for approval.

7.6 Financial highlights of last three years is given below

वित्तीय विशेषताएं Financial Highlights

(राशि करोड़ रु. में) (Rs. in Crore)

क्र. स. S. No	वर्ष Year	आय Income	व्यय Expenditure	पीबीटी PBT	पीएटी PAT
1	2017-18	96.88	73.24	23.64	15.33
2	2018-19	87.94	71.58	16.36	14.88
3	2019-20	82.55	63.16	19.40	16.32

8. राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी)

दिनांक 31 मार्च, 2020 को 19 राज्य भंडारण निगम थे। आपके निगम की इन 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) में 50 प्रतिशत इक्विटी है तथा शेष 50 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों की है। 31 मार्च, 2020 को ये राज्य भंडारण निगम 397.24 लाख मी. टन की कुल भंडारण क्षमता के 2093 वेअरहाउस चला रहे थे। वर्ष के दौरान राज्य भंडारण निगमों द्वारा 14.44 लाख मी. टन की स्वयं निर्मित भंडारण क्षमता बढ़ाई गई।

राज्य भंडारण निगमों द्वारा परिचालित भंडारण क्षमता का विवरण नीचे तथा अनुलग्नक–1 में दिया गया है:–

8. STATE WAREHOUSING CORPORATIONS (SWCs)

As on 31st March, 2020, there are 19 State Warehousing Corporations. Your Corporation holds 50% equity in these 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with the respective State Governments holding the remaining 50% of the equity. As on 31st March, 2020 these SWCs were operating with the network of 2093 warehouses with an aggregate storage capacity of 397.24 lakh MT. During the year, 14.44 lakh MT of owned constructed storage capacity was added by the SWCs.

Details of the storage capacity operated by SWCs are given below and at Annex-I

(क्षमता लाख मी.टन में) (Capacity in lakh MT)

भंडारण क्षमता Storage Capacity	2019-20	2018-19	2017-18
भंडारण क्षमता Owned (Constructed)	195.72	181.28	174.03
किराये पर (कवर्ड) Hired (Covered)	76.70	73.39	81.09
प्लिन्थ Plinth	9.68	2.17	2.30
प्रबंधन वेअरहाउसिंग Management Warehousing	115.14	83.99	51.35
कुल Total	397.24	340.83	308.77
वेअरहाउसों की संख्या No. of Warehouses	2093	2145	1929

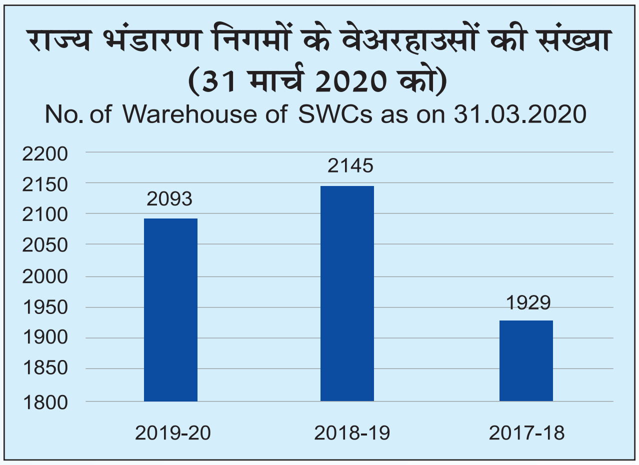

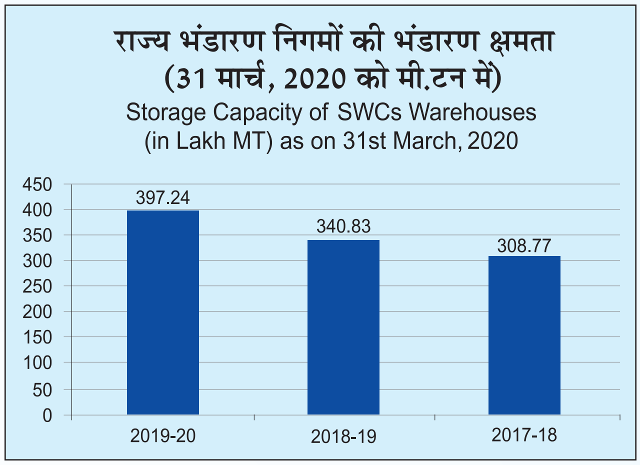

31 मार्च, 2020 को आपके निगम द्वारा राज्य भंडारण निगमों की इक्विटी में 61.79 करोड़ रु. का कुल निवेश किया गया। राज्य भंडारण निगमों में किए गए निवेश का ब्यौरा अनुलग्नक–II में दिया गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 12 राज्य भंडारण निगमों ने अपनी 15 वार्षिक साधारण बैठकें आयोजित की तथा लाभांश के रूप में 20.82 करोड़ रु. की राशि घोषित की एवं निगम द्वारा प्राप्त की गई। राज्य भंडारण निगम द्वारा घोषित लाभांश एवं केंद्रीय भंडारण द्वारा प्राप्त राशि का ब्यौरा अनुलग्नक–III पर दिया गया है।

9. मानव संसाधन विकास

9.1 आपके निगम का विश्वास है कि उसकी सफलता उसके प्रतिबद्ध कार्यबल के तालमेल तथा निष्पादन पर निर्भर करती है। संगठन के लिए दीर्घ अवधि योजना तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर मूल्य सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है:–

- कर्मचारी उत्पादकता का संवर्धन कर सर्वश्रेष्ठ वर्ग स्तर तक पहुँच ने और प्रतिस्पर्धी वेतन लागत के लिए प्रयास करके लाभप्रदता में सुधार करना।
- कार्यबल के सभी स्तरों में नेतृत्व का विकास तथा प्रतिभा एवं कर्मचारी निष्पादन का प्रबंधन करना।

31 मार्च, 2020 तक निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 2880 थी जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 3042 थी। अनुभवी और संतुलित कर्मचारियों के साथ यह अब जीवंत प्रगतिशील और नवपरिवर्तन उन्मुख संगठन है।

As on 31st March, 2020, the aggregate investment by your Corporation in the equity of the SWCs stood at Rs. 61.79 crore. The details of investment in SWCs are given at Annex-II. During the year under report, 12 SWCs held their 15 AGMs and an amount of Rs. 20.82 crore has been received as dividend. The details of the dividend declared by the SWCs and amount received by the Corporation are given at Annex-III.

9. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

9.1 Your Corporation believes that its success depends on alignment and performance of its dedicated workforce. In order to create value for the organization and based on the long time plan and current realities, the focus during the year was mainly in the following domain:

- Enhancing employee productivity to reach the best in class levels and improve profitability by striving for competitive wage cost.
- Development of leadership and manage talent and employee performance across all levels of the work force.

As on 31st March, 2020, the total strength of employees stood at 2880 as against 3042 at the end of preceding year. With a balanced and experienced employee, it is now a vibrant progressive and innovation-oriented organization.

निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण पर भारत सरकार के अनुदेशों का अनुपालन करता है। वर्तमान में, निगम की कुल मानव संसाधन क्षमता में से 27.23 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) के हैं।

31 मार्च, 2020 को समूहवार मानव संसाधन क्षमता निम्नानुसार थी:

The Corporation follows the Government of India directives on reservation of SCs, STS and OBCs. At present the SCs and STs (excluding Safaiwala) constitute 27.23% of the total human resource strength of the Corporation.

The group-wise human resource strength as on 31st March, 2020 is as under:

समूह Group	कुल कर्मचारी Total Employees	अनु.जाति SC	अनु.जनजाति ST	कुल अनु. जाति/अनु. जनजाति Total SC/ ST	अनु.जाति/ अनु–जातियों का प्रतिशत % of SC/STs
क A	277	48	21	69	24.91
ख B	678	137	57	194	28.61
ग C	1633	295	117	412	25.23
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) D (Excl. Safaiwala)	166	50	25	75	45.18
कुल Total	**2754**	**530**	**220**	**750**	**27.23**
घ (सफाई कर्मचारी) D (Safaiwala)	126	77	0	77	61.11
कुल योग Grand Total	**2880**	**607**	**220**	**827**	**28.72**

कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च को पिछले पांच वर्षों के दौरान)

Staff Strength (as on 31st March during the last five years)

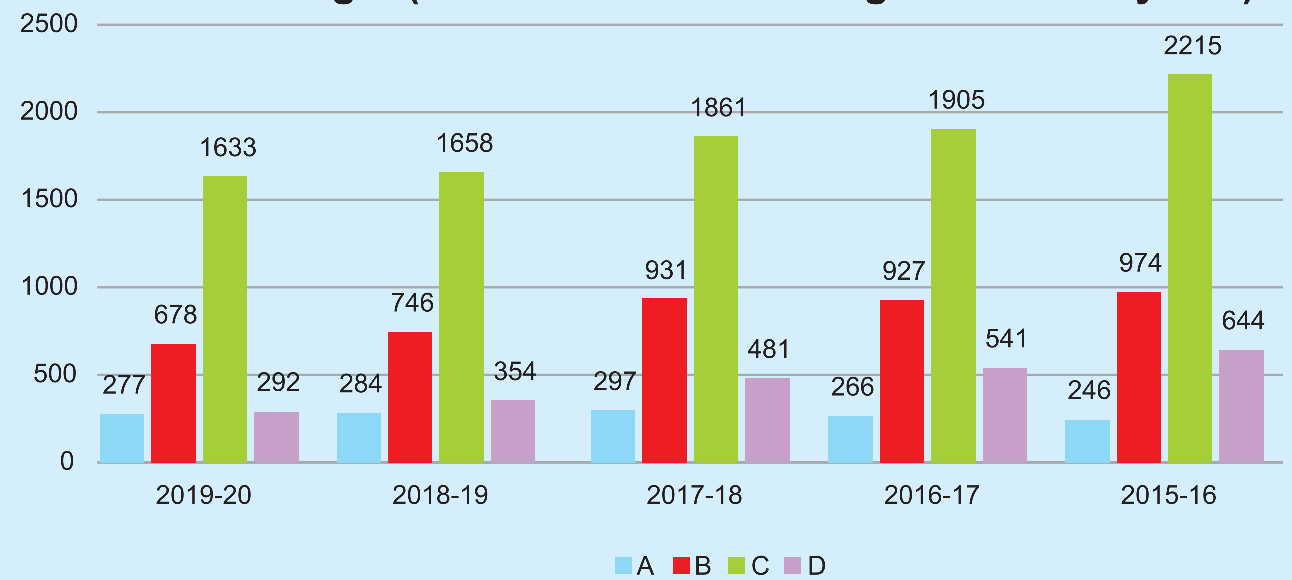

9.2 अभ्यास और विकासः

आपका निगम उत्पादकता विकास के अनुरूप शिक्षण प्रबंधन पद्धतियों और समाधानों को समायोजित करता है। आपके निगम ने अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने में सदैव निवेश किया है। कार्यात्मक और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ निगम की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन और विशेषज्ञ कौशल विकास दोनों क्षेत्रों में, योजनाएं बनाई गईं और निष्पादित की गईं।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गएं जिसमें राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के कर्मचारियों द्वारा भी भाग लिया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया हैः–

9.2 Learning & Development

Your Corporation adjusts learning management practices and solutions in line with the growth of productivity. Your Corporation continued to invest in enhancing professional skills and competencies of its employees. With the objective of enhancing the functional and leadership competencies, extensive training programmes for employees in line with the business requirement of the Corporation, both in the areas of general management and specialist skill development were planned and executed.

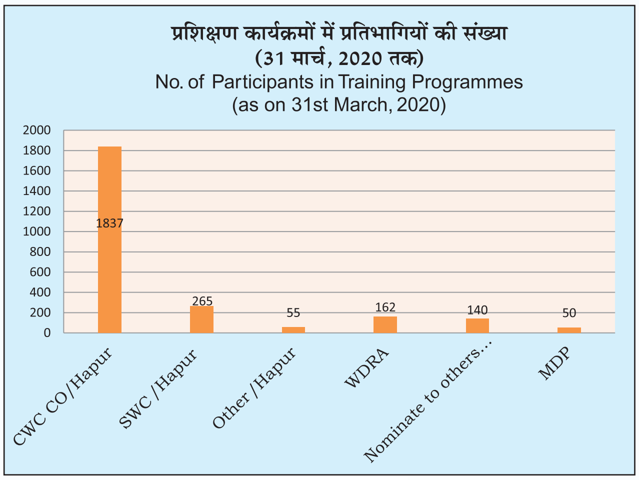

During the year, a number of need based training programmes were conducted in different functional areas for the employees which were also availed by the officials of State Warehousing Corporation (SWCs). The details of training programmes during 2019-20 are appended below:

क. भारत में :

A. Within India:

क्र सं. Sl. No.	प्रशिक्षण का प्रकार Nature of training	निगमित कार्यालय तथा हापुड में प्रशिक्षण कर्मचारियों की संख्या No. of Officials trained at CO & Hapur			क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण कर्मचारियों की संख्या No. of Officials trained at ROs			कुल Total
		केमनि CWC	रामनि SWC	अन्य Others	केमनि CWC	रामनि SWC	अन्य Others	
1.	इनहाउस कार्यक्रम निगमित कार्यालय/हापुड़–संख्या 29 क्षेत्रीय कार्यालय–संख्या 32 In-house Programme CO/Hapur – 29 Nos. & RO - 32 Nos.	783	2	21	1031	-	-	1837
2.	हापुड में भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 08 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 08 Special training programmes at IGMRI, Hapur on payment basis.	50	86	129	-	-	-	265

3.	हापुड में गैर–भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 02 Special training programmes at IGMRI, Hapur on non-payment basis.	2	32	21	-	-	-	55
4.	डब्ल्यूडीआरए के लिए भुगतान आधार पर अहमदाबाद/बैंगलुरु कोयम्बटूर/हापुड में 04 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 04 Special training programmes on behalf of WDRA on payment basis	-	-	-	-	-	162	162
5.	अन्य संस्थानों को नामांकन Nominations to other Institutes.	59	-	-	78	-	-	137
6.	आईआईएम इंदौर में लीडरशिप एक्सीलैंस पर आयोजित 02 एमडीपी 02 Residential MDP on "Leadership Excellence" at IIM Indore	50	-	-	-	-	-	50
7.	विदेश में अन्य संस्थानों को नामांकन Nominations to other Institutes abroad.	03	-	-	-	-	-	03
	कुल Total	**947**	**120**	**171**	**1109**	**-**	**162**	**2509**

कुल योग Grand Total=2509

निगम में कुशल रख–रखाव, दस्तावेजीकरण तथा वेअरहाउसों में अधिसूचित संबद्ध वस्तुओं के स्टॉक के अनुरक्षण के लिए वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) मॉड्यूल शुरू किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अतिरिक्त, ई–ऑफिस पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) और कार्य जीवन में संतुलन और नेतृत्व विकास (विशेष रूप से महिला कार्मिकों के लिए) आयोजित किए गए। निगम ने आईजीएमआरआई, हापुड़ की सुविधाओं को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु एवं फसल उपरान्त खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ दिनांक 25 अक्तूबर, 2012 (31 मई, 2018 को 05 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया)। को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये।

आईजीएमआरआई परिसर, हापुड़ स्थित प्रशिक्षण संस्थान ने 08 मई, 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, केन्द्रीय भंडारण निगम ने भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी उद्यमों तथा डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के लाभ के लिए निगम तथा

Warehouse Management System (WMS) module introduced in the Corporation for efficient upkeep, documentation & maintenance of stock of notified and allied commodities at warehouse. Trainings on Warehouse Management System (WMS) were held at Regional Offices on PAN India Basis. Besides, training programmes on E-Office, Anti-Bribery Management System (ABMS) and Work Life Balance & Leadership Development (exclusively for women officials) were also held. Corporation signed an MoU with the Department of Food and Public Distribution on 25th October, 2012 (renewed on 31st May, 2018 for further 05 years) for taking over the facilities of IGMRI, Hapur for developing as a centre of excellence for training in post harvest management of foodgrains and other agricultural commodities.

The Training Institute at IGMRI Campus, Hapur had started functioning w.e.f. 8th May, 2013. During the year 2019-20, CWC conducted 29 in-house residential training for the employees of the Corporation & SWCs in different functional areas for the benefit

राज्य भंडारण निगमों के कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में 29 आतंरिक आवासीय प्रशिक्षण कायर्क्रम आयोजित किए।

वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अन्य विभागों/राज्य भंडारण निगमों/संस्थाओं/निजी प्रतिभागियों के 416 प्रतिभागियों (डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित 162 प्रतिभागियों सहित) को प्रशिक्षित किया तथा हॉस्टल एवं कोर्स फीस के लिए कुल रु. 92,94,244/– (जीएसटी सहित) प्राप्त किए। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल मानव दिन 10,427 रहे।

of FCI, CWC, SWCs, State Government agencies, Private Entrepreneurs and WDRA sponsored agencies.

During the year, Corporation had trained 416 participants (including 162 sponsored by WDRA) of other Departments/SWCs/Institutes/private participants in different training programmes and realized Rs. 92,94,244/- (including GST) towards course fee & hostel charges. The total man-days for various training programme for the FY 2019-20 turned out to be 10,427.

ख. विदेश में नामांकनः

B. Nominations abroad:

क्र सं. Sl. No.	नाम और पद Name & Designation	अवधि Duration	देश दौरा Country Visited	उद्देश्य Purpose/Training
1.	श्री प्रणय प्रभाकर, मुख्य सतर्कता अधिकारी Shri Pranai Prabhakar, Chief Vigilance Officer	नवम्बर 4–15 नवम्बर, 2019 November 4th-15th November, 2019	लक्जनबर्ग, आस्ट्रिया **Laxenberg**, Austria	केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन एकेडमी (आईएसीए) लक्जनबर्ग, आस्ट्रिया में सतर्कता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित। Vigilance related **Training** programme at International Anti Corruption Academy (IACA), **Laxenberg, Austria** as nominated by Central Vigilance Commission, Govt. of India.
2.	श्री आर.के. सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) Sh. R. K. Sinha, Director (Personnel)	19–23 अगस्त, 2019 को आईआईएम कोलकाता, 2 सितम्बर, 2019 को स्कोप मीनार कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली तथा 18 नवम्बर – 01 दिसम्बर, 2019 (विदेश यात्रा) Aug. 19th-23rd, 2019 at IIM Kolkata, Sept. 2nd, 2019 at SCOPE Complex, New Delhi & Nov. 18th – Dec. 01, 2019 (foreign tour)	वाशिंगटन एवं न्यूयार्क–यूएसए, जिनेवा एवं ज्यूरिक–स्विटजरलैंड, पैरिस–फ्रांस Washington & New York-USA, Geneva & Zurich-Switzerlandand, Paris-France	स्कोप द्वारा आयोजित 8वां एडवांस वैश्विक नेतृत्व कार्यक्रम 8th Advanced Global Leadership Program 2019 organized by SCOPE India
3.	डॉ. अनुराग त्रिपाठी, क्षेत्रीय प्रबंधक, चंड़ीगढ़ Dr. Anurag Tripathi, Regional Manager, Chandigarh	20–21 मई, 2019 मानेसर, हरियाणा व 23–25 मई, 2019 सिंगापुर (विदेश यात्रा) May 20th-21st, 2019 at Manesar, Haryana & May 23rd-25th, 2019 at Singapore (foreign tour)	सिंगापुर Singapore	आईआईसीए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा शासन की सुस्थिरता पर कार्यक्रम Governance Sustainability by IICA, Ministry of Corporate Affairs

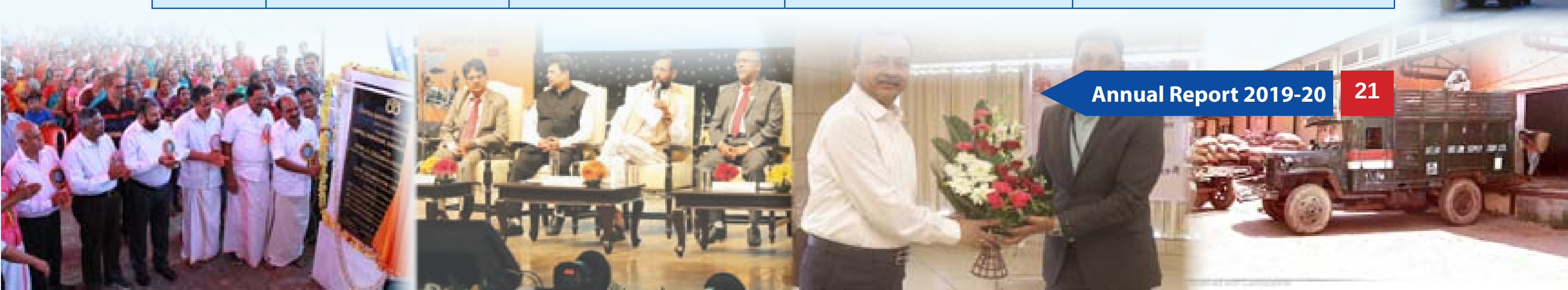

9.3 स्थापना दिवस

निगम में प्रभावी कार्य संस्कृति को स्थापित किया गया है जो काम के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में कर्मचारियों की प्रतिभागिता एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 02 मार्च, 2020 को विभिन्न कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री राम विलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार, मुख्य अतिथि थे तथा उनके साथ अन्य गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। देश के सभी केन्द्रों में स्थापना दिवस अत्यंत उत्साह के साथ सफलतापूर्वक मनाया गया।

9.3. Foundation Day

An effective work culture has been established in the Corporation which encourages participation and involvement of employees in activities beyond work. Towards furthering this, during the year, the 64th Foundation Day was celebrated on the 2nd March, 2020 with active participation of many employees. On this occasion, Shri Ram Vilas Paswan, Honourable Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India was the Chief Guest and other dignitaries also graced the occasion. Foundation Day, at all the Field Units, were celebrated with great enthusiasm and grand success.

श्री राम विलास पासवान, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री द्वारा 2 मार्च, 2020 को दीप प्रज्ज्वलित कर स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन।

Inaugation of Foundation Day Programme on 2nd March, 2020 by lighting the Lamp by Shri Ramvilas Paswan, Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

9.4 स्वच्छ भारत अभियान :

वर्ष के दौरान केन्द्रीय भंडारण निगम ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के अर्न्तगत विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर सक्रिय रूप से भाग लिया। इन गतिविधियों में कार्यालयों जैसे कॉमन एरिया, प्रसाधन, सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कार्यालय के बाहरी क्षेत्र में सफाई रखना निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों की पुरानी फाइलों एवं रिकार्डों की वीडिंग आउट करना शामिल है।

9.4 Swachh Bharat Mission

The Corporation actively participated in Swachh Bharat Mission launched by Govt. of India by carrying out special cleanliness drives during the year. The activities included upkeep and cleaning of offices including common area, toilets, stairs, lifts, area outside the office, weeding out of old files and records at Corporate Office, Regional Offices and Warehouses.

निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत अभियान के अवसर पर स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए।

Managing Director, Director (Finance), Chief Vigilance Officer and other officers of the Corporation participating in cleanliness drive on the occasion of Swachh Bharat Mission.

स्वच्छता भारत अभियान के अवसर निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निगमित ऑफिस की सफाई अभियान

On the occasion of Swachh Bharat Mission cleanness drive by officers and employees of CWC in Corporate office premises.

9.5 औद्योगिक संबंध :

आपके निगम का प्रबंधन सभी संबंधितों की सामूहिक भागीदारी के साथ खुली और पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया में विश्वास रखता है। वर्ष 2019–20 के दौरान संगठन में औद्योगिक संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहे तथा सामूहिक प्रतिभागिता के साथ औद्योगिक अशांति या हड़ताल की कोई घटना नहीं हुई। ट्रेड यूनियन, 2019 के लिए सदस्यता सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक करने के बाद, समूह 'ग' एवं 'घ' कर्मचारियों के वेतन संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण विषय भी पूरा किया गया जिसके लिए यूनियन और प्रबंधन के सभी प्रतिनिधियों के बीच अत्याधिक सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता थी।

9.6 मानव संसाधन प्रबंधन पर एमओयू लक्ष्यः

वर्ष के दौरान, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल किए गए। लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

9.5 Industrial Relations

The Management of your Corporation believes in a process of open and transparent consultation with collective participation of all concerned. Industrial Relations during the year 2019-20 remained cordial and no incident of Industrial unrest or strike occurred. After successfully concluding the Membership Verification for Trade Unions 2019, the most crucial segment of Wage Revision of Group 'C' & 'D' employees was also completed which required close knit co-operation and co-ordination among the representatives of Union and Management

9.6 MoU Targets on HRM

During the year, following targets were included in the MoU signed with the Department of Food & Public Distribution. The target viz-a-viz achievements are as under: -

	मूल्यांकन मानदण्ड Evaluation Parameter	उत्कृष्टता हेतु लक्ष्य Target for Excellent	वास्तविक उपलब्धि Actual Achievement
(क) (a)	मानव संसाधन मापदंडो की उपलब्धि (नीचे दी गई सूची के अनुसार) Achievement of HR Parameters (as given below)	8	8
(i)	एसीआर/एपीएआर लिखने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा के अनुपालन सहित सभी कार्यकारी (ई. तथा इससे ऊपर) संबंधी एसीआर/एपीएआर को ऑनलाइन जमा करने में निरंतरता बनाए रखना। Continuation of online submission of ACR/APAR in respect of all executives (E0 and above) along with the compliance of prescribed timelines w.r.t. writing of ACR/APAR	एसीआर/एपीएआर लिखने के संबंध में निर्धारित समय–सीमा के अनुपालन सहित सभी कार्यकारीयों संबंधी एसीआर/एपीएआर को ऑनलाइन जमा करने में निरंतरता बनाए रखी जा रही है। Submission of online ACR/APAR in respect of all Executives is being continued alongwith compliance of prescribed timeline with respect to writing of ACR/APAR.	
(ii)	वरिष्ठ कार्यकारियों (सहायक महाप्रबंधक तथा ऊपर) की ऑनलाइन तिमाही विजिलेंस क्लीयरेंस अपडेशन में निरंतरता। Continuation of online Quarterly Vigilance Clearance updation for Senior Executives (AGM and above)	वरिष्ठ कार्यकारियों (सहायक महाप्रबंधक तथा ऊपर) की ऑनलाइन तिमाही विजिलेंस क्लीयरेंस अपडेशन में निरंतरता रखी जा रही है। Updation of Online Quarterly Vigilance Clearance for Senior Executives (AGM & Above) is being continued.	
(iii)	उत्तरोत्तर योजना (सक्सेशन प्लान) का निरंतर अपडेशन तथा निदेशक मंडल द्वारा उसका अनुमोदन। Regular updation of succession plan and its approval by the Board of Directors	केंद्रीय भंडारण निगम की उत्तरोत्तर योजना का बोर्ड द्वारा 23.03.2020 को सर्कुलेशन के माध्यम से अनुमोदन किया गया। Succession plan of manpower in CWC was approved by the Board through circulation on 23.03.2020.	

(iv)	कार्यकारियों (ई. तथा ऊपर के स्तर) के लिए बिना विलंब डीपीसी कराने में निरंतरता बनाना। Continuation of holding of DPC without delay for executives (E0 and above level)	सभी कार्यकारियों की डीपीसी 31.12.2019 से पहले पूरी कर दी गई थी तथा पदोन्नति आदेश जनवरी, 2020 को जारी किए गए। DPCs in respect of all executives were completed before 31.12.19 and promotion orders were issued on 1st January, 2020.	
(v)	भारत में उत्कृष्ट केन्द्रों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईसीएआई आदि में कम–से–कम 5 प्रतिशत कार्यकारियों को न्यूनतम एक सप्ताह का प्रशिक्षण देकर प्रतिभा प्रबंधन और कैरियर की प्रगति में निरंतरता बनाना। Continuation of talent management and career progression by imparting at least one-week training of at least 5% of executives in Centre of Excellence within India e.g. IITs, IIMs, NITs, ICAI etc	वर्ष के दौरान 50 कार्यकारियों (समूह 'क' एवं 'ख' के 5 प्रतिशत अधिकारियों) को आईआईएम, इंदौर में प्रशिक्षण दिया गया। During the year 50 executives (5% of Group A&B Officers) were imparted the training at IIM Indore.	
(vi)	मानव संसाधन लेखा परीक्षा की सिफारिशों को लागू करना, यदि कोई है। Implementation of recommendations of HR Audit, if any	सलाहकार, मैसर्स पीडब्ल्यूसी लिमिटेड द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय भंडारण निगम में आवश्यक सिफारिशों को लागू किया गया। As per the recommendations made by Consultant M/s. PWC Ltd., necessary implementation of the recommendations has been made in CWC.	
(vii)	एमआर (56)–जे के अनुरूप कर्मचारियों के निष्पादन की समीक्षा एवं उन्हें कार्यान्वित करना तथा वर्ष की समाप्ति पर निदेशक मंडल को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। Review & Implementation of employee performance on the lines of FR (56)-J and submitting a compliance report to Board of Directors at the end of the year	एफआर (56)– जे के अनुरूप कर्मचारियों के निष्पादन की समीक्षा तथा उनके कार्यान्वयन की निष्पादन की अनुपालन रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष दिनांक 11.06.2020 को आयोजित 351वीं बैठक में रखी गयी। The Compliance Report on review and implementation of employee performance on the lines of FR (56)- J was placed before the BoD in their 351st meeting held on 11.06.2020.	
(viii)	पीपुल कैपेबिलिटी ऑफ मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) के अगले स्तर या उसके समकक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से परामर्शदाता की सिफारिशों को क्रियान्वित करना। Implementation of recommendations of consultant in order to achieve next level of People Capability of Maturity Model (PCMM) or its equivalent	सलाहकार मैसर्स क्यूएआई लिमिटेड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार सिफारिशों पर आवश्यक कार्यान्वयन केंद्रीय भंडारण निगम में किए गए हैं। As per the recommendations made by Consultant M/s. QAI Ltd., necessary implementation of the recommendations has been made in CWC.	
(ख) (b)	वेब–लर्निंग कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने सहित उच्च पदों के लिए कर्मचारियों की तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताओं के निर्माण हेतु योग्यता विकास कार्यक्रम। (कार्यक्रमों की संख्या लक्ष्य है) Capability development programmes for employees to build their technical & managerial competencies for higher positions including special focus on web-learning programme(s) (Target is number of programmes)	25	71
(ग) (c)	महिला कर्मचारियों में नेतृत्व विकास के साथ कार्य संतुलन बनाए रखने के लिए मेंटॉरशिप कार्यक्रम का आयोजन (पहल की संख्या लक्ष्य है) Conducting mentorship program for Women Employees for work life balance as well as leadership development (Target is number of initiatives)	10	10

माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश का चैक प्रदान करते हुए प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम एवं अन्य अधिकारी।

Presenting the cheque of dividend for the financial year 2019-20 to Hon'ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution by Managing Director, CWC & other offices.

वर्ष 2019 के लिए निगम की पत्रिका भंडारण भारती को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1), दिल्ली से 'श्रेष्ठ गृह पत्रिका' का तृतीय पुरस्कार प्राप्त।

CWC has received Third Prize for its House Journal publication "Bhandaran Bharati" for the year 2019 from Town Official Language Implementation Committee (Undertaking-I) Delhi.

10. विशेष उपलब्धियाँ

आपके निगम ने अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखी तथा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए:–

10.1 रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार तथा निगम की गृह पत्रिका ''भंडारण भारती'' को भी श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, चेन्नई, मुम्बई तथा बेंगलुरु को भी नराकास (उपक्रम) द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार प्रदान किए गए।

11. ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत् प्रयासों के रूप में वेअरहाउसों तथा निगम के अन्य कार्यालयों में इलैक्ट्रीकल फिटिंग में लाइटों को एलईडी लाईटों में बदला गया। वर्ष के दौरान, निगम ने वर्षा जल के उपयोग तथा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थानों पर कई वर्षा जल संचयन संरचनाओं का भी निर्माण किया जिसमें 25.68 लाख रु. का व्यय किया गया।

10 SPECIAL ACHIEVEMENTS

Your Corporation continued to excel in fields of its activities and was a proud recipient of the following awards during the year: -

10.1 During the year under report your Corporation was awarded Third prize for excellent performance in the Official Language Policy and Third Prize for Best Publication of "Bhandaran Bharti" in-house journal from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi.

Regional office Lucknow, Guwahati, Kochi, Chennai, Mumbai and Bengaluru were also awarded prize for the year 2018-19 by TOLIC (Undertaking) for excellent work in Official Language.

11. ENERGY CONSERVATION

As a part of continued efforts towards energy conservation lighting in the Warehouses and other offices of the corporation have been replaced with the LED lights. During the year, Corporation has also constructed many Rain Water Harvesting Structures at different locations and spent an amount of Rs. 25.68 lakh to harness the rain water and improve the ground water level.

12. विदेशी मुद्रा व्यय

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम ने निदेशक (कार्मिक), मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा क्षेत्रीय प्रबंधक, चंडीगढ़ की विदेश यात्रा पर 14206.08 डॉलर (यूएसडी) तथा 3263.93 (यूरो) खर्च किए।

12. FOREIGN EXCHANGE OUTGO

During the year under report, your Corporation has spent $ 14206.08 (USD) and 3263.93(Euros) on foreign tour of Director (Personnel), Chief Vigilance Officer and Regional Manager, Chandigarh.

13. तकनीकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

13.1 **गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिरक्षण:** आपका निगम वैज्ञानिक भंडारण के लिए एक प्रमुख संगठन के तौर पर अपने मूल्यवान महत्वपूर्ण जमाकर्ताओं के स्टॉक को उसकी डिलीवरी तक अच्छी स्थिति में परिरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करता है, बशर्ते कि निगम के नियंत्रण से परे कोई प्राकृतिक संकुचन, नमी सूखन और आपदाएं न आएं। निगम के योग्य एवं प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय–समय पर, जब आवश्यक हो रोग–रोधी एवं उपचारात्मक उपायों द्वारा स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:–

13. TECHNICAL & QUALITY CONTROL

13.1 **Quality Control and Preservation:** Your Corporation being a premier organization for scientific storage is making utmost efforts to preserve the stock of its valued depositors in good condition till its delivery, subject to natural shrinkage, moisture dries and calamities beyond its control. The qualified and trained technical personnel of the Corporation maintain the quality of stocks by undertaking timely prophylactic and curative treatment as and when required.

The detail of work undertaken during the year 2019-20 are as under: -

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	लाख मी.टन में In lakh MT
1	रोग–रोधी उपचार किए गए स्टॉक की मात्रा Qty. of stock prophylactic treatment	451.98
2	प्रारंभिक प्रधूमन सहित प्रधूमित स्टॉक की मात्रा Qty. of stock fumigated including Initial Fumigation	191.50

13.2 नमूना विश्लेषण प्रयोगशालाएँ:

स्टॉक की प्राप्ति, भंडारण और डिलीवरी के समय खाद्यान्नों के स्टॉक का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। वेअरहाउस में प्राप्त स्टॉक की गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ नमूनों को चंडीगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम अनाज विश्लेषण प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान, 1393 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

13.2 Sample Analysis Laboratories

Analysis of food grain stocks are being done regularly during receipt, storage and at the time of delivery. In order to have verification of the quality of the stocks received at the warehouse, some of the samples drawn during inspection are referred to Central Warehousing Corporation Grain Analysis Laboratories situated at Chandigarh, Hyderabad and Ahmadabad. During the year 2019-20, 1393 nos. of samples were analyzed.

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा हवाई जहाज में पैस्ट नियंत्रण एवं कीटनाशन सेवाएं।
Pest Control & disinfection service in Aeroplane by Central Warehousing Corporation

किसान विस्तार सेवा योजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण
Training of farmer under Farmers Extension Service Scheme

13.3 किसान विस्तार सेवा योजनाः

इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण, सार्वजनिक गोदामों के उपयोग तथा कृषक समुदाय को वेअरहाउस रसीद गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु जागरूकता पैदा करना है। यह योजना पूरे देश में 317 वेअरहाउसों के माध्यम से चलाई जा रही है। वर्ष 2019–20 के दौरान, 5474 गांवों का दौरा किया गया और 240349 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान, 720 किसानों के लिए दो दिवसीय फसलोंपरान्त प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों के द्वारा फसल काटने के बाद की भडारण हानियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में सभी प्रशिक्षु किसानों को निगम की सीएसआर योजना के तहत मैटल के अनाज भंडारण बिन निःशुल्क प्रदान किए गए। इसके अलावा, किसानों को भंडारण विकास एवं विनियमन अधिनियम, 2007 एवं ई–नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए 40 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 2000 किसानों, दाल मिलरों एवं व्यापारियों ने भाग लिया।

13.3 Farmers Extension Service Scheme

The basic objective of this scheme is to create awareness amongst the farmers about scientific storage of food grains, use of public warehouses and assisting the farming community to get loans against pledge of the warehouse receipt. This scheme is being operated through 317 warehouses throughout the country. During the year 2019-20, 5474 number of villages were visited and 240349 farmers were educated. During the year 2019-20, Two days Post-Harvest Technology Training Programme were organized for 720 farmers. The farmers were imparted training for minimizing the Post-Harvest losses and at the end of the training programme, all the trainee farmers were provided with metallic storage bins free of cost under the CSR scheme of the Corporation. Besides, in order to acquaint the farmers about benefits of Warehousing Development & Regulation Act, 2007 and e-Negotiable Warehouse Receipt system, 40 special training programmes were conducted in which 2000 Farmers, Dal Millers and Traders participated.

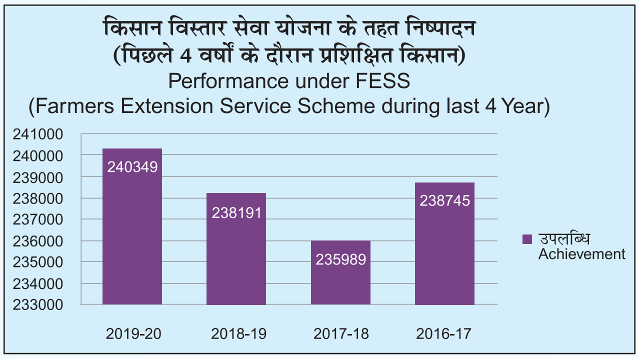

भंडारग्रहों पर भंडारित खाद्यन्न का तकनीकी निरिक्षण
Technical inspection for food grain in warehouse

13.4 संगरोध प्रधूमनः

वेअरहाउस में जब भी खाद्यान्न का स्टॉक कीटग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो उसका संगरोध प्रधूमन किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, निगम ने 82654 मी. टन स्टॉक का संगरोध प्रधूमन किया।

13.5 भंडारण हानियाँः

खाद्यान स्टॉक के मामले में भंडारण अवधि के दौरान भंडारण हानि एक प्राकृतिक घटना है और यह जलवायु कारकों पर निर्भर करती है। वर्ष 2019–20 के दौरान, भंडारण हानियों को न्यूनतम रखा गया तथा उचित भंडारण और परिरक्षण तकनीकों द्वारा 0.12 प्रतिशत रहा।

14. पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

केन्द्रीय भंडारण निगम 1968 से किसानों, व्यापारियों, निर्यातकर्ताओं, आयातकर्ताओं तथा शिपिंग एजेंन्टों आदि के लाभ के लिए पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं को रेलवे कोचों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स, जहाजों और कंटेनरों में आयात तथा निर्यात किए जाने वाले कार्गो के लिए विस्तारित भी किया जा रहा है। निगम ने पैस्ट नियंत्रण गतिविधि से पिछले वर्ष के 17.08 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019–20 में 19.04 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया। रेलवे कोचों का कीटनाशन महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिससे वर्ष के दौरान 377887 एसी/नॉन–एसी रेल कोच और पेंट्री कारों के उपचार से 4.07 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया गया। जबकि कीटनाशन के अन्य क्षेत्रों जैसे उपचार, स्प्रेइंग आदि कार्य से 8.04 करोड़ रु. की

13.4 Quarantine Fumigation

Food grain stock as and when received at the warehouse in infested condition is subjected to quarantine fumigation. During the year under report, the Corporation under took the quarantine fumigation of 82654 MT of stocks.

13.5 Storage Losses

The storage loss in case of food grain stocks during the storage period is a natural phenomenon and depends upon the climatic factors. During the year 2019-20, storage losses were kept to bare minimum and stood at 0.12 % by proper storage and preservation techniques.

14. PEST CONTROL SERVICES

Since 1968, the Corporation has been providing Pest Control Services for the benefit of Farmers, Traders, Exporters, Importers, and Shipping Agents etc. The services are also being extended for Railway coaches, Aircrafts, Hospitals, Hotels & Restaurants, Export and Import Cargo in Containers and Ships. Corporation earned revenue of Rs. 19.04 crore in the year 2019-20 from Pest Control activity as against Rs. 17.08 crore in last year. The disinfestations of Railway coaches continue to be a distinctive segment and fetched revenue of Rs. 4.07 crore by treatment of 377887 AC/Non-AC Rail coaches & pantry cars during the year. An amount of Rs. 8.04 crore earned from other segments of disinfestations like area treatment, spraying work etc. Similarly,

राशि अर्जित की गई। इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 के दौरान निगम ने कंटेनर प्रधूमन, विमान प्रधूमन, शिप प्रधूमन तथा वस्तुओं के प्रधूमन आदि विभिन्न प्रधूमन सेवाओं से 3.94 करोड़ रु. अर्जित किए। आपके निगम ने दीमक रोग–रोधी उपचार तथा अपनी सेवाओं के अन्य क्षेत्रों जैसे वेक्टर नियंत्रण, खपतवार नियंत्रण तथा कीटाणुनाशन क्षेत्र में लगातार प्रयास करके 2.99 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया।

the Corporation earned Rs. 3.94 crore from various fumigation services such as container fumigation, aircraft fumigation, ship fumigation, and commodity fumigation etc. during the year 2019-20. Your Corporation has generated revenue of Rs. 2.99 crore towards anti-termite treatment and making consistent efforts in other segments of service like vector control, weed control and disinfection.

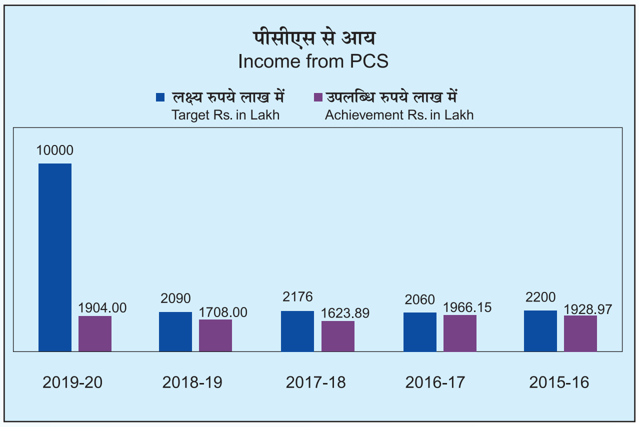

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा कॉनकोर में पैस्ट नियंत्रण एवं कीटनाशन सेवाएं।
Pest Control & disinfection service at CONCOR by CWC.

15. अनुसंधान एवं विकास

पिछले वर्षों से निगम के अनुसंधान एवं विकास उप–विभाग ने 200 से अधिक वस्तुओं जिनमें कृषि उत्पाद, औद्योगिक रसायन और अन्य अधिसूचित वस्तुएं शामिल हैं, के लिए ''कोड ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिसिस'' तैयार किया है। यह स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फील्ड यूनिटों को दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा 'स्टोरेज प्रैक्टिसिस में सुधार का कार्य भी कर रहा है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए:–

क. भारतीय खाद्य निगम एवं केन्द्रीय भंडारण निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों में हुई भंडारण लाभ/हानियों के निर्धारण पर भा.खा.नि/केभनि/रा.भं.नि. का संयुक्त अध्ययन तथा कुशल वेअरहाउस प्रबंधन में भंडारण लाभ/हानियों के मानदण्डों की संस्तुति का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली को गेहूँ, चावल, धान और मक्का में हुई हानि की सीमा चिन्हित करने, भंडारण में होने

15. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Over the years, the Research and Development Sub-division of the Corporation has formulated 'Code of Storage Practices' for more than 200 commodities including agricultural produce, industrial chemicals and other notified commodities. It has also been working on improving existing storage practices to provide guidelines to the field units to maintain quality of the stock. During the year under report, the following Research and Development activities were undertaken:

a. A collaborative study of FCI/CWC/SWC on determination on storage losses/gain in food grain in FCI and the Corporation's warehouse and to recommend norms for storage losses/gain in efficient warehouse management has been entrusted to Indian council of Agriculture Research (ICAR) New Delhi with the objective to identify the extent of losses/gain in Wheat, Rice,

वाले लाभ/हानियों के लिए जिम्मेदार कारकों तथा विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में भंडारण लाभ/हानि के मानदण्डों को बनाने के उद्देश्य के साथ सौंपा गया है। आईसीएआर–सीआईपीएचईटी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (एस एंड आरडी) को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा यह विचाराधीन है।

ख. खाद्यान्न स्टॉक में मुख्य कीटाणु–कीट संक्रमण के नियंत्रण के लिए O_2 के घटते स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है।

Paddy & Maize factors responsible for storage losses/gain and formation of storage loss/gain norms in different Agro-climatic zones. The Report submitted by ICAR-CIPHET to Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Department of Food & Public Distribution (S&RD) is under consideration.

b. A study on decrease in level of O_2 for controlling major Insect-Pest Infestation in food grain stocks is going on.

16. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम द्वारा वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रभावी कदम उठाए गए। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिंदी में पत्राचार बढ़ाने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु निगमित कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की **तिमाही बैठकें** नियमित रूप से आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में पूर्ण दिवसीय चार **हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया** जिसमें 88 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

16. RAJBHASHA

To ensure implementation of Rajbhasha policy of the Government of India, your Corporation has taken several steps to promote usage of Hindi in Official work during the year, Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee in the Corporate Office as well as various Regional Offices were held regularly to review the progress made and chalk out activities to enhance the Hindi correspondence as per target fixed in the Annual Programme by the Official Language Department. During the year, full day Hindi workshops were conducted at quarterly basis at Corporate Office in which 88 officers and staff participated.

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा दिनांक 27.12.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के राजभाषा निरीक्षण के दौरान उपस्थित माननीय सदस्यों के साथ मंत्रालय एवं निगम के अधिकारीगण

During the Official Language inspection of Regional Office, Jaipur on 27.12.2019 officials of Ministry and CWC along with the Honourable Members of Second Sub-committee of Parliament on Official Language

58वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर दिनांक 28.09.2020 को "भंडारण भारती–राजभाषा विशेषांक" का विमोचन करते हुए निगम के अध्यक्ष श्री डी.वी. प्रसाद।

Sh. D.V. Prasad, IAS Chairman, Central Warehousing Corporation releasing the "Bhandaran Bharti-Rajbhasha Visheshank" during 58th AGM on 28.09.2020

वर्ष के दौरान आपके निगम ने **छमाही गृह पत्रिका भण्डारण भारती के दो अंक** ''भंडारण विशेषांक'' तथा ''राजभाषा विशेषांक'' के रुप में प्रकाशित किए। इन पत्रिकाओं में वैज्ञानिक भण्डारण एवं अन्य विषयों सहित निगम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रकाशित की गई। दिनांक 28.09.2019 को आयोजित निगम के अंशधारियों की **वार्षिक साधारण बैठक** के दौरान ''भण्डारण भारती–राजभाषा विशेषांक'' का प्रकाशन तथा लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम में सितम्बर, 2019 को **हिन्दी पखवाड़े** का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान हिन्दी की उत्तरोतर प्रगति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें निगमित कार्यालय के 11 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक नोटिंग–ड्राफ्टिंग करने के लिए 29 अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं डिक्टेशन के लिए 01 अधिकारी को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। निगमित कार्यालय के 06 विभागों को हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई। क्षेत्रीय यूनिटों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 02 मार्च, 2020 को निगम के स्थापना दिवस के अवसर पर राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य–निष्पादन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए **तृतीय पुरस्कार** तथा निगम की गृह पत्रिका ''भंडारण भारती'' को भी श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन के लिए **तृतीय पुरस्कार** प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, चेन्नई, मुम्बई तथा बेंगलुरु को भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष 2019–20 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर तथा सेन्ट्रल वेअरहाउस, बड़ोदा–1 का दिनांक 27.12.2019 तथा 27.02.2020 को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति के सभी सदस्यों ने क्षेत्रीय

During the year, Corporation has published two issues of the half yearly in- house magazine **"Bhandaran Bharati"** in which one issue is published as "Bhandaran Special" and other issue as "Rajbhasha Special". Articles on scientific warehousing and other subjects as well as various activities were also published in these magazines. **"Bhandaran Bharati – Rajbhasha special issue"** was published and released during the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on 28 September, 2019. In addition, **Hindi Fortnight** was also observed in the month of September, 2019 throughout the Corporation. During the period, various competitions relating to progressive use of Hindi were held and 11 cash prizes were awarded to the winners. Besides, cash prizes were also awarded to 29 officials for doing maximum noting / drafting and 01 officer for dictation in Hindi. Six divisions of the corporate office were also awarded Rajbhasha Shield for doing commendable work in Hindi. In order to encourage the field units for greater use of Hindi as Official Language the best performing regional offices were presented trophies on the occasion of Foundation Day of the Corporation held on 02nd March, 2020.

During the year under report, the Corporation was awarded with **Third prize** for excellent performance in the Official Language Policy and **Third Prize** for Best Publication of "Bhandaran Bharati" in-house journal from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi.

Regional office Lucknow, Guwahati, Kochi, Chennai, Mumbai and Bengaluru were also awarded with the prize for the year 2018-19 by Town Official Language Implementation Committee TOLIC (Undertaking) excellent work in Official Language.

During the year 2019-20 Regional Office, Jaipur and CW Baroda-I were inspected by the Second Sub-Committee of Parliament on Official Languages on 27.12.2019 and 27.02.2020 respectively. During the inspection Committee members expressed

कार्यालय तथा वेअरहाउस में हुई राजभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

17. सतर्कता

वर्ष 2019–20 के दौरान, निवारक सतर्कता के तहत मुख्य सतर्कता अधिकारी के दौरों सहित सतर्कता विभाग ने 08 निवारक जांच, 24 औचक जांच तथा 06 सीटीई किए। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान 05 मामलों की जाँच पूरी की गई। मेजर पैनेल्टी के 05 मामलों की जिसमें 08 कार्मिक शामिल थे तथा माइनर पैनेल्टी के 13 मामलों जिसमें 25 कार्मिक शामिल थे, की जाँच कार्रवाई शुरू की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि में 11 मामलों की माइनर पेनल्टी चार्जशीट में शामिल 23 अधिकारी तथा 12 मामलों की मेजर पैनेल्टी में शामिल 25 कार्मिकों के संबंध में निर्णय लिया गया। निवारक जाँच के कारण ठेकेदारों से कुल 27.80 लाख रु. की वसूली की गई। दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर ''सतर्कता–एक–परिदृश्य'' नामक पुस्तिका का 19वां संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों में सतर्कता मामलों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित सतर्कता मामलों पर लेख शामिल किए गए। प्रभावपूर्ण तकनीकी द्वारा सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने, नियामक प्रवर्तन के निर्वहन तथा निगम के अन्य कार्यों में ई–गवर्नेंस टूल्स के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा पारदर्शिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बल दिया गया है। निवारण जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर जांच एवं पूछताछ कार्रवाई तथा पद्धति में सुधारों पर दिशा–निर्देश जारी किए गए।

दिनांक 12.09.2019 से 13.09.2019 तक आईओ/पीओ के लिए प्रशासनिक सतर्कता पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सर्तकता विभाग ने संविदा प्रबंधन पर दिनांक 21.11.2019 से 22.11.2019 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सतर्कता विभाग द्वारा निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता समन्वयक नामित किए गए जिससे सतर्कता संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के अलावा संगठन के जमीनी स्तर

satisfaction on the progressive use of Hindi in Regional Office and Warehouses.

17. VIGILANCE

During the year 2019-20, Vigilance Division undertook 08 preventive checks, 24 surprise checks and 06 CTEs under preventive vigilance including visits by the CVO. Emphasis was laid on expeditious completion of disciplinary proceedings. Investigation in 05 cases were completed during the year. Major penalty proceedings in 05 cases involving 08 officials and minor penalty proceedings in 13 cases involving 25 officials were initiated. As a result of concerted efforts, 11 cases of minor penalty involving 23 officials and 12 cases of major penalty involving 25 officials were decided during the period. A sum of Rs. 27.80 lakh has been recovered from the contractors due to preventive checks. Vigilance Awareness Week was observed from 28.10.2019 to 02.11.2019. On this occasion 19th edition of booklet titled "Vigilance – An Overview" containing articles on vigilance matters including important CVC circulars was released in order to sensitize the Corporation officials on vigilance matters. Greater emphasis has been laid on implementing CVC guidelines towards improving vigilance administration by leveraging technology, to create a culture of transparency through effective use of e-governance tools in discharge of regulatory enforcement and other functions of the Corporation. Based on the deficiencies noticed during the preventive checks, investigation and inquiry proceedings, guidelines on system improvements have been issued.

The training on administrative vigilance for IO/ PO was conducted from 12.09.2019 to 13.09.2019. Vigilance Division conducted two days training programme on contract management from 21.11.2019 to 22.11.2019. The Vigilance Coordinators were nominated by the Vigilance Division in every Region and in various Divisions at Corporate Office to percolate vigilance awareness to the grass root level of the organization apart

तक सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। 10.02.2020 को सतर्कता समन्वयकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

18. निरीक्षण एवं ऑडिट

रिपोर्ट वर्ष के अधीन, वेअरहाउसों के 642 सामान्य निरीक्षण और 1099 तकनीकी निरीक्षण किए गए। वर्ष के दौरान वेअरहाउस/सीएफएस/आईसीडी/आईसीपी/क्षेत्रीय कार्यालय की 216 यूनिटों की आन्तरिक लेखा परीक्षा करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसमें से 215 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई। मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण एक यूनिट की लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी। 215 यूनिटों में से 150 यूनिटों की लेखा परीक्षा आउटसोर्सड चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की गई तथा शेष 65 यूनिटों की लेखा परीक्षा निगम की आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई। उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019–20 के दौरान 03 यूनिटों की विशेष लेखा परीक्षा भी की गई। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की 04 बैठकें आयोजित की गईं।

19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) की भावना के अनुरूप, आपके निगम ने अधिनियम के तहत अपेक्षित आवश्यक क्रिया विधि तैयार कर लागू कर दी है। इसमें निगमित कार्यालय में महाप्रबंधक (कार्मिक) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और क्षेत्रीय प्रबंधक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नामित किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निदेशक (कार्मिक) अपीलीय प्राधिकारी हैं। अपीलीय प्राधिकारी/सीपीआईओ/पीआईओ के नाम निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले 688 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 160 अपीलें भी प्राप्त की गईं और उनका निस्तारण किया गया।

20. प्रचार

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम ने विभिन्न प्रदर्शनियों/कृषि एक्सपो, व्यापार मेलों एवं मेला आदि में भाग लिया, जिनमें से प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:–

from expediting the vigilance related matters. A workshop for Vigilance Coordinators was conducted on 10.02.2020.

18. INSPECTION AND AUDIT

During the year under report, 642 general inspections and 1099 technical inspections of the warehouses were conducted. During the year, Internal Audit of 216 units were planned which includes warehouses / CFSs / ICDs / ICPs / ROs against which 215 units were audited. Internal Audit of one unit could not be conducted due to lockdown imposed by the Govt. of India during the last week of March, 2020. Out of 215 units, 150 units were audited by outsourced CA firms and remaining 65 units were audited by Internal Audit team of the Corporation. In addition to above, Special Audit of 3 units was also carried out during the year 2019-20. Four meetings of the Audit Committee of the Board were held during the financial year 2019-20.

19. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

In consonance with the spirit of Right to Information Act 2005(RTI), your Corporation has implemented and has created necessary mechanism as required under the Act. The General Manager (Pers.) at the Corporate Office is the Central Public Information Officer (CPIO), and the Regional Managers are designated as PIO's. The Director (Personnel) is the Appellate Authority under the RTI Act, 2005. The names of Appellate Authority /CPIO/PIOs are displayed on the website of the Corporation. During the year, 688 applications seeking information under the RTI Act were received and disposed off. 160 appeals were also received by the Appellate Authority and disposed off.

20. PUBLICITY

During the year under report, your Corporation participated in various Exhibitions, Krishi Expos, Trade Fairs, and Melas etc. The details of the major events are appended as under:

- जगन्नाथ धाम, पुरी, ओडिशा में दिनांक 21.10.2019 से 25.10.2019 तक 10वें कृषि मेला, 2019 में भाग लिया।
- धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में दिनांक 07.11.2019 से 08.11.2019 तक एचपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट – 2019 में भाग लिया।
- महाराष्ट्र, नागपुर में दिनांक 22.11.2019 से 25.11.2019 तक 11वीं एग्रोविज़न एग्जीविशन में भाग लिया।
- प्लेस ग्राउण्ड, बेंगलूरु (कर्नाटक) में दिनांक 26.11. 2019 से 28.11.2019 तक 5वीं ग्लोबल एग्जीविशन (जीईएस) में भाग लिया।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान दूरदर्शन (नैशनल चैनल) ने कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय भंडारण निगम की गतिविधियों को भी प्रसारित किया।

21. निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:–

(क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय संगत लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई भी विचारणीय अंतर नहीं है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय सैन्ट्रल वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन नियम, 1963 में निर्धारित प्रारूप की तुलना में वार्षिक लेखों को तैयार किए जाने वाले प्रारूप में अंतर फार्म सी, डी एवं ई (तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे एवं लाभ एवं हानि विनियोजन लेखे) में दी गई मदों को जोड़े जाने के कारण है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के साथ वित्तीय सूचना के बेहतर प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण के लिए किया गया है। फार्म सी, डी एवं ई में दी गई मदें जो वर्तमान में लागू नहीं है, उसे लेखों में नहीं दिखाया गया है।

(ग) लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतर रीति से लागू किया गया है। निर्णय एवं तैयार किए गए प्राक्कलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष को निगम के कामकाज

- 10th Krishi Fair, 2019 at Jagannath Dham, Puri, Odisha w.e.f. 21.10.2019 to 25.10.2019.
- HP Global Investors Meet, 2019 at Dharamshala (Himachal Pradesh) w.e.f. 07.11.2019 to 08.11.2019.
- 11th Agrovision Exhibition at Nagpur, Maharashtra w.e.f. 22.11.2019 to 25.11.2019.
- 5th Global Exhibition (GES) at Place Ground, Bengaluru, Karnataka w.e.f. 26.11.2019 to 28.11.2019.

During the year under report, Doordarshan (National Channel) also telecasted the activities of CWC through Krishi Darshan Programmes.

21. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors hereby confirms that:

(a) In the preparation of the Annual Accounts for the year ended as on March 31, 2020, the relevant accounting standards have been followed and there has been no material departure;

(b) The variations in the format in which Annual Accounts are prepared as compared to the formats prescribed in the WH Rules, 1963 are due to Addition of line items in Form C, D & E (Balance Sheet, Profit & Loss A/c & P & L Appropriation A/c) in preparation of Annual Accounts for FY 2019-20 which has been done for better presentation and disclosure of financial information in line with the applicable accounting standards issued by ICAI. Line items in Forms C, D & E which are not applicable at present are not shown in the Accounts.

(c) The accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates made are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at

और लाभ की स्पष्ट एवं सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

(घ) निगम की परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के उद्देश्य से वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखाकरण के उचित एवं पर्याप्त रिकार्ड रखने हेतु पूरी सावधानी रखी गई है।

(ङ) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को ''गोईंग कन्सर्न'' आधार पर तैयार किया गया है।

(च) निगम द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ये पर्याप्त हैं तथा इन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

(छ) सभी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई गई है एवं ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालित की गईं।

22. प्रबंधन के विचार और विश्लेषण रिपोर्ट

वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण घटक है तथा परिवहन के विभिन्न चरणों के दौरान वस्तुओं के गुणवत्ता भंडारण एवं व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में एक क्षेत्र के रूप में वेअरहाउसिंग कई गुना विकसित हुआ है, जिसमें निम्न– श्रेणी के पारंपरिक गोदामों को पूर्व–इंजीनियर संरचनाओ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो चौबीसों घंटे निगरानी और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के साथ विद्युत रोधी इंसुलेटिड, हवादार और क्लाइमेट प्रूफ हैं।

भारत में पारंपरिक भंडारण सेवाओं के अलावा, वेअरहाउस अब मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं जैसे कार्गो का एकत्रीकरण तथा ब्रेकिंग–अप पैकेजिंग, लेबलिंग, बार कोडिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और वेअरहाउसिंग के लिए आकस्मिक अन्य मूल्य संवर्धित सेवाएँ। भारत में वेअरहाउसिंग का विकास मुख्य रूप से भारत सरकार की मेक–इन–इंडिया पहल, व्यापार बढ़ाना, उत्कृष्ट तकनीक तथा डिजीटल इंडिया जैसे कारकों द्वारा संचालित हो रहा है।

March 31, 2020 and of the Profit of the Corporation for the year ended on that date.

(d) Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962 and the rules framed there under for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(e) The annual accounts for the financial year ended March 31, 2020 have been prepared on a "going concern" basis.

(f) The internal financial controls to be followed by the Corporation have been laid down and the same were adequate and were operating effectively.

(g) Proper system has been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

22. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS REPORT

Warehousing is an important component of the Logistic value chain and plays a significant role in quality storage of goods and merchandise during the varied stages of transportation. Warehousing as a sector in India has evolved manifold, with the low-grade conventional godowns being replaced by pre-engineered structures that are insulated, ventilated and climate-proof, with round the clock surveillance and standard safety protocols and procedures.

Apart from conventional storing services, warehouses in India are now equipped to provide value-added services like consolidation and breaking up of cargo, packaging, labelling, bar coding, reverse logistics and other value-added services incidental to Warehousing. The growth of warehousing in India is primarily being driven by the factors like Make-In-India initiative of Govt. of India, enhanced Trade, Superior Technology and Digital India.

भारत में वेअरहाउसिंग उद्योग अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और वैश्विक मानकों तथा व्यावसायिक विकास के अनुरूप होने से पहले इसे एक लंबा रास्ता तय करना है। तेजी से विकसित हो रहे व्यापार, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों का लाभ उठाते हुए, वेअरहाउसिंग शीघ्र ही भारत में लॉजिस्टिक और आधुनिक व्यापार का अधार बन सकता है।

वेअरहाउसिंग बाजार विश्लेषण

वेअरहाउसिंग बाजार को चार खंडो में विभाजित किया गया है, अर्थात् क) औद्योगिक या खुदरा वेअरहाउसिंग ख) कंटेनर फ्रेट स्टेशन या इनलैंड कंटेनर डिपो (सीएफएस/आईसीडी), ग) कृषि भंडारण और घ) कोल्ड स्टोरेज। इन खंडो में, 2019–2024 पूर्वानुमान अवधि के दौरान राजस्व के संदर्भ में कृषि भंडारण के 17.87 प्रतिशत की उच्चतम विकास दर होने की संभावना है।

क) औद्योगिक वेअरहाउसिंग

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वेअरहाउसिंग और औद्योगिक स्थान की लीजिंग धीमी हो गई है लेकिन कोविड–19 के बाद ई–कामर्स में संभावित वृद्धि और विनिर्माण गतिविधियों के अन्य देशों से भारत में संभावित रूप से शिफ्ट होने से मांग बढ़ सकती है।

''भारत में औद्योगिक वेअरहाउसिंग अत्याधिक अस्थिर क्षेत्र है, जिसके कोविड–19 के बाद तीव्रता और मजबूती से उभरने की संभावना है''। मध्यम अवधि के निकट लगाए पूर्वानुमानों की तुलना में कोरोना वायरस महामारी के कारण औद्योगिक वेअरहाउसिंग स्थान की मांग–आपूर्ति में कमी आने की संभावना है।

वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक लीजिंग के प्रोजेक्शन को पूर्व के 40 मिलियन वर्गफुट से 30 मिलियन वर्गफुट कर संशोधित किया गया है। अब इस वर्ष अनुमानित नई आपूर्ति 12 मिलियन वर्गफुट है जो प्रमुख आठ शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में पहले 42 मिलियन वर्गफुट प्रोजेक्ट की गई थी।

महामारी के बाद विनिर्माण कार्य में जब तेजी आएगी तो संभावना है कि फार्मास्यूटिकल्स, ई–कॉमर्स और

The warehousing industry in India is still at a nascent stage and it has a long way to go before it can match global standards and business growth. Leveraging the fast-evolving trade, infrastructure, technology, and human resources, warehousing can soon become the backbone of the logistics and modern trade in India.

Warehousing Market Analysis

The warehousing market is sub divided into four segments namely a) Industrial or retail warehousing, b) Container Freight Station or Inland Container Depot (CFS/ICD), c) Agricultural warehousing and d) cold storage. Among these segments, Agricultural warehousing is expected to witness the highest growth rate of 17.87% in terms of revenue during the 2019-2024 forecast periods.

a) Industrial Warehousing

The leasing of warehousing and industrial space has slowed down because of the nationwide lockdown but demand may rise post-COVID-19 with expected growth in e-commerce and possible shift of manufacturing activities from other countries to India, according to industry experts.

"Industrial warehousing is the most resilient segment in India, which is likely to emerge quickest and strongest post-COVID-19," The demand-supply of industrial warehousing space is expected to soften as compared to previous estimates in the near to medium term due to coronavirus pandemic.

The projection for warehousing logistics leasing has been revised to 30 million sqft from 40 million sqft earlier. Fresh supply is now estimated at 12 million sqft this year from 42 million sqft projected earlier across top eight cities, i.e. Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Pune.

Post pandemic once manufacturing picks up, it is expected that sectors like pharmaceuticals,

खाद्य उद्योग जैसे क्षेत्र अपनी भंडारण क्षमताओं को मांग के अनुरूप बनाएगें। महामारी के बाद विशेष रूप से ई–कॉमर्स, 3पीएल (थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स) एफएमसीजी (आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के लिए) एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेगमेंट की स्थिति शीघ्र बेहतर हो सकेगी।

विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं से जुड़े प्रमुख प्रचालकों जैसे निगम ने लॉकडाउन के दौरान भी भंडारण स्थान की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी देखी।

एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के बावजूद 2020–21 में विनिर्माण, 3पीएल और ई–कॉमर्स ग्राहकों द्वारा 6 स्थानों पर 3 मिलियन वर्गफुट से अधिक नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ख) कृषि वेअरहाउसिंग

2019 में कृषि वेअरहाउसिंग बाजार 145.82 बिलियन रु. मूल्य का था और 2024 के अंत तक इसके 365.75 बिलियन रु. तक पहुंचने की संभावना है। 2019 तक, भारत में कुल कृषि वेअरहाउसिंग क्षमता लगभग 91 मिलियन मीट्रिक टन है, जिसकी अधिकांश क्षमता का स्वामित्व राज्य एजेंसियों के पास है। देश में फल और सब्जियों के समुचित भंडारण की बढ़ती आवश्यकता कृषि वेअरहाउसिंग की मांग को पूरा करती है।

ग) आयात–निर्यात कार्गो वेअरहाउसिंग

भारतीय कंटेनर ट्रैफिक के बढ़ने से सीएफएस और आईसीडी जैसी ट्रांजिट सुविधाओं की मांग बढ़ी है, जो ब्रेक बल्क कार्गो के कंटेनरीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है और कस्टम गतिविधियों को भी संभालती है। सीएफएस और आईसीडी सुविधाएं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है, भारत उभरते हुए देशों के साथ बढ रहे व्यापार का अनुभव करने की स्थिति में है जो इस बाजार को आकर्षक क्षेत्र बना रहा है, जिससे आयात–निर्यात आपूर्ति शृंखला में परिसंपत्ति की बढोत्तरी होती है। मुख्य रूप से कंटेनरीकृत कार्गो

e-commerce and food industries would ramp up their storage capacities in line with the demand. The recovery for the segment could be quick post the pandemic on the back of strong inherent demand, especially from sectors like e-commerce, 3PL (third party logistics), FMCG (for essential goods/services) and pharmaceuticals.

"Even during the lockdown, warehousing space requirements for major players, like the Corporation, especially dealing with essential items have witnessed increased demand.

As per a research report, more than 3 million sqft of new contracts were signed across six locations by manufacturing, 3PL and e-commerce clients in 2020-21 despite pandemic.

b) Agricultural Warehousing

The agricultural warehousing market was valued at INR 145.82 billion in 2019 and is expected to reach INR 365.75 billion by the end of 2024. As of 2019, India has a total Agri warehousing capacity of around 91 million metric tonnes with majority of the capacity being owned by state agencies. Growing need of proper storage of fruits and vegetables in the country is fuelling the demand of Agri-warehousing in the country.

c) EXIM Cargo Warehousing

Growth of Indian container traffic has led to the demand for transit facilities such as CFS and ICD, which offer services for containerization of break bulk cargo and also handles custom activities. CFS and ICD facilities are an integral component of the logistics sector infrastructure. India, being at the brim of experiencing heightened trade with emerging countries makes this market attractive segment that constitutes a growing asset in the EXIM supply chain. The market is set to expand predominantly owing to the growth in containerized

में वृद्धि कस्टम क्लीयरेंस गतिविधियों में सुधार, अन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की तुलना में उच्च मार्जिन और डेडिकेटिड फ्रेट कारीडोर के निर्माण के कारण बाजार विस्तार के लिए तैयार है। सरकार की पहल ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति, मैरीटाइम एजेंडा विजन 2020 के माध्यम से पोर्ट क्षेत्र का विकास, लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्री ट्रेड वेअरहाउस जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की नीतियों के साथ जहाज निर्माण में निवेश के रूप में स्थान, नियोजित परिसंपत्तियों और कम लागत वाली बेहतर सेवाओं के संदर्भ में कंटेनर लॉजिस्टिक बाजार के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है।

घ) कोल्ड स्टोरेज

भारतीय कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बाजार ने वर्ष 2019–2024 के दौरान बढ़ती हुई प्रसंस्करण खाद्यान्न एवं स्वास्थ्य सेवा उद्योग के कारण 16% से अधिक प्रत्याशित वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तापमान नियंत्रित भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला में तापमान संवेदनशील वस्तुएं जैसे खाना, फार्मासियुटिकल्स इत्यादि का परिवहन सम्मिलित है। सीमा पार व्यापार में वृद्धि और उभरता संगठित खुदरा उद्योग भारतीय कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बाजार को चला रहे हैं। हालांकि भारत में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बाजार उद्योग में बेहतर विकास, उच्च प्रचालन लागत और मानकीकरण में कमी का साक्षी है जो पूर्वानुमान के दौरान बाजार के विकास में संभावना बाधा है।

भारतीय कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स बाजार तापमान नियंत्रित भंडारण और तापमान नियंत्रित परिवहन में वर्गीकृत है। इन श्रेणियों में से तापमान नियंत्रित भंडारण क्षेत्र को प्रमुख बाजार हिस्सेदारी, कोल्ड स्टोरेज अवसरंचना के लिए बढ़ती सरकारी सहायता और प्रोसेस फूड की बढ़ती मांग के कारण है।

भारत में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक बाजार अत्याधिक असंगठित है चूंकि 70% से 80% बाजार पर

cargo, improvement in custom clearance activities, higher margins in comparison to other logistics activities, and construction of dedicated freight corridor. Government initiatives in the form of allowance of 100% FDI in logistics sector, development of the port sector via Maritime Agenda-Vision 2020, investments in shipbuilding along with policies to invite private sector to build logistics parks and Free Trade Warehouse Zones (FTWZ) have provided the much needed impetus to the container logistics market in terms of space, planned assets and low cost superior services.

d) Cold Storage

The Indian Cold Chain Logistics Market is anticipated to register growth of more than 16% during 2019 - 2024, owing to growing processed food and healthcare industry. Cold chain logistics is a process which includes temperature-controlled storage and transportation of temperature-sensitive goods like food, pharmaceuticals, etc., in a supply chain. Increasing cross-border trade and growing organized retail industry is driving the Indian Cold Chain Logistics Market. Though the cold chain logistics market in India is witnessing healthy growth, high operative cost and lack of standardization in the industry are likely to hinder the market growth during the forecast period.

In terms of type, the Indian Cold Chain Logistics Market has been categorized into temperature-controlled storage and temperature-controlled transportation. Of these categories, temperature-controlled storage segment is accounted for the majority market share, backed by growing government support for cold storage infrastructure and increasing demand for processed food.

Cold chain logistics market in India is highly unorganized as around 70%-80%

असंगठित प्रचालकों द्वारा कार्य किया जा रहा है। हालांकि यह बढ़ती हुई स्वास्थ्य जागरूकता और तकनीकी प्रगति के कारण संगठित व्यवसाय संरचना की ओर धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

भारत में वेअरहाउसिंग का विकास

वर्तमान में भारत में कुल भंडारण क्षमता 160 मीलियन टन होने का अनुमान है। इस क्षमता के लगभग 30 प्रतिशत का प्रबंधन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है तथा शेष को एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) सीडब्ल्यूसी (केंद्रीय भंडारण निगम), एसडब्ल्यूसी (राज्य भंडारण निगम), राज्य एजेंसी तथा कॉपरेटिव सेक्टर में विभाजित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम 11 मिलियन टन क्षमता का प्रचालन कर रहा है जिसमें से लगभग 70% की उपयोगिता कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए है।

भारत में आधुनिक भंडारण क्षमता का लगभग 60% छः बड़े शहरों अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुम्बई तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में है।

खुदरा उद्योग देश में व्यवस्थित भंडारण स्थान अपनाने वाले मुख्य प्रचालक हैं 3पीएल, ई–कॉमर्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर डूयरेबल (एफएमसीडी), फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड (एफएमसीजी), विनिर्माण तथा इनमें से 3पीएल और ई–कॉमर्स प्रचालक व्यवस्थित भंडारण स्थान को अपनाने वाले सबसे बडे प्रचालक हैं।

वर्ष 2018 में 3पीएल प्रचालकों और ई–कॉमर्स क्षेत्र द्वारा भंडारण स्थान की आवश्यकता ने शहरों में भंडारण स्थान की मांग को बढ़ा दिया है। फिलपकार्ट, एमेजोन, डायमंड बेव्रेज प्राइवेट लिमिटेड, बिग बास्केट, स्टैलर एंड फिलिप्स ने शहरों में उपलब्ध कुल भंडारण स्थान का बहुत बडे भाग को ले लिया है।

भारत में वेअरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा अधिनियम के कार्यान्वयन और इसके बुनियादी ढांचे की स्थिति मिलने के बाद अगले 4–5 वर्षों में लगभग 691 बिलियन रु. की निवेश राशि प्राप्त होने की संभावना है।

देश में वेअरहाउसिंग क्षेत्र संस्थागत निवेशकों सहित डेवलपर्स सहित की व्यापक भागीदारी का साक्षी रहा है, जिन्होंने प्रति डील 19 बिलियन रुपये की औसत निवेश

market is characterized by unorganized players. However, it is slowly moving towards organized business structure due to growing health awareness and technological advancements.

Growth of Warehousing in India

Currently, India's total warehousing capacity is estimated to be 160 Mn tonnes. Around 30% of this capacity is managed by the private sector, and the rest is divided between FCI (Food Corporation of India), CWC (Central Warehousing Corporation), SWC (State Warehousing Corporation), state agencies and the co-operative sector with CWC operating a capacity of 11 Mn Tonnes of which almost 70% is utilized for Agri produce Warehousing .

Around 60% of the modern warehousing capacity in India is concentrated in the top six cities of Ahmedabad, Kolkata, Bangalore, Chennai, Mumbai, and National Capital Region (NCR).

3PL, e-Commerce, Fast Moving Consumer Durable (FMCD), Fast Moving Consumer Good (FMCG), Manufacturing and Retail industries are the major adopters of organized warehousing spaces in the country. Among these the 3PL and e-Commerce players continued to be the biggest adopters of organized warehousing spaces.

Requirement of warehousing space by 3PL players and the e-commerce sector led to the increase in demand for warehousing space in the cities in 2018. Flipkart, Amazon, Diamond Beverages Pvt. Ltd., Big Basket, Stellar and Phillips occupy a major portion of the total warehousing space available in the cities

The warehousing and logistics sector in India are projected to attract an investment amount of nearly INR 691 billion over the next 4-5 years, after the implementation of the Goods & Services Act and the attainment of its infrastructure status.

The warehousing sector in the country has witnessed extensive participation from developers, as well as institutional investors, who have

के साथ 2014 से मई 2019 तक 470 बिलियन से अधिक का निवेश किया है

भारतीय फ्रेट क्षेत्र के लिए निवेश एवं व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि स्वस्थ दृष्टिकोण रहा है। 2022 तक पोर्ट क्षमता 5% से 6% की सीएजीआर तक बढ़ने की संभावना है, जिससे 275 से 325 मीट्रिक टन की क्षमता बढ़ जाएगी। भारतीय रेलवे ने 2017 में अपने फ्रेट यातायात को 1.1 बिलियन टन से बढ़ाकर 2030 में 3.3 बिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 40 तक भारत में हवाई अड्डों पर फ्रेट यातायात 17 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। सहायक अवसरंचना की कमी, स्वचालित सामग्री हैंडलिंग प्रणाली, और उच्च मैनुअल प्रक्रिया हस्तक्षेप कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ से भारतीय एयर कार्गो उद्योग अपने वैश्विक स्तर पर से पिछड़ रहा है।

2020 में भारत की जीडीपी 3.02 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है जो वैश्विक जीडीपी का लगभग 4% है। सरकारी सुधारों की सहायता से मजबूत वृद्धि, परिवहन क्षेत्र की विकास योजनाए, बढ़ती खुदरा बिक्री और ई–कामर्स क्षेत्र भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग के प्रमुख संवाहक बनने की संभावना है।

प्रतिस्पर्धा विश्लेषण

भारतीय भण्डारण उद्योग को बाजार में लगे कई असंगठित प्रचालकों से अत्यधिक नुकसान हुआ है। इस उद्योग में संगठित प्रचालकों की संख्या कुल बाजार का केवल 10% है, जबकि देश में लगभग 90% वेअरहाउसिंग स्थान को असंगठित प्रचालकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कम या बिना मशीनीकरण के साथ छोटे आकार के वेअरहाउसों का प्रबंधन करते हैं।

सीडब्ल्यूसी का विजन 2025

सामाजिक दायित्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल ढ़ंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्धक और एकीकृत भंडारण और लोजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना। भंडारण क्षमता के विस्तार और उन्नयन, कम्प्यूटरीकरण और प्रक्रियाओं को सरलीकरण द्वारा आसानी से व्यापार सुनिश्चित करना, किसानों के कल्याण हेतु वैज्ञानिक भंडारण प्रशिक्षण प्रदान करना, साइलो का निर्माण, पैस्ट नियंत्रण एवं प्रधूमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का प्रयोग कर योगदान देना।

invested more than INR 470 billion since 2014 till May 2019, with an average investment of INR 19 billion per deal.

Increasing investments and trade points toward a healthy outlook for the Indian freight sector. Port capacity is expected to grow at a CAGR of 5% to 6% by 2022, thereby, adding a capacity of 275 to 325 MT. Indian Railways aims to increase its freight traffic from 1.1 billion tons in 2017 to 3.3 billion tons in 2030. Freight traffic on airports in India has the potential to reach 17 million tones by FY40. Lack of supporting infrastructure, automated material handling systems, and high manual process interference are some key areas where the Indian air cargo industry lags its global peers.

India's GDP is expected to reach USD 3.02 trillion in 2020, representing about 4% of the global GDP. Strong growth supported by government reforms, transportation sector development plans, growing retail sales, and the eCommerce sector are likely to be the key drivers of the logistics industry in India.

Competition Analysis

The Indian warehousing industry is highly fragmented with several unorganized players operating in the market. Organized players in the industry account for only 10% of the total market, whereas around 90% of the warehousing space in the country is controlled by unorganized players who manage small-sized warehouses with less/ no mechanization.

Vision 2025 of the Corporation

To provide reliable, cost effective, value added and integrated warehousing and logistics solution in a socially responsible and environment friendly manner. Ensure ease of doing business by expanding & upgrading storage capacities, computerization and simplification of procedures. Contribute towards farmer's welfare by providing scientific storage training, creating silos, introducing environment friendly chemicals for pest control and fumigation.

2020–25 की अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना के तहत रणनीतिक पहल में 6.4 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता शामिल है। किसानों को लाभ देने तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के भारत सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने, पीएफटी, कोल्ड स्टोरेज, साइलोज आदि में विविधीकरण के उद्देश्य से वेअरहाउस आधारित कृषि उत्पाद व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु मंडी यार्ड और व्यापार क्षेत्र के रूप में डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त गोदामों को अधिसूचित किया जाएगा।

भारतीय वेअरहाउसिंग बाजार की संभावनाएं आने वाले वर्षों में आपके निगम के लिए बहुत तेजी से विस्तार का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही हैं और निगम इस अवसर का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी कंपनी मार्केटिंग में नए कदम उठाकर और ग्राहकों के लिए विश्वसनीय और लागत प्रभावी मूल्य संवर्धित सेवाओं के प्रति उनकी अपेक्षाओं को पूरा करके प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।

आपकी कंपनी अत्यंत मजबूत मूल भूत सिद्धांतों पर आधारित है और देश में वेअरहाउसिंग उद्योग की आवश्यकता को संभालने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ अवसंरचना तैयार कर रही है। हमें पूर्ण आशा है कि वर्ष 2020–21 के लिए भारत सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हम पूरा कर लेंगे।

22.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता

केंद्रीय भंडारण निगम में व्यापार के सुचारू और कुशल संचालन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और यह संबंधित कानूनों और नियमों का अनुपालन करता है। इसके पास शक्तियों का प्रत्यायोजन, नीतियों और प्रक्रियाओं, मैनुअल, दिशानिर्देशों के रूप में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्ण रूप से प्रलेखित प्रणाली है, जो वित्तीय और अन्य ऑपरेटिंग कार्यों की सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को समाहित करती है। इन्हें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन और विनियामक तथा सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने सहित उच्चतम स्तर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपके निगम में व्यावसायिक प्रचालन के सुचारू, प्रभावी और कुशल संचालन, वित्तीय रिपोर्टिंग

Strategic initiatives under the Corporate Plan for the period 2020-25 include addition of new storage capacity to the tune of 6.4 Lakh MT. Warehouses with WDRA accreditation to be got notified as Mandi yard & Trade area to facilitate Warehouse based farm produce trade to benefit farmers and supplement the efforts of GoI to double the income of farmers by 2022, diversification into PFT, Cold Storage, Silos etc

The prospects of Indian Warehousing market present a golden opportunity for your Corporation to expand leaps and bounds in the coming years and the Corporation is fully geared up to make use of this opportunity. Your Corporation is also fully prepared to meet the challenges thrown by the competitors by taking innovative steps in marketing and meeting customer's expectations towards reliable and cost-effective value-added services to customers.

Your Corporation is standing at very strong fundamentals and is creating a very robust infrastructure for handling the need of the warehousing industry in the country. We are very hopeful that we will manage to meet the ambitious targets set in Memorandum of Understanding signed by the Company for the year 2020-21 with the Govt. of India.

22.1 INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The Corporation has robust Internal Control Systems and processes in place for smooth and efficient conduct of business and it complies with relevant laws and regulations. It has well documented system of internal financial controls in place, in the form of delegation of powers, policies and procedures, manuals, guidelines that cover critical as well as important activities of financial and other operating functions. These are designed to ensure compliance to the internal financial controls and to ensure regulatory and statutory compliances as well as to provide highest level of corporate governance. Your Corporation has robust systems and processes in

की विश्वसनीयता, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संबंधित कानूनों और नियमों के अनुपालन करने के लिए मजबूत प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

सभी चैक एवं बैलेंस की उपयुक्तता तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की व्यवस्था, नियमितता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम में निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन एवं उनकी उपयुक्तता पर कड़ी निगरानी रखती है।

आपके निगम के पास निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है:–

➢ व्यावसायिक प्रचालनों की क्षमता एवं प्रभावशीलता;

➢ अनधिकृत एक्सेस, उपयोग एवं व्यवस्था से परिसम्पत्तियों की संरक्षा;

➢ वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता;

➢ निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन; तथा

➢ विभिन्न विधियों और विनियमों का अनुपालन;

22.2 स्वॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

निगम की प्रमुख शक्ति इसका अखिल भारतीय स्तर पर वेअरहाउसों का व्यापक नेटवर्क, इसकी विविध गतिविधियां, प्रतिबद्ध एवं सक्षम जनशक्ति है। निगम के पास विभिन्न वस्तुओं के भंडारण की सुविधा है, व्यापक क्लाइनटेल बेस है तथा इसके प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति द्वारा स्टॉक का संग्रह एवं परिरक्षण पूर्ण सक्षमता से किया जाता है। वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में इसकी अग्रणी भूमिका है। तथापि, वर्तमान में निगम अत्यंत प्रतिस्पर्धा सेवा सेक्टर में प्रचालन कर रहा है तथा निगम अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे– एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, सीएफएस/आईसीडी/आईसीपी/सीआरटी का प्रचालन एवं पीसीएस प्रचालन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

place for smooth, effective and efficient conduct of business operations, reliability of financial reporting, safeguarding of assets and compliance with relevant laws and regulations.

In order to ensure that all checks and balances are in place and all internal control systems are in order, regular and exhaustive internal audits are conducted by the experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with the Corporation's own Internal Audit Division. Besides, the Corporation has one committee of the Board viz. Audit Committee to keep a close watch on compliances with Internal Control Systems and their adequacy.

Your Corporation has an efficient system of internal controls for achieving the following business objectives: -

➢ Efficiency and effectiveness of business operations;

➢ Safeguarding of assets from unauthorized access, use and disposition;

➢ Accuracy and promptness of financial reporting;

➢ Compliance with the laid down policies and procedures; and

➢ Compliance with various laws and regulations.

22.2 SWOT ANALYSIS

The major strength of the Corporation is its wide network of warehouses at PAN India level, diversified activities, committed and competent manpower. The Corporation has storage facility for diversified commodities, wide clientele base and has core competency in storage and preservation of stocks managed by its trained technical manpower. Its core strength is in the field of scientific warehousing. However, the Corporation is presently operating in highly competitive service sector and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri warehousing, industrial warehousing, operation of CFSs/ICDs, ICPs, CRT operations and PCS operations.

शक्तियाँ: निगम की प्रमुख शक्ति वेअरहाउसों का मुख्य स्थानों पर स्थित होना, वेअरहाउसों के विस्तृत नेटवर्क में ग्राहक सेवा स्तर तथा वितरण नेटवर्क, विविध वस्तुओं के पोर्ट फोलियो और वेअरहाउसों में खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण एवं परिरक्षण में मूल सक्षमता के साथ व्यापक क्लाइंटेल बेस है। निगम अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जन–शक्ति द्वारा पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करके पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है।

गुणवत्ता, पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए निगम के आईएसओ प्रमाणित संस्था होने के कारण ग्राहकों द्वारा अपने सामान के भंडारण और सेवाओं के लिए वरीयता दी जाती है। बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

कमियाँ: निगम के लिए उसकी पुरानी अवसंरचना मुख्य विषय है। मौजूदा अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सृजन पर ध्यान दिया जा रहा है।

अवसर: पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एकीकृत चैक पोस्ट और लैण्ड कस्टम स्टेशन खोलने से निगम को इन सुविधाओं के प्रबंधन कार्य का अवसर मिला है। वर्तमान में निगम द्वारा दो आईसीपी का प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। चूंकि एलपीएआई और अधिक संख्या में आईसीपी की स्थापना करने के प्रयास में है, निगम इस क्षेत्र में आगे और अधिक अवसर प्राप्त करना चाहता है। निगम ने नाभा में तथा कालम्बोली में एक प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल स्थापित किया है और वाशी तथा बामनहेड़ी में दो और पीएफटी की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इनसे विद्यमान वेअरहाउसिंग कॉम्पलैक्स में अतिरिक्त व्यापार मिलेगा।

ई–कॉमर्स देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इन्टरनेट कनेक्टीविटी के आने से ई–कॉमर्स व्यापार में वृद्धि होगी। निगम के पास अखिल भारतीय स्तर पर मौजूद अपने केन्द्रों के साथ इस बढ़ते हुए बाज़ार पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर है।

केन्द्रीय भंडारण निगम अन्य एजेंसियों को वेअरहाउसिंग अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रशिक्षण/परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस)

Strength: The major strength of the Corporation is strategic locations of warehouses, the distribution network and customer service levels in its wide network of warehouses, diversified commodity portfolio, wide clientele base and core competency in storage and preservation of food grain stocks at warehouses. Corporation is a major player in providing pest control services using environment friendly methods managed by its trained technical manpower.

The Corporation being an ISO certified organization for Quality, Environment and Safety is preferred by clients for storage of their goods and services. Training of employees is organized at regular intervals for better performance.

Weaknesses: Ageing infrastructure is one of the concerns for the Corporation. All out efforts are being made to maintain and upgrade the existing infrastructure and attention is being given to create additional infrastructure.

Opportunities: Opening up of ICP's and Land Custom Stations by the government for promotion of border trade with neighboring countries provides opportunity for the Corporation to manage these facilities. Currently two ICP's are being managed by the Corporation. Since LPAI is in process of setting up a greater number of ICPs, the Corporation is looking forward to getting further opportunities in this sector. Corporation has established Private Freight Terminal at Nabha and Kalamboli and two more PFTs are under setting up process at Vashi and Bamanheri. These will provide additional business in existing warehousing complexes.

E-commerce has gained its foothold in the country and it is expected that in coming days with the penetration of internet connectivity, the e-commerce business will grow substantially. Corporation has an opportunity to tap this growing market with its Pan India presence.

The Corporation offers Consultancy Services / Training for the construction of warehousing infrastructure to other agencies. Warehouse

विकसित की जा रही है एवं यह कई वेअरहाउसों पर पहले से ही लगा दी गई है। निगम वेअरहाउसिंग कुशलता में सुधार के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और मल्टी स्टोरी गोदामों के निर्माण की योजना बना रहा है। बेहतर पारदर्शिता के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) और ई–एपीएआर मोड्यूल विकसित किए गए हैं।

चुनौतियाँ: निगम वर्तमान में अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण में कार्य कर रहा है और अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे–एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपो (आईसीडी), कंटेनर रेल ट्रांस्पोर्टेशन (सीआरटी) में यह अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की भंडारण क्षमता के सृजन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पीईजी टैक्स प्रोत्साहन, पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन इत्यादि जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने से कृषि वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और अधिक कड़ी हो गई है।

23. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

सीएसआर भारत में व्यापार निगमों द्वारा एक परिवर्तनकारी पद्धति है, जो सरकार द्वारा अनिवार्य है। सामूहिक समुदाय के कल्याण के लिए सीएसआर एक पहल के रूप में समाज के उत्थान हेतु एक सकारात्मक कदम है। इसी उद्देश्य के साथ आपके निगम ने विभिन्न निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं को चलाया है। कार्यक्रम के तहत योजना के मुख्य क्षेत्र जैसे – वर्षा जल संरक्षण, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता हैं।

आपके निगम ने दिनांक 21.10.2014 तथा 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी सीएसआर पर डीपीई के दिशा–निर्देश को अपनाया है।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर 185.98 लाख रु. खर्च किए गए जिसमें से 10.00 लाख रु. 'स्वच्छ भारत कोष' में तथा कोविड–19 हेतु 12.22 लाख रुपये 'पीएम केयर्स' निधि में योगदान दिया गया। निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर एक रिपोर्ट अनुलग्नक–ए पर संलग्न है।

Management System (WMS) is being developed and is already installed at many warehouses. The Corporation proposes to improve warehousing efficiency by construction of multi storied godowns and Cold storage units at few identified places. DOS and e-APAR modules have been developed for better transparency.

Threats: Corporation presently is operating in a highly competitive business environment and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri Warehousing, Industrial Warehousing, Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs), Container Rail Transportation (CRT). In the field of Agri warehousing, the competition has become more intense in view of various incentives successfully rolled out by the Government of India in form of **PEG** tax incentives, capital investment subsidy, etc. to incentivize private sector participation in creation of storage capacity for food grains and other agri commodities.

23. CSR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

Corporate Social Responsibility is a transformational practice by the business Corporations in India, mandated by the Government. As an initiative towards the collective community well-being, CSR is a positive step towards upliftment of the society. In line with this, your Corporation has been driving various corporate social responsibility projects. The focus areas for the scheme under the programmes are rain water harvesting, skill development, healthcare & sanitization.

Corporation has adopted DPE guidelines on CSR issued vide OM dated 21.10.2014 and OM dated 10.12.2018.

During the year under report, an amount of Rs. 185.98 lakh has been spent on different activities, out of which Rs.10.00 lakh contributed to 'Swachh Bharat Kosh' and Rs. 12.22 lakh was contributed in PM CARES Fund for COVID-19. A report on CSR and sustainable development activities is placed at Annex–A.

24. जोखिम एवं चिन्ताएं

आपका निगम घरेलू व्यावसायिक वातावरण में होने वाली घटनाओं, से आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है जिसमें वे प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं जो सूक्ष्म जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपके निगम ने बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिससे निगम को जोखिम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, वृद्धि को बनाए रखने तथा हितधारियों के लिए मूल्य सृजित करने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन नीति भी आईएसओ प्रमाणित दस्तावेज के तहत सम्मिलित की गई है।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने दिनांक 05 मार्च, 2014 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए अनुमोदन से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है। तब से निगम में जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है। यह नीति निगम में व्यापार जोखिमों के प्रबंधन कार्य हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करती है। यह नियमित रूप से एवं दी गई समय–सीमा के भीतर जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने तथा उसे कम करने की सुनिश्चितता पर बल देती है।

निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है जिसकी निगरानी बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) द्वारा की जाती है। निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति अर्धवार्षिक आधार पर जोखिम और उसके कम होने की स्थिति की समीक्षा करती है और इसकी रिपोर्ट निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी को देती है। मुख्य जोखिमों अधिकारी जोखिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे गत वर्ष पहचाने गए जोखिमों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए निदेशक मंडल के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करता है।

निगम के समक्ष आए मुख्य जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा विस्तार से किया जाता है। मुख्य जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा निगमित स्तर और बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

24. RISK & CONCERNS

Your Corporation is conscious and sensitive to the challenges posed to its business by the events unfolding in domestic business environment including competitors which could give rise to substantive risks. With this in view, your Corporation has constituted a Board Level Risk Management Committee, Corporate Level Risk Management Committee and also at ROs Level Risk Management Committee to help the Corporation to efficiently manage risk, sustain growth and create value for the stakeholders. During the year under report, the Risk Management Policy has also covered under the ISO Certified document.

The Corporation adopted the Risk Management Policy as per guidelines of the Department of Public Enterprises with the approval of the Board of Directors in its meeting held on 5th March, 2014. Since then the risk management has matured in the Corporation. The policy provides guidance for the management of the business risks across the Corporation. It focuses on ensuring that the risks are identified, evaluated and mitigated within a given time frame on a regular basis.

Corporate Level Risk Management Committee has to oversee the implementation of Risk Management Policy which is monitored by a Board Level Risk Management Committee (BLRMC). Corporate Level Risk Management Committee reviews the risks and its mitigation status on half yearly basis and reports the same to Chief Risk Officer of the Corporation. Chief Risk Officer prepares a Risk Report and places it before the Board of Directors for its review on annual basis along with action taken report on the identified risks of previous year.

Key risks being faced by the Corporation are analyzed in detail by the Risk Management Committee. Major risk areas are regularly reviewed by the Corporate Level and Board Level Risk Management Committee.

25. भविष्य का दृष्टिकोण

आपका निगम विशेष रूप से मेट्रो एवं टियर–I केंद्रों में औद्योगिक स्रोतों से अपनी क्षमता उपयोगिता में सुधार लाने के लिए ई–कामर्स, एफएमसीजी कम्पनियों, एमएनसी, बड़े व्यापारिक घरानों, थोक जमाकर्ताओं आदि से व्यवसाय लेने की संभावना तलाश कर रहा है। वर्तमान रबी सीजन, 2020 में निगम के वेअरहाउसों में गेहूँ और दालों के भंडारण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 में कपास के व्यापार ने अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर को छुआ है और यही स्थिति वर्ष 2020–21 में भी रहने की संभावना है। इसके पीछे सीसीआई द्वारा कपास की भारी खरीद का होना है। कृषि क्षेत्र की वस्तुओं के न्यूनतम समर्थित मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि होने से यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2020–21 में आपके निगम की धारिता बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, निगम ने कृषकों एवं व्यापारियों को कृषि भंडारण में अधिकतम कारोबार हेतु आकर्षित करने के लिए ई–पोर्टल के माध्यम से भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के साथ अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। निगम के 37 एग्री वेअरहाउसों के मार्केट सब यार्ड में अधिसूचित होने से आपका निगम अब वेअरहाउसों से कृषि वस्तुओं के व्यापार को सुविधा प्रदान करने के लिए कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (प्रोमोशन एवं फैसीलीटेशन) अध्यादेश 2020 के अंतर्गत इसके वेअरहाउसों को ''ट्रेड एरिया'' में अधिसूचित करवाने की प्रक्रिया में है जो ई–नाम जैसे– ऑनलाइन पोर्टल पर किसानों को कृषि उत्पादों के व्यापार में सुगमता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा।

26. चुनौतियाँ पूर्ण करने की रणनीति

आपके निगम ने बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक बाजार की चुनौतियों के बावजूद उच्च लाभप्रदत्ता के साथ और आगे बढ़ने की रणनीति तैयार की है। इस विस्तृत रणनीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:–

- ➢ वेअरहाउसिंग क्षमता का विस्तार।
- ➢ प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल की स्थापना।
- ➢ ग्राहकों को अधिक से अधिक मूल्य संवर्धक सेवाएं जैसे इन्वेंटरी प्रबंधन, बिलिंग प्रदान करना तथा उनकी आवश्यकता के अनुरूप वितरण करना।
- ➢ वेअरहाउसिंग तथा ई–बिजनेस के अवसरों की बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाना।

25. FUTURE OUTLOOK

Your Corporation is exploring the possibility of attracting business from e-Commerce, FMCG companies, MNCs, big trade houses, Bulk depositors, etc. to improve its capacity utilization from Industrial sources especially in Metro and Tier-I centers. In the current Rabi Marketing season, 2020, there is a significant increase in storage of wheat and pulses at the Corporation warehouses. Cotton Business has touched an all-time high in 2019-20 and this scenario is likely to continue in 2020-21 as well on the back of huge procurement by CCI. With increase in the Minimum Support Price (MSP) of agri sector commodities, it is expected that your corporation will have higher occupancies during the year 2020-21. Further, the Corporation has streamlined its registration process with Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) through e-portal for attracting maximum business in agri warehousing from Farmers and Traders. Having got 37 of its Agri-Warehouses notified as Market sub-yards, your corporation is now in the process of getting its Warehouses notified as **"Trade Area"** under the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 to facilitate trading of agri commodities from warehouses which will play a major role in facilitating trade of Agri commodities of farmers on online portals like eNAM.

26. STRATEGY TO MEET CHALLENGES

The Corporation has formulated following growth strategy with higher profitability, despite the challenges of an increasingly competitive market.

- ➢ Expansion of warehousing capacity.
- ➢ Setting up of Private Freight Terminals.
- ➢ Providing more and more value-added services such as inventory management, billing, and distribution customized to the requirements of customers.
- ➢ To tap the growing potential of warehousing and e-Business opportunities.

- प्रचार तथा विज्ञापनों में वृद्धि करना।
- लेन–देन की लागत को न्यूनतम करने तथा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग।
- वेअरहाउसों से कृषि वस्तुओं के व्यापार को सुविधा प्रदान करने तथा किसानों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य की प्राप्ति हेतु कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (प्रोमोशन एवं फैसीलीटेशन) अध्यादेश 2020 के अंतर्गत इसके वेअरहाउसों को ''ट्रेड एरिया'' के रूप में अधिसूचना।
- वेअरहाउसों में निष्क्रिय पड़ी भूमि का वाणिज्यिक उपयोग।
- निजी भागीदारी के माध्यम से रणनीतिक क्षेत्रों में कोल्ड चेन की संरचना की स्थापना।

27. आभार

आपके निदेशक निगम के मामलों के प्रभावी प्रबंधन में भारत सरकार, विशेष रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तथा इन सबसे ऊपर निगम द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति निष्ठा बनाए रखने वाले सभी ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड निवर्तमान निदेशकों श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त (आईएएस), श्री ई.के. मांझी, आईएएस (अपर सचिव), श्री एस सी मुदगेरीकर, एवं श्री अजय व्यास को निगम के बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान तथा सभी हितधारियों को उनके निरंतर सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है।

अंततः, आपके निदेशक निगम को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट निष्पादन और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निगम की टीम द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए अत्यंत सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल आप सभी को यह आश्वासन भी देना चाहेगा कि आपका निगम अपने हितधारियों की संतुष्टि

- Increase in publicity and advertisement.
- More extensive use of information technology in various activities for minimizing transaction costs and meeting customer requirements.
- Notification of warehouses as **"trade area"** under the Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance 2020 to facilitate trading of agri commodities from Warehouses and help farmers discovers remunerative prices for their produce.
- Commercial use of Dead land parcels lying at warehouses.
- Setting up cold chain infrastructure at strategic locations through private participation.

27. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors express their gratitude for continued co-operation, support and guidance in effective management of affairs of the Corporation provided by the Government of India, in particular the Ministry of Consumer Affairs, Food& Public Distribution and above all the customers who have patronized the services provided by your Corporation. The Board also places on record its gratitude to the outgoing Directors Shri Sharda Prasad, IAS (Retd), Shri E. K. Majhi, IAS (Additional Secretary), Shri S C Mudgerikar, and Shri Ajay Vyas for their valuable contribution during their tenure on the Board of the Corporation and to all the stakeholders for their unstinted support.

Last but not the least, your Directors would like to place on record its deep and sincere appreciation for the hard work, dedication, valuable contribution and unstinted efforts by the team of the Corporation in steering the Corporation towards excellent performance and ensuring that it achieves greater milestones.

The Board of Directors would also like to assure that your Corporation would continue to make

के लिए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने एवं सभी स्तरों पर अपने कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता को निरंतर उन्नत करने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहेगा।

best efforts for fulfilling its objectives and continue improving its performance and productivity at all levels for satisfaction of its stakeholders.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors

(Arun Kumar Shrivastava)
Managing Director

स्थापना दिवस के अवसर पर निगम और मेकॉन लि. के अधिकारी क्रिकेट मैच में भाग लेते हुए।
CWC and MECON Ltd. officers participating in Cricket Match on the occasion of Foundation Day.

अनुलग्नक-I
ANNEX-I

राज्य भण्डारण निगमों के केन्द्रों, भण्डारण क्षमता (स्वनिर्मित, किरायों के, पिलन्थ एवं प्रबंधन) सूची आकड़ों का विवरण यथा 31.03.2020.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CENTRES AND STORAGE CAPACITY (CONST. HIRED, PLINTH & MANAGEMENT) AVAILABLE WITH THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31st MARCH, 2020.

(क्षमता लाख मी.टन) (Cap. in lakh MT)

क्रम सं. S. No	एस.डब्ल्यू.सी. के नाम Name of SWC	केन्द्रों की संख्या No. of Centres	स्वनिर्मित Const	किरायें के Hired	पिलन्थ Plinth	प्रबंधन Management	कुल क्षमता Total Capacity	धारित Occupancy	
								योग Total	प्रतिशत % age.
1.	आन्ध्र प्रदेश A.P.	132	6.87	1.51	–	7.04	15.42	14.40	93
2.	असम Assam	42	1.83	0.17	–	–	2.00	1.36	68
3.	बिहार Bihar	61	5.19	0.78	–	2.20	8.17	6.79	83
4.	छत्तीसगढ़ Chhatisgarh	134	15.84	6.21	–	–	22.05	21.59	98
5.	गुजरात Gujarat	47	1.39	6.44	–	–	7.83	7.10	90
6.	हरियाणा Haryana	111	15.26	4.67	1.27	3.74	24.94	27.20	109
7.	कर्नाटक Karnataka	151	26.31	2.22	–	–	28.53	10.09	70
8.	केरल Kerala	54	1.98	0.54	–	–	2.52	2.30	91
9.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू.एल.सी. MPWLC	247	23.05	9.25	5.19	72.87	110.36	92.61	84
10.	महाराष्ट्र Maharashtra	202	16.31	1.89	–	1.55	19.75	16.98	86
11.	मेघालय Meghalaya	6	0.17	–	–	–	0.17	0.17	100
12.	ओडिशा Odisha	69	5.20	0.15	–	–	5.35	4.49	84
13.	पंजाब Punjab	120	27.05	23.51	3.22	–	53.78	53.44	99
14.	राजस्थान Rajasthan	93	11.29	4.02	–	–	15.31	13.92	91
15.	तमिलनाडु Tamil Nadu	59	7.57	0.01	–	–	7.58	6.38	84
16.	तेलंगाना Telangana	262	2.90	8.04	–	14.07	25.01	25.98	104
17.	उत्तर प्रदेश U.P	156	25.13	2.55	–	11.85	39.53	32.60	82
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	12	1.01	0.07	–	0.23	1.31	1.10	84
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	135	1.37	4.67	–	1.59	7.63	7.63	89
	योग Total	**2093**	**195.72**	**76.70**	**9.68**	**115.14**	**397.24**	**346.13**	**86**

अनुलग्नक-II
ANNEX-II

दिनांक 31 मार्च, 2020 को राज्य भंडारण निगमों की अंश पूंजी में निवेश (लागत पर)
INVESTMENT (AT COST) IN SHARE CAPITAL OF STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31-03-2020.

क्रम सं. S. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of State Warehousing Corporation (SWCs)	अंशों की संख्या No. of Shares		राशि (रु.) Amount (Rupees)	
		इस वर्ष Current Year 2019-20	गत वर्ष Previous Year 2018-19	इस वर्ष Current Year 2019-20	गत वर्ष Previous Year 2018-19
1.	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	261502	261502	2,61,50,200	2,61,50,200
2.	तेलंगाना Telangana	186889	186889	1,86,88,900	1,86,88,900
3.	असम Assam	547000	547000	5,47,00,000	5,47,00,000
4.	बिहार Bihar	320994	320994	3,20,99,400	3,20,99,400
5.	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	201920	201920	2,01,92,000	2,01,92,000
6.	गुजरात Gujarat	200000	200000	2,00,00,000	2,00,00,000
7.	हरियाणा Haryana	292037	292037	2,92,03,700	2,92,03,700
8.	कर्नाटक Karnataka	390000	390000	3,90,00,000	3,90,00,000
9.	केरल Kerala	575000	575000	5,75,00,000	5,75,00,000
10.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू.एल.सी. $ MPWLC $	378080	378080	3,78,08,000	3,78,08,000
11.	महाराष्ट्र* Maharashtra*	435560	435560	4,11,32,000	4,11,32,000
12.	मेघालय Meghalaya	122562	122562	1,22,56,200	1,22,56,200
13.	ओडिशा Orissa	180000	180000	1,80,00,000	1,80,00,000
14.	पंजाब Punjab	400000	400000	4,00,00,000	4,00,00,000
15.	राजस्थान Rajasthan	392630	392630	3,92,63,000	3,92,63,000
16.	तमिलनाडु Tamil Nadu	380500	380500	3,80,50,000	3,80,50,000
17.	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	539770	539770	5,39,77,000	5,39,77,000

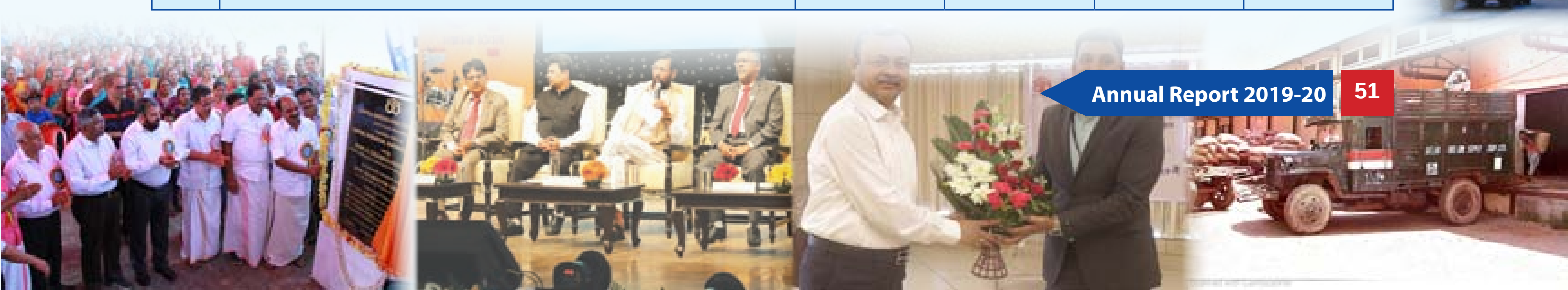

क्रम सं. S. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of State Warehousing Corporation (SWCs)	अंशों की संख्या No. of Shares		राशि (रु.) Amount (Rupees)	
		इस वर्ष Current Year 2019-20	गत वर्ष Previous Year 2018-19	इस वर्ष Current Year 2019-20	गत वर्ष Previous Year 2018-19
18.	उत्तराखण्ड Uttarakhand	18480	18480	18,48,000	18,48,000
19.	पश्चिम बंगाल West Bengal	380700	380700	3,80,70,000	3,80,70,000
	योग (क) Total (A)	**6203624**	**6203624**	**61,79,38,400**	**61,79,38,400**
(ख) पूर्ण स्वामित्व एवं सहायक	**(B) Wholly owned & Subsidiary**				
	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. # (अनुद्धता 4,05,59,990 अंश का प्रत्येक अंकित मूल्य 10 रु./–) Central Railside Warehouse Company Ltd # Unquoted 4,05,59,990 Shares Each having face value of Rs 10/-			40,55,99,900	40,55,99,900
	इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) में निवेश अनुद्धत 8,32,89,873 अनकोटेड 58,963,956 शेयर प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रु./– Investment in Indin Commodity Exchange Limited (ICEX) 8,32,89,873 Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs. 5/-			8,32,89,873	8,32,89,873
	योग (ख) Total (B)			48,88,897,73	48,88,897,73
	सकल योग (क + ख) Grand Total (A + B)			1,10,68,28,173	1,10,68,28,173

1. $ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजित हो गया। इसके अतिरिक्त, इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व इक्विटी शेयर पूंजी में दिए गए अंशदान को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011–12 तक ऋण एवं 2012–13 से पूंजी के रूप में माना जा रहा है, किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूंजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूएलसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7–01/2013–एसजी द्वारा भी इसकी पुनः पुष्टि की गई है। मामले का समाधान अभी भी नहीं हुआ है।

   $ Corporation had invested Rs. 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC) and Chhattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of Rs. 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as Loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%) and for paying dividend @ 20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. The issue is not yet resolved.

2. # 10 शेयर सीडब्ल्यूसी के नामितियों के पास कार्यालयी क्षमता में सीआरडब्ल्यूसी में है।
   # Ten Shares are held by the nominees of CWC in their official capacity in CRWC.

3. *वर्ष 1996–97 के दौरान महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम द्वारा बोनस शेयर के रूप में जारी किए गये 24,240 शेयर सम्मिलित है।
   *Includes 24,240 share issued by Maharashtra State Warehousing Corporation as Bonus Shares during the year 1996-97.

4. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगम में निवेश स्थानांतरित नहीं होगा।
   The investments held in the State Warehousing Corporation are not transferable without prior approval of the Govt. of India.

अनुलग्नक-III
ANNEX-III

कार्पोरेशन डिविजन
CORPORATION DIVISION

वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य भण्डारण निगमों द्वारा घोषित एवं 31 मार्च, 2020 तक प्राप्त लाभांश तथा आयोजित की गई वार्षिक साधारण बैठकों की तिथि दर्शाने वाला विवरण

STATEMENT SHOWING THE ANNUAL GENERAL MEETINGS HELD, DIVIDEND DECLARED AND RECEIVED BY THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS DURING THE FINANCIAL YEAR 2019-20.

क्रम सं. S. No	राज्य भंडारण निगम का नाम Name of the State Warehousing Corporation	वार्षिक साधारण बैठक Year of AGM	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि Date of AGM	के.भ.नि. का निवेश (राशि रु. में) CWC's Investment (Amt. in Rs)	घोषित लाभांश Dividend Declared		
					दर प्रतिशत में Rate in %	देय राशि Amount Due	अब तक प्राप्त राशि Amount Received till date
1	आन्ध्र प्रदेश Andhra Pradesh	2014-15	18.12.2019	261,50,200			
2	तेलंगाना Telengana		अंतरिम Interim	186,88,900		–	6,50,00,000
3	असम Assam	2014-15		5,47,00,000	–	–	
4	बिहार Bihar	2011-12 2012-13	15.10.2019 18.02.2020	3,20,99,400	–	–	36,554
5	छत्तीसगढ़ Chhattisgarh	2016-17	26.09.2019	2,01,92,000	इक्विटी पर 20% 20% of Equity	–	40,38,400
6	गुजरात Gujarat	2014-15	–	2,00,00,000	–	–	–
7	हरियाणा Haryana	2017-18	21.11.2019	2,92,03,700			3,51,55,236
8	कर्नाटक Karnataka	2017-18	10.03.2020	3,90,00,000	–		
9	केरल Kerala	2016-17 2017-18	15.05.2019 25.09.2019	5,75,00,000	–	–	–
10	एमपीडब्ल्यूएलसी MPWLC	2017-18	–	3,78,08,000	–	–	–
11	महाराष्ट्र Maharashtra	2018-19	30.09.2019	4,35,56,000	इक्विटी पर 36% 36% of Equity		150,00,000
12	मेघालय Meghalaya	2017-18	28.08.2019	1,22,56,200	–	–	–
13	ओडिशा Odisha	2017-18	–	1,80,00,000			–
14	पंजाब Punjab	2016-17		4,00,00,000	–	–	–
15	राजस्थान Rajasthan	2018-19	25.09.2019	3,92,63,000	इक्विटी पर 50% 50% of Equity		1,96,31,500
16	उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh	2015-16	20.06.2019	539,77,000	इक्विटी पर 21% 21% of Equity	–	1,11,65,000
17	उत्तराखण्ड Uttarakhand	2016-17	–	18,48,000	–	–	–
18	तमिलनाडु Tamil Nadu	2016-17 2017-18 2018-19	07.06.2019 22.01.2020	3,80,50,000	पीएटी 30% – 30% of PAT	अंतर Difference	49,91,475 + 2.68.89.935 3,18,81,410 2,62,92,550
19	पश्चिम बंगाल West Bengal	2015-16	17.12.2019	3,80,70,000	–	–	–
		कुल Total					**20,82,00,650**

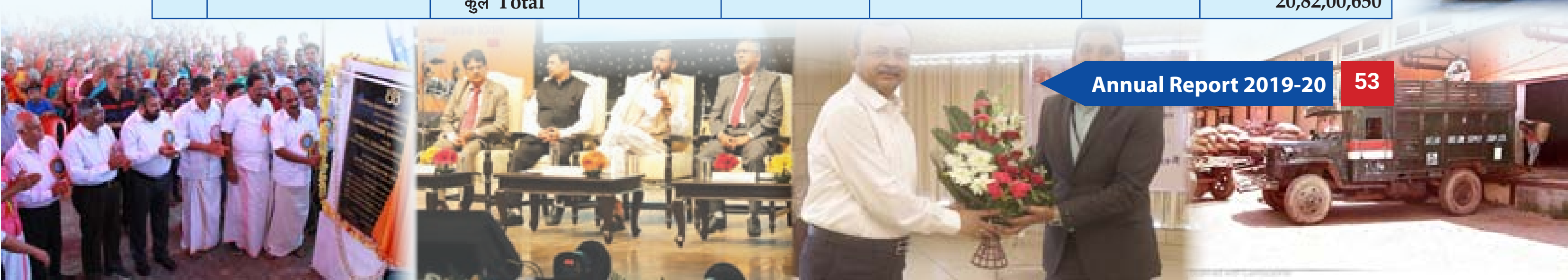

HINDLABS
DIAGNOSTIC CENTRE
केन्द्रीय भण्डारण निगम
Regional Office, Patna
Health Camp under CSR

HINDLABS
DIAGNOSTIC CENTRE
केन्द्रीय भण्डारण निगम
Central Warehousing Corporation
(A Govt. of India Undertaking)
Regional Office, Patna
Health Camp under CSR Scheme
Date : 27.12.2019
Sitaram Rai Ucch Vidyalaya, Begusarai (Bihar)

DIAGNOSTIC CENTRE
কেন্দ্ৰীয় পণ্যাগাৰ নিগম

अनुलग्नक–क

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट

1. केन्द्रीय भंडारण निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूकता से कार्य कर रहा है। निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व पर डीपीई के संशोधित दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित निगमित सामाजिक दायित्व प्रावधानों, निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014, कंपनी अधिनियम की अनुसूची–VII एवं उसमें समय–समय पर हुए संशोधनों को अपनाया है। केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्देश्य नीचे दी गई गतिविधियों के द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व से निम्नलिखित दूरदर्शिता प्राप्त करना है:–

क. समाज के विकास सहित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं देश के पिछड़े जिलों के विकास की ओर ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में यह गतिविधियां शामिल होंगी:–

   (i) पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सफाई प्रदान करना।

   (ii) शिक्षा/कौशल विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।

   (iii) महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग, बुजुर्गों, अनाथों एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करना।

   (iv) अवसंरचनात्मक विकास।

ख. पर्यावरणीय सुस्थिरता :–

   (i) जल एवं ऊर्जा प्रबंधन।

   (ii) ऊर्जा के नवीनीकरण योग्य स्रोतों को प्रोत्साहन देना।

   (iii) पर्यावरण संरक्षण/सुस्थिरता।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति में 2 निदेशक हैं जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक होता है और वह समिति का अध्यक्ष होता है।

3. निगम का तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों का औसत निवल लाभ 164.85 करोड़ रु. है।

4. वर्ष 2019–20 के दौरान निगम को निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों

ANNEXURE-A

Reports on CSR and Sustainable Development Activities

1. CWC has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Corporation has adopted revised guidelines of DPE on CSR and CSR provisions contained in Companies Act, 2013. CSR Rules, 2014, schedule VII of time to time. CWC aims to achieve following vision from CSR through the activities mentioned below:

a) Inclusive growth of society with attention to development of weaker sections of society and backward districts to the country. This will include activities in the field of: -

   i. Providing safe drinking water, health care and sanitation

   ii. Promotion of education/skill development programme

   iii. Empowering women, physically handicapped, elders, orphans and economically backward groups'

   iv. Infrastructural Development

b) Environmental sustainability

   i. Water and energy management

   ii. Promotion of renewable source of energy

   iii. Environment protection / sustainability

2. The CSR Committee comprise of two Directors, with an Independent Director being the Chairman of the Committee.

3. Average net profit of the Corporation of the three immediately preceding financial year is Rs. 164.85 crore.

4. The Corporation was required to spend Rs. 329.71 lakhs on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development

पर 329.71 लाख रु. खर्च करना अपेक्षित था।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर किए गए खर्च का विवरण :

(क) वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च की जाने वाली राशि 329.71 लाख रु. है।

(ख) वास्तविक रूप से खर्च की गई राशि 185.98 लाख रु. है।

(ग) वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई राशि 143.73 लाख रु. है।

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस प्रकार राशि खर्च की गई, उसका ब्योरा निम्न प्रकार है:

Activities during the year 2019-20.

5. Details of CSR spent during the financial year:

a) Total amount to be spent for the financial year is Rs. 329.71 Lakhs.

b) Amount actually spent Rs. 185.98 Lakhs.

c) Amount unspent in the financial year is Rs. 143.73 Lakh

d) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed:-

क्र. स. S. No.	निगमित सामाजिक दायित्व परियोजना या पहचान की गई गतिविधि CSR project or activity identified	जिस क्षेत्र में परियोजना कवर की गई Sector in which the project in covered	(1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य में परियोजना अथवा कार्यक्रम (2) राज्य एवं जिले का ब्यौरा जिसमें परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए (1) Projects or programs Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	परियोजना अथवा कार्यक्रमवार राशि परिव्यय (बजट) Amount outlay (budget) projector programs wise	परियोजना अथवा कार्यक्रम उप–शीर्ष पर खर्च की गई राशि: (1) परियोजना अथवा कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or program. (2) Overheads:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च Cumulative expenditure upto the reporting period	सीधे अथवा कार्यान्वित एजेंसी के माध्यम से खर्च की गई राशि: Amount spent: Direct or through implementi ng agency
1.	अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 20 वर्षा जल संचयन संरचना (आरडब्ल्यूएच) का निर्माण Construction of 20 Rain Water Harvesting Structures (RWHs) by the Engg. Division	पर्यावरणीय सुस्थिरता Environmental Sustainability	विभिन्न स्थान Various Places	34.82	25.68	25.68	सीधे (अभियांत्रिकी विभाग, केभनि, निका, नई दिल्ली) Direct (Engineering Division CWC, CO, New Delhi)
2.	राष्ट्रीय पिछली जाति वित्त एवं विकास निगम National Backward Classes Finance & Development Corporation	कौशल विकास Skill Development	हरिद्वार (उत्तराखंड) Haridwar (Uttarakhand)	50.36	25.18	25.18	बाहरी एजेंसी (एनबीसीएफडीसी) Outside Agency (NBCFDC)
3.	कासिमपुर खेड़ी, बड़ौत में प्रधानाचार्य, उच्च प्राथमिक विद्यालय–I के विद्यालय परिसर में 02 सोलर पैनल का संस्थापन Installation of 02 Solar Panels in the school premises of the Principal, Upper Primary School - 1 at Kasimpur Khedi, Baraut	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability	बागपत (उ.प्र.) Baghpat (UP)	3.49	1. 74	1 .74	सरकारी विद्यालय Govt. School

4.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा दिव्यांगजन के लिए एड, एप्लाइंसेस एवं सहायक उपकरणों का वितरण (भकृअंनिनि) Distribution of Aids, Appliances & Assistive Devices to the Divyangajan by Artificial limbs Manufacture Corporation of India (ALIMCO)	स्वास्थ्य Health	खगड़िया (बिहार) Khagaria (Bihar)	25.00	12.50	12.50	बाहरी एजेंसी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (भकृअंनिनि) Outside Agency Artificial limbs manufacture corporation of India (ALIMCO)
5.	नेशनल हैंडिकेप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन National Handicapped Finance & Development Corporation	कौशल विकास Skill Development	हरिद्वार (उत्तराखंड) Haridwar (Uttarakhand)	40.00	20.00	20.00	बाहरी एजेंसी (एनएचएफडीसी) Outside Agency (NHFDC)
6.	अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निदामनूर (विजयवाड़ा, आं.प्र), हैदराबाद के विज़ाग जिले में अनकापल्लै (आंध्र प्रदेश), गन्नूर, बिन्धरोली राय, गवालरा, सबोली, सांदकलां एवं लाहीहेड़ी खुर्द (सभी हरियाणा में) के सरकारी विद्यालयों में 08 शौचालय ब्लॉक का निर्माण Construction of 08 Toilet Blocks in Govt. Schools by the Engg. Division at Nidamanur (Vijayawada, AP), Anakapalle in Vizag district at Hyderabad (AP) Ganaur, Bindhroli Rai, Gawalra, Saboli, Sandakalan & Lahiherikhurd (all in Haryana)	स्कूली शिक्षा एवं अवसंरचना School Education & Infrastructure	निदामनूर (विजयवाड़ा, आं.प्र), हैदराबाद के विज़ाग जिले में अनकापल्लै (आंध्र प्रदेश), गन्नूर, बिन्धरोली राय, गवालरा, सबोली, सांदकलां एवं लाहीहेड़ी खुर्द (सभी हरियाणा में) Nidamanur (Vijayawada, AP), Anakapalle in Vizag district at Hyderabad (AP) Ganaur, Bindhroli Rai, Gawalra, Saboli, Sandakalan & Lahiherikhurd (all in Haryana)	50.66	27.52	27.52	सीधे (अभियांत्रिकी विभाग, केभनि, निका, नई दिल्ली) Direct (Engineering Division CWC, CO, New Delhi)
7.	राष्ट्रीय पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम National Backward Classes Finance & Development Corporation	कौशल विकास Skill Development	मेवात (हरियाणा) Mewat (Haryana)	28.04	14.02	14.02	बाहरी एजेंसी (एनबीसीएफडीसी) Outside Agency (NBCFDC)
8.	केन्द्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान Central Institute of Plastics Engineering & Technology	कौशल विकास Skill Development	कालाहांडी एवं 'कोरापुट' उड़ीसा Kalahandi & Koraput (Orissa)	30.68	15.34	15.34	बाहरी एजेंसी (सीआईपीईटी) Outside Agency (CIPET)
9.	हिन्दलैब्स डायग्नोस्टिक सैंटर ऑफ एचएलएल लाईफ केयर लिमिटेड Hindlabs Diagnostic Centre of HLL Life Care Limited	स्वास्थ्य Health	गोलपाड़ा (असम), कालाहांडी (ओडिशा), श्रावस्ती (उ.प्र.), सिंगरौली (एम.पी), एवं बेगुसराय (बिहार) Goalpara (Assam), Kalahandi (Odisha), Shrawasti (UP), Singrauli (MP) & Begusarai (Bihar)	16.00	8.00	8.00	बाहरी एजेंसी (हिंदलैब्स) Outside Agency (Hindlabs)

10.	स्वच्छ भारत कोष (एसबीके), गतिविधियाँ Swachh Bharat Kosh (SBK) Activities	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability		10.00	10.00	10.00	भारत सरकार Govt. of India
11.	02 ऑर्गेनिक कम्पोस्टर मशीन (25 कि.ग्राम) का संस्थापन Installation of 02 Nos. of Organic Composter Machines (25 kg)	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability	सूरतगढ़ और श्रीगंगानगर (राजस्थान) Suratgarh and Sriganganagar (Rajasthan)	5.00	0	0	भारतीय रेलवे का बीकानेर विभाग Bikaner Division of the Indian Railways
12.	धुबरी (असम) में 02 मॉडल आंगनवाड़ी का निर्माण Construction of 02 nos. of model Anganwadi at Dhubri (Assam)	पर्यावरण एवं सुस्थिरता Environment & Sustainability	धुबरी (असम) Dhubri (Assam)	5.85	2.93	2.93	डीएम, धुबरी DM, Dhubri
13.	''फसलोपरांत प्रौद्योगिकी'' पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम Training Programme for farmers on "Post-Harvest Technology"	ग्रामीण विकास Rural Development	विविध स्थान Various Places	17.59	10.85	10.85	सीधे (तकनीकी विभाग, केभनि, निका., नई दिल्ली) Direct (Tech. Div., CWC, CO, New Delhi)
14.	कोविड–19 गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में निधियों का आबंटन Allocation of funds to Prime Minister's National Relief Fund for COVID-19 activities	स्वास्थ्य Health		12.22	12.22	12.22	भारत सरकार Govt. of India
	योग Total			**329.71**	**185.98**	**185.98**	

कम खर्च के कारण

यह उल्लेख करना संगत होगा कि सीएसआर की कुछ परियोजनाएँ चल रही हैं और पूरा होने की कगार पर हैं। बजट का 50% पहली किस्त के रूप में पहले ही जारी कर दिया गया और दूसरी किस्त संबंधित संगठनों से ''कार्य/परियोजनापूर्ण'' विवरण प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, निगम सीएसआर गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आबंटित पूरी राशि खर्च नहीं कर सका क्योंकि कुछ गतिविधियाँ परिकल्पना के अनुसार पूरी नहीं की जा सकीं। खर्च नहीं की गई राशि को 2020–21 के दौरान खर्च किया जाएगा।

REASONS FOR SHORT SPENDING

It is pertinent to mention that a few of the CSR projects are in the ongoing phase and on the verge of completion. 50% of the budget has already been released as 1st installment and 2nd installment would be released after "work/project completion" details are received from the concerned organizations.

Moreover, the Corporation could not spend full amount allocated for CSR activities during the Financial Year 2019-20 since some activities as envisaged could not be completed. The unspent amount will be spent during 2020-21.

कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. निगम की कॉरपोरेट गवर्नेस पर दूरदर्शिता

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में केन्द्रीय भंडारण निगम का उद्‌देश्य पारदर्शिता, समुचित प्रकटन एवं रिपोर्टिंग को इस तरह सुनिश्चित करके लम्बी अवधि के लिए अंशधारियों के अंशों के मूल्य को बढ़ाना है जिससे संपूर्ण संगठन में सांविधिक विनियमों के अनुपालन सहित नैतिक आचरण भी प्रोन्नत हो सके। केन्द्रीय भंडारण निगम सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रबन्धन की न्यासिता, सशक्तीकरण एवं जवाबदेही के माध्यम से सुशासन में विश्वास करता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम का लक्ष्य सामाजिक दायित्व एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत–प्रभावी, मूल्य संवर्द्धन तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया करना है। निगम की दूरदर्शिता हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना है।

निगम कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करता है ताकि वह स्टेकहोल्डर्स के प्रति अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस के दायित्वों को पूरा कर सके।

2. निदेशक मंडल का गठन

निगम के निदेशक मंडल का गठन वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7(1) के अंतर्गत हुआ है। इसमें प्रकार्यात्मक, नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं। निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित 6 अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, अंशधारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित एक स्वतंत्र निदेशक, 3 निदेशक संबंधित श्रेणी के अंशधारियों द्वारा निर्वाचित हैं प्रबन्ध निदेशक तथा तीन प्रकार्यात्मक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

31.03.2020 को निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार था :

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. CORPORATION'S CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

The objective of the Central Warehousing Corporation (CWC) in relation to Corporate Governance is to enhance shareholders value in long run by ensuring transparency, proper disclosures and reporting in a manner so as to comply with the statutory regulations and also promote ethical conduct across the organization. CWC believes in good governance through trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to implement the Government policies.

CWC operates with the mission to provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner. The vision of the Corporation is to emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

Corporation has complied with the guidelines of the Corporate Governance to help fulfil its corporate governance responsibilities towards stakeholders.

2. COMPOSITION OF THE BOARD

The Board of Directors of the Corporation has been constituted under Section 7(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 and has a mix of Functional, Nominee and Independent Directors. The Board comprises of six part-time Directors including Chairman nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India, one Independent Director nominated by the State Bank of India being a shareholder, three Directors elected by the respective class of shareholders, three Functional Directors and a Managing Director appointed by the Government of India.

The composition of the Board as on 31.03.2020 was as under:

क्रम सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	क्रम सं. Sl. No.	अन्य निदेशक मंडलों में निदेशक Directorship in other Boards	क्रम सं. Sl. No.	निदेशक मंडल की उप समिति जिसके सदस्य/ अध्यक्ष हैं Sub-Committee of Board of which Member/ Chairman
1.	श्री डी.वी. प्रसाद, 11.01.2019 से Shri D.V. Prasad w.e.f. 11.01.2019	नामित Nominee	(i) (ii) (iii)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम C.M.D, FCI अध्यक्ष, केभनि Chairman, CWC अध्यक्ष सीआरडब्ल्यूसी लि Chairman CRWC Ltd.	(i) (ii)	अध्यक्ष–कार्यकारी समिति (ईसी), भा.खा.नि। Chairman - Executive Committee, FCI. अध्यक्ष– कार्यकारी समिति (ईसी), केभनि। Chairman-Executive Committee (EC) CWC
2.	सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस 10.02.2020 से Ms. Nandita Gupta, IAS w.e.f. 10.02.2020	नामित Nominee		सीआरडब्ल्यूसी लि. 11.02.2020 से CRWC Ltd. w.e.f. 11.02.2020	(i)	सदस्य–कार्यकारी समिति, केभनि Member - Executive Committee, CWC
3.	श्री वीरेन्द्र सिंह Shri Virendra Singh	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL	(i) (ii)	सदस्य– बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति के.भ.नि. Member-Board Level Risk Management Committee, CWC सदस्य– पारिश्रमिक समिति, के.भ.नि. Member-Remuneration Committee, CWC.
4.	श्री के. वी. पद्रीप कुमार Shri K.V. Pradeep Kumar	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL	(i) (ii) (iii) (iv) (v)	सदस्य– बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति केभनि Member- Board Level Risk Management Committee, CWC. अध्यक्ष– पारिश्रमिक समिति, केभनि Chairman - Remuneration Committee, CWC. सदस्य– लेखा परीक्षा समिति, केभनि Member- Audit Committee, CWC. सदस्य–कार्यकारी समिति, केभनि Member- Executive Committee, CWC सदस्य– मानव संसाधन उप–समिति Member- HR Sub-committee

5.	श्री अदिकेसवन एस. Shri Adikesavan S.	स्वतंत्र Independent		निदेशक– नेशनल ई–रेसपॉन्सबिलिटी लि. (एन.ई.–आरएल) Director- National E- Responsibility Limited (N.E- RL)	(i) (ii) (iii) (iv)	अध्यक्ष– बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति– के.भ.नि. Chairman- Board Level Risk Management Committee, CWC. सदस्य–पारिश्रमिक समिति, केभनि Member-Remuneration Committee, CWC. सदस्य– सीएसआर समिति, केभनि Member-CSR Committee, CWC. सदस्य– लेखा परीक्षा समिति, केभनि Member-Audit Committee, CWC
6.	श्री राजेन्द्र कुमार पी. 20.01.2020 से Shri. Rajendra Kumar P w.e.f. 20.01.2020	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL		शून्य NIL
7.	श्री सुरेश वारियर 20.01.2020 से Shri Suresh Warior w.e.f. 20.01.2020	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL		शून्य NIL
8.	श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी 20.01. 2020 से Smt. Anupama Singh Lodhi w.e.f. 20.01.2020	स्वतंत्र Independent		शून्य NIL		शून्य NIL
9.	श्री एस. चार्ल्स Shri S. Charles	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii)	टी.एन एसडब्ल्यूसी TN SWC मेघालय एसडब्ल्यूसी MEGHALAYA SWC		सदस्य–मानव संसाधन उप–समिति Member- HR Sub-Committee.
10.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Shri Arun Kumar Shrivastava	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii)	सीआरडब्ल्यूसी CRWC भारतीय खाद्य निगम Food Corporation of India	(i) (i) (ii)	सदस्य–कार्यकारी समिति, केभनि Member-Executive Committee of CWC. सदस्य– सीएसआर समिति, सीआरडब्ल्यूसी Member- CSR Committee of CRWC. सदस्य– पारिश्रमिक समिति, सीआरडब्ल्यूसीMember-Remuneration Committee of CRWC.

					(iii) (iv) (i) (ii)	सदस्य– जोखिम प्रबंधन समिति, सीआरडब्ल्यूसी Member- Risk Management Committee of CRWC. सदस्य– लेखा परीक्षा समिति, सीआरडब्ल्यूसी Member- Audit Committee of CRWC. सदस्य–, लेखा परीक्षा समिति, भाखानि Member- Audit Committee of FCI. सदस्य– बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, भाखानि Member- Member of the Board Level Risk Management Committee of FCI.
11.	श्री राकेश कुमार सिन्हा Sh. Rakesh Kumar Sinha	प्रकार्यात्मक Functional	(i) (ii) (iii)	बिहार, एसडब्ल्यूसी Bihar, SWC कर्नाटक, एसडब्ल्यूसी Karnataka, SWC महाराष्ट्र, एसडब्ल्यूसी Maharashtra, SWC	(i)	सदस्य– सीएसआर समिति, केभनि Member- CSR Committee of CWC.

निदेशक मंडल में परिवर्तन:

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मडंल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

(i) श्री ई.के. माझी, आईएएस, अपर सचिव के स्थान पर दिनांक 10.02.2020 को भारत सरकार द्वारा बोर्ड में सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस, संयुक्त सचिव (संग्रह एवं पीजी) को नामित किया गया।

(ii) श्री जे.एस. कौशल, निदेशक (कार्मिक) के स्थान पर श्री राकेश कुमार सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) भारत सरकार द्वारा अपनी नियुक्ति होने पर दिनांक 16.05.2019 को कार्यग्रहण कर बोर्ड में सम्मिलित हुए।

(iii) श्री राजेन्द्र कुमार पी, श्री सुरेश वारियर एवं श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी ने दिनांक 20.01.2020 को निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए :–

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under report, the following changes in the Board of Directors took place:

(i) Ms. Nandita Gupta, IAS, Joint Secretary (Storage & PG) was nominated by the Govt. on the Board on 10.02.2020 in place of Shri E.K.Majhi, IAS, Additional Secretary.

(ii) Shri Rakesh Kumar Sinha, Director (Personnel), joined the Board on 16.05.2019 on his appointment by the Govt. of India in place of Shri J.S. Kaushal, Director (Personnel). 20.01.2020

(iii) Shri Rajendra Kumar P, Shri Suresh Warior and Smt Anupama Singh Lodhi has joined as Independent Director on the dated 20.01.2020, on the Board of CWC.

During the year under report, the following changes took place:

(क) जो निदेशक कार्यमुक्त हुए :

(a) **Directors who relinquished the charge**

नाम Name	कार्यमुक्ति की तिथि Date of Relieving	श्रेणी Category
श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Shri Sharda Prasad, IAS (Retd)	31.01.2020	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
श्री ई.के. माझी, आईएएस Shri E.K. Majhi, IAS	10.02.2020	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री एस.सी. मुडगेरिकर Shri S.C. Mudgerikar	30.09.2019	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director
श्री अजय व्यास Shri Ajay Vyas	23.07.2019	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

(ख) जिन निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया:

(b) **Directors who joined:**

नाम Name	कार्यभार ग्रहण की तिथि Date of joining	श्रेणी Category
श्री राकेश कुमार सिन्हा Shri Rakesh Kumar Sinha	16.05.2019	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director
सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस Ms. Nandita Gupta, IAS	10.02.2020	सरकारी नामित निदेशक Govt. Nominee Director
श्री राजेन्द्र कुमार पी Shri Rajendra Kumar P	20.01.2020	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
श्री सुरेश वारियर Shri Suresh Warior	20.01.2020	स्वतंत्र निदेशक Independent Director
श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी Smt. Anupama Singh Lodhi	20.01.2020	स्वतंत्र निदेशक Independent Director

3 निदेशकों का पारिश्रमिक

केन्द्रीय भंडारण निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें प्रबन्ध निदेशक तथा 3 प्रकार्यात्मक निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके संबंधित वेतनमानों एवं परिलब्धियों पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रबन्ध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाते हैं। गैर सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग,

3. REMUNERATION OF DIRECTORS

CWC is a Government of India Undertaking in which the Managing Director and three Functional Directors are appointed by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Govt of India on their respective pay scales with perquisites. The Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier. Non-official parttime Independent Directors are nominated by the Department

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं अथवा संबंधित अंशधारियों की श्रेणी (क्रमशः सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां इत्यादि एवं अन्य अनुसूचित बैंकों) द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की उप समितियों अर्थात् (कार्यकारी समिति, लेखा परीक्षा समिति, एचआर उप समिति, पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति तथा निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए गैर–सरकारी निदेशको को भुगतान किया जाने वाला सिटिंग शुल्क दिनांक 23.07.2019 से क्रमशः 8000/–रु. एवं 7000/–रु. से बढ़ाकर सभी बैठकों के लिए 10,000/–रु. कर दिया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) :

of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution or elected by the respective class of shareholders (Co-operative Societies, Insurance Companies etc, and other Scheduled Banks respectively) for a period of three years. The sitting fee paid to the non-official Directors was increased to Rs. 10,000/- on 23.07.2019 to all meetings from Rs. 8,000/- to Board meeting and Rs. 7,000/- for attending each meeting of the Board & Sub-committees of the Board respectively (i.e. Executive Committee, Audit Committee, HR Sub Committee, Remuneration Committee, Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability and Board level Risk Management Committee).

The details of the remuneration paid to the Directors during 2019-20 are given below:

(i) NON-OFFICIAL DIRECTORS (Independent):

नाम Name	पदनाम Designation	सिटिंग शुल्क (रु.) Sitting fees (Rs.)
श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	निदेशक Director	96000/-
श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	निदेशक Director	210000/-
श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त (आईएएस) Sh. Sharda Prasad, Retd (IAS)	निदेशक Director	123000/-
श्री राजेन्द्र कुमार पी Sh Rajendra Kumar P	निदेशक Director	10000/-
श्री सुरेश वारियर Sh Suresh Warior	निदेशक Director	10000/-
श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी Smt. Anupama Singh Lodhi	निदेशक Director	10000/-

(ii) अंशकालिक निदेशक (नामिती एवं स्वतंत्र) :

(ii) PART - TIME DIRECTORS (Nominee and Independent):

नाम Name	पदनाम Designation	सिटिंग शुल्क (रु.) Sitting fees (Rs.)
श्री डी.वी. प्रसाद (आईएएस) Sh. D.V. Prasad, IAS	निदेशक (नामिती) Director (Nominee)	शून्य NIL
श्री ई.के. माझी (आईएएस) Sh. E.K. Majhi, (IAS)	निदेशक (नामिती) Director (Nominee)	शून्य NIL

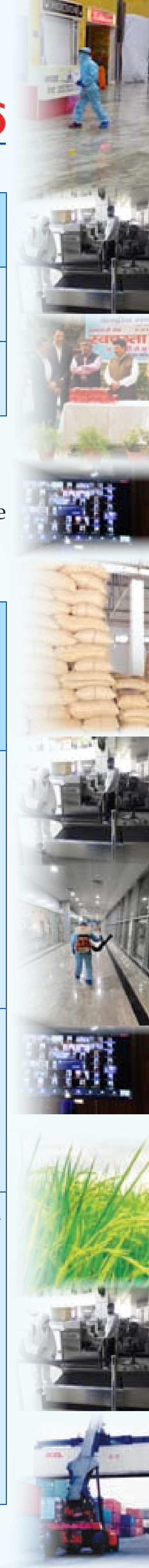

नाम Name	पदनाम Designation	सिटिंग शुल्क (रु.) Sitting fees (Rs.)
सुश्री नंदिता गुप्ता (आईएएस) Ms. Nandita Gupta (IAS)	निदेशक (नामिती) Director (Nominee)	शून्य NIL
श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S	निदेशक (नामिती) Director (Nominee)	शून्य NIL

(iii) प्रकार्यात्मक निदेशक:

प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

(iii) FUNCTIONAL DIRECTORS:

Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors

क्र. सं. S. No	पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/पूर्ण कालिक निदेशक का नाम Name of MD/WTD				कुल राशि (लाख रु. में) TOTAL Amount (Rs. in Lakh)
		श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक 12186के Sh. Arun Kumar Shrivastava, MD, 12186K	श्री सावरी मुत्थु चार्ल्स, निदेशक (वित्त) 12183ई Sh. Savarimuthu Charles, Director (Finance), 12183E	श्री श्रीनिवास सी. मुडगेरिकर, निदेशक (एमएंडसीपी) Sh. Shrinivas C. Mudgerikar, Director (M&CP)	श्री राकेश कुमार सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) Sh. Rakesh Kumar Sinha Director (Personnel)	
				केभनि से 30.09. 2019 को त्याग पत्र दिया Resigned from CWC on 30.09.2020	केभनि में 16. 05.2019 को कार्यभार ग्रहण किया Joined CWC on 16.05.2019	
(क) (a)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	47.91	39.12	18.63	37.75	143.41

(ख) (b)	पीआरपी PRP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ग) (c)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	0.99	1.15	1.86	0.58	4.58
(घ) (d)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ Profits in lieu of salary under section 17 (3) of the Income- tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल वेतन कुल (क+ख+ग) Gross Salary Total (a+b+c)	**48.90**	**40.27**	**20.49**	**38.33**	**147.99**

* वर्ष के दौरान पी.आर.पी. प्रदान नहीं की गई

* No PRP payment made during the year

4. निदेशक मंडल की बैठकें :

सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठक निगम के निगमित कार्यालय या निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार होती है तथा इसकी तारीख तथा समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकें संरचित कार्यसूची के आधार पर होती हैं तथा निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा हेतु कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने के लिए सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र है। विस्तृत कार्यसूची के कागजात पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि निदेशक इन पर विचार कर निर्णय ले सकें।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मडंल की बैठकों तथा 28 सितबर, 2019 को हुई 57वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

4. BOARD MEETINGS:

The meeting of the Board of Directors are generally held at least once in a quarter at the Corporate Office of the Corporation or at place decided by the Board of Directors and are scheduled well in advance. The meetings of the Board of Directors are governed by a structured agenda and any member of the Board is free to recommend inclusion of any subject matter in the agenda for deliberations. Detailed agenda papers are circulated well in advance to facilitate the Directors to take considered decisions.

The Attendance of Directors at the Board meetings held during the year under report and at the 57th Annual General Meeting held on the 28th September, 2019 was as under:

निदेशक का नाम Name of Director	श्रेणी Category	24.04.19	12.06.19	26.08.19	27.09.19	30.10.19	20.11.19	11.02.20	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या No. of Board meeting attended	दिनांक 28.09.2019 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति Whether present during the AGM on 28.09. 2019
श्री डी.वी.प्रसाद, आईएएस, अध्यक्ष, केभनि (अतिरिक्त प्रभार) Sh. D.V. Prasad, IAS Chairman, CWC, (add. Charge)	नामित निदेशक Nominee Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री ई. के. मांझी आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS	नामित निदेशक Nominee Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं NA	6/6	जी नहीं No
श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	✓	✓	✓	✓	वी सी V C	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री एस. चार्ल्स, निदेशक (वित्त) Sh. S. Charles, Director (Finnance)	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	वी सी V C	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री एस.सी. मुडगेरिकर, निदेशक (एमएंडसीपी) Sh. S.C. Mudgerikar Director (M&CP)	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	4/4	जी हाँ Yes
श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक Sh. Arun Kumar Shrivastava Managing Director	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7	जी हाँ Yes
श्री अजय व्यास Sh. Ajay Vyas	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	X	X	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	0/2	लागू नहीं NA
श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	वी.सी. V C	X	✓	X	वी सी V C	वी सी V C	X	4/7	ना No
श्री शारदा प्रसाद, आईएएस (सेवानिवृत्त) Sh. Sharda Prasad, IAS (Retd)	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	✓	✓	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं NA	6/6	जी हाँ Yes

श्री राकेश कुमार सिन्हा Sh. Rakesh Kumar Sinha	प्रकार्यात्मक निदेशक Functional Director	लागू नहीं NA	✓	✓	✓	✓	X	✓	5/6	जी हाँ Yes
सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस Ms. Nandita Gupta, IAS	नामित निदेशक Nominee Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	✓	1/1	लागू नहीं NA
श्री राजेन्द्र कुमार पी Sh. Rajendra Kumar P.	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	✓	1/1	लागू नहीं NA
श्री सुरेश वारियर Sh. Suresh Warior	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	✓	1/1	लागू नहीं NA
श्रीमती अनुपमा सिंह Smt. Anupama Singh Lodhi	स्वतंत्र निदेशक Independent Director	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	✓	1/1	लागू नहीं NA

✓ - बैठक में उपस्थित

एनए - लागू नहीं (पद पर नहीं)

X - बैठक में भाग नहीं लिया

VC - विडियो कॉन्फ्रेंसिंग

1. उपर्युक्त के अतिरिक्त, दिनांक 17.09.2019 एवं 09.01.2020 को बोर्ड की दो बैठक सर्कुलेशन द्वारा आयोजित हुई जिसमें मामले की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुमत द्वारा एजेंडा अनुमोदित किया गया।

✓ - Meeting attended

NA - Not applicable (not in position)

X - Meeting not attended

VC - Video conferencing

1. In addition to above two Board Meeting was conducted by circulation on 17.09.2019 & 09.01.2020 wherein an agenda was got approved by majority decision keeping in view of the urgency on the matter.

5. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने अपनी सुस्पष्ट भूमिका, प्राधिकार तथा जवाबदेही के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

(क) कार्यकारी समिति

(ख) लेखा परीक्षा समिति

(ग) पारिश्रमिक समिति

(घ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

(ड) जोखिम प्रबन्धन समिति

(च) मानव संसाधन समिति– उप समिति

(क) कार्यकारी समिति

वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा–12 के अधीन कार्यकारी समिति (ईसी) गठित की गई जिसमें अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों में से निर्वाचित दो सदस्य होते हैं।

5. COMMITTEES OF THE BOARD: -

The Board of Directors has constituted the following committees with their distinct role, authority and accountability:

(a) Executive Committee

(b) Audit Committee

(c) Remuneration Committee

(d) Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability

(e) Committee on Risk Management

(f) Committee on HR-Sub Committee

(a) Executive Committee

The Executive Committee (EC) constituted under Section 12 of the Warehousing Corporations Act, 1962 consists of the part time Chairman, Managing Director and two members elected by the Board from among the Directors. During the

वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यकारी समिति की 04 बैठकें हुईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

year 2019-20, the EC met 04 times as per details given below:-

क्र. सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of Meeting	उपस्थित सदस्य Members present	अध्यक्ष Chairman
1.	24.04.2019	श्री ई.के माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS
2.	25.07.2019	श्री ई.के माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS
3.	30.10.2019	श्री ई.के माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS
4.	11.02.2020	श्री ई.के माझी, आईएएस Sh. E.K. Majhi, IAS श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव Sh. Arun Kumar Shrivastava	श्री डी.वी. प्रसाद, आई.ए.एस. Sh. D.V. Prasad, IAS

प्रकार्यात्मक निदेशकों ने भी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारी समिति की बैठकों में सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

(ख) लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मण्डल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें एक अंशकालिक नामिती निदेशक एवं दो स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्यों के रूप में शामिल हैं। एक स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में लेखा परीक्षा कार्य पर निगरानी रखना, महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करना, लेखा मानकों का अनुपालन

The Functional Directors also attended the meetings of the EC as invitees to assist during the deliberations.

(b) Audit Committee

The Audit Committee constituted by the Board of Directors comprises of one part time nominee Director and two Independent Directors as its members with one of the Independent Directors as the Chairman of the Audit Committee. The terms of reference of the Audit Committee include overseeing the audit function, reviewing critical findings, ensuring compliance with

सुनिश्चित करना तथा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों को सहमति देना है। इसके अतिरिक्त, निगम की अधिशेष निधि के निवेश, निगम के पास उपलब्ध निधियों का स्तर एवं बकाया, निगम में अपनाई जा रही लेखा प्रणाली एवं परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारकों का निर्धारण करना है। वर्ष 2019–20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें हुई जिसका विवरण इस प्रकार है:–

accounting standards and concurring financial statements before being submitted to the Board. And also the investment of surplus funds of the Corporation, level of funds available with the Corporation & outstanding, Factors to determine the commercial viability of projects & Accounting system followed in the Corporation. During the year 2019-20, the Audit Committee had five meetings as given below: -

क्र. सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members present	अध्यक्ष Chairman
1	12.06.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
2	26.08.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
3	27.09.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस, Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
4	20.11.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar श्री अदिकेसवन एस. (वी.सी. द्वारा) Sh. Adikesavan S. (through VC)	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस, Sh. Sharda Prasad, Rtd. IAS
5	11.02.2020	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	केन्द्रीय भंडारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 6(2) के अधीन बैठक स्थगित Under regulation 6(2) of the Central Warehousing Corporation (General) regulations 1965 meeting adjourned.

निदेशक (वित्त) ने 11.02.2020 तक लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

Director (Finance) attended five meetings i. e. upto 11.02.2020 as special invitees to assist the Audit Committee during its deliberations.

(ग) पारिश्रमिक समिति

निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति (आरसी) में तीन स्वतन्त्र निदेशक हैं तथा उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें आयोजित की गई जिसका विवरण नीचे दिया गया है :–

(c) Remuneration Committee

The Remuneration Committee (RC) of the Board, comprises of three Independent Directors and with an Independent Director as the Chairman. During the year 2019-20, two meetings of the Remuneration committee were held. The details of the meetings of the Remuneration Committee are as under:

क्रम सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	16.09.2019	श्री अदिकेसवन एस. (वी.सी. द्वारा) Sh. Adikesavan S. (through VC) श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	श्री के.वी प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar
2	11.02.2020	श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	श्री के.वी प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar

(घ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति में दो स्वतंत्र निदेशक तथा निदेशक (कार्मिक) सहित एक स्वतंत्र नामिती निदेशक अध्यक्ष के रूप में होता है। वर्ष 2019–20 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई।

(ङ) जोखिम प्रबन्धन समिति

जोखिम प्रबन्धन समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्यों के रूप में होते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक समिति का अध्यक्ष होता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान जोखिम प्रबन्धन समिति की एक बैठक हुई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

(d) Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability

The Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability comprises of two Independent Directors, Director (Personnel) with one nominee Independent Director as the Chairman. During the year 2019-20, no meeting of the Corporate Social Responsibility and Sustainability Committee was held.

(e) Committee on Risk Management

The Committee on Risk Management comprises of three Independent Directors as members. Out of them one shall be the Chairman.

During the year 2019-20, one meeting of the Committee on Risk Management was held as detailed below:

क्रम सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	26.08.2019	श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh K.V. Pradeep Kumar श्री वीरेन्द्र सिंह Sh. Virendra Singh	श्री अदिकेसवन एस. Sh. Adikesavan S.

(च) मानव संसाधन उप–समिति

वर्ष 2019–20 के दौरान मानव संसाधन उप–समिति की 3 बैठकें हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

(f) Committee on HR-Sub Committee

During the year 2019-20, three meetings of the Committee on HR-Sub Committee were held as detailed below:

क्रम सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
1	23.10.2019	(1) श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar (2) श्री एस. चार्ल्स Sh. S. Charles	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस Sh. Sharda Prasad, Retd. IAS

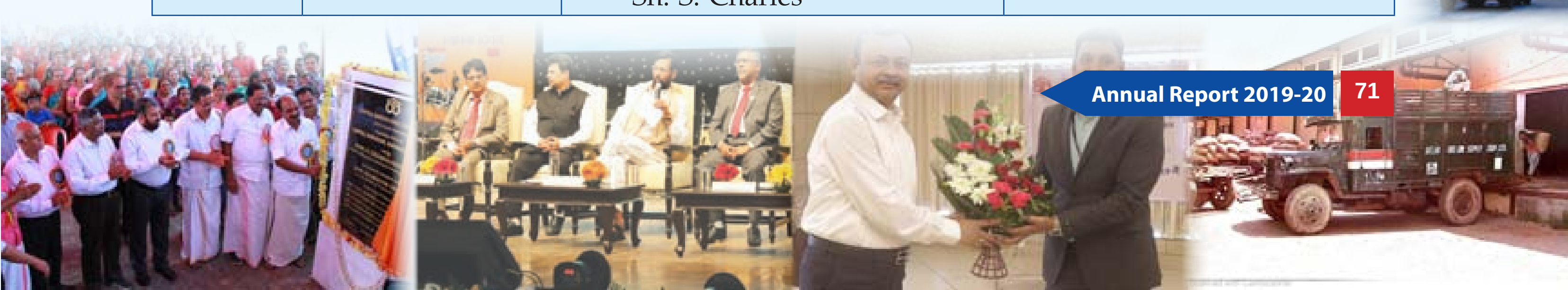

क्रम सं. S. No.	बैठक की तिथि Date of meeting	उपस्थित सदस्य Members Present	अध्यक्ष Chairman
2.	15.11.2019	(1) श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar (2) श्री एस. चार्ल्स Sh. S. Charles	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस Sh. Sharda Prasad, Retd. IAS
3.	21.01.2020	(1) श्री के.वी. प्रदीप कुमार Sh. K.V. Pradeep Kumar	श्री शारदा प्रसाद, सेवानिवृत्त आईएएस Sh. Sharda Prasad, Retd. IAS

निदेशक (कार्मिक) और महाप्रबंधक (कार्मिक) ने मानव संसाधन उप–समिति की तीनों बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

Director Personnel & GM Personnel attended three meetings as special invitees to assist the HR-Sub Committee during its deliberations.

6. वार्षिक साधारण बैठक

निगम की वार्षिक साधारण बैठकें निगमित कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। गत 3 वित्तीय वर्षों में हुई इन बैठकों का विवरण इस प्रकार है:–

6. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meetings of the Corporation are held at the Corporate Office of the Corporation. The details of such meetings held during the past three financial years are as under:

वा.सा. बैठक AGM	दिनांक एवं समय Date and Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प पारित किया गया Special Resolution passed
55वीं वा.सा. बैठक 55th AGM	23.09.2017 – 11.30 पूर्वाह्न 23.09.2017 - 11.30 AM	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली Corporate Office, New Delhi	शून्य Nil
56वीं वा.सा. बैठक 56th AGM	29.09.2018 – 11.00 पूर्वाह्न 29.09.2018 - 11.00 AM	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली Corporate Office, New Delhi	शून्य Nil
57वीं वा.सा. बैठक 57th AGM	28.09.2019– 11.00 पूर्वाह्न 28.09.2019 - 11.00 AM	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली Corporate Office, New Delhi	शून्य Nil

7. आचार संहिता

निदेशक मण्डल ने अपने सभी सदस्यों तथा निगम के वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। यह आचार संहिता निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

7. CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board members and senior management personnel of the Corporation. The Code is hoisted on the website of the Corporation. All the Board members and senior management personally confirmed compliance with the Code.

8. पर्दाफाश की नीति

केन्द्रीय भण्डारण निगम में जून, 2004 से पर्दाफाश नीति अपनाई गई है।

9. सहायक कंपनी

केन्द्रीय भंडारण निगम ने रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉम्पलेक्सों (सीआरडब्ल्यूसी) के प्रचालन और प्रगति के लिए सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) नामक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई। सीआरडब्ल्यूसी लि. 10 जुलाई, 2007 को बनाई गई और 24 जुलाई, 2007 से इसने कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया। केन्द्रीय भंडारण निगम ने सीआरडब्ल्यूसी को 40.56 करोड़ रुपए का अंशदान शेयर पूंजी के रूप में दिया।

04 मई, 2010 को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के चैप्टर 6 के अनुसार केवल वे सहायक कंपनियाँ ही सहायक कंपनियाँ मानी जाएंगी जिनका टर्नओवर या निवल पूंजी तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में उस कंपनी के क्रमशः टर्नओवर या निवल पूंजी के 20% से कम न हो निगम की सहायक कंपनी सीआरडब्ल्यूसी लि. सहायक कंपनी की इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। अतः यह केन्द्रीय भंडारण निगम पर लागू नहीं है।

10. प्रकटन

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा प्रबन्धन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ लेन–देन का कोई मामला नहीं है जो व्यापक रूप से निगम के हितों के विरुद्ध हो।

(ii) संबंधित पार्टी प्रकटनों के विवरणों को लेखों की टिप्पणी के भाग रूप में कवर किया गया है।

(iii) निगम ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण किया है।

(iv) रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निगम के साथ किसी भी स्वतंत्र निदेशक का आर्थिक अथवा लेन–देन का कोई संबंध नहीं है।

(v) निदेशक मंडल निगम पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालनात्मक रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान

8. WHISTLE BLOWER POLICY

The Whistle Blower Policy has been in place in the Corporation since June, 2004.

9. SUBSIDIARY COMPANY

The CWC has formed a 100% owned subsidiary company namely Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) for development and operation of Railside Warehousing Complexes (RWCs). CRWC Ltd. was incorporated on 10th July, 2007 and received certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CWC has subscribed Rs. 40.56 crore as share capital of CRWC.

As per Chapter 6 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), issued by Department of Public Enterprises on 4th May, 2010, only those subsidiaries, whose turnover or net worth is not less than 20% of the turnover or net worth respectively of the holding company in the immediate preceding accounting year may be treated as subsidiary companies. CRWC Ltd., the subsidiary of CWC does not come under the ambit of this definition of subsidiary company. Hence, it is not applicable to CWC.

10. DISCLOSURES

(i) During the year, there were no transactions of material nature with the Directors or the management or their relatives that had potential conflict with the interest of the Corporation.

(ii) The details of related party disclosures have been covered as part of notes to accounts.

(iii) The Corporation follows Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

(iv) None of the Independent Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Corporation during the financial year under report.

(v) The Board periodically reviews Compliance Reports of all the laws applicable to the Corporation. During the last three years,

ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन न करने पर निगम पर कोई दण्ड लगाया गया हो।

(vi) निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेन्स पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उपाय किए हैं। दिशा–निर्देशों के अनुसार, निगम ने निदेशक मण्डल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए व्यापार कदाचार कोड एवं नीतिशास्त्र तैयार किया है।

(vii) व्यय के उस किसी भी मद को लेखा–खातों में 'डेबिट' नहीं किया गया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। निदेशक मण्डल के निदेशकों एवं उच्च प्रबन्धन के लिए उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संविदागत बाध्यताओं को छोड़कर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है, जो निजी प्रकृति का हो।

(viii) निदेशक मंडल द्वारा निगम की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। आईसीडी/सीएफएस सहित वेअरहाउसों में भण्डारित स्टॉक सभी प्रकार के जोखिम जैसे आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दंगे, हड़ताल एवं उपद्रव इत्यादि के लिए पर्याप्त रूप से बीमाकृत होता है। इसके अतिरिक्त जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतम उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डारण एवं परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सतर्कता विभाग द्वारा आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा एवं निवारक जांच की पद्धति मौजूद है।

11. कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

निगम द्वारा वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया गया। निगम के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

12. अंशधारियों के संबंध में सूचना

सूचना का साधनः निगम के वार्षिक परिणाम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर घोषित किए जाते हैं तथा इन्हें निगम की वेबसाइट www.cewacor.nic.in पर भी उपलब्ध कराया जाता है।

there has been no instance of penalty imposed on the Corporation by any statutory authority owing to non-compliance under applicable laws.

(vi) The Corporation has taken measures to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). In accordance with the guidelines, Corporation has evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board members and senior management personnel.

(vii) No item of expenditure has been debited to books of accounts, which is not for the purpose of business. No expenses, which are personal in nature, have been incurred for the Board of Directors and top management except which are contractual obligations as per their terms of appointment.

(viii) The Risk Management Policy of the Corporation has been approved by the Board. The stocks stored at the Warehouses, including in ICDs/CFSs, are adequately insured against all risks such as fire, flood, theft, burglary, riots, strikes, civil commotion, etc. Besides, in order to ensure safe storage and preservation, as a risk assessment and minimization measure, the Corporation has in place a system of periodic inspection, audit and preventive checks by the Vigilance Division.

11. AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance during the year. The Compliance Certificate on Corporate Governance issued by the auditors of the Corporation is given at the end of this report.

12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

Means of communication: The annual results of the Corporation are announced within six months of the end of financial year, and are also hoisted on the website of the Corporation, www.cewacor.nic.in.

वार्षिक साधारण बैठकः निगम की 58वीं वार्षिक साधारण बैठक – 28 सितम्बर, 2020 को विडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से होनी निश्चित हुई है।

Annual General Meeting: The 58th Annual General Meeting of the Corporation is scheduled to be held on the 28.09.2020 at 12.00 hrs. through video conferencing.

खाताबन्दी की तारीखें: वार्षिक साधारण बैठक एवं इस बैठक में लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से सदस्यों की शेयर हस्तांतरण बहियां एवं रजिस्टर 30 अगस्त, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बन्द रहेगा।

Dates of Book Closure: The Share Transfer Books and Register of Members shall remain closed from 30.08.2020 to 28.09.2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of dividend at the Annual General Meeting.

लाभांश का भुगतान : पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) नीचे दिया गया है:–

Dividend Payment: The details of the dividend paid (excluding dividend distribution tax) during the last three years are as under:

वर्ष Year	लाभांश राशि (करोड़ रु. में) Amount of Dividend (Rs. In Crore)	प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत (% में) Percentage on the paid-up capital (in %)
2017-18	21.75	32.00
2018–19 (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अतिरिक्त लाभांश) 2018-19 (Additional Dividend for financial year 2017-18)	10.12	14.89
2018–19 (अंतरिम लाभांश) 2018-19 (Interim Dividend)	23.80	35.00
2019–20 (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अंतिम लाभांश) 2019-20 (Final Dividend for the FY 2018-19	25.29	37.20
2019–20 (अंतरिम लाभांश) 2019-20 (Interim Dividend)	64.98	95.59

अंश हस्तांतरण प्रणाली : वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम के शेयर अंशधारियों की विशिष्ट श्रेणी के अलावा हस्तांतरित नहीं होते। 31.03.2020 को अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की शेयर धारिता इस प्रकार थी :–

Share Transfer System: The shares of the Central Warehousing Corporation are not transferable except to the specified classes of shareholders in accordance with the regulations made under the Warehousing Corporations Act, 1962. The shareholding of various category of shareholders as on 31.3.2020 is as follows:

श्रेणी Category	अंशों की संख्या No. of shares held	कुल प्रदत्त पूंजी का शेयरधारिता (% में) Shareholding Percentage of total paid up capital (in %)
केन्द्र सरकार Central Government	3,74,250	55.02
भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	1,77,140	21.75
अन्य अधिसूचित बैंक Other Scheduled Banks	1,40,848	15.99
सहकारी समितियाँ Cooperative Societies	1482	0.21
बीमा कम्पनियाँ Insurance Companies	51,454	7.02
अन्य Others	76	0.01
कुल **Total**	**7,45,250**	**100.00**

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

एच.बी.दास

सचिव,
पत्राचार का पता:
सचिव
केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास,
नई दिल्ली–110 016
ईमेल: secycwc@cewacor.nic.in

For and on behalf of the Board of Directors

Secretary
Address for communication:
The Secretary,
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)
4/1, Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, Hauz Khas,
New Delhi - 110016.
Email:- secycwc@cewacor.nic. in

डॉ. एच.बी. दास, सचिव, केन्द्रीय भंडारण निगम की 58वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर 28 सितम्बर, 2020 को संबोधित करते हुए।

Dr. H.B. Das, Secretary, CWC addressing on the occasion of 58th Annual General Meeting on 28th September, 2020.

जे.के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
www.jksco.in

कॉरपोरेट गवर्नेंस अनुपालन के लिए प्रमाण पत्र

सेवा में
सभी अंशधारी
केन्द्रीय भंडारण निगम

हमने केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान लोक उद्‌यम विभाग (डीपीई) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दिशा–निर्देश) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेस पर जारी दिशा निर्देशों में अनुबंधित कॉरपोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबन्धन का होता है। हमारी जांच इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटैंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेस की मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार निष्पादित की गई जो कॉरपोरेट गवर्नेस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न कोई लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने कॉरपोरेट गवर्नेस की उपरोलिखित दिशा–निर्देशों में अनुबंधित शर्तों का निम्न के अतिरिक्त अनुपालन किया है।

1. बोर्ड में दिनांक 01.04.2019 को 04 निदेशक कम थे, जो दिनांक 31.03.2020 को 03 रह गए। वर्ष के दौरान 04 निदेशक रह गए तथा 05 नए निदेशक बोर्ड में शामिल हुए।
2. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबध निदेशक ने दिनांक 16.05.2019 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।
3. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबध निदेशक दिनांक 30.09.2019 से निदेशक (एम एंड सीपी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
4. वर्ष 2019–20 के दौरान श्री शारदा प्रसाद, सीएसआर कमेटी के सदस्य, निदेशक पद से 31.01.2020 को पदमुक्त हो गए तथा समिति का पुनर्गठन उसके बाद से लंबित है। वर्ष 2019–20 की सीएसआर संबंधी गतिविधियों की समीक्षा हेतु वर्ष 2019–20 में सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।
5. लेखा परीक्षा समिति के कार्यों से संबंधित विचारार्थ विषयों को डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार संशोधित/अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।

हमारा आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन न तो निगम के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उसके कार्यकौशल या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके अनुसार प्रबंधन ने निगम के कार्य किए हैं।

कृते जे.के. सरावगी एंड कम्पनी,
चार्टेड एकाउंटटेंट
एफआरएनः 006836सी

J.K. SARAWGI & COMPANY NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

(एल.एस. खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्य सं.: 009878 UDIN-20009878AAAABF7486
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17.08.2020

शाखाः अहमदाबाद, कोलकता, मुबई, चैन्नई, कानपुर, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल

91, सिदार्थ इनकेल्व, नियर आश्रम चौक, नई दिल्ली–110014
फोनः 011 26341033, 42828734, 42828735, 42828736 फैक्सः 011–42828035
ई–मेलः delhi@jksco.in
एमएसएमई यूएएनः डीएल08ई0009318

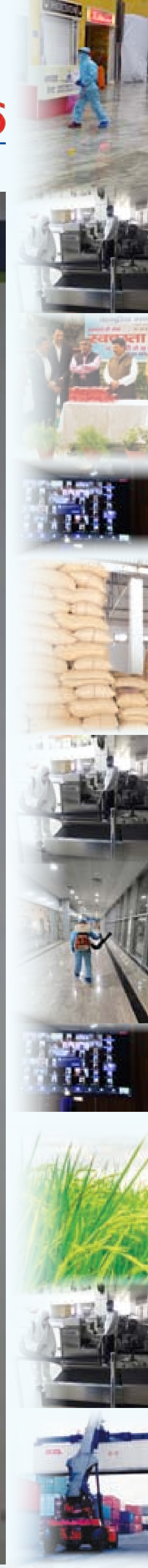

JK Sarawgi & Company
Chartered Accountants
www.jksco.in

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Shareholders
Central Warehousing Corporation

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Warehousing Corporation for the year ended 31[st] March 2020, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (Guidelines), as issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination as carried out with the guidance Note of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India, was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial Statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines subject to the following:-

1. The Board was in deficiency of 4 Directors as on 01.04.2019, which reduced to 3 as on 31.03.2020. During the year, 4 Directors ceased to be the Director & 5 new Directors have joined the Board.
2. Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director was holding additional charge of Director (Personnel) upto 16.05.2019.
3. Shri Arun Kumar Shrivastava is holding additional charge of Director (M&CP) from 30.09.2019 onwards.
4. Mr. Sharda Prasad, member of the CSR committee ceased from directorship w.e.f. 31.01.2020 and reconstitution of committee remained pending thereafter during the year 2019-20. No CSR Committee meeting was held during the year 2019-20 to review CSR related activities of 2019-20.
5. Terms of reference of Audit Committee with regards to their functioning is required to be amended/updated with reference to DPE guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

For J K Sarawgi & Company
Chartered Accountants
FRN: [illegible]

(L.S. Khandelwal)
Partner
M. No. 009878 UDIN-20009878AAAABF7486
Place : New Delhi
Date : 17.08.2020

Ahmedabad, Kolkata, Mumbai, Chennai, Kanpur, Chandigarh, Jaipur, Bengaluru, Bhopal

91, Siddhartha Enclave, Near Ashram Chowk, New Delhi-110014
Ph.: 011 26341033, 42828734, 42828735, 42828736 Fax : 011-42828035
MSME UAN : DL08E0009318
E-mail : delhi@jksco

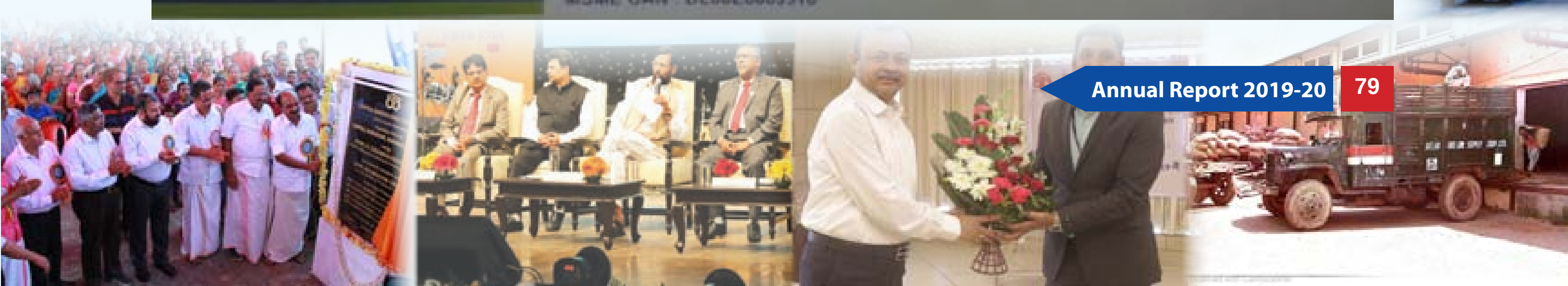

वर्ष 2019–20 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट की टिप्पणियों के उत्तर

क्र. सं.	लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन के उत्तर
1.	बोर्ड में दिनाकं 01.04.2019 को 04 निदेशक कम थे, जो दिनांक 31.03.2020 को 03 रह गए। वर्ष के दौरान 04 निदेशक रह गए तथा 05 नए निदेशक बोर्ड में शामिल हुए।	निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से रिक्त पदों को भरने के लिए अनुरोध किया है।
2.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक ने दिनांक 16.05.2019 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।	निदेशक (कार्मिक) के रिक्त पद के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निदेशक (कार्मिक) पद का अतिरिक्त प्रभार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबध निदेशक को दिया गया। श्री आर.के. सिन्हा ने दिनांक 16.05.2019 को निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया।
3.	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक दिनांक 30.09.2019 से निदेशक (एम एंड सीपी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।	चूंकि दिनांक 30.09.2019 से निदेशक (एम एंड सीपी) का पद रिक्त है, अतः प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
4.	वर्ष 2019–20 के दौरान श्री शारदा प्रसाद, सीएसआर कमेटी के सदस्य, निदेशक पद से 31.01.2020 को पदमुक्त हो गए तथा समिति का पुनर्गठन उसके बाद से लंबित है। वर्ष 2019–20 की सीएसआर संबंधी गतिविधियों की समीक्षा हेतु वर्ष 2019–20 में सीएसआर समिति की कोई बैठक नहीं हुई।	वर्ष 2019–20 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए बोर्ड से नीचे स्तर की सीएसआर समिति की बैठकें दिनांक 04.04.2019, 01.10.2019, 30.10.2019 तथा 07.01.2020 को आयोजित की गईं। बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की मार्च, 2020 में नियोजित बैठक कोविड़–19 के प्रकोप के कारण आयोजित नहीं की जा सकी। बोर्ड की सीएसआर उप समिति का पुनर्गठन बोर्ड द्वारा उसकी दिनांक 11.06.2020 को आयोजित बैठक में किया गया।
5.	लेखा परीक्षा समिति के कार्यों से संबंधित विचारार्थ विषयों को डीपीई दिशा–निदेर्शों के अनुसार संशोधित/अद्यतन किया जाना अपेक्षित है।	लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में डीपीई दिशा–निदेर्शों के अनुसार आवश्यक संशोधन/अद्यतन किया जा रहा है।

REPLY TO THE OBSERVATION ON THE COMPLIANCE REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2019-20

S. No.	Observations of Auditor	Replies of the Management
1	The Board was in deficiency of 4 Directors as on 01.04.2019, which is reduced to 3 as on 31.03.2020. During the year, 4 Directors ceased to be the Director & 5 new Directors have joined the Board.	Corporation has been requesting the Administrative Ministry to fill up the vacancies.
2	Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director was holding additional charge of Director (Personnel) upto 16.05.2019.	Additional charge of Director (Personnel) was given by Administrative Ministry to Shri Arun Kumar Shrivastava, MD during the vacancy of Director (Personnel) post. Shri R.K. Sinha had joined as Director (Personnel) on 16.05.2019.
3	Shri Arun Kumar Shrivastava is holding additional charge of Director (M&CP) from 30.09.2019 onwards.	Since the post of Director (M&CP) is vacant from 30.09.2019, additional charge of Director(M&CP) was given by Administrative Ministry to Shri Arun Kumar Shrivastava, MD.
4	Mr. Sharda Prasad, member of the CSR committee ceased from directorship w.e.f. 31.01.2020 and reconstitution of committee remained pending thereafter during the year 2019-20. No CSR Committee meeting was held during the year 2019-20 to review CSR related activities of 2019-20.	Meeting of below board level CSR committee was held on04.04.2019, 01.10.2019, 30.10.2019 & 07.01.2020 during the year 2019-20 to review the CSR activities undertaken. Board level CSR committee planned in March, 2020 could not be held due to outbreak of COVID-19.The CSR Subcommittee of the board was re constituted by the Board in its meeting held on11.06.2020.
5	Terms of reference of Audit Committee with regards to their functioning is required to be amended/updated with reference to DPE guidelines.	Necessary amendment/update of the terms of reference of the audit committee shall be carried out as per the DPE guidelines.

सैन्ट्रल वेअरहाउसों की सूची
एवं उनकी भण्डारण क्षमता
(आंकड़े मी. टन में)

LIST OF CENTRAL WAREHOUSES AND THEIR CAPACITY
(Figures in Metric Tonnes)

क्षेत्र – अहमदाबाद
REGION : AHMEDABAD

राज्य – गुजरात
STATE : GUJARAT

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const.	किराए की Hired	खुली Open	
1	अहमदाबाद Ahmedabad	अहमदाबाद-I Ahmedabad-I	18262	0	0	18262
2	अहमदाबाद Ahmedabad	ईशानपुर Ishanpur	0	6736	0	6736
3	अमरेली Amreli	सीएफएस पिपावाव CFS Pipavav	12500	0	6875	19375
4	अमरेली Amreli	पिपावाव Pipavav	37500	0	0	37500
5	आनन्द Anand	आनन्द Anand	4820	0	0	4820
6	आनन्द Anand	वाडोड Vadod	12500	0	0	12500
7	आनन्द Anand	वाडोड (पीईजी) Vadod (PEG)	4800	0	0	4800
8	बड़ोदा Baroda	बड़ोदा-I Baroda-I	16650	0	0	16650
9	बड़ोदा Baroda	कराचिया Karachia	5000	0	12373	17373
10	भावनगर Bhavnagar	भावनगर Bhavnagar	14250	0	0	14250
11	जामनगर Jamnagar	जामनगर Jamnagar	19700	0	0	19700
12	जूनागढ़ Junagadh	मालिया हटिना (एयूबी) Maliya Hatina (AUB)	0	25000	0	25000
13	काण्डला Kandla	सीएफएस काण्डला CFS Kandla	21600	0	30000	51600
14	खेड़ा Kheda	नडियाड़ Nadiad	8500	13910	0	22410
15	खेड़ा Kheda	नडियाड़ (पीईजी) Nadiad (PEG)	0	5000	0	5000
16	कच्छ Kutch	सीएफएस मुन्द्रा CFS Mundra	33625	0	87375	121000
17	कच्छ Kutch	गांधीधाम (हायर्ड) Gandhidham (HIRED)	0	28378	0	28378
18	कच्छ KUTCH	गांधीधाम (हायर्ड) [सीसीआई] Gandhidham (HIRED) [CCI]	0	97362	0	97362
19	कच्छ Kutch	मुन्द्रा Mundra	66000	0	0	66000
20	राजकोट Rajkot	राजकोट Rajkot	25000	0	0	25000
21	सूरत Surat	सूरत Surat	21400	0	0	21400

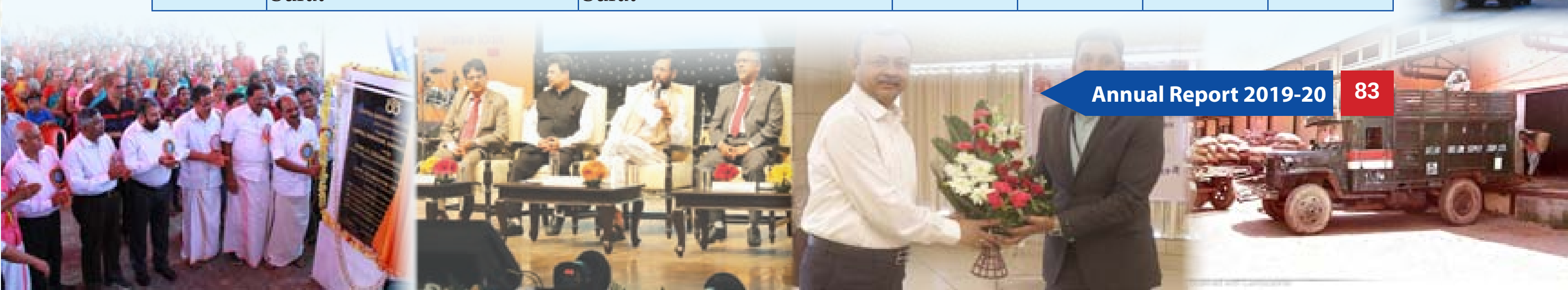

क्षेत्र – अहमदाबाद
REGION : AHMEDABAD

राज्य – गुजरात
STATE : GUJARAT

22	वड़ौदरा Vadodra	आईसीडी–दशरथ ICD Dashrath	0	11860	21500	33360
23	वलासाड Valsad	आईसीडी–वॉलवाडा ICD Valvada	0	3400	18800	22200
23		**कुल (23) TOTAL (23)**	**322107**	**191646**	**176923**	**690676**

क्षेत्र – बेंगलूरु
REGION : BENGALURU

राज्य – कर्नाटक
STATE : KARNATAKA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	बेंगलूरु Bengaluru	बेंगलूरु-I/एपीएमसी/ यशवंतपुरा Bengaluru-I/APMC/ Yeshwantpura	25535	0	6793	32328
2	बेंगलूरु Bengaluru	सीएफएस, व्हाइटफील्ड CFS, Whitefield	24080	0	31740	55820
3	बेंगलूरु Bengaluru	आर.वी. लेआउट/बेंगलूरु-V R.V. Layout/ Bengaluru-V	5017	0	0	5017
4	बेलगाम Belgaum	बेलगाम Belgaum	15950	0	516	16466
5	बेलगाम Belgaum	सोनदत्ती Soundatti	9000	0	0	9000
6	बिदर Bidar	बिदर Bidar	20000	0	986	20986
7	दक्षिण कन्नड़ा Dakshina Kannada	मनगुड्डा/मंगलौर-I Mannguda/Mangalore-I	13390	0	1793	15183
8	दक्षिण कन्नड़ा Dakshina Kannada	पैनम्बर/सीएफएस Panambur/CFS	14000	0	700	14700
9	देवनगिरी Davangere	देवनगिरी Davangere	21118	0	0	21118
10	धारवाड़ Dharwad	धारवाड़ Dharwad	23333	0	0	23333
11	धारवाड़ Dharwad	हुबली Hubli	19311	0	0	19311
12	गडग Gadag	गडग-I Gadag-I	23500	0	0	23500
13	गडग Gadag	गडग-II (पीईजी) Gadag-II (PEG)	28520	0	0	28520
14	गडग GADAG	नारगुण्ड NARGUND	10000	0	0	10000
15	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-I Gulbarga-I	9780	0	0	9780
16	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-II (पीईजी) Gulbarga-II (PEG)	67000	0	0	67000
17	गुलबर्गा Gulbarga	सेदम Sedam	3000	4965	0	7965

क्षेत्र – बेंगलूरु
REGION : BENGALURU

राज्य – कर्नाटक
STATE : KARNATAKA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
18	मंड्या Mandya	मंड्या Mandya	0	5538	0	5538
19	रायचूर Raichur	रायचूर Raichur	0	3682	0	3682
20	शिमोगा Shimoga	शिकारीपुर Shikaripur	10500	0	0	10500
21	शिमोगा Shimoga	शिमोगा Shimoga	0	8691	0	8691
22	तुमकूर Tumkur	तुमकूर / गुब्बी Tumkur/Gubbi	23065	0	0	23065
23	बेंगलुरु रूरल Bengaluru Rural	दोडबल्लापुर Doddaballapura	0	0	6667	6667
		कुल (23) TOTAL : (23)	**366099**	**22876**	**49195**	**438170**

क्षेत्र – भोपाल
REGION : BHOPAL

राज्य – मध्य प्रदेश
STATE : MADHYA PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	बालाघाट Balaghat	बालाघाट (पीईजी) Balaghat (PEG)	18900	0	0	18900
2	भिंड Bhind	भिंड (पीईजी) Bhind (PEG)	20000	0	0	20000
3	भिंड Bhind	मालनपुर Malanpur	16000	0	0	16000
4	भोपाल Bhopal	भोपाल-I Bhopal-I	40740	0	0	40740
5	भोपाल Bhopal	भोपाल-II Bhopal-II	0	8962	0	8962
6	छत्तरपुर Chhatarpur	छत्तरपुर Chhatarpur	0	8473	0	8473
7	छिंदवाड़ा Chhindwara	छिंदवाड़ा (पीईजी) Chhindwara (PEG)	10000	0	0	10000
8	धार Dhar	पिथमपुर (पीईजी) Pithampur (PEG)	15000	0	0	15000
9	ग्वालियर Gwalior	ग्वालियर Gwalior	19750	0	0	19750
10	होशंगाबाद Hoshangabad	सोहागपुर Sohagpur	5000	0	0	5000
11	इंदौर Indore	इंदौर-I Indore-I	16751	0	0	16751

क्षेत्र – भोपाल
REGION : BHOPAL

राज्य – मध्य प्रदेश
STATE : MADHYA PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
12	इंदौर Indore	इंदौर-III Indore-III	18500	0	0	18500
13	इंदौर Indore	इंदौर-IV Indore-IV	16000	0	0	16000
14	इंदौर Indore	इंदौर-V Indore-V	20000	0	0	20000
15	इंदौर Indore	सांवेर Sanwer	7000	0	0	7000
16	कटनी Katni	कटनी Katni	25100	0	0	25100
17	खण्डवा Khandwa	बुरहानपुर-I Burhanpur-I	26500	0	0	26500
18	खण्डवा Khandwa	खण्डवा–बीडी Khandwa-BD	103400	10000	0	113400
19	मुरैना Morena	मुरैना-I Morena-I	31450	0	0	31450
20	मुरैना Morena	मुरैना-II (पीईजी) Morena-II (PEG)	42800	0	0	42800
21	नरसिंहपुर Narsinghpur	नरसिंहपुर-I (पीईजी) Narsinghpur-I (PEG)	25600	0	0	25600
22	शाहदोल Shahdol	शाहदोल Shahdol	0	640	3587	4227
23	शाहजापुर Shajapur	मकसी (पीईजी) Maksi (PEG)	28000	0	0	28000
24	श्योपुर Sheopur	श्योपुरकलां-I Sheopurkalan-I	11000	0	0	11000
25	श्योपुर Sheopur	श्योपुरकलां-II (पीईजी) Sheopurkalan-II (PEG)	40000	0	0	40000
		कुल (25) TOTAL: (25)	**557491**	**28075**	**3587**	**589153**

क्षेत्र – भोपाल
REGION : BHOPAL

राज्य – छत्तीसगढ़
STATE : CHHATTISGARH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर-I Bilaspur-I	28000	0	0	28000
2	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर-II (पीईजी) Bilaspur-II (PEG)	38350	0	0	38350
3	दुर्ग Durg	धमतरी Dhamtari	10000	0	0	10000

क्षेत्र – भोपाल
REGION : BHOPAL

राज्य – छत्तीसगढ़
STATE : CHHATTISGARH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
4	रायगढ़ Raigarh	रायगढ-I Raigarh-I	11300	0	0	11300
5	रायगढ़ Raigarh	रायगढ़-II (पीईजी) Raigarh-II (PEG)	32000	0	0	32000
6	रायपुर Raipur	भाटापारा-I Bhatapara-I	23400	0	0	23400
7	रायपुर Raipur	भाटापारा-II Bhatapara-II	28900	0	0	28900
8	रायपुर Raipur	रायपुर-I Raipur-I	21800	0	0	21800
9	रायपुर RAIPUR	रायपुर-III Raipur-III	33200	0	0	33200
10	रायपुर Raipur	रायपुर-IV Raipur-IV	20000	0	0	20000
		कुल (10) TOTAL : (10)	**246950**	**0**	**0**	**246950**
		****क्षेत्र की कुल क्षमता (35) **REGTOTAL: (35)**	**804441**	**28075**	**3587**	**836103**

क्षेत्र – चंडीगढ़
REGION : CHANDIGARH

राज्य – पंजाब
STATE : PUNJAB

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अमृतसर Amritsar	अमृतसर Amritsar	20000	0	0	20000
2	अमृतसर Amritsar	अमृतसर बीडी Amritsar BD	55150	0	0	55150
3	अमृतसर Amritsar	आईसीपी अमृतसर* ICP Amritsar*	0	18848	35866	54714
4	भटिंडा Bathinda	भटिंडा Bathinda	45000	0	0	45000
5	भटिंडा Bathinda	मनसा Mansa	19100	0	0	19100
6	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	मण्डी गोविन्दगढ़ Mandi Gobindgarh	17800	0	0	17800
7	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	सरहिन्द Sirhind	14700	0	0	14700
8	फिरोजपुर Ferozepur	अबोहर-I Abohar-I	25800	0	0	25800
9	फिरोजपुर Ferozepur	अबोहर-II Abohar-II	0	10392	0	10392

क्षेत्र – चंडीगढ़ | राज्य – पंजाब

REGION : CHANDIGARH | **STATE : PUNJAB**

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
10	फिरोजपुर Ferozepur	फाजिल्का Fazilka	11700	0	0	11700
11	गुरदासपुर Gurdaspur	गुरदासपुर Gurdaspur	7950	0	0	7950
12	गुरदासपुर Gurdaspur	पठानकोट बीडी Pathankot BD	50000	0	0	50000
13	होशियारपुर Hoshiarpur	गढ़शंकर Garshankar	15080	0	0	15080
14	होशियारपुर Hoshiarpur	होशियारपुर Hoshiarpur	15000	0	0	15000
15	जालंधर Jalandhar	भोगपुर Bhogpur	14900	0	0	14900
16	लुधियाना Ludhiana	लुधियाना Ludhiana	13850	0	0	13850
17	मोगा Moga	अजीतवाल Ajitwal	0	9870	0	9870
18	मोगा Moga	मोगा-I Moga-I	17250	20000	0	37250
19	मोगा Moga	मोगा-I Moga-II	110600	0	0	110600
20	मुक्तसर Muktsar	मुक्तसर Muktsar	11250	0	0	11250
21	पटियाला Patiala	नाभा Nabha	12000	0	0	12000
22	पटियाला Patiala	नाभा बीडी Nabha BD	120000	0	0	120000
23	रोपड़ Ropar	चेनालोन Chanalon	15000	0	0	15000
24	रोपड़ Ropar	मोहाली Mohali	19200	0	0	19200
25	रोपड़ Ropar	रोपड़ Ropar	17700	0	0	17700
		कुल (25) ** TOTAL ** (25)	**649030**	**59110**	**35866**	**744006**

क्षेत्र – चंडीगढ़ | राज्य – चंडीगढ़ (यू.टी.)

REGION : CHANDIGARH | **STATE : CHANDIGARH (U.T.)**

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	चण्डीगढ़ (यू.टी.) Chandigarh (U.T.)	चण्डीगढ़ Chandigarh	10550	0	1667	12217
		**कुल (1) **TOTAL (1)	**10550**	**0**	**1667**	**12217**

क्षेत्र – पंचकूला | राज्य – हरियाणा

REG | **STATE : HARYANA**

क्षेत्र – चंडीगढ़
REGION : CHANDIGARH

राज्य – हरियाणा
STATE : HARYANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अम्बाला Ambala	नरायणगढ़ Naraingarh	30000	0	0	30000
2	भिवानी Bhiwani	भिवानी Bhiwani	0	10985	0	10985
3	चरखी दादरी Charkhi Dadri	चरखी दादरी Charkhi Dadri	15800	0	0	15800
4	फतेहाबाद Fatehabad	फतेहाबाद Fatehabad	0	4200	0	4200
5	फतेहाबाद Fatehabad	टोहना Tohana	24880	0	0	24880
6	गुडगांव Gurgaon	गुडगांव Gurgaon	18000	0	0	18000
7	हिसार Hissar	हिसार Hissar	28400	0	0	28400
8	हिसार Hissar	मण्डी आदमपुर Mandi Adampur	17250	0	0	17250
9	हिसार Hissar	उकलाना Uklana	0	5000	0	5000
10	जीन्द Jind	नरवाना Narwana	6000	0	0	6000
11	कैथल Kaithal	कैथल Kaithal	25700		0	25700
12	करनाल Karnal	असंध Assandh	23000	0	0	23000
13	करनाल Karnal	इन्द्री Indri	15180	0	0	15180
14	करनाल Karnal	करनाल-I Karnal-I	12600	17403	0	30003
15	करनाल Karnal	करनाल-III Karnal-III	72100	0	0	72100
16	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	0	5000	0	5000
17	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	लाडवा Ladwa	25200	1634	0	26834
18	रोहतक Rohtak	रोहतक ROHTAK	0	4900	0	4900
19	सिरसा SIRSA	सिरसा Sirsa	23700	0	0	23700
20	सोनीपत Sonepat	बरही Barhi	26600	0	1000	27600

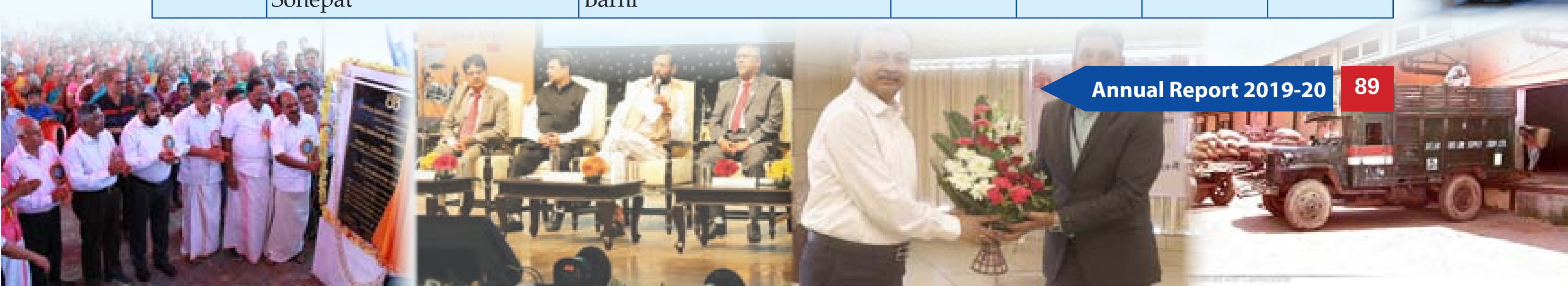

क्षेत्र – चंडीगढ़
REGION : CHANDIGARH

राज्य – हरियाणा
STATE : HARYANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
21	सोनीपत Sonepat	गोहाना Gohana	0	9915	0	9915
22	सोनीपत Sonepat	कुंडली Kundli	5250	0	0	5250
23	सोनीपत Sonepat	सोनीपत Sonepat	19280	0	0	19280
24	यमुनानगर Yamunanagar	जगाधरी Jagadhari	28900	6373	0	35273
		कुल (24) TOTAL : (24)	**417840**	**65410**	**1000**	**484250**

क्षेत्र – चंडीगढ़
REGION : CHANDIGARH

राज्य – हिमाचल प्रदेश
STATE : HIMACHAL PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	कांगडा Kangra	देहरा Dehra	4270	0	0	4270
2	मण्डी Mandi	मण्डी Mandi	2370	0	0	2370
3	सोलन Solan	सोलन Solan	3000	0	0	3000
		कुल (3) TOTAL : (3)	**9640**	**0**	**0**	**9640**
		क्षेत्र की कुल क्षमता (53) REGION TOTAL : (53)	**1087060**	**124520**	**38533**	**1250113**

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य – तमिलनाडु
STATE : TAMILNADU

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	चेन्नई Chennai	रोयापुरम Royapuram	5000	0	0	5000
2	चेन्नई Chennai	विरुगमबक्कम/सीएफएस Virugambakam/CFS	58020	0	2500	60520
3	कोयम्बतूर Coimbatore	कोयम्बतूर Coimbatore	7500	0	0	7500

क्षेत्र – चेन्नई
REGION : CHENNAI

राज्य – तमिलनाडु
STATE : TAMILNADU

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
4	कोयम्बतूर Coimbatore	सिंगनाल्लूर एसीसी एवं आईसीडी Singanallur ACC&ICD	18438	0	0	18438
5	कुड्डालोर Cuddalore	चिंदम्बरम Chidambaram	17900	0	0	17900
6	कुड्डालोर Cuddalore	कुड्डालोर Cuddalore	15000	0	0	15000
7	इरोड Erode	इरोड Erode	10360	0	0	10360
8	इरोड Erode	मूलापलयम Moolapalayam	12000	0	0	12000
9	कांचीपुरम Kancheepuram	सीएफएस चितलापक्कम/ क्रोमपेट Chitlapakkam/CFS Chromepet	76096	0	0	76096
10	कांचीपुरम Kancheepuram	एमईपीजेड MEPZ	4081	0	0	4081
11	कन्याकुमारी Kanyakumari	नागरकोईल Nagercoil	16340	0	0	16340
12	कृष्णागिरी Krishangiri	होसूर Hosur	30000	0	0	30000
13	मदुरै Madurai	मदुरै-I Madurai-I	6460	0	0	6460
14	मदुरै Madurai	मदुरै-II Madurai-II	29590	0	0	29590
15	थंजावुर Thanjavur	कुम्बाकोणम Kumbakonam	12400	0	0	12400
16	थंजावुर Thanjavur	थंजावुर Thanjavur	70000	0	0	70000
17	थिरुवल्लूर Thiruvallur	थिरुवोत्तयूर–डीपीई Thiruvottyur-DPE	0	0	30600	30600
18	थिरूवरूलर Thiruvarur	मनारगुड्डी Manargudi	50000	0	0	50000
19	थूथुकुड्डी Thoothukudi	थूथुकुड्डी सीएफएस Thoothukudi CFS	22500	0	12500	35000
20	त्रिरूपुर Tiruppur	उदमलपेट Udumalpet	5000	0	0	5000
21	थिरूवल्लर Tiruvallur	अम्बातूर Ambattur	6098	0	0	6098
22	थिरूवल्लर Tiruvallur	माधवरम सीएफएस Madhavaram CFS	10000	0	13750	23750

क्षेत्र – चेन्नई | राज्य – तमिलनाडु

REGION : CHENNAI | STATE : TAMILNADU

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
23	त्रिचि Trichy	त्रिचि Tirchy	90000	0	33883	123883
24	विरूधुनगर Virudhunagar	विरूधुनगर Virudhunagar	17650	0	0	17650
		कुल (24) ** TOTAL (24)	**590433**	**0**	**93233**	**683666**

क्षेत्र – चेन्नई | राज्य – पुडुचेरी

REGION : CHENNAI | STATE : PUDUCHERY

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	पुडुचेरी (यू.टी.) Pondicherry (UT)	पुडुचेरी Puduchery	7350	0	0	7350
		****कुल (1) **TOTAL (1)**	**7350**	**0**	**0**	**7350**

क्षेत्र – चेन्नई | राज्य – अण्डमान एवं निकोबार

REGION : CHENNAI | STATE : ANDAMAN & NICOBAR ISLAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (यू.टी.) Andaman & Nicobar Island (UT)	पोर्ट ब्लेयर Port Blair	2700	0	0	2700
		कुल (1) TOTAL : (1)	**2700**	**0**	**0**	**2700**
		****क्षेत्र की कुल क्षमता (26) **REGTOTAL: (26)**	**600483**	**0**	**93233**	**693716**

क्षेत्र – दिल्ली | राज्य – दिल्ली

REGION : DELHI | STATE : DELHI

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	दिल्ली (मध्य) Delhi (East)	पटपड़गंज – आईसीडी Patparganj-ICD	26383	0	10812	37195
2	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नांगलोई Nangloi	0	7040	0	7040

क्षेत्र – दिल्ली
REGION : DELHI

राज्य – दिल्ली
STATE : DELHI

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
3	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नरेला Narela	14800	0	1666	16466
4	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	आईजीआई एअरपोर्ट IGI Airport	0	200	0	200
5	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	कीर्ति नगर Kirti Nagar	19025	0	0	19025
6	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	आर.पी. बाग R.P. Bagh	35951	0	2387	38338
7	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला-I Okhla-I	5000	0	1166	6166
8	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला-I Okhla-II	10500	0	0	10500
		**कुल (8) ** TOTAL (8)	**111659**	**7240**	**16031**	**134930**

क्षेत्र – दिल्ली
REGION : DELHI

राज्य – उत्तर प्रदेश
STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	ग्रेटर नोएडा-I GRT. Noida-I	35060	0	0	35060
2	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	कासना Kasna	16882	0	0	16882
3	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	नोएडा Noida	15000	0	0	15000
4	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	नोएडा (एनएसईजेड) Noida (NSEZ)	1800	867	0	2667
5	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	सूरजपुर (यू.पी.)-I Surajpur (U.P.)-I	23072	0	0	23072
6	गाजियाबाद Ghaziabad	लोनी–आईसीडी Loni-ICD	36300	0	77107	113407
7	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद-I (एमएन) Sahibabad-I (MN)	5767	0	0	5767
8	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद-II Sahibabad-II	20200	0	0	20200
		**कुल (8) **TOTAL (8)	**154081**	**867**	**77107**	**232055**
		**कुल (16) **REGTOTAL: (16)	**265740**	**8107**	**93138**	**366985**

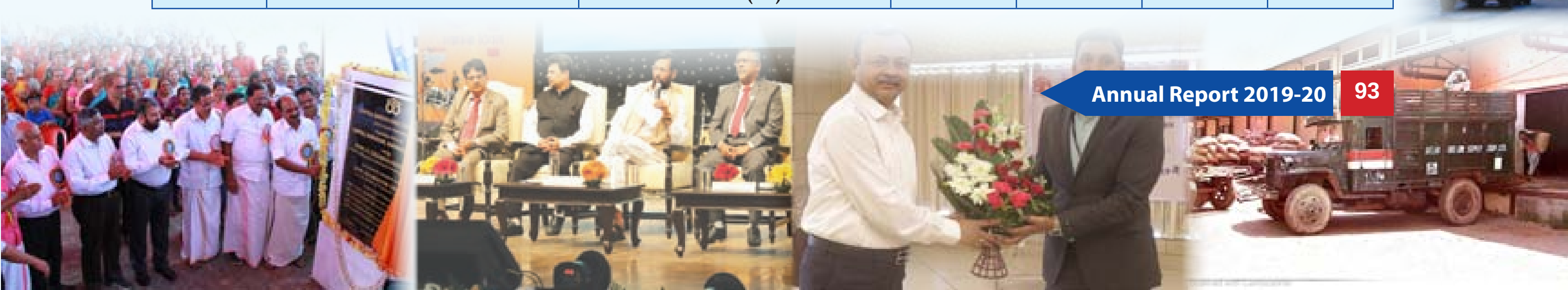

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य – असम
STATE : ASSAM

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	बारपेटा Barpeta	सोरभोग (पीईजी) Sorbhog (PEG)	17200	0	1506	18706
2	धूबरी Dhubri	धूबरी (पीईजी) Dhubri (PEG)	12100	0	0	12100
3	जोरहाट Jorhat	जोरहाट-I Jorhat-I	10500	0	0	10500
4	जोरहाट Jorhat	जोरहाट-II Jorhat-II	5000	0	0	5000
5	कामरूप Kamrup	अमीनगांव Amingaon	20000	0	1662	21662
6	कामरूप Kamrup	मालीगांव Maligaon	9550	0	800	10350
7		अमीनगांव-II Amingaon-II	0	6772	0	6772
		कुल (7) TOTAL : (7)	**74350**	**6772**	**3968**	**85090**

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य – नागालैण्ड
STATE : NAGALAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	दीमापुर Dimapur	दीमापुर Dimapur	13000	0	0	13000
		कुल (1) TOTAL : (1)	**13000**	**0**	**0**	**13000**

क्षेत्र – गुवाहाटी
REGION : GUWAHATI

राज्य – त्रिपुरा
STATE : TRIPURA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अगरतला Agartala (West)	अगरतला Agartala	19250	0	3711	22961
2	अगरतला Agartala (West)	अगरतला सी.एस. Agartala C.S.	4750	0	0	4750
		कुल (2) TOTAL : (2)	**24000**	**0**	**3711**	**27711**
		क्षेत्र की कुल क्षमता (10) REGION TOTAL : (10)	**111350**	**6772**	**7679**	**125801**

क्षेत्र – हैदराबाद **राज्य – आंध्र प्रदेश**

REGION : HYDERABAD **STATE : ANDHRA PRADESH**

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अनंथपुर Ananthapur	अनंथपुर Ananthapur	0	12750	0	12750
2	चित्तूर Chittoor	रेनीगुन्टा Renigunta	20000	0	0	20000
3	गोदावरी (पूर्व) Godawari (East)	काकीनाडा Kakinada	30000	0	0	30000
4	गोदावरी (पूर्व) Godawari (East)	राजामुन्द्री Rajahmundry	50000	0	0	50000
5	गोदावरी (पश्चिम) Godawari (West)	टाडेपालीगुडम Tadepalligudem	72000	0	0	72000
6	गुन्टूर Guntur	डुग्गीराला Duggirala	10100	0	0	10100
7	गुन्टूर Guntur	गुन्टूर Guntur	27920	0	0	27920
8	गुन्टूर Guntur	पैडाकाकनी Pedakakani	75750	0	0	75750
9	गुन्टूर Guntur	सतनापल्ली Sattenapalli	5000	0	0	5000
10	गुन्टूर Guntur	वाडलामुडी Vadlamudi	35000	0	0	35000
11	कडापा Kadapa	कडापा Kadapa	25000	0	0	25000
12	कृष्णा Krishna	गुडीवाडा Gudivada	40000	0	0	40000
13	कृष्णा Krishna	कैकालूर Kaikalur	20280	0	0	20280
14	कृष्णा Krishna	मछलीपटनम Machilipatnam	49030	0	0	49030
15	कृष्णा Krishna	निदामानूर Nidamanur	47500	0	0	47500
16	कृष्णा Krishna	रायनापाडु Rayanapadu	64160	0	0	64160
17	कृष्णा Krishna	विजयवाड़ा-I Vijaywada-I	5600	0	0	5600
18	कृष्णा Krishna	विजयवाड़ा-II Vijaywada-II	15000	0	0	15000
19	कुरनूल Kurnool	अडोनी Adoni	22520	6376	0	28896
20	कुरनूल Kurnool	नंदीकोटकूर Nandikotkur	10000	0	0	10000
21	कुरनूल Kurnool	नंदयाल Nandyal	43000	0	0	43000

क्षेत्र – हैदराबाद राज्य – आंध्र प्रदेश

REGION : HYDERABAD STATE : ANDHRA PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
22	नेल्लोर Nellore	नेल्लोर Nellore	48000	0	0	48000
23	प्रकाशम Prakasam	ऑंगल Ongole	10000	0	0	10000
24	विजाग Vizag	अनकापल्ली Ankapally	10000	0	0	10000
25	विजाग Vizag	सीएफएस विजाग CFS Vizag	8335	0	35165	43500
26	विजाग Vizag	विजाग-I Vizag-I	6500	0	2152	8652
		कुल (26) **TOTAL : (26)	**750695**	**19126**	**37317**	**807138**

क्षेत्र – हैदराबाद राज्य – तेलंगाना

REGION : HYDERABAD STATE : TELANGANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अदीलाबाद Adilabad	अदीलाबाद Adilabad	35000	10050	0	45050
2	हैदराबाद Hyderabad	नामपल्ली Nampally	14500	5000	0	19500
3	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर-I Karimnagar-I	28400	0	0	28400
4	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर-II Karimnagar-II	30000	0	0	30000
5	मेडक Medak	मेडक Medak	11250	0	0	11250
6	मेडक Medak	सिद्धिपेट Siddipet	17290	0	0	17290
7	महबूबनगर Mehboobnagar	गडवाल (पीईजी) Gadwal (PEG)	20000	0	0	20000
8	महबूबनगर Mehboobnagar	महबूबनगर Mahaboobnagar	40000	0	0	40000
9	नालगोण्डा Nalgonda	चित्याल Chityal	8600	0	0	8600
10	नालगोण्डा Nalgonda	सूर्यापेट Suryapet	60000	0	0	60000
11	नेल्लोर Nellore	बोधन (पीईजी) Bodhan (PEG)	64305	0	0	64305
12	निजामाबाद Nizamabad	निजामाबाद Nizamabad	31000	0	0	31000
13	निजामाबाद Nizamabad	सारंगपुर Sarangpur	41000	0	0	41000

क्षेत्र – हैदराबाद
REGION : HYDERABAD

राज्य – तेलंगाना
STATE : TELANGANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
14	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस कुकटपल्ली CFS Kukatpally	0	6157	16725	22882
	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस कुकटपल्ली बांडेड CFS Kukatpally Bonded	0	5716	0	5716
15	रंगारेड्डी Rangareddi	सनाथनगर फ्लाईओवर Sanathnagar FO	0	5347	0	5347
16	वारंगल WARANGAL	जनगांव Jangaon	7590	0	0	7590
17	वारंगल Warangal	वारंगल-I Warangal-I	21002	0	0	21002
		कुल (17) TOTAL : (17)	**429937**	**32270**	**16725**	**478932**
		क्षेत्र की कुल क्षमता (43) REGION TOTAL : (43)	**1180632**	**51396**	**54042**	**1286070**

क्षेत्र – जयपुर
REGION : JAIPUR

राज्य – राजस्थान
STATE : RAJASTHAN

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अजमेर Ajmer	बिवर Beawar	0	14849	0	14849
2	अलवर Alwar	अलवर Alwar	0	853	0	853
3	बांसवाड़ा Banswara	कुशलगढ़ Kushalgarh	3400	0	0	3400
4	बारन Baran	बारन Baran	20000	0	0	20000
5	भरतपुर Bharatpur	भरतपुर Bharatpur	11829	0	4483	16312
6	बीकानेर Bikaner	बीकानेर-I Bikaner-I	25400	0	0	25400
7	बीकानेर Bikaner	बीकानेर-II Bikaner-II	34400	0	0	34400
8	चोमू Chomu	चोमू Chomu	33400	0	0	33400
9	दौसा Dausa	महवा Mahwa	0	8820	0	8820
10	गंगानगर Ganganagar	सूरतगढ़ Suratgarh	0	13256	0	13256
11	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़-I Hanumangarh-I	20700	0	0	20700

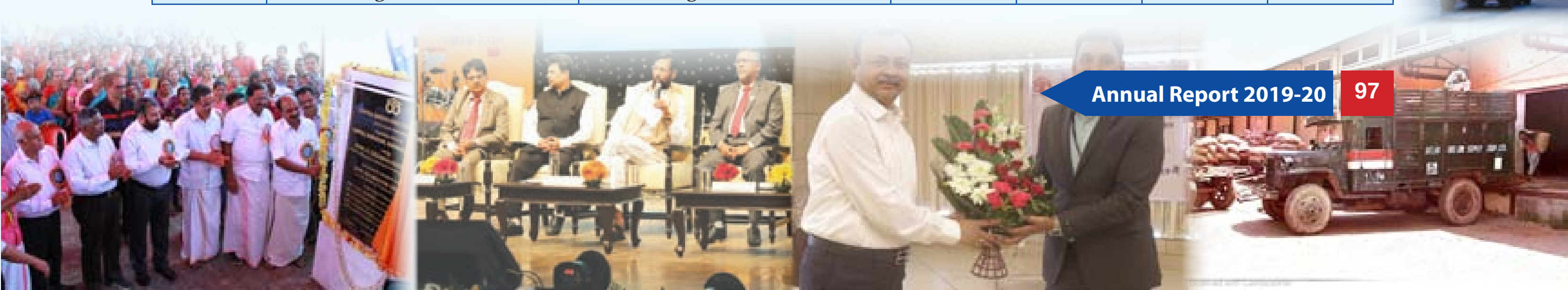

क्षेत्र – जयपुर
REGION : JAIPUR

राज्य – राजस्थान
STATE : RAJASTHAN

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
12	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़-II Hanumangarh-II	45000	0	0	45000
13	हनुमानगढ़-I Hanumangarh	टिब्बी Tibbi	0	10000	0	10000
14	जयपुर Jaipur	कोटपुतली Kotputli	10000	0	0	10000
15	जयपुर Jaipur	सीतापुर-I Sitapura-I	6800	0	8070	14870
16	जयपुर Jaipur	सीतापुर-II Sitapura-II	20000	0	0	20000
17	झुंझनू Jhunjhunu	झुंझनू Jhunjhunu	22700	0	0	22700
18	कोटा Kota	कोटा-I Kota-I	30325	0	0	30325
19	कोटा Kota	कोटा-II Kota-II	45000	0	717	45717
20	कोटा Kota	कोटा-III Kota-III	35000	0	0	35000
21	नागौर Nagaur	नागौर Nagaur	0	7401	0	7401
22	नागौर Nagaur	परवतसर Parbatsar	0	28093	0	28093
23	सीकर Sikar	सीकर Sikar	20000	0	0	20000
24	सीकर Sikar	श्रीमाधोपुर Srimadhopur	20600	0	0	20600
25	श्रीगंगानगर Sriganganagar	केसरीसिंहपुर Kesrisinghpur	0	10176	0	10176
26	श्रीगंगानगर Sriganganagar	रायसिंहनगर Raisinghnagar	0	15960	0	15960
27	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर-I Sriganganagar-I	25200	7560	0	32760
28	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर-II Sriganganagar-II	33000	0	1919	34919
29	टोंक Tonk	दिओली Deoli	10000	0	0	10000
30	उदयपुर Udaipur	उदयपुर Udaipur	8450	0	0	8450
		**कुल (30) **TOTAL (30)	481204	116968	15189	613361

क्षेत्र – कोच्चि
REGION : KOCHI

राज्य – केरला
STATE : KERALA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	एर्नाकुलम Ernakulam	ईडाथाला, अलुआ Edathala, Aluva	11700	0	0	11700
2	एर्नाकुलम Ernakulam	एर्नाकुलम Ernakulam	14065	0	0	14065
3	एर्नाकुलम Ernakulam	कक्कानाड Kakkanad	21850	0	223	22073
4	एर्नाकुलम Ernakulam	कोच्चि Kochi	5030	0	0	5030
5	कन्नूर KANNUR	कन्नूर Kannur	9590	0	0	9590
6	कोझिक्कोड KOZIKODE	कोझिक्कोड/नाडूवन्नूर Kozikode/Naduvannur	12254	0	0	12254
7	मल्लापुरम Malappuram	कक्कनचेरी Kakkancherry	10000	0	0	10000
8	पालाकड Pallakad	कांजीकोड/पालाकड Kanjikode/Pallakad	20000	0	0	20000
9	पथानमथिट्टा Pathanamthitta	कुनमथनम (पीईजी) Kunnamthanam (PEG)	12600	0	0	12600
10	त्रिचूर Trichur	त्रिचूर Trichur	32590	0	728	33318
11	त्रिवेन्द्रम Trivandrum	त्रिवेन्द्रम Trivandrum	19000	0	0	19000
		कुल (11) ** TOTAL (11)	**168679**	**0**	**951**	**169630**

क्षेत्र – कोलकाता
REGION : KOLKATA

राज्य – पश्चिम बंगाल
STATE : WEST BENGAL

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	24 परगना (एन) 24 Pargana (N)	पानीहाती Panihati	33007	0	1393	34400
2	24 परगना (एन) 24 Pargana (N)	पैट्रापोल * Petrapole *	14870	0	206617	221487
3	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	बोनहुगली Bonhooghly	31110	0	0	31110
4	बांकुरा Bankura	बिशनुपुर Bishnupur	16000	0	0	16000
5	बर्द्धवान Burdwan	बर्द्धवान-II Burdwan-II	5405	16683	0	22088

क्षेत्र – कोलकाता
REGION : KOLKATA

राज्य – पश्चिम बंगाल
STATE : WEST BENGAL

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
6	बर्द्धवान Burdwan	सरुल Sarul	26700	0	0	26700
7	कूच बिहार Cooch Behar	कूच बिहार Cooch Behar	6460	0	0	6460
8	दार्जलिंग DARJEELING	माटीगारा MATIGARA	5000	0	1800	6800
9	हुगली Hooghly	मोगरा (गौरा) Mogra (Goara)	11500	0	0	11500
10	हावड़ा Howrah	पंचपारा Panchpara	18120	0	0	18120
11	हावड़ा Howrah	उलबेरिया (पीईजी) Uluberia (PEG)	37590	0	0	37590
12	जलपायगुडी Jalpaiguri	रानीनगर (पीईजी) Raninagar (PEG)	20000	0	0	20000
13	कोलकाता Kolkata	सीएफएस–कोलकाता CFS-Kolkata	19730	0	30750	50480
14	कोलकाता Kolkata	आयात–निर्यात कोलकाता Import-Export Kolkata	35250	0	8652	43902
15	कोलकाता Kolkata	स्ट्रेंड बैंक रोड़ Strand Bank Road	0	6092	0	6092
16	कोलकाता Kolkata	तारातल्ला रोड़ Taratolla Road	4183	4825	0	9008
17	मालदा Malda	मालदा Malda	17400	0	0	17400
18	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	दुर्गाचक Durgachak	32400	0	0	32400
19	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	हल्दिया Haldia	15000	0	0	15000
20	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	बेलदा Belda	5645	0	0	5645
21	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	चन्द्रकोना रोड (पीईजी) Chandrakona Road (PEG)	31600	0	0	31600
22	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	खड़गपुर (पीईजी) Kharagpur (PEG)	32600	0	0	32600
23	मुर्शिदाबाद Murshidabad	बरहामपुर (पीईजी) Berhampore (PEG)	31600	0	0	31600
24	मुर्शिदाबाद Murshidabad	सरगाची (पीईजी) Sargachi (PEG)	17400	0	0	17400
24		कुल (24) **TOTAL : (24)**	**468570**	**27600**	**249212**	**745382**
		***क्षमता एलपीएआई से सौंप दिया** ***Capacity Handed Over From LPAI**				

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तर प्रदेश
STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	इलाहाबाद Allahabad	नैनी (पीईजी) Naini (PEG)	25600	0	0	25600
2	बहराइच Bahraich	बहराइच Bahraich	11570	0	0	11570
3	बलिया Ballia	बलिया Ballia	40250	0	23	40273
4	बांदा Banda	बांदा Banda	8500	0	0	8500
5	बस्ती Basti	बस्ती Basti	35640	0	0	35640
6	बिजनौर Bijnore	बिजनौर Bijnore	21730	0	0	21730
7	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद-I Jahangirabad-I	10000	0	0	10000
8	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद-II Jahangirabad-II	15000	0	0	15000
9	इटावा Etawah	इटावा Etawah	21940	0	0	21940
10	फैजाबाद Faizabad	फैजाबाद Faizabad	7750	0	0	7750
11	गौतमबुद्ध नगर Gautambudh Nagar	दादरी Dadri	19000	0	0	19000
12	गाजियाबाद Ghaziabad	गाजियाबाद-I Ghaziabad-I	16920	0	4484	21404
13	गोरखपुर Gorakhpur	गोरखपुर Gorakhpur	29700	7000	1793	38493
14	हरदोई Hardoi	हरदोई (पीईजी) Hardoi (PEG)	43200	0	0	43200
15	जौनपुर Jaunpur	शाहगंज Shahganj	50000	0	5100	55100
16	झाँसी Jhansi	चिरगांव Chirgaon	14450	0	0	14450
17	झाँसी JHANSI	झाँसी Jhansi	15240	0	0	15240
18	कानपुर Kanpur	आईसीडी कानपुर ICD Kanpur	5000	0	3575	8575
19	कानपुर Kanpur	कानपुर सीबी Kanpur CB	0	4677	0	4677
20	खीरी Kheeri	गोला गोकरनाथ Gola Gokarnath	15800	0	0	15800
21	लखनऊ Lucknow	लखनऊ-I Lucknow-I	26400	0	990	27390

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तर प्रदेश
STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
22	लखनऊ Lucknow	लखनऊ-II Lucknow-II	7500	0	0	7500
23	मउ Mau	मउनाथ भंजन Maunath Bhanjan	14980	5600	0	20580
24	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी-I Chandausi-I	16140	0	0	16140
25	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी-II Chandausi-II	10640	0	0	10640
26	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फर नगर बीडी Muzaffar Nagar BD	150000	0	5380	155380
27	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar-I	31450	0	0	31450
28	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	शामली Shamli	5000	0	0	5000
29	पीलीभीत Pilibhit	बीसलपुर Bisalpur	8970	0	0	8970
30	रामपुर Rampur	रामपुर Rampur	24400	0	0	24400
31	रविदास नगर Ravidas Nagar	भदोई Bhadohi	5000	0	0	5000
32	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर बीडी Saharanpur BD	55000	0	0	55000
33	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर-I Saharanpur-I	26300	0	0	26300
34	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	45700	0	0	45700
35	सिद्धार्थनगर Sidharthnagar	डूमरियागंज Dumariaganj	10000	0	0	10000
36	सोनभद्र Sonbhadra	रॉबर्ट्सगंज Robertsganj	5000	0	0	5000
		कुल (36) TOTAL : (36)	**849770**	**17277**	**21345**	**888392**

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तराखण्ड
STATE : UTTARAKHAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	पौड़ी (गढ़वाल) Pauri (Garhwal)	श्रीनगर Sri Nagar	7900	0	0	7900
2	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	बाजपुर Bazpur	13860	0	0	13860
3	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	जसपुर Jaspur	15200	0	0	15200

क्षेत्र – लखनऊ
REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तराखण्ड
STATE : UTTARAKHAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
4	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	काशीपुर-I Kashipur-I	11530	0	0	11530
5	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	काशीपुर-II Kashipur-II	10000	0	0	10000
6	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Nagar	खटीमा Khatima	6700	7070	0	13770
7		देहरादूर (नेपाली फार्म) Dehradun (Nepali Farm)	0	1017	2995	4012
		कुल (7) TOTAL : (7)	**65190**	**8087**	**2995**	**76272**
		क्षेत्र की कुल क्षमता (43) REGION TOTAL : (43)	**914960**	**25364**	**24340**	**964664**

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य – महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	अहमदनगर Ahmadnagar	पुनतांबा Puntamba	0	13192	0	13192
2	अकोला Akola	अकोला-I Akola-I	17420	0	0	17420
3	अकोला Akola	अकोला-II Akola-II	27400	0	0	27400
4	अमरावती Amravati	अमरावती Amravati	28920	0	0	28920
5	अमरावती Amravati	बाडनेरा (पीईजी) Badnera (PEG)	0	25000	0	25000
6	औरंगाबाद Aurangabad	चिकलथाना Chikalthana	6122	0	0	6122
7	औरंगाबाद Aurangabad	मालीवाडा (पीईजी) Maliwada (PEG)	0	25000	0	25000
8	औरंगाबाद Aurangabad	वालूज–आईसीडी Waluj-ICD	4947	0	0	4947
9	गोंडिया Gondia	गोंडिया-I Gondia-I	10350	0	0	10350
10	गोंडिया Gondia	गोंडिया-II (पीईजी) Gondia-II (PEG)	15000	0	0	15000
11	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर-I Kolhapur-I	11250	0	0	11250
12	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर-II Kolhapur-II	20000	0	0	20000
13	मुम्बई Mumbai	एम.एस. जेठा M.S. Jetha	4500	0	0	4500

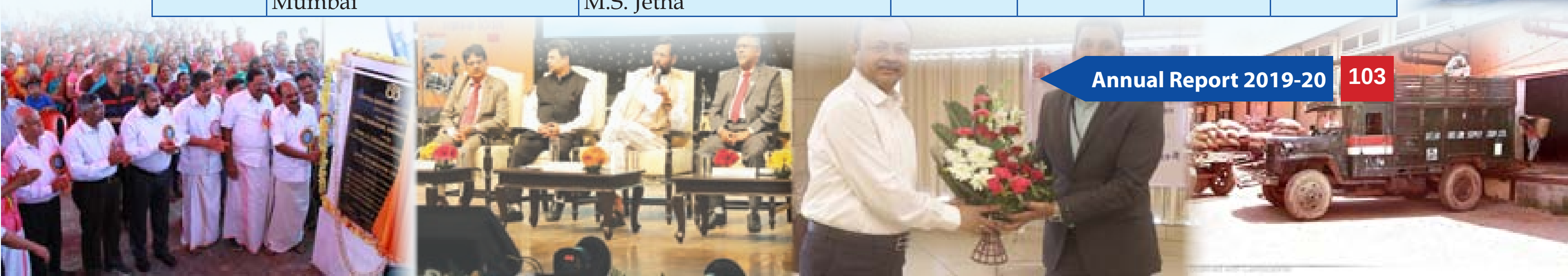

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य – महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
14	नागपुर Nagpur	नागपुर Nagpur	14500	0	0	14500
15	नांदेड Nanded	नांदेड Nanded	0	36948	0	36948
16	नासिक Nasik	अम्बद (नासिक)-I Ambad (Nasik)-I	10000	0	1750	11750
17	नासिक Nasik	नासिक रोड Nasik Road	17160	0	0	17160
18	पुणे Pune	पुणे-I सीएफएस – किर्लोस्कर Pune-I CFS-Kirloskar	12500	0	6325	18825
19	सांगली Sangli	मिराज Miraj	10000	0	0	10000
20	सांगली Sangli	मिराज बीडी Miraj BD	80000	0	0	80000
21	सांगली Sangli	सांगली Sangli	16060	0	0	16060
22	थाणे Thane	अम्बरनाथ-I Ambernath-I	5000	0	0	5000
23	थाणे Thane	वाशी Vashi	76890	395	19825	97110
24	वाशिम Washim	करंजा Karanja	0	4016	0	4016
25	वाशिम Washim	वाशिम (पीईजी) Washim (PEG)	0	30000	0	30000
26	यवतमाल Yavatmal	यवतमाल (पीईजी) Yavatmal (PEG)	20000	0	0	20000
		कुल (26) TOTAL : (26)	**408019**	**134551**	**27900**	**570470**

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य – महाराष्ट्र
STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	रायगढ़ Raigad	सीएफएस डी नोड CFS-D'NODE	78163	0	68190	146353
2	रायगढ़ Raigad	सीएफएस डिस्ट्रीपार्क CFS-Distripark	33050	0	84561	117611
3	रायगढ़ Raigad	लॉजिस्टिक पार्क/30 हैक्टर Logistic Park/30 Hector	50451	0	300000	350451
4	रायगढ़ Raigad	सीएफएस इम्पेक्स पार्क CFS-Impex Park	11808	0	40350	52158
5	रायगढ़ Raigad	आईआरटी कालम्बोली IRT-Kalamboli	20000	0	45200	65200
		कुल (5) TOTAL : (5)	**193472**	**0**	**538301**	**731773**

क्षेत्र – मुंबई
REGION : MUMBAI

राज्य – गोवा
STATE : GOA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	गोवा Goa	आईसीडी वेरना, गोवा ICD Verna, Goa	12402	0	12092	24494
2	गोवा Goa	गोवा Goa	11902	0	0	11902
2		**कुल (2) TOTAL : (2)**	**24304**	**0**	**12092**	**36396**
		क्षेत्र की कुल क्षमताः (33) REGION TOTAL : (33)	**625795**	**134551**	**578293**	**1338639**

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य – बिहार
STATE : BIHAR

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	कैमूर Kaimur	मोहनिया Mohania	4950	0	1794	6744
2	कटिहार Katihar	कटिहार Katihar	8000	0	0	8000
3	किशनगंज Kishanganj	किशनगंज Kishanganj	12000	0	0	12000
4	मधेपुरा MADHEPURA	मधेपुरा Madhepura	4211	0	0	4211
5	मुंगेर Munger	खगड़िया (पीईजी) Khagaria (PEG)	10000	0	0	10000
6	मुंगेर Munger	मुंगेर (पीईजी) Munger (PEG)	17787	0	0	17787
7	पटना Patna	दरभंगा Darbhanga	6220	0	0	6220
8	पटना Patna	फतुहा Fatuha	4500	0	1793	6293
9	पटना Patna	मोकामा Mokama	5000	0	1793	6793
10	पटना Patna	मुसल्लापुर Musallapur	7487	0	6277	13764
11	पटना Patna	पटना सिटी Patna City	6500	0	0	6500
12	रोहतास Rohtas	नोखा Nokha	6220	0	0	6220
13	समस्तीपुर Samastipur	समस्तीपुर Samastipur	17650	0	0	17650
14	सिवान Siwan	सिवान Siwan	0	14854	0	14854

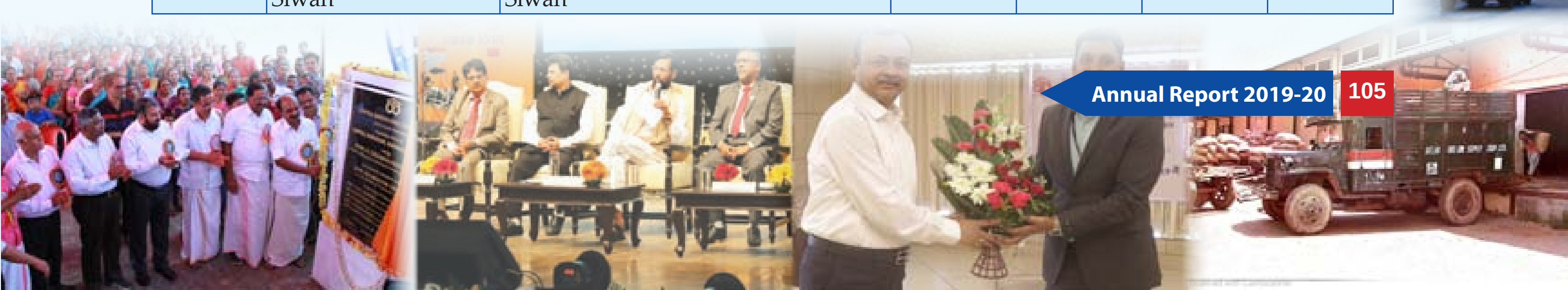

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य – बिहार
STATE : BIHAR

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
15	सुपौल Supaul	सुपौल Supaul	6280	0	0	6280
16	पश्चिम चम्पारण West Champaran	बेतिया (पीईजी) Bettiah (PEG)	20000	0	0	20000
		**कुल (16) ** TOTAL (16)	**136805**	**14854**	**11657**	**163316**

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य – झारखण्ड
STATE : JHARKHAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	धनबाद Dhanbad	सिंदरी Sindri	0	5380	0	5380
2	हजारी बाग Hazaribagh	हजारी बाग Hazaribagh	15300	0	0	15300
3	जमशेदपुर Jamshedpur	जमशेदपुर Jamshedpur	5800	1687	6667	14154
4	रांची Ranchi	रांची Ranchi	14650	0	13240	27890
5	पश्चिम सिंहभूम West Singhbhum	चाईबासा Chaibasa	0	5000	0	5000
		**कुल (5) ** TOTAL (5)	**35750**	**12067**	**19907**	**67724**

क्षेत्र – पटना
REGION : PATNA

राज्य – ओडिशा
STATE : ODISHA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
1	बालासोर Balasore	बालासोर Balasore	11000	0	0	11000
2	बारगढ़ Bargarh	बारगढ़-I Bargarh-I	10100	0	0	10100
3	बारगढ़ Bargarh	केण्डुपल्ली-I Kendupalli-I	20000	0	0	20000
4	बारगढ़ Bargarh	केण्डुपल्ली-II Kendupalli-II	22500	0	0	22500
5	भद्रक Bhadrak	बलजीतपारा Balajitpara	10000	0	0	10000

क्षेत्र – भुवनेश्वर
REGION : BHUBANESWAR

राज्य – ओडिशा
STATE : ODISHA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			कुल Total
			निर्मित Const	किराए की Hired	खुली Open	
6	बोलनगीर Bolangir	बोलनगीर Bolangir	30000	0	0	30000
7	कटक Cuttack	चौदवार Choudwar	14650	0	0	14650
8	कटक Cuttack	कटक Cuttack	16400	0	0	16400
9	गंजम Ganjam	अस्का Aska	10000	0	0	10000
10	गंजम Ganjam	बरहामपुर Berhampur	45000	0	0	45000
11	जाजपुर Jajpur	जाजपुर रोड Jajpur Road	9000	0	1793	10793
12	कालाहांडी Kalahandi	जूनागढ़ Junagarh	30300	0	0	30300
13	कालाहांडी Kalahandi	कोकसारा Koksara	13000	0	0	13000
14	केन्द्रपारा Kendrapara	मारशाघई Marshaghai	10000	0	1793	11793
15	खुर्दा Khurda	जटनी Jatni	15000	0	7642	22642
16	कोरापुट Koraput	जयपौर Jeypore	17800	0	0	17800
17	नवरंगपुर Nabarangpur	नबरंगपुर Nabarangpur	10000	0	0	10000
18	संबलपुर Sambalpur	कलामाटी Kalamati	10000	0	7793	17793
19	सोनपुर Sonepur	रायगडा Rayagada	11400	3668	0	15068
20	सुबर्णपुर Subarnapur	सोनपुर Sonepur	10000	0	0	10000
21	बालासोर Balasore	बालासोर-II Balasore-II	10000	0	0	10000
21		**कुल (21) TOTAL : (21)**	**336150**	**3668**	**19021**	**358839**
42		****क्षेत्र की कुल क्षमता: (42) **REGTOTAL:**	**508705**	**30589**	**50585**	**589879**
412		**कुल योग (412) GRAND TOTAL : (412)**	**7905825**	**768464**	**1434900**	**10109189**

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखे के विवरण (सामान्य निधि)

Balance Sheet and Profit & Loss Account (General Fund)

63वीं वार्षिक रिपोर्ट

63rd Annual Report

2019-20

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची के अनुसार		31.03.2020 को ₹	31.03.2019 को ₹
अंश पूंजी	I		68,02,10,000	68,02,10,000
आरक्षित				
– धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	IV		22,98,58,43,655	19,65,42,38,980
– अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित			2,97,28,47,920	2,72,07,25,679
– अन्य आरक्षित				
– हितकारी निधि के लिए आरक्षित		3,71,92,876		1,63,60,523
– सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ की बाध्यता		-		62,56,69,608
– छुट्टी लाभ बाध्यता के लिए आरक्षित निधि		1,22,52,78,504	1,26,24,71,380	1,29,10,44,809
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान			10,29,00,000	10,29,00,000
– बकाया देयताएं एवं प्रावधान				
– बकाया देयताएं	V		6,49,09,15,910	5,30,10,69,458
– वेतन और भत्तों के लिए प्रावधान	VI		30,82,37,556	1,04,53,84,806
आस्थगित कर देयता (निवल)			32,97,24,624	54,72,67,201
आयकर के लिए प्रावधान			1,01,49,38,022	16,38,36,157
अदावाकृत लाभांश			4,81,151	4,35,022
कुल			**36,14,85,70,218**	**32,14,91,42,243**

इस तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
एफआरएनः 006836 सी

J.K. SARAWGI & COMPANY * NEW DELHI * CHARTERED ACCOUNTANTS

(लक्ष्मण स्वरूप खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्य सं. 009878

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17/07/2020

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची के अनुसार		31.03.2020 को ₹	31.03.2019 को ₹
स्थायी परिसम्पत्ति	II		16,07,74,55,942	14,88,34,15,732
निवेश (लागत पर)	III			
– राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन		61,79,38,400		61,79,38,400
– अन्य		53,27,34,576	1,15,06,72,976	48,88,89,773
निवेशों पर उपार्जित आय	VII		7,91,26,640	3,54,32,640
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ आरक्षित निधि निवेश			-	62,56,69,608
छुट्टी लाभ आरक्षित निधि निवेश			1,22,52,78,504	1,29,10,44,809
चालू परिसम्पत्तियाँ				
– स्टोर एंव स्पेयर्स	VIII	6,20,93,243		6,07,38,978
– भंडारण एवं अन्य शुल्क उपार्जित		65,48,02,866		62,49,55,019
– विविध देनदार	IX			
प्राप्त माना		2,50,36,14,763		3,09,74,35,888
संदिग्ध माना		2,70,99,94,979		2,44,77,33,484
– ऋण एवं अग्रिम	X			
प्राप्त माना		46,40,06,588		22,69,50,990
– अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	XI			
प्राप्त माना		3,67,18,67,736		2,22,05,59,965
संदिग्ध माना		22,74,20,301	10,29,38,00,476	23,75,59,555
नकद एवं बैंक शेष	XII		7,31,35,73,422	5,27,99,89,578
अपरिशोधित व्यय	XIII		86,62,258	1,08,27,824
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	XXVIII			
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियां	XXIX			
कुल			36,14,85,70,218	32,14,91,42,243

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग हैं

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(एस चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

व्यय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2020 ₹	गत वर्ष 31.03.2019 ₹
वेअरहाउसिंग लाइसेंस फीस		66,86,451	70,13,923
रसायनों, कवर्स और डनेज का उपयोग	XIV	13,70,91,221	12,51,64,599
वेतन तथा भत्ते (प्रावधान सहित)	XV	4,97,71,19,371	5,14,48,78,932
यात्रा भत्ते इत्यादि	XVI	7,27,26,887	6,40,81,875
स्थापना (अन्य)		1,02,93,07,058	98,14,94,447
मजदूरी		20,47,88,925	16,41,85,763
मरम्मत एवं रख–रखाव	XVII	22,48,79,992	30,06,65,861
किराया, दरें तथा कर	XVIII	53,65,28,199	58,01,35,524
बीमा		20,99,10,548	23,67,22,391
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		2,33,31,206	2,31,04,321
विविध खर्चे	XIX	87,86,15,509	74,68,86,600
विपणन सुसाध्य खर्चे		3,33,97,76,814	3,73,19,51,176
कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन खर्चे		12,20,37,616	15,65,33,082
बैंक प्रभार		12,80,836	7,99,019
ब्याज (खर्चे)	XX	82,40,330	1,03,70,274
सी.एस.आर. एवं सुस्थिर विकास व्यय		1,85,98,183	4,02,65,213
निदेशकों का पारिश्रमिक (शुल्क, यात्रा भत्ते इत्यादि)		15,81,359	15,80,512
लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं खर्चे	XXI	1,03,47,744	77,97,149
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली परिसम्पत्तियाँ		4,35,04,889	1,41,98,591
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में		1,38,19,102	86,94,323
मूल्यह्रास/परिशोधन		80,48,12,581	86,90,08,178
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित		51,35,00,889	58,94,62,819
		13,17,84,85,710	13,80,49,94,572
वर्ष के लिए लाभ		4,09,77,92,963	2,24,12,39,169
कुल		17,27,62,78,673	16,04,62,33,741
वर्ष के लिए लाभ		4,09,77,92,963	2,24,12,39,169
घटाया : पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	XXII	10,99,894	(1,29,56,035)
कर पूर्व लाभ		4,09,66,93,069	2,25,41,95,204
घटाया : कर व्यय	XXIII	37,34,57,744	61,81,42,927
कर के बाद लाभ अधोनीत		3,72,32,35,325	1,63,60,52,277
प्रति अंश अर्जन			
मूल		5,473.66	2,405.22
मिश्रित		5,473.66	2,405.22

इस तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
एफआरएनः 006836 सी

(लक्ष्मण स्वरूप खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्य सं. 009878

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17/07/2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

आय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2020 ₹	गत वर्ष 31.03.2019 ₹
वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)	XXIV	10,94,80,63,816	9,52,24,55,053
विपणन सुसाध्य आय		3,95,47,32,939	4,36,84,34,529
कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन से आय		15,32,94,437	16,90,68,136
रणनीतिक भागीदारी के अन्तर्गत सीएफएस/आईसीडी से आय		57,98,39,938	57,99,97,482
पैस्ट नियंत्रण सेवाओं से आय		19,04,24,936	17,08,01,278
ब्याज (आय)	XXV	57,83,65,283	52,92,17,954
लाभांश आय	XXVI	28,02,86,650	25,29,42,703
विविध प्राप्तियां	XXVII	31,53,74,514	39,81,88,371
अधिक देयता, प्रावधान एवं मूल्यह्रास पुरांकित		16,11,75,363	1,25,52,514
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ		11,47,20,797	4,25,75,721
कुल		**17,27,62,78,673**	**16,04,62,33,741**

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग हैं

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(एस चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
को		
विनियोजन		
धारा 30(1) के अधीन आरक्षित निधि	3,33,15,75,475	1,06,00,44,757
अन्य निधि		
i) हितकारी निधि के लिए आरक्षित	3,72,32,353	2,00,60,523
ii) सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याज)	-	8,98,28,958
iii) छुट्टी लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याज)	6,37,15,226	6,30,95,685
वर्ष 2018–19 के लिए लाभांश का भुगतान	25,29,01,010	10,12,31,292
वर्ष के लिए अन्तरित लाभांश का भुगतान	-	23,79,14,670
वितरित लाभों पर कर	3,78,11,261	6,38,76,392
कुल	**3,72,32,35,325**	**1,63,60,52,277**

इस तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
एफआरएनः 006836 सी

(लक्ष्मण स्वरूप खंडेलवाल)
पार्टनर
सदस्य सं. 009878

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17/07/2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
द्वारा		
कर में कमी पश्चात लाभ	3,72,32,35,325	1,63,60,52,277
कुल	**3,72,32,35,325**	**1,63,60,52,277**

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(एस चाल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020 (GENERAL FUND)

CAPITAL & LIABILITIES	As per Schedule		AS AT 31.03.2020 ₹	AS AT 31.03.2019 ₹
Share Capital	I		68,02,10,000	68,02,10,000
Reserves				
- Reserve Fund Under Section 30(1)	IV		22,98,58,43,655	19,65,42,38,980
- Reserve for Bad & Doubtful Debts			2,97,28,47,920	2,72,07,25,679
- Other Reserves				
- Reserve for Benevolent Fund		3,71,92,876		1,63,60,523
- Post Retirement Medical Benefit obligation		-		62,56,69,608
- Reserve fund for Leave Benefit obligation		1,22,52,78,504	1,26,24,71,380	1,29,10,44,809
Grant from Govt. of India			10,29,00,000	10,29,00,000
Outstanding Liabilities & Provisions				
- Outstanding Liabilities	V		6,49,09,15,910	5,30,10,69,458
- Provision for Pay & Allowances	VI		30,82,37,556	1,04,53,84,806
Deferred Tax Liability (Net)			32,97,24,624	54,72,67,201
Provision for Income Tax			1,01,49,38,022	16,38,36,157
Unclaimed Dividend			4,81,151	4,35,022
TOTAL			**36,14,85,70,218**	**32,14,91,42,243**

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company
Chartered Accountants
FRN: 006836C

(Laxman Saroop Khandelwal)
Partner
M. No. 009878

Place: New Delhi
Dated : 17/07/2020

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2020 (GENERAL FUND)

PROPERTY & ASSETS	As per Schedule		AS AT 31.03.2020 ₹	AS AT 31.03.2019 ₹
Fixed Assets	II		16,07,74,55,942	14,88,34,15,732
Investments (at Cost)	III			
- State warehousing corporations		61,79,38,400		61,79,38,400
- Others		53,27,34,576	1,15,06,72,976	48,88,89,773
Income accured on Investments	VII		7,91,26,640	3,54,32,640
Post Retirement Medical Benefit Reserve Fund Investment			-	62,56,69,608
Leave Benefit Reserve Fund Investment			1,22,52,78,504	1,29,10,44,809
Current Assets				
- Stores and spares	VIII	6,20,93,243		6,07,38,978
- Warehousing & other charges accrued		65,48,02,866		62,49,55,019
- Sundry Debtors	IX			
Considered good		2,50,36,14,763		3,09,74,35,888
Considered doubtful		2,70,99,94,979		2,44,77,33,484
- Loans and Advances	X			
Considered good		46,40,06,588		22,69,50,990
- Other Current Assets	XI			
Considered good		3,67,18,67,736		2,22,05,59,965
Considered doubtful		22,74,20,301	10,29,38,00,476	23,75,59,555
Cash and Bank Balances	XII		7,31,35,73,422	5,27,99,89,578
Unamortised Expenditure	XIII		86,62,258	1,08,27,824
Significant Accounting Policies	XXVIII			
Notes forming part of Accounts	XXIX			
TOTAL			36,14,85,70,218	32,14,91,42,243

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(S. CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2020 (GENERAL FUND)

EXPENDITURE	As Per Schedule	Current Year (31.03.2020) ₹	Previous Year (31.03.2019) ₹
Warehousing Licence Fee		66,86,451	70,13,923
Consumption of Chemicals, Covers & Dunnage	XIV	13,70,91,221	12,51,64,599
Pay & Allowances (with provisions)	XV	4,97,71,19,371	5,14,48,78,932
Travelling Expenses	XVI	7,27,26,887	6,40,81,875
Establishment (Others)		1,02,93,07,058	98,14,94,447
Wages		20,47,88,925	16,41,85,763
Repairs & Maintenance	XVII	22,48,79,992	30,06,65,861
Rent, Rules & Taxes	XVIII	53,65,28,199	58,01,35,524
Insurance		20,99,10,548	23,67,22,391
Printing & Stationery		2,33,31,206	2,31,04,321
Miscellaneous Expenditure	XIX	87,86,15,509	74,68,86,600
Marketing Facilitation Expenses		3,33,97,76,814	3,73,19,51,176
Container Rail Transport (CRT) Operation Expenses		12,20,37,616	15,65,33,082
Bank Charges		12,80,836	7,99,019
Interest (expenses)	XX	82,40,330	1,03,70,274
CSR & Sustainable Development Expenses		1,85,98,183	4,02,65,213
Directors' Remuneration (Fees, Travelling Allowances, etc.)		15,81,359	15,80,512
Auditors' Fee and Expenses	XXI	1,03,47,744	77,97,149
Loss on Sale of Assets/Assets written off		4,35,04,889	1,41,98,591
Bad Debts Written Off		1,38,19,102	86,94,323
Depreciation/Amortisation		80,48,12,581	86,90,08,178
Reserve for Bad & Doubtful Debts		51,35,00,889	58,94,62,819
		13,17,84,85,710	13,80,49,94,572
Profit for the year		4,09,77,92,963	2,24,12,39,169
TOTAL		17,27,62,78,673	16,04,62,33,741
Profit for the year		4,09,77,92,963	2,24,12,39,169
Less: Prior Period Adjustments (Net)	XXII	10,99,894	(1,29,56,035)
Profit Before Tax		4,09,66,93,069	2,25,41,95,204
Less Tax Expense	XXIII	37,34,57,744	61,81,42,927
PROFIT AFTER TAX CARRIED DOWN		3,72,32,35,325	1,63,60,52,277
Earning Per Share			
Basic		5,473.66	2,405.22
Diluted		5,473.66	2,405.22

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company
Chartered Accountants
FRN: 006836C

J.K. SARAWGI & COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

(Laxman Saroop Khandelwal)
Partner
M. No. 009878

Place: New Delhi
Dated : 17/07/2020

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2020 (GENERAL FUND)

INCOME	As Per Schedule	Current Year (31.03.2020) ₹	Previous Year (31.03.2019) ₹
Warehousing Charges (Income)	XXIV	10,94,80,63,816	9,52,24,55,053
Marketing Faciliation Income		3,95,47,32,939	4,36,84,34,529
Income from Container Rail Transport (CRT) Operations		15,32,94,437	16,90,68,136
Income from CFSs/ICDs under Strategic Alliance		57,98,39,938	57,99,97,482
Income from Pest Control Services		19,04,24,936	17,08,01,278
Interest (income)	XXV	57,83,65,283	52,92,17,954
Dividend Income	XXVI	28,02,86,650	25,29,42,703
Miscellaneous Receipts	XXVII	31,53,74,514	39,81,88,371
Excess Liability, Provision and Depreciation Written Back		16,11,75,363	1,25,52,514
Profit on Sale of Assets		11,47,20,797	4,25,75,721
TOTAL		**17,27,62,78,673**	**16,04,62,33,741**

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(S. CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
TO		
Appropriation to		
Reserve Fund Under Section 30(1)	3,33,15,75,475	1,06,00,44,757
Other funds		
i) Reserve for Benevolent Fund	3,72,32,353	2,00,60,523
ii) Reserve for Post Retirement Medical Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	-	8,98,28,958
iii) Reserve for Leave Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	6,37,15,226	6,30,95,685
Dividend paid for the year 2018-19	25,29,01,010	10,12,31,292
Interim Dividend paid for the year	-	23,79,14,670
Taxes on distributed profits	3,78,11,261	6,38,76,392
TOTAL	**3,72,32,35,325**	**1,63,60,52,277**

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company
Chartered Accountants
FRN: 006836C

(J.K. SARAWGI & COMPANY, CHARTERED ACCOUNTANTS, NEW DELHI — stamp)

(Laxman Saroop Khandelwal)
Partner
M. No. 009878

Place: New Delhi
Dated : 17/07/2020

PROFIT & LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH,2020 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
BY		
Profit after Tax brought down	3,72,32,35,325	1,63,60,52,277
TOTAL	**3,72,32,35,325**	**1,63,60,52,277**

For and on behalf of the Board

(S. CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

2019-20

लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ
(सामान्य निधि)
SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS
(GENERAL FUND)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)
अनुसूची – 'I': अंश पूंजी

		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
क)	प्राधिकृत		
	प्रत्येक 1000/– रु. 1000000 अंश	100,00,00,000	100,00,00,000
ख)	निर्गमित		
	745250 अंश प्रत्येक 1000/– रु.	74,52,50,000	74,52,50,000
ग)	अभिदत्त		
	745250 अंश प्रत्येक 1000/– रु.	74,52,50,000	74,52,50,000
घ)	मांगी गई एवं प्रदत्त		
i	663950 अंश प्रत्येक 1000/– रु. पूर्ण आमंत्रित एवं प्रदत्त	66,39,50,000	66,39,50,000
ii	81300 अंश प्रत्येक 1000/–रु. प्रति अंश 200 रु. मांगी गई एवं प्रदत्त	1,62,60,000	1,62,60,000
	कुल	68,02,10,000	68,02,10,000

क्र. सं.	अंशधारी	अंशों की संख्या	निर्गमित एवं अभिदत्त ₹	मांगी गई एवं प्रदत्त ₹
1	केन्द्र सरकार	3,74,250	37,42,50,000	37,42,50,000
2	भारतीय स्टेट बैंक	1,77,140	17,71,40,000	14,79,40,000
3	अन्य अनुसूचित बैंक	1,40,848	14,08,48,000	10,87,09,600
4	सहकारी समितियाँ	1,045	10,45,000	10,26,600
5	भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियाँ	51,454	5,14,54,000	4,77,74,000
6	कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएँ	71	71,000	71,000
7	कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कंपनियाँ	5	5,000	5,000
	कुल	7,44,813	74,48,13,000	67,97,76,200
8	सहकारी समितियाँ (अयोग्य अंशधारी) अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को लम्बित हस्तांतरण (टिप्पणी सं. (i) देखें)	437	4,37,000	4,33,800
		7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000
	गत वर्ष	7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000

टिप्पणी :

(i) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 2 (घ) के अनुसार अंशधारी रहने के योग्य नहीं हैं, को अनुज्ञेय श्रेणी के अधीन अंशधारियों के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को इन अयोग्य अंशधारियों के अंशों का हस्तांतरण लंबित क्रम सं. 8 यानि सहकारी समितियों (अयोग्य अंशधारी) के अधीन दर्शाया गया है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स नियम, 1963 के नियम 26 (3) के अनुसार ऐसे अंशों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता।

अनुसूची – 'II': स्थायी परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	लागत			
		01.04.2019 को सकल राशि ₹	वर्ष के दौरान जोड़ी गई ₹	वर्ष के दौरान कटौती/ समायोजन ₹	31.03.2020 को सकल राशि ₹
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण					
मूर्त संपत्ति :					
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	1,07,78,96,067	-	39,64,19,102	68,14,76,965
2	भूमि (पट्टे पर)	3,11,18,64,536	9,459	(37,35,05,451)	3,48,53,79,446
3(क)	छत (प्री–कोटिड गॉलवेल्यूम स्टील शीट)	33,25,70,011	28,40,94,241	(51,95,438)	62,18,59,690
3(ख)	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	8,17,96,561	3,72,67,948	(73,82,616)	12,64,47,125
3(ग)	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	35,40,24,696	39,24,11,874	-	74,64,36,570
3(घ)	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	12,43,52,18,634	30,16,59,028	6,91,82,327	12,66,76,95,335
4	कंटेनर यार्ड	1,06,26,36,300	-	-	1,06,26,36,300
5	विद्युत इंस्टालेशन	59,24,23,332	1,70,31,759	-	60,94,55,091
6	जल इंस्टालेशन	4,27,72,349	23,28,479	4,685	4,50,96,143
7	प्लांट एवं मशीनरी	11,79,290	-	11,79,290	-
8	कार्यालय बिल्डिंग	25,60,82,598	3,15,02,547	-	28,75,85,145
9	आवासीय फ्लैट्स	18,79,91,211	-	-	18,79,91,211
10	फर्नीचर	19,83,40,511	2,10,70,591	38,11,865	21,55,99,237
11	कार्यालय उपकरण	7,97,23,985	1,02,90,364	16,44,659	8,83,69,690
12	मोबाइल फोन	1,14,01,192	24,60,731	10,36,465	1,28,25,458
13	वाहन	1,96,63,775	8,98,889	7,50,988	1,98,11,676
14	प्रयोगशाला उपकरण	1,91,83,810	32,46,433	5,18,972	2,19,11,271
15	पीड़क जन्तुनाशक उपकरण	3,39,82,276	42,94,795	3,60,693	3,79,16,378
16	निर्माण उपकरण	6,99,388	5,310	(1)	7,04,699
17	अन्य उपकरण	62,99,21,353	17,14,52,766	49,80,307	79,63,93,812
18	लकड़ी के क्रेट्स	3,70,16,212	-	-	3,70,16,212
19	रैक्स	1,58,01,749	49,380	3,34,526	1,55,16,603
20	टिन ट्रे	2,23,032	-	-	2,23,032
21	रेलवे साइडिंग्स	4,29,70,865	3,98,19,058	-	8,27,89,923
22	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	18,17,10,780	88,10,074	38,91,983	18,66,28,871
23	एचबीएल शीट	5,71,47,101	0	6,68,304	5,64,78,797
24	पीसीसी ब्लॉक्स	14,61,360	43,32,379	-	57,93,739
25	पोली पैलेट्स	2,34,21,231	-	-	2,34,21,231
26	परिवर्तनीय प्लिंथ्स	1,11,30,131	-	-	1,11,30,131
27	अपरिवर्तनीय प्लिंथ्स	2,22,81,260	-	-	2,22,81,260
		20,92,25,35,596	1,33,30,36,105	9,87,00,660	22,15,68,71,041
28	कार्य प्रगति पर	24,53,08,472	1,77,28,61,120	1,06,40,81,418	95,40,88,174
29	हस्तगत उपकरण	1,47,26,615	1,00,48,920	50,72,101	1,97,03,434
	उप–योग	**21,18,25,70,683**	**3,11,59,46,145**	**1,16,78,54,179**	**23,13,06,62,649**
अमूर्त परिसंपत्तियां :					
30	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	50,00,00,000	-	-	50,00,00,000
31	भूमि के उपयोग का अधिकार	15,54,750	-	-	15,54,750
32	सॉफ्टवेयर	2,46,58,885	26,26,176	29,26,885	2,43,58,176
33	प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	1,05,65,278	-	-	1,05,65,278
	उप–योग	**53,67,78,913**	**26,26,176**	**29,26,885**	**53,64,78,204**
	कुल	**21,71,93,49,596**	**3,11,85,72,321**	**1,17,07,81,064**	**23,66,71,40,853**
	गत वर्ष	**20,23,27,08,154**	**2,21,32,79,618**	**(72,66,38,176)**	**21,71,93,49,596**

अनुसूची – 'II': स्थायी परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	मूल्यह्रास/क्षीणता/परिशोधन				अग्रेनीत राशि/डब्ल्यू.डी.वी	
		01.04.2019 तक ₹	गत वर्ष के ₹	वर्ष के दौरान पुरांकित/समायोजित ₹	31.03.2020 तक ₹	31.3.2020 को ₹	31.03.2019 को ₹
संपत्ति, संयत्रं एवं उपकरण							
मूर्त संपत्ति :							
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	68,14,76,965	1,07,78,96,067
2	भूमि (पट्टे पर)	83,17,78,286	7,64,99,454	6,01,431	90,76,76,309	2,57,77,03,137	2,28,00,86,250
3	छत (प्री–कोटिड गॉलवेल्यूम स्टील शीट)	1,18,89,297	1,41,18,002	(20,10,722)	2,80,18,021	59,38,41,669	32,06,80,714
4	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	34,56,173	32,12,057	(29,94,587)	96,62,817	11,67,84,308	7,83,40,388
5	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	1,29,78,024	1,66,40,414	4,34,651	2,91,83,787	71,72,52,783	34,10,46,672
6	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	3,60,57,78,777	49,11,53,274	3,40,91,724	4,06,28,40,327	8,60,48,55,008	8,82,94,39,857
7	कंटेनर यार्ड	43,34,32,359	4,42,38,085	-	47,76,70,444	58,49,65,856	62,92,03,941
8	विद्युत इंस्टालेशन	48,05,23,536	2,00,21,839	-	50,05,45,375	10,89,09,716	11,18,99,796
9	जल इंस्टालेशन	3,95,61,555	1,98,724	4,685	3,97,55,594	53,40,549	32,10,794
10	प्लांट एवं मशीनरी	11,20,463	-	11,20,463	-	-	58,827
11	कार्यालय बिल्डिंग	4,90,70,143	44,65,725	-	5,35,35,868	23,40,49,277	20,70,12,455
12	आवासीय फ्लैट्स	6,78,80,903	29,25,940	-	7,08,06,843	11,71,84,368	12,01,10,308
13	फर्नीचर	16,95,54,661	58,77,922	37,05,892	17,17,26,691	4,38,72,546	2,87,85,850
14	कार्यालय उपकरण	4,75,65,874	97,44,501	17,12,618	5,55,97,757	3,27,71,933	3,21,58,111
15	मोबाइल फोन	61,59,977	31,62,933	9,09,827	84,13,083	44,12,375	52,41,215
16	वाहन	1,53,83,948	7,70,175	6,69,506	1,54,84,617	43,27,059	42,79,827
17	प्रयोगशाला उपकरण	1,55,39,881	15,57,771	5,03,339	1,65,94,313	53,16,958	36,43,929
18	पीड़क जन्तुनाशक उपकरण	2,92,16,444	25,70,848	3,48,337	3,14,38,955	64,77,423	47,65,832
19	निर्माण उपकरण	6,03,940	32,046	-	6,35,986	68,713	95,448
20	अन्य उपकरण	35,49,10,804	5,50,95,465	46,65,942	40,53,40,327	39,10,53,485	27,50,10,549
21	लकड़ी के क्रेट्स	3,67,06,744	6,031	-	3,67,12,775	3,03,437	3,09,468
22	रैक्स	1,40,93,072	4,19,549	3,07,175	1,42,05,446	13,11,157	17,08,677
23	टिन ट्रे	2,15,008	-	-	2,15,008	8,024	8,024
24	रेलवे साइडिंग्स	2,00,03,288	27,91,192	-	2,27,94,480	5,99,95,443	2,29,67,577
25	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	13,78,50,552	1,98,66,004	34,49,688	15,42,66,868	3,23,62,003	4,38,60,228
26	एचबीएल शीट	5,39,98,381	2,87,115	6,34,889	5,36,50,607	28,28,190	31,48,720
27	पीसीसी ब्लॉक्स	13,13,910	11,433	-	13,25,343	44,68,396	1,47,450
28	पोली पैलेटस्	2,05,23,484	5,31,173	-	2,10,54,657	23,66,574	28,97,747
29	परिवर्तनीय प्लिंथ्स	39,55,548	5,03,070	-	44,58,618	66,71,513	71,74,583
30	अपरिवर्तनीय प्लिंथ्स	2,11,67,197	-	-	2,11,67,197	11,14,063	11,14,063
		6,48,62,32,229	77,67,00,742	4,81,54,858	7,21,47,78,113	14,94,20,92,928	14,43,63,03,367
31	कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	95,40,88,174	24,53,08,472
32	हस्तगत उपकरण	7,43,135	-	-	7,43,135	1,89,60,299	1,39,83,480
उप–योग		**6,48,69,75,364**	**77,67,00,742**	**4,81,54,858**	**7,21,55,21,248**	**15,91,51,41,401**	**14,69,55,95,319**
अमूर्त परिसंपत्तियां :							
33	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	32,50,00,000	2,50,00,000	-	35,00,00,000	15,00,00,000	17,50,00,000
34	भूमि के उपयोग का अधिकार	14,33,294	13,904	-	14,47,198	1,07,552	1,21,456
35	सॉफ्टवेयर	2,04,12,150	20,41,413	29,06,682	1,95,46,881	48,11,295	42,46,735
36	प्राईवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	21,13,056	10,56,528	-	31,69,584	73,95,694	84,52,222
उप–योग		**34,89,58,500**	**2,81,11,845**	**29,06,682**	**37,41,63,663**	**16,23,14,541**	**18,78,20,413**
कुल		**6,83,59,33,864**	**80,48,12,587**	**5,10,61,540**	**7,58,96,84,911**	**16,07,74,55,942**	**14,88,34,15,732**
गत वर्ष		**6,00,34,42,925**	**87,52,74,730**	**(4,27,83,791)**	**6,83,59,33,864**	**14,88,34,15,732**	**14,22,92,65,229**

अनुसूची – II: पर टिप्पणीः स्थायी परिसंपत्तियां

1) वेअरहाउसों और गोदामों की अनुषंगी में वेअरहाउस परिसर के सभी अनुषंगी सिविल कार्य जैसे बिटुमिनस रोड, कार्यालय ब्लॉक, लेबर शेड, फेंसिंग, चारदीवारी, वेमेंट केबिन, लैवेटरी ब्लॉक, सेनेटरी बॉक्स, वर्षा जल संचयन, तार की जाली, स्टील दरवाजे शामिल हैं।

2) क) छत (प्री–कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट) और रोड (सीमेंट कंक्रीट) की उपयोगी अवधि वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि से अलग है और इसे अलग–अलग पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया गया है। वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि पूरी होने पर स्थिति के अनुसार उनकी मरम्मत की जाती है या उन्हें बदला जाता है। वेअरहाउस एवं गोदाम और उसकी अनुषंगी में किए गए सभी अतिरिक्त कार्य को उसकी उपयोगी अवधि अर्थात् जो 30 वर्ष के आधार पर मूल्यह्रासित किया गया है।

ख) जब भी नई सड़क (सीमेंट कंक्रीट), वेअरहाउसों की छत (प्री–कोटेड गॉलवेल्यूम स्टील शीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) का निर्माण किया गया है, पुराने बिटुमिनस रोड, एसी छत और फर्श के ह्रासित मूल्य की खातों से मान्यता रद्द कर दी गई है। वर्ष 2019–20 में हटाई गई परिसंपत्तियों का ह्रासित मूल्य 229.80 लाख रु. है। पुरानी रोड, छत और फर्श की मान्यता रद्द करने के उद्देश्य से वेअरहाउसों और गोदाम की कुल लागत के क्रमशः 11.06%, 5%, 5.06% की लागत रखी गई है।

3) भूमि (फ्रीहोल्ड एवं पट्टे पर): 408 स्थानों पर निगम ने कब्जा लिया है। 42 स्थानों जिनमें (क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद–5 बेंगलुरु–2, भुवनेश्वर–12, भोपाल–2, चंडीगढ़–2, कोलकाता–2, दिल्ली–2, गुवाहाटी–1, हैदराबाद–1, लखनऊ–3, मुम्बई–2, पटना–8) के लीज़ डीड/टाइटल डीड जिनका मूल्य 3158.98 लाख रु. है, अभी निष्पादित किए जाने हैं। इन स्थानों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता के लिए लेखांकन नीति सं. 12 के अनुसार प्रावधान किया गया है।

4) निगम के कब्ज़े की 13 लीज होल्ड भूमि के संबंध में, लीज अवधि समाप्त हो गई है। इन भूखण्डों के लिए लीज के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। देय नवीनीकरण प्रीमियम की अनुपलब्धता को देखते हुए उपलब्ध सूचना के आधार पर लीज किराए हेतु देयता को लेखाबद्ध किया गया है।

5) निगम को खबली और शिमला में पीडीएस गतिविधि के लिए गोदाम निर्माण हेतु उपयोग के अधिकार आधार पर वन भूमि आबंटित की गई थी। इन भूखंडों पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा कब्जा निगम के पास है। इन भूखंडों की लागत को भूमि उपयोग के अधिकार के रूप में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

6) कृषि विभाग, बिहार सरकार ने उपयोग के अधिकार पर खाद्यान्नों के लिए भंडारण हेतु आधारभूत ढांचा बनाने के लिए मुंगेर, खगरिया और बेतिया में भूमि आबंटित की है। इस भूमि का स्वामित्व कृषि विभाग, बिहार सरकार के पास है और कब्जा निगम के पास है। चूंकि इन भूखण्डों को निःशुल्क आबंटित किया गया है, अतः इन्हें अमूर्त परिसम्पत्तियों में नहीं दर्शाया गया है।

7) पटना क्षेत्र में सैन्ट्रल वेअरहाउस, मधेपुरा की भूमि का टाईटल निजी पार्टी के पास है, लेकिन इसका कब्जा निगम के पास है।

8) निगम ने वर्ष 1998–99 में बोकदवीरा, नवी मुम्बई में 86 फ्लैट खरीदे थे जिसकी लागत 933.02 लाख रु. है। चूंकि ये फ्लैट आज तक खाली है तथा निगम दरों एवं करों, रखरखाव और सुरक्षा पर व्यय कर रहा है। इनका उचित समय पर निपटारा किया जाएगा। अनुमानित बिक्री मूल्य, खरीद की लागत से ज्यादा है, अतः फ्लैटों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं है।

9) निगम ने वर्ष 1982–83 एवं 1996–97 में भोपाल, मध्यप्रदेश में 69 फ्लैट खरीदे थे जिसकी लागत 28.58 लाख रु. है। चूंकि ये फ्लैट आज की तारीख तक खाली हैं तथा निगम दरों एवं करों, रख रखाव, सुरक्षा पर व्यय कर रहा है, अतः इनका उचित समय पर निपटारा किया जाएगा। अनुमानित बिक्री मूल्य, खरीद की लागत से ज्यादा है, अतः फ्लैटों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं है।

10) निगम ने वर्ष 1982–1984 में अलीगंज, लखनऊ में 5 फ्लैट खरीदे थे जिसकी लागत 10.35 लाख रु. है। चूंकि ये फ्लैट आज तक खाली है तथा निगम दरों एवं करों, रखरखाव और सुरक्षा पर व्यय कर रहा हैं, अतः इनका उचित समय पर निपटारा किया जाएगा। अनुमानित बिक्री मूल्य, खरीद की लागत से ज्यादा है, अतः फ्लैटों के मूल्य में कोई क्षीणता नहीं है।

11) सै.वे., मुन्द्रा की लीज होल्ड भूमि जो निगम के कब्जे में है, पट्टाकर्ता ने सामान्य वेअरहाउसिंग के लिए भूमि के उपयोग का विवाद दाखिल किया है। निगम ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात, में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है।

12) 8048.13 लाख रु. (गत वर्ष 8752.75 लाख रु.) की मूल्यह्रास राशि में शून्य (गत वर्ष 62.67 लाख रु.) (नेट डेबिट) का पूर्व अवधि मूल्यह्रास शामिल है।

अनुसूची – 'III': निवेश (लागत पर)

(क) राज्य भंडारण निगम (एसोसिएट) में दीर्घ अवधि निवेश (वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निवेश (अनुधृत)

क्रं. सं.	राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन के नाम	इक्विटी अंशों की संख्या (अनुधृत) (अंकित मूल्य 100 ₹)		राशि (₹)	
		इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	आन्ध्र प्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2	असम राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
3	बिहार राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
4	छत्तीसगढ राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
5	गुजरात राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
6	हरियाणा राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
7	कर्नाटक राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
8	केरल राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
9	मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
10	महाराष्ट्र राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन (24240 बोनस शेयर सहित)	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
11	मेघालय राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
12	ओडिसा राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
13	पंजाब राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
14	राजस्थान राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
15	तमिलनाडु राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
16	तेलंगाना राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
17	उत्तर प्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18	उत्तराखंड राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19	पश्चिमी बंगाल राज्य वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
	कुल (क)	62,03,624	62,03,624	61,79,38,400	61,79,38,400
(ख)	**अन्य निवेश**				
1	**सब्सिडी में निवेश (दीर्घावधि) (अनुधृत)**			40,55,99,900	40,55,99,900
	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सहायक) 4,05,59,990 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/–रु.				
2	**अन्य (दीर्घावधि/वर्तमान)**				
	क इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के अनुद्धृत 58,963,956 शेयरों, जिसमें में प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 रु. प्रति शेयर है।#	-			
	दीर्घ अवधि निवेश (आईसीईएक्स में 5% शेयरधारकों 2,66,75,373 अंश अर्थात 5 रु. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या)			3,76,80,451	3,76,80,451
	वर्तमान निवेश (शेयरधारकों आईसीईएक्स में 6.05% 3,22,88,583 अंश अर्थात 5 रु. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या)			4,56,09,422	4,56,09,422
	ख पिपवाव इंटीग्रेटिड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच)* (वर्तमान)			4,38,44,803	
	कुल योग (क) + (ख)			**1,15,06,72,976**	**1,10,68,28,173**

टिप्पणी

1. $ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजन हो गया। इसके अतिरिक्त इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व दी गई इक्विटी शेयर पूंजी को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011–12 तक ऋण एवं 2012–13 से पूंजी के रूप में माना जा रहा है किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूए लीस को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7–01/2013–एसजी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। मामले के हल के लिए कमेटी गठित की गई है।
2. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगमों में किया गया निवेश हस्तांतरणीय नहीं है।
3. # आईसीईएक्स ने एनएमसीई में शेयर के बदले निगम को 5/– रु. प्रत्येक के 5,89,63,956 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। निगम के आईसीईएक्स की इक्विटी में 11.05% शेयर हैं। एसईबीसी विनियम, 2018 के विनियम 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 5% से अधिक नहीं रख सकता है। सेबी के दिनांक 26 नवंबर, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निगम ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने के कदम उठाए हैं ताकि इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके। इस विनियम का अनुपालन 3 अगस्त, 2020 तक किया जाना है। निगम द्वारा आईसीईएक्स में रखी गई अतिरिक्त इक्विटी को कम करने में हुई देरी के कारण से सेबी ने मतदान के अधिकार और निगम द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक रखे गए शेयरों के लाभांश के भुगतान पर 5% की निर्धारित सीमा की कमी होने तक प्रतिबंध लगा दिया है।
4. * पिपावाव पोर्ट, गुजरात, भारत में लॉजिस्टिक सुविधा के संचालित करने के लिए पिपावाव इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच) के नाम से एक सयुंक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन करने के लिए दिनांक 10.09.2018 को केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) एवं कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकोर) ने एक अनुबंध किया है। केन्द्रीय भंडारण निगम ने पिपावाव इंटीग्रेटडे लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच) में अपनी पूंजी प्रतिबद्धता के रूप में वर्ष 2019–20 के दौरान 5 करोड़ का निवेश किया है। वर्ष के दौरान उपरोक्त 438.45 लाख रु. की राशि हानि के लिए समायोजित की है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – IV: आरक्षित

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	**धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	19,65,42,38,980		
	जोड़ाः अदावाकृत लाभांश (7 वर्षों से अधिक पुराना)	29,200		
	जोड़ाः पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	3,33,15,75,475	22,98,58,43,655	19,65,42,38,980
2	**अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,72,07,25,679.00		
	जोड़ाः अतिरिक्त प्रावधान किया गया	51,35,00,889.00		
	घटायाः आरक्षित पर बट्टे खाते में अशोध्य ऋण	26,13,78,648.00	2,97,28,47,920	2,72,07,25,679
3.	**अन्य आरक्षित**			
क)	**हितकारी निधि के लिए आरक्षित**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,63,60,523		
	जोड़ाः पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानान्तरण	3,72,32,353		
	घटायाः हितकारी निधि ट्रस्ट को किया गया भुगतान	1,64,00,000	3,71,92,876	1,63,60,523
ख)	**सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	62,56,69,608		
	घटायाः पीआरएमबी ट्रस्ट को किया गया स्थानान्तरण	62,56,69,608		62,56,69,608
ग)	**छुट्टी लाभ निधि**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,29,10,44,809		
	जोड़ाः चिन्हित निवेश पर ब्याज	6,37,15,226		
	जोड़ाः वर्ष के दौरान सृजित आरक्षित	24,46,22,782		
	घटायाः वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	37,41,04,313	1,22,52,78,504	1,29,10,44,809

अनुसूची – V: बकाया देयताएँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	फुटकर ऋणदाता (एमएफ एवं परियोजनाओं सहित)	1,99,69,63,597	1,78,09,90,593
2	सांविधिक देयताएं	56,72,43,117	28,27,45,290
3	आपूर्तिकर्ताओं से ईएमडी/एसडी	1,07,82,96,041	95,35,13,855
4	अन्य देयताएं	15,98,12,019	25,67,04,510
5	वापसी योग्य जमा	24,27,44,705	26,32,98,492
6	व्यय के लिए देयताएं	1,14,74,00,099	1,14,01,86,979
7	खर्च के लिए प्रावधान	87,79,61,593	49,76,32,748
8	जमा कार्य (अन्य)	2,26,67,840	1,68,76,340
9	स्टॉम्प ड्यूटी के लिए देयता	7,86,47,229	7,87,94,470
10	वेतन संशोधन के लिए देयता	31,22,57,553	--
11	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए देयताएं	69,22,117	3,03,26,181
	योग	6,49,09,15,910	5,30,10,69,458

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – VI: वेतन एवं भत्ते हेतु प्रावधान

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	**उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,60,00,000		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	2,43,23,250		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	1,63,01,509	2,40,21,741	1,60,00,000
2	**निष्पादन संबंधित वेतन**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	8,48,30,006		
	घटाया : पीआरपी के लिए देयता में स्थानान्तरण	8,48,30,006		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	17,22,81,861	17,22,81,861	8,48,30,006
3	**ग्रेच्युटी**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6,40,40,633		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13,67,36,486		
	घटाया : कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट को भुगतान	11,87,69,625	8,20,07,494	6,40,40,633
4	**एलटीसी**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,97,12,700		
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	62,45,279		
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	60,31,519	2,99,26,460	2,97,12,700
5	**वेतन संशोधन प्रावधान**			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	85,08,01,467		
	घटाया : वेतन संशोधन के लिए देयता में स्थानान्तरण	85,08,01,467	-	85,08,01,467
	कुल		30,82,37,556	1,04,53,84,806

अनुसूची – VII: निवेश पर प्रोद्भूत आय प्राप्त माना

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
	प्राप्त माना			
1	राज्य भण्डारण निगमों में निवेश से			
	प्राप्त माना	4,36,94,000	-	
	संदिग्ध माना	**3,54,32,640**	**7,91,26,640**	**3,54,32,640**
	कुल		7.91,26,640	3,54,32,640

अनुसूची – VIII: स्टोर्स एवं स्पेयर्स

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	**स्टोर एवं स्पेयर्स (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार)**			
	रसायन एवं प्रधूमक (निम्न वेटेज औसत लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य)	3,99,26,501		4,02,10,279
	अन्य हस्तगत स्टोर (निम्न लागत मूल्य पर (एफआईएफओ) एवं निवल वसूली योग्य मूल्य)	2,20,92,390		1,93,94,569
	मार्ग में माल	74,352	6,20,93,243	11,34,130
	कुल		6,20,93,243	6,07,38,978

अनुसूची – IX: फुटकर देनदार

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	फुटकर देनदार (वेअरहाउसिंग प्रभार)			
	प्राप्त माना	1,98,30,18,419		2,58,62,15,786
	संदिग्ध माना	2,49,89,36,228	4,48,19,54,647	2,29,82,67,262
2	फुटकर देनदार (विपणन सुसाध्य प्रभार एवं अन्य)			
	प्राप्त माना	52,05,96,344		51,12,20,102
	संदिग्ध माना	21,10,58,751	73,16,55,095	14,94,66,222
	कुल		5,21,36,09,742	5,54,51,69,372

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – X: ऋण एवं अग्रिम

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) को ऋण (प्रतिभूत)			
	प्राप्त माना		16,41,00,000	11,38,69,880
2	नकदी या वस्तु या मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अन्य अग्रिम प्राप्त			
	क) स्टाफ को अग्रिम	3,49,02,762		1,14,25,042
	ख) पूंजी अग्रिम	17,46,82,122		49,10,781
	ग) अन्य अग्रिम	9,03,21,704	29,99,06,588	9,67,45,287
	कुल		46,40,06,588	22,69,50,990

अनुसूची – XI: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	जमा एवं अन्य पर प्रोद्भूत ब्याज (बचत बैंक खाता सहित)		27,28,34,613	27,38,83,720
2	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सहायक कंपनी) से देय		9,492	9,492
3	स्रोत पर काटा गया आयकर			
	प्राप्त माना	2,36,64,49,559		96,34,34,041
	संदिग्ध माना	1,60,57,024	2,38,25,06,583	2,07,56,408
4	आयकर विभाग से वसूली योग्य		5,65,53,386	12,81,80,842
5	अन्य वसूली योग्य			
	प्राप्त माना	89,32,14,079		77,27,24,413
	संदिग्ध माना	21,13,63,277	1,10,45,77,356	21,68,03,147
6	हस्तगत एफडीआर (निगम के पक्ष में एफडीआर के रूप में कॉन्ट्रैक्टर्स से प्राप्त प्रतिभूतियाँ)		3,70,94,425	4,31,89,991
7	बैंक गारंटी के विरूद्ध एफडीआर गिरवी		4,57,12,182	3,91,37,466
	कुल		3,89,92,88,037	2,45,81,19,520

अनुसूची – XII: नकद एवं बैंक शेष

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	**हस्तगत नकदी**			
	(i) हस्तगत नकदी/अग्रदाय/स्टॉम्प नकदी	71,29,033		58,33,594
	(ii) अस्थायी अग्रिम	1,08,66,732	1,79,95,765	17,15,169
2	**बैंकों में शेष**			
	भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगी :			
	(i) बचत/फ्लैक्सी/चालू खाते में	41,44,46,158		13,27,66,045
	(ii) जमा खाते में			
	अन्य अनुसूचित बैंक :			
	(i) बचत/फ्लैक्सी/चालू खाते में	1,35,64,58,584		51,97,25,071
	(ii) जमा खाते में	5,52,46,72,915	7,29,55,77,657	4,60,43,64,268
3	बैंक ड्राफ्ट एवं चैक हस्तगत			1,49,41,821
4	मार्गस्थ प्रेषण/बैंक ड्राफ्ट/चैक			6,43,610
	कुल		7,31,35,73,422	5,27,99,89,578

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – XIII: अपरिशोधित व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ की गत अवधि लागत (पीआरएमबी)			
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,08,27,824		1,29,93,389
	घटाया : वर्ष के दौरान परिशोधित	21,65,566	86,62,258	21,65,565
	कुल		86,62,258	1,08,27,824

अनुसूची – XIV: रसायन, कवर्स एवं डनेज का उपभोग

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	रसायन	10,57,52,114	9,18,23,494
2	पॉलीथिन कवर्स	1,50,40,736	1,43,02,535
3	डनेज	1,62,98,371	1,90,38,570
	कुल	13,70,91,221	12,51,64,599

अनुसूची – XV: वेतन एवं भत्ते (प्रावधानों के साथ)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	58,97,200	38,37,901
3	प्रकार्यात्मक निदेशक	1,17,44,193	94,72,795
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	3,51,86,38,906	3,48,35,10,764
5	भविष्य निधि में योगदान	28,55,10,122	29,93,64,008
6	पेंशन निधि में योगदान	24,47,29,053	19,59,11,511
7	सेवानिवृत्त पश्चात चिकित्सा लाभ निधि में योगदान	30,69,39,594	7,28,31,304
8	व्यय का परिशोधन (पीआरएमबी लाभ)	21,65,566	21,65,565
9	मृत्यु मुआवजा	1,00,00,000	1,82,18,513
	प्रावधान :		
10	ग्रेच्युटी	13,53,44,953	6,36,35,215
11	निष्पादन आधारित वेतन/उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन	19,66,05,111	9,73,16,213
12	छुट्टी लाभ	24,27,11,549	18,89,54,933
13	एलटीसी	61,48,865	1,57,61,381
14	वेतन संशोधन प्रावधान	-	52,53,54,217
15	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) मुआवजा	11,78,98,191	16,85,44,612
	घटाया : प्रशासनिक ओवरहेड	10,72,13,932	
	कुल	4,97,71,19,371	5,14,48,78,932

अनुसूची – XVI: यात्रा भत्ते इत्यादि

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	4,88,936	3,48,252
3	प्रकार्यात्मक निदेशक	4,91,585	7,87,711
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	7,17,46,366	6,29,45,912
	कुल	7,27,26,887	6,40,81,875

अनुसूची – XVII: मरम्मत एवं रखरखाव

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	बिल्डिंग	16,42,62,875	22,57,71,582
2	उपकरण	6,06,17,117	7,48,94,279
	कुल	22,48,79,992	30,06,65,861

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)
अनुसूची – XVIII: किराया, दर एवं कर

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	कार्यालय का किराया	29,11,687	48,68,347
2	गोदामों का किराया	21,07,39,005	20,36,82,045
3	लीज़ का किराया	19,50,59,697	19,55,59,538
4	दर एवं कर	12,78,17,810	17,60,25,594
	कुल	53,65,28,199	58,01,35,524

अनुसूची – XIX: विविध खर्चे

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	स्थापना कस्टम कर्मचारी	11,94,28,249	5,91,95,909
2	स्टाफ प्रशिक्षण खर्च	1,02,20,625	1,03,44,824
3	प्रचार एवं प्रसार	2,76,678	21,17,636
4	रॉयल्टी	39,26,289	2,02,98,910
5	सेमिनार एवं सम्मेलन	13,52,437	21,64,687
6	कारोबार संवर्धन व्यय	20,60,141	16,20,793
7	तोल प्रभार	91,27,303	89,29,275
8	थोक जमाकर्ताओं को नकद प्रोत्साहन	4,36,200	14,51,598
9	अभियांत्रिकी परामर्शी सेवा खर्च	-	10,53,153
10	विज्ञापन खर्च	1,59,51,067	2,36,17,765
11	वाहन चार्ज	4,01,98,618	3,92,20,959
12	जमाकर्ताओं को मुआवजा	17,73,973	87,00,623
13	कम्प्यूटीकरण प्रभार	1,28,97,213	1,30,03,923
14	मनोरंजन	1,53,78,440	1,28,35,278
15	माल भाड़ा एवं चुंगी	46,31,833	41,17,478
16	गेस्टहाउस खर्च	9,22,787	10,36,994
17	आन्तरिक हैंडलिंग	13,58,110	4,47,662
18	विधि खर्च	3,28,65,991	2,56,92,551
19	समाचार पत्र, किताबें एवं पत्रिकाएं	12,02,116	13,45,026
20	डाक, तार एवं टेलेक्स	57,68,136	55,98,328
21	पैसे को पूर्ण मानने में आया अंतर	(3,122)	(34,125)
22	अनुसंधान एवं विकास खर्च	-	4,56,000
23	अंशदान एवं सदस्यता शुल्क	39,46,858	12,84,883
24	स्टाफ कार पैट्रोल खर्च	27,08,932	21,94,240
25	स्टाफ कार रख–रखाव खर्च	10,82,458	12,82,348
26	टेलीफोन खर्च	1,55,00,549	1,71,97,249
27	जल एवं विद्युत प्रभार	14,84,16,172	13,22,15,804
28	प्रोफेशनल प्रभार	5,11,55,357	3,10,58,478
29	किसान विस्तार सेवा योजना खर्च	3,25,885	8,85,537
30	अन्य खर्चे–पीसीएस	5,50,39,958	4,42,41,237
31	कार्यालय खर्च	71,98,528	65,91,666
32	आईएसओ खर्च	4,60,451	4,97,248
33	प्रयोग न किए गए जीएसटी/सेवा कर इनपुट क्रेडिट	24,14,94,985	22,29,10,951
34	बीमा मुआवजा हानि	3,41,128	14,45,242
35	एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए लैब प्रशिक्षण एवं अन्य खर्च	52,009	-
36	कोविड–19 रोकथाम उपाय व्यय	1,22,837	-
37	पीआईएलएच में किए निवेश पर हानि	61,55,197	-
38	अन्य विविध खर्चे	6,48,41,121	4,14,66,470
	कुल	87,86,15,509	74,68,86,600

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – XX: ब्याज (व्यय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सरकार	-	-
2	बैंक	-	-
3	अन्य	82,40,330	1,03,70,274
	कुल	82,40,330	1,03,70,274

अनुसूची – XXI: लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	लेखा परीक्षा शुल्क	66,61,320	53,46,000
2	यात्रा खर्च	16,65,218	11,11,149
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क	13,94,680	11,28,000
4	अन्य सेवाओं के लिए	6,26,526	2,12,000
	कुल	1,03,47,744	77,97,149

अनुसूची – XXII: पूर्व अवधि समायोजन (निवल)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	आय	9,45,954	(21,89,015)
2	व्यय	1,53,940	(1,07,67,020)
	कुल	10,99,894	(1,29,56,035)

अनुसूची – XXIII: कर व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	चालू कर	1,08,55,87,078	41,07,36,829
2	आस्थागित कर	(21,75,42,577)	23,21,36,606
3	पूर्व वर्षों का कर समायोजन	(49,45,86,757)	(2,47,30,508)
	कुल	37,34,57,744	61,81,42,927

अनुसूची – XXIV: वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	वेअरहाउसिगं प्रभार	11,06,25,55,842	9,69,09,08,542
	घटाया: सहकारी समितियों और अन्य को छूट	11,44,92,026	16,84,53,489
	कुल	10,94,80,63,816	9,52,24,55,053

अनुसूची – XXV: ब्याज (आय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष		इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	जमा/बचत बैंक खाते से		47,56,68,492	49,31,91,437
2	निम्न को ऋण एवं अग्रिम से:			
	स्टाफ	6,90,409		(14,33,790)
	अन्य	10,20,06,382	10,26,96,791	3,74,60,307
	कुल		57,83,65,283	52,92,17,954

अनुसूची – XXVI: लाभांश आय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सहयोगियों के साथ निवेश से (रा.भ.नि.)	25,18,94,650	18,39,90,703
2	सहायक कम्पनियों के साथ निवेश से (सीआरडब्ल्यूसी)	2,83,92,000	6,89,52,000
	कुल	28,02,86,650	25,29,42,703

अनुसूची – XXVII: विविध प्राप्तियाँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	प्रचालन :		
	अभियांत्रिकी परामर्शी सेवाओं से	9,53,344	11,40,721
	अन्य विविध प्रचालन प्राप्तियाँ	29,57,12,263	38,31,60,943
		29,66,65,607	38,43,01,664
2	गैर–प्रचालन :		
	विदेशी विनिमय में अंतर (निवल लाभ)	10,41,445	8,32,395
	अन्य गैर–प्रचालन विविध प्राप्तियाँ	1,76,67,462	1,30,54,312
		1,87,08,907	1,38,86,707
	कुल	31,53,74,514	39,81,88,371

अनुसूची–XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

लेखांकन का आधार

(1) निगम के वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (जहाँ तक लागू हो) का अनुपालन किया जाता है।

आकलन का प्रयोग

(2) भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन आकलन तथा अनुमान बनाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि तक आकस्मिक देयताओं के प्रकटन, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की दर्ज की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की दर्ज की गई राशि को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

वस्तु सूचियाँ

(3) रसायन एवं निर्माण सामग्री का मूल्यांकन निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। खरीद की लागत में शुल्क, कर, भाड़ा तथा व्यापार छूट, रियायत एवं अन्य समान मदों के अन्य निवल खर्च सम्मिलित हैं।

(4) हस्तगत स्टोर जैसे प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, वर्दियां, पॉलीथीन कवर एवं डनेज आदि को "प्रथम प्रवेश प्रथम निकास" आधार पर निम्न लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है।

(5) अनुप्रयोज्य/पुरानी निर्माण सामग्री को निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आंका गया है।

(6) खरीदे गए स्टॉक को निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है। लागत ''प्रथम प्रवेश–प्रथम निकास'' आधार पर निकाली जा रही है।

पूर्व अवधि व्यय/आय

(7) प्रत्येक मद हेतु 1,00,000/–रु. या इससे कम की पूर्व अवधि व्यय/आय तथा प्रीपेड व्यय को वर्तमान वर्ष में मान्यता दी गई है।

नकदी प्रवाह विवरण

(8) (क) नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है जो ''नकदी प्रवाह विवरण'' में लेखांकन मानक (एएस–3) पर निर्धारित होता है जिसमें कर पूर्व लाभ/हानि, गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों को कोई आस्थगन या पूर्व प्रोद्भूत या भविष्य की ऑपरेटिंग नकद प्राप्तियों या भुगतान और नकदी प्रवाह में वित्त पोषण या निवेश से जुड़े आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है।

(ख) नकद और नकद समतुल्य में नकदी हस्तगत, अल्पावधि और बैंक शेष राशि, अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामली जोखिम के अधीन हैं। **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा मूल्यह्रास।**

(9) (क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों को ऐतिहासिक लागत से कम संचित मूल्यह्रास तथा संचित न्यूनतम हानि पर लिया गया है। तथापि, पूर्णरूपेण मूल्यह्रासित परिसम्पत्ति को अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा गया है।

(ख) निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

स्थायी परिसंपत्तियां	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/मूर्त परिसंपत्तियां		
वेअरहाउस एवं गोदाम तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्डस, छत (प्री–कोटेड गालवॉल्यूम, स्टील शीट्स) फर्श–सीमेंट कंक्रीट, सड़क–सीमेंट कंक्रीट (सीसी)	30	5
परिवर्तनीय प्लिंथ	30	5

स्थायी परिसंपत्तियां	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
अपरिवर्तनीय प्लिंथ	5	5
कार्यालय भवन	60	5
आवासीय फ्लैट्स	60	5
जल एवं विद्युत संस्थापन	10	5
प्लांट एवं मशीनरी/रेलवे साइडिंग/लॉरी वेब्रिज	15	5
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/विद्युत उपकरण	10	5
कार्यालय उपकरण	5	5
अन्य उपकरण/निर्माण उपकरण	6	5
मोबाइल फोन	3	5
एचबीएल शीट	4	5
मोटर वाहन/मोटर लॉरी/मोटर कार	8	5
प्रयोगशाला उपकरण	5	5
कीटनाशन उपकरण	4	5
लकड़ी के क्रेट	6	5
पीसीसी ब्लॉक्स	8	5
रैक्स/टिन ट्रे	10	5
पोली पैलेट्स	10	5
कंप्यूटर्स	3	5
अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		
कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क	20	NIL
भूमि प्रयोग का अधिकार	10	NIL
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	NIL
लाइसेंस फीस–प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल	10	NIL

(ग) वेअरहाउस/भवन तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्ड, छत (प्री–कोटेड गालवॉल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट), सड़क (सीमेंट कंक्रीट) तथा लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित/सृजित अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उनकी उपरोल्लिखित उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया गया है, चूंकि लीज़ अवधि की समाप्ति के बाद ही सामान्यतः लीज़ नवीकृत होती है। यदि भूमि की लीज़ नवीकृत नहीं हुई हो तो इन परिसंपत्तियों पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से ह्रासित मूल्य तथा लाभ या हानि, यदि कोई है, से समायोजित कर लेन–देन को बही खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/– रु. तक है, उन्हें राजस्व में प्रभारित किया गया है। जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/– रु. से अधिक और 5000/– रु. तक है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है जिससे प्रत्येक ऐसी परिसम्पत्ति के लिए एक रु. का नाममात्र मूल्य रह जाता है।

(ङ) पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मूल्यह्रासित होती है।

(च) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों, जो उपयोग के लिए अभी तैयार नही हैं, को किए जा रहे पूंजीगत कार्य में सम्मिलित किया गया है।

(छ) अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत) के लिए क्षतिपूर्ति पर ब्याज, लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित होते हैं।

(ज) वेअरहाउस एवं गोदामों के महत्वपूर्ण घटकों जैसे छत (प्री–कोटेड गालवॉल्यमू स्टील शीट या समकक्ष), सड़कें (सीमेंट कंक्रीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यह्रासित किया गया है।

(10) जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी।

भूमि तथा सिविल कार्यों पर व्यय

(11) गोदामों का पूंजीकरण, भंडारण–योग्यता के पूर्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर है तथा गोदामों के कार्य प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

(12) भूमि अर्जन से संबंधित वास्तविक व्यय को वर्तमान दर पर देय स्टैम्प ड्यूटी के साथ पूंजीकृत किया

गया है। प्रदत्त एवं पहले से पूंजीकृत स्टैम्प ड्यूटी में अंतर के लिए आवश्यक समायोजन भुगतान/अधिकार विलेख के निष्पादन के वर्ष में किया गया है।

(13) जोखिम एवं लागत ठेके (सिविल) पर व्यय यदि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से अधिक है, तो इसे वसूली वाले लंबित पूंजी या मरम्मत कार्यों (जैसा भी मामला हो) में प्रभारित किया गया है।

(14) विभागीय रूप से निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों पर व्यय किए गए निर्माण ओवरहैड को कार्य की लागत के 7 प्रतिशत की दर से आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी के माध्यम से निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।

(15) किसी सिविल ठेके में माध्यस्थ निर्णय के अनुसरण में प्रदत्त क्षतिपूर्ति/ब्याज, लाभ में कमी इत्यादि जैसे राजस्व प्रकृति की देय राशि को राजस्व में प्रभारित किया गया है एवं प्रदत्त क्षतिपूर्ति/पूंजी प्रकृति की देय राशि को पूंजीकृत किया जाएगा।

राजस्व मान्यता

(16) राजस्व को मान्यता दी जाती है जब दी गई सेवाओं से प्राप्त की जाने वाली विचारणीय राशि के संबंध में कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न हो।

(क) भंडारण सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ उन्हें निम्न के प्रयोग से दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार समझौते/व्यवस्था के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(i) कार्गो की प्राप्ति/रिलीज पर आयातित कार्गो के लिए सम्पूर्ण सेवा संविदा पद्धति।

(ii) निगम द्वारा प्रदान की गई सभी अन्य सेवाओं के लिए समानुपातिक सम्पूर्ण पद्धति जिसमें निगम द्वारा किए गए जमा कार्य पर प्रभारित परामर्श फीस/पर्यवेक्षण फीस से प्राप्त आय शामिल है।

(iii) बिक्री प्रक्रिया से कालातीत बॉन्ड/लंबी अवधि के कार्गो पर इसकी वसूली के संबंध में।

(ख) खाली और बेकार (जैसे पुराने अखबार) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) लाभांश आय को तभी मान्यता है जब वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

(घ) ब्याज आय को तभी मान्यता है जब इसकी मापनीयता या संग्रहणीयता के अनुसार कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न हो। इसे समय अनुपातिक आधार पर बकाया राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है।

उपभोज्य वस्तुओं की लागत

(17) काली पोलीथीन फिल्मों, मल्टी–लेअर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कवर्स, बाँस की चटाइयों, पीवीसी फ्लोर डनेज और पॉलीथिन कवर्स तथा इस प्रकार की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की लागत को उनके उपयोग के लिए जारी किए गए वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति योजना व्यय

(18) सेवांत लाभों (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय सहित) को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है जिसमें वे प्राप्त हुए हैं।

बीमा दावे

(19) प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा दावे के निपटान में यदि कोई अंतर हो, तो बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय इसे लेखाबद्ध किया जाता है। बीमाकर्ता से दावा प्राप्त होने के पश्चात् ही जमाकर्ता को भुगतान किया जाता है।

माध्यस्थ निर्णय

(20) निगम के विरुद्ध माध्यस्थ निर्णय को तभी माना गया जब इसके लिए कोई विवाद नहीं उठाया गया। फिर भी, निगम के पक्ष में दी गई राशि को वसूली के समय ही लेखाबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित होती है।

ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध करना

(21) जहां पर यथोचित वसूली निश्चित हो, वहां ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध किया जाता है।

अदावाकृत लाभांश

(22) जिन लाभांश वारंट को इनकैश नहीं किया गया है उन्हें ''अदावाकृत लाभांश'' शीर्ष के तहत देयता के

रूप में दर्शाया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हों।

विदेशी मुद्रा लेन–देन

(23) प्रारंभिक मान्यता

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन–देन को लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया गया है।

बाद में मान्यता

रिपोर्टिंग की तिथि को गैर–मौद्रिक वस्तुओं (राजस्व मद एवं स्थाई परिसम्पतियां) जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत में नामित शर्तों पर रखा गया है, को लेन–देन की तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करके दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा में सभी मौद्रिक परिसम्पतियों एवं देयताओं (वर्तमान परिसम्पतियाँ एवं वर्तमान देयताएं) को तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए पुनः दिया गया है एवं विनिमय अन्तर को लाभ–हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

सरकारी अनुदान

(24) सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किए जाते हैं जब इसमें युक्तिसंगत आश्वासन दिया जाता है कि इसे प्राप्त किया जाएगा और इससे जुड़ी सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(क) विशिष्ट स्थायी परिसम्पतियों से संबंधित पूंजी अनुदान को संबंधित परिसम्पतियों के सकल मूल्य से घटाया गया है।

(ख) राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चे घटाकर लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

निवेश

(25) निवेश को वर्तमान एवं गैर–वर्तमान निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।

कर्मचारी लाभ

(26) (क) सभी लघु अवधि कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में छूट रहित राशि पर मान्यता दी गई है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

(ख) भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि को अंशदान योजना में पारिभाषित किया गया है। वर्ष के दौरान दिए गए अंशदान की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

(ग) छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी तथा एलटीसी के संबंध में परिभाषित लाभ योजनाओं के अधीन कर्मचारी लाभों की परिभाषित लाभ देयता को वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई तथा वर्ष के अंत में प्रोजैक्टिड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई। वर्ष के दौरान योजना परिसंपत्तियों की अधिकता को वास्तविक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।

(घ) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के भुगतान को प्रोद्भतू आधार पर लाभ–हानि खाते में मान्यता दी गई है।

पट्टे

(27) प्रचालन पट्टे :

जहाँ निगम पट्टाकर्ता है :

वे पट्टे जिनमें निगम महत्वपूर्ण रूप से परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का हस्तांतरण नहीं करता, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों की परिसम्पतियाँ, स्थाई परिसम्पत्तियों में सम्मिलित हैं। प्रचालन पट्टे पर आय को लाभ–हानि लेखों में पट्टे की शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्यता दी गई है। मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रूप में लाभ हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

जहाँ निगम पट्टेदार है :

जहाँ पर पट्टाकर्ता पट्टे की मदों के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को प्रभावी रूप से रखता है, वहाँ पट्टेदार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टे भुगतान को पट्टे शर्तों पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

आय पर कर

(28) (क) आयकर व्यय में चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर के लिए प्रावधान निर्धारण

योग्य लाभ पर आधारित है तथा इसकी गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। आस्थगित कर को मान्यता दी गई है, बशर्ते कि एक अवधि में होने वाले कर–योग्य एवं लेखाबद्ध आय/व्यय के बीच अंतर से होने वाले समय अंतराल पर स्वविवेक के अधीन एक या एक से अधिक आगामी अवधि में उसकी वापसी सुनिश्चित कर दी गई है।

(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां केवल तभी मान्य होगी, जब यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी, जिस पर ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल की जा सकेंगी। यदि निगम ने अनामेलित मूल्यह्रास तथा कर हानियां, अग्रेषित की हैं, तो आस्थगित कर परिसंपतियों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपतियों की वसूली की जा सकेगी।

(ग) कर विधियों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भविष्य के आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी करते हैं, उन्हें परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाए जब यह विश्वसनीय साक्ष्य हो कि निगम भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करेगा। निगम प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में इसकी समीक्षा करता है और मैट क्रेडिट पात्रता की अग्रेषित राशि को उस सीमा तक पुरांकित करता है, जब तक ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य न रह जाए कि निगम विनिर्दिष्ट अवधि में क्रेडिट का उपयोग करने के योग्य होगा।

अमूर्त परिसंपत्तियां

(29) (क) कंटेनर रेल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे को दी गई लाइसेंस फीस/पंजीकरण फीस को "अमूर्त परिसम्पत्तियों" के रूप में पूंजीकृत किया गया है और 20 वर्ष की अवधि अर्थात् प्रचालन प्रारम्भ करने के वर्ष से रेलवे द्वारा जितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है, में परिशोधित किया गया है।

(ख) ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार उपयोग के अधिकार'' की अवधि को ध्यान में रखे बगैर प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखांकन नीति सं. 8(ख) में उल्लिखित है। यदि ''प्रयोग का अधिकार'' वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है और लेनदेन को लेखा बहियों में तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) जो सॉफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया है और 03 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

(घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस की लागत को 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

परिसंपत्तियों में क्षीणता

(30) यदि परिसंपत्तियों के रख–रखाव की लागत इसकी वसूली योग्य कीमत से बढ़ जाती है तो उन सम्पत्तियों को क्षीण माना जाता है। क्षीणता हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में परिसम्पत्तियों की क्षीणता का पता चलता है। यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में मान्य क्षीणता हानि प्रत्यावर्तित हो जाती है।

प्रावधान, आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

(31) (क) पिछली घटना के फलस्वरूप जब निगम के वर्तमान दायित्व होते हैं, तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा संभव है कि दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता हो और जिसके बारे में वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है।

(ख) निगम के विरुद्ध दावों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण उपलब्ध सूचना तथा प्रबंधन के फैसले के आधार पर निर्धारित किए गए तथा लेखों की टिप्पणियों द्वारा प्रकट किए गए। तथापि, आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी गई और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।

(ग) पूर्वव्यापी प्रभाव के लेखों के परिचालन की तिथि के बाद लिए गए निर्णय के कारण देयताओं/अर्जित आय को सीधे संबद्ध लेखा शीर्ष के अधीन लेखाबद्ध किया गया है।

(घ) कर्मचारियों के यात्रा व्यय तथा छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी देयताओं, जहाँ यात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होती है लेकिन बिलों की प्रतीक्षा रहती है, बशर्ते कि उन्हें अग्रिम का भुगतान किया गया है और बिलों का आवश्यक समायोजन अगले वर्ष बिल प्राप्ति पर किया जाता है।

(ङ) जब तक कि कोई विवाद न हो संपत्ति कर को प्राप्त माँग तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

(32) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तभी किए जाते हैं, जब देनदार/ऋण एवं अग्रिम की वसूली संदिग्ध मानी जाती है।

J.K. SARAWGI & COMPANY
NEW DELHI
CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूची– XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

1. लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

नई नीति संख्या	लेखांकन नीति (पुरानी)	लेखांकन नीति (संशोधित)	लाभ पर प्रभाव (लाख रु. में)
8	कोई नीति नहीं है।	**नकदी प्रवाह विवरण**	
		(क) नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है जो ''नकदी प्रवाह विवरण'' में लेखांकन मानक (एएस–3) पर निर्धारित होता है जिसमें कर पूर्व लाभ/हानि, गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों को कोई आस्थगन या पूर्व प्रोद्भूत या भविष्य की ऑपरेटिंग नकद प्राप्तियों या भुगतान और नकदी प्रवाह में वित्त पोषण या निवेश से जुड़े आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है। (ख) नकद और नकद समतुल्य में नकदी हस्तगत, अल्पावधि और बैंक शेष राशि, अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामली जोखिम के अधीन हैं।	शून्य (नई नीति)
14	विभागीय रूप से निष्पादित किए गए पूंजी तथा जमा कार्यों पर व्यय किए गए निर्माण ओवरहैड को कार्य की लागत का 7 प्रतिशत की दर से या वास्तविक ओवरहैड दर पर जो भी कम हो, आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।	विभागीय रूप से निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों पर व्यय किए गए निर्माण ओवरहैड को कार्य की लागत के 7 प्रतिशत की दर से आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी द्वारा निष्पादित किए गए पूंजी कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार वास्तविक देय राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।	247.80 (वृद्धि)
19	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के लिए वसूल की जाने वाली राशि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जब दावा किया गया हो। बीमा दावे के निपटान के संबंध में लाभ या हानि को सर्वेक्षण	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा दावे के निपटान में यदि कोई अंतर हो तो बीमा कंपनी से सर्वेक्षण रिपोर्ट/दावे की प्राप्ति बीमाकर्ता से दावा प्राप्त	शून्य

नई नीति संख्या	लेखांकन नीति (पुरानी)	लेखांकन नीति (संशोधित)	लाभ पर प्रभाव (लाख रु. में)
	रिपोर्ट की प्राप्ति/बीमा कंपनी से दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय लेखाबद्ध किया जाता है। जमाकर्ता को दावे का भुगतान उसकी रसीद प्राप्त होने के बाद किया जाता है।	होने के बाद ही समय से जमाकर्ता को दावे का भुगतान किया जाता है।	
लागू नहीं	**पुरानी नीति 8 (एच)** अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज आय एवं निर्माण खंड की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर लगाया गया मूल्यह्रास पूंजीकृत नहीं है।	हटाए गए	शून्य

2. **सिविल अनुबंधों पर पूंजी प्रतिबद्धता अनुमानित देयताएं:**

(क) 31.03.2020 को निष्पादित किए जाने वाले शेष पूंजी लेखा पर सिविल ठेकों की अनुमानित राशि 11518.84 लाख रु. (गत वर्ष 3902.82 लाख रु.) है।

(ख) दिनांक 31.03.2020 तक पूरे किए गए निर्माण कार्य हेतु 4764.14 लाख रु. (गत वर्ष 1567.28 लाख रु.) की अनुमानित देयता जिसके लिए ठेकेदारों द्वारा बिल नहीं दिए गए हैं, उसे साइट इंजीनियरों के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. **अभियांत्रिकी ओवरहैड्स का आबंटन**

लेखांकन नीति संख्या–14 के अनुसार 1072.14 लाख रु. (गत वर्ष 354.85 लाख रु.) की राशि के अभियांत्रिकी ओवरहेड्स को वर्ष के दौरान निगम द्वारा किए गए पूंजी कार्यों के लिए आबंटित किया गया है।

4. **राजस्व मान्यता**

(क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उनके पत्र दिनांक 13.11.2019 के अनुसार) ने वर्ष 2017–18 के लिए आरक्षण के आधार पर एफसीआई स्टॉक के लिए भंडारण दरों को संशोधित कर 4.68 रु. से 5.21 रु. प्रति बैग प्रति माह कर दिया है। 01.04.2017 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ऐसे स्टॉक के संबंध में 8053.21 लाख रु. के आय का बकाया चालू वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष 2019–20 की आय 5.21 रु. प्रति बैग प्रति माह की दर से लेखाबद्ध की गई है।

(ख) ए.एस.–9 के अनुसार 61514.41 लाख रु. की राशि के निम्नलिखित मामलों में उनके अंतिम संग्रह (अल्टीमेट कलैक्शन) में अनिश्चितता के कारण राजस्व मान्यता को स्थगित कर दिया गया है :

क) आईसीडी–लोनी में रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन प्रचालक (एसएएमओ) के साथ विवाद के संबंध में निगम ने निम्न के लिए दावा किया (क) 1670.28 लाख रु. के खाली कंटेनरों पर परिवर्तनीय शुल्क (ख) अन्य निजी कंटेनर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर (पीसीटीओ) की ट्रेनों पर कंटेनर परिवहन के 6556.94 लाख रु. (ग) टर्मिनल एक्सेस चार्जेज के 13978.98 लाख रु. (घ) आईसीडी– लोनी एवं गेट–वे पोर्ट के बीच सड़क द्वारा कंटेनर ले जाने के संबंध में 435.21 लाख रु. का शुल्क (ड़) अधिक क्षेत्र के लिए 1962.50 लाख रु. का प्रभार तथा (च) डब्ल्यूडब्ल्यूआईएलपीएल की विफलता के कारण समझौते के अनुसार एक रेक प्रदान करने हेतु 1036.80 लाख रु. हानि (छ) केंद्रीय भंडारण निगम को व्यापार एवं राजस्व में 454.22 लाख रु. की हानि (ज) भुगतान में देरी पर ब्याज हेतु 20596.34 लाख रु.।

ख) सीएफएस, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरू में पूर्व रणनीतिक भागीदारी प्रबन्धन ठेका जो 30.4.2014 से समाप्त हो गया था, के संबंध में निगम ने बाण्डेड भण्डारण तथा खाली कंटनेरों इत्यादि से प्राप्त आय के अंश के लिए माध्यस्थम के समक्ष 2856.13 लाख रु. का प्रतिदावा किया जिसे माध्यस्थम् द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले की उच्च न्यायालय में अपील की गई है। मध्यस्थता में निगम ने खर्चों की वसूली के लिए 885.08 लाख रु. का प्रतिदावा भी किया है।

ग) सीएफएस, लॉजिस्टिक पार्क, नवी मुम्बई में रेल लिंक्ड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन ठेके के संबंध में रेलवे प्रचालन शुरू करने के बारे में विवाद है तथा 25 अगस्त, 2014 तक निगम द्वारा दावाकृत 8 प्रतिशत की तुलना में एसएएमओ ने कुल राजस्व के 6 प्रतिशत की दर से परिवर्तनीय शुल्क का भुगतान किया जिसमें परिवर्तन फीस के 1558.38 लाख रु. तथा भुगतान में विलम्ब के लिए 3945.80 लाख रु. का ब्याज विवादित राशि है।

घ) सीएफएस, कालम्बोली में रेल लिंक्ड सुविधा के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में जहां निर्धारित एवं परिवर्तनीय शुल्क के भुगतान में एसएएमओ द्वारा देरी हुई एवं कानूनी कार्रवाई लंबित है तथा भुगतान में देरी हेतु निगम ने 1708.60 लाख रुपए के ब्याज का दावा किया है जो एसएएमओ द्वारा विवादित है।

ड़) केन्द्रीय भंडारण निगम के नवी मुम्बई में सीएफएस तथा बफर यार्ड सुविधा की लीज़ समाप्त होने पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) द्वारा सुविधा की फिजीकल पोजेशन दिसंबर, 2005 में दूसरे ऑपरेटर को दे दी गई थी। साथ ही, निगम की कब्ज़े में जो कंटेनर/कार्गो थे, उनका फिजीकल पोज़ेशन भी उसे दे दिया गया था। निगम ने नए प्रचालक/जेएनपीटी पर 3095.00 लाख रु. का दावा किया है।

च) वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान 411.20 लाख रु. के विचारार्थ सहारनपुर बीडी की 22.867 एकड़ भूमि (गोदाम सहित), मैसर्स डीएफसीसीआईएल को स्थानांतरित कर दी गई है तथा लाभ 410.43 लाख रु. को वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लेखाबद्ध कर दिया गया है। अतः बाद में केन्द्रीय भंडारण निगम ने दावे की समीक्षा की तथा 1310.10 लाख रु. के अंतर का दावा किया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 535.95 लाख रु. का भुगतान डीएफसीसीआईएल द्वारा किया गया है। जिसे वित्तीय वर्ष 2019–20 में परिसम्पत्तियों की बिक्री खाते पर लाभ में स्थानांतरिंत कर दिया है, चूंकि 774.15 लाख रु. की शेष वसूली राशि आकस्मिक/अनिश्चित प्रकृति की है। अतः निगम द्वारा आय को लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

5. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

(क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में लेन–देन नहीं किया गया है:

(ख) वर्ष के दौरान 10.41 लाख रु. (आय) (गत वर्ष 8.32 लाख रु. (आय)) के निवल विनिमय अन्तर को मान्यता दी गई जो विदेशी मुद्रा में निवल भुगतान/प्राप्ति योग्य से संबंधित है।

6. सरकारी अनुदानः

वर्ष 2019–20 के दौरान सरकारी अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता तथा दिनांक 31.03.2020 को उनके शेष का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रु. में)

क्रम सं	उद्देश्य	केन्द्र का नाम	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	वापिस किया गया अनुदान	अंत शेष
	पूंजी अनुदान		क	ख	ग	घ	ड=(क+ख -ग-घ)
1	पुराक्कड़, अलीप्पे में गोदाम का निर्माण–केरल सरकार से प्राप्त (#क)	सै.वे. पुराक्कड़	488.00	-	-	-	488.00

क्रम सं	उद्देश्य	केन्द्र का नाम	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान	वापिस किया गया अनुदान	अंत शेष
2	पिपावाव (गुजरात) में सीएफएस की स्थापना–वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (#ख)	सीएफएस पिपावाव	155.64	-	-	-	155.64
3	आईसीडी–पटपड़गंज (दिल्ली) में आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सुविधा लगाना– वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (#ख)	आईसीडी पटपड़गंज	385.36	-	-	-	385.36
	कुल अनुदान		**1029.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1029.00**

 # नोटः

क) अनुदान का उपयोग 28 सितंबर, 2018 तक किया जाना था। धान के भंडारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु दलदली भूमि के सुधार/रूपांतरण के कारण काम में देरी हुई है। निगम द्वारा समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है। चूंकि अनुदान की निबंधन और शर्तों में कोई ब्याज खंड नहीं है, इसलिए ब्याज नहीं दिया गया है।

ख) पिछले वर्षों में सीएफएस पिपावाव एवं आईसीडी पटपड़गंज के लिए एएसआईडीई योजना के अंतर्गत निगम द्वारा उपयोग किए गए क्रमशः 155.64 लाख रु. एवं 385.36 लाख रु. के अनुदान को किए गए व्यय के नियमितीकरण पर वाणिज्य मंत्रालय के लंबित निर्णय के आधार पर 2017–18 में पुनः दर्शाया गया। ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 54.10 लाख रु. के 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज को लेखों में दिया गया है। 31.03.2020 तक कुल ब्याज 658.86 लाख रु. लेखाबद्ध किया गया है।

7. निवेश का लेखांकन

(क) (i) निगम द्वारा 31.3.2020 तक निम्नलिखित निवेश किया गयाः–

लाख रु. में

निवेश (अनुधृत) :	31.03.2020 को	31.03.2019 को
राज्य भण्डारण निगमों (रा.भ.नि.) (सहयोगी) में इक्विटी (दीर्घ अवधि)	6179.38	6179.38
सैंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) (100% सहायक कंपनी) में इक्विटी (दीर्घ अवधि)	4056.00	4056.00
इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लि. (आईसीईएक्स) में इक्विटी – दीर्घ अवधि 376.81 लाख रु. – चालू 456.09 लाख रु.	832.90	832.90
पीपावाव इंटीग्रेटिड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच) (चालू)	438.45	-
कुल	11506.73	11068.28

(ii) केन्द्रीय भण्डारण निगम ने राज्य भण्डारण निगमों की अंश पूंजी में अपना 50 प्रतिशत अंश देना है जहाँ संबंधित राज्य सरकारों ने पहले ही अपना 50 प्रतिशत अंश दे दिया है। राज्य भंडारण निगम की समेकित हानियाँ, लेखों का तैयार न होना, वार्षिक साधारण बैठक का समय पर न होना तथा लाभांश का भुगतान समय पर न देने के कारण निगम ने असम राज्य भण्डारण निगम, कर्नाटक राज्य भण्डारण निगम, केरल राज्य भण्डारण निगम तथा मेघालय राज्य भण्डारण निगम की अंशपूंजी में 50 प्रतिशत के अपने अंश का भुगतान नहीं किया है।

(ख) उपरोक्त निवेश से अर्जित 2802.87 लाख रु. के लाभांश को लाभ एवं हानि लेखे में निम्नानुसार शामिल किया गया है :

लाख रु. में

सहायक	2019-20	2018-19
राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) से प्राप्त लाभांश	2518.95	1839.91
सीआरडब्ल्यूसी (सहायक कंपनी) से प्राप्त लाभांश	283.92	689.52
कुल	2802.87	2529.43

8. कर्मचारी लाभ का प्रकटन

(क) परिभाषित अंशदान योजना

(i) (क) वर्ष के लिए केभनि कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान 2855.10 लाख रु. (गत वर्ष 3013.13 लाख रु.) रहा।

(ख) वर्ष में केन्द्रीय भण्डारण निगम पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान 2447.29 लाख रु. (गत वर्ष 1972.24 लाख रु.) है।

(ii) (क) वर्ष के लिए केभनि सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि में नियोक्ता का योगदान 3069.40 लाख रु. (गत वर्ष 732.97 लाख रु.) निर्धारित किया गया है।

(ख) पीआरएमबी योजना में भाग लेने वाले सेवानिवृत तथा मौजूदा कर्मचारियों ने समूह 'क' को 1500/– रु., समूह 'ख' को 1200/– रु., समूह 'ग' को 900 रु. एवं समूह 'घ' को 600/– रु. का वार्षिक योगदान करना आवश्यक है।

(ख) परिभाषित लाभ योजना

(i) कर्मचारी लाभ अर्थात् ग्रेच्युटी, छुट्टी लाभ एवं छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन कर दिया गया है।

(ii) छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित के संबंध में, 12.02.2018 को बोर्ड के निर्णय के अनुसार वर्ष के दौरान निगम द्वारा 637.15 लाख रु. (आयकर देयता के निवल) पर अर्जित किए गए 7.58 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए क्रेडिट (गत वर्ष 630.96 लाख रु.) को लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से छुट्टी लाभ निधि के लिए आरक्षित में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(iii) कर्मचारी लाभ दायित्व के अथशेष एवं अंतशेष का मिलान निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. स.	विवरण	ग्रेच्युटी (निधिकारी)		छुट्टी लाभ (अनिधिकारी)		एलटीसी (अनिधिकारी)	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	अप्रैल को देयता का वर्तमान मूल्य	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
2	जोड़ा : ब्याज लागत	22.23	25.71	9.81	10.71	0	0
3	जोड़ा : चालू सेवा लागत	7.40	8.95	8.79	6.62	0.62	1.60
4	जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
5	जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
6	घटाया : प्रदत्त लाभ	(77.77)	(73.07)	(37.41)	(37.37)	(0.60)	(1.21)

क्र. स.	विवरण	ग्रेच्युटी (निधिकारी)		छुट्टी लाभ (अनिधिकारी)		एलटीसी (अनिधिकारी)	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
7	देयता में बीमांकिक (लाभ)/हानि (संतुलन आंकड़ा)	2.78	(7.44)	12.23	8.28	0	0
8	31 मार्च को देयता का वर्तमान मूल्य	247.08	292.44	122.53	129.10	2.99	2.97
9	1 अप्रैल को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23	0	0	0	0
10	जोड़ा : योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित रिटर्न	21.74	19.17	0	0	0	0
11	जोड़ा : योगदान	11.88	86.06	0	0	0	0
12	जोड़ा : निधि ट्रांसफर (इनवाईस)	0	0.05	0	0	0	0
13	घटाया : प्रदत्त लाभ	(77.77)	(73.07)	0	0	0	0
14	योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि (संतुलन आंकड़ा)	(3.01)	1.60	0	0	0	0
15	31 मार्च को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	238.88	286.04	0	0	0	0
16	मानक के अनुसार तत्काल मान्यता दिए जाने वाले कुल बीमांकिक मूल्यांकन (लाभ)/हानि	(5.79)	9.04	12.23	(8.28)	0	0
17	निवेश पर रिटर्न से क्रेडिट (कर का निवल)	0	0	6.37	6.31	0	0
18	लाभ एवं हानि लेखे में मान्य व्यय	13.68	6.36	24.46	18.90	0.62	1.58
19	पूंजीकृत व्यय	0	0.05	0	0.40	0	0.02
	कुल व्यय	**13.68**	**6.41**	**24.46**	**19.30**	**0.62**	**1.60**

(iv) योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान (ग्रेच्युटी फंड) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में निगम के पास ग्रेच्युटी के सिवाय कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं हैं जिसके लिए 24 मार्च, 2010 को ग्रेच्यूटी ट्रस्ट बनाया गया था। 31.3.2020 को ग्रेच्युटी फंड के संबंध में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य 238.88 करोड़ रु. (गत वर्ष 286.04 करोड़ रु.) है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

करोड रु. में

विवरण	2019-20	2018-19
अवधि के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	286.04	252.23
योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित वापसी	21.74	19.17
नियोक्ता योगदान (ट्रस्ट को भुगतान)	11.88	86.06
निधि हस्तांतरण (आई एन)	0	0.05
योजना परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(3.01)	1.60
लाभ का भुगतान	(77.77)	(73.07)
अवधि के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**238.88**	**286.04**

(v) मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् प्रोजैक्टिड यूनिट क्रैडिट (पीयूसी) का प्रयोग करके कर्मचारियों के लाभ की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया।

(vi) कर्मचारी लाभ की देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए गए बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं : –

वित्तीय पूर्वानुमान	ग्रेच्युटी		छुट्टी लाभ		एलटीसी	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
छूट दर	6.80%	7.60%	6.80%	7.60%	6.80%	7.60%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	6.80%	7.60%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में अनुमानित वेतन	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12–14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12–14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12–14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 06–08 अंतिम
प्रतिवर्ष संघर्षण/निकासी दर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
औसत भावी कार्यशील अवधि (वर्ष में)	16.05	12.84	16.05	12.84	16.05	12.84

(vii) इस वर्ष तथा गत चार वर्षों की परिभाषित लाभ देयता (योजना परिसम्पत्तियों का निवल) का वर्तमान मूल्य नीचे दिया गया हैं :–

लाख रु. में

परिभाषित लाभ	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
ग्रेच्युटी	820.07	640.41	8605.69	1292.99	883.61
छुट्टी लाभ	12252.79	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26
एलटीसी	299.26	297.13	258.41	244.35	194.24

(viii)निगम ने वर्ष 2013–14 से उन कर्मचारियों के नामिति/कानूनी वारिस को एकमुश्त अनुग्रही क्षतिपूर्ति के भुगतान का लाभ देने की सुविधा विस्तारित की है जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई थी, जिसमें ग एवं घ समूह के कर्मचारियों को 7.50 लाख रु. तथा क एवं ख समूह के कर्मचारियों को 10 लाख रु. देय हैं। चालू वर्ष में मृत्यु पर मुआवजे के लिए 100.00 लाख रु. (गत वर्ष 182.19 लाख रु.) के व्यय को लेखाबद्ध किया गया है।

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रबंधन की राय में निगम के पास कोई अलग–से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक 18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन का प्रकटन निम्नानुसार है:–

क) संबंधित पार्टियाँ और उनकी सम्बद्धता की सूची:

क्र. सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
1)	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी)	सहायक कंपनी
ii)	19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (अनुसूची–III)	सहयोगी
iii)	पीपावाव इंडिग्रेटिड लॉजिस्टिक हब (पीआईएलएच)	संयुक्त उद्यम

	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
iv)	श्री डी.वी. प्रसाद	अध्यक्ष
v)	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक
vi)	श्री एस. चार्ल्स	निदेशक (वित्त)
vii)	श्री राकेश कुमार सिन्हा (16.05.2019 से)	निदेशक (कार्मिक)
viii)	श्री एस.सी. मुद्गेरीकर (30.09.2019 तक)	निदेशक (एम एडं सीपी)

ख) संबंधित पार्टियों से लेन–देन:

(लाख रु. में)

(i)	**सी.आर.डब्ल्यू.सी. (सहायक कम्पनी)**	
	– प्राप्त लाभांश	283.92
	– केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा सीआरडब्ल्यूसी को लोन का भुगतान	1461.00
	– सीआरडब्ल्यूसी द्वारा प्रत्यभूत ऋण का भुगतान (31.03.2020 को बकाया ऋण 1641.00 लाख रु. है)	958.70
	– सीआरडब्ल्यूसी को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज	109.49
	– सीआरडब्ल्यूसी को प्रदान की गई पीसीएस सेवाएं	1.89
(ii)	**19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (सहयोगी)**	
	– राज्य भण्डारण निगमों से लाभांश आय	2518.95
	– उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	8.34
	– गुजरात राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	274.62
	– गुजरात राज्य भण्डारण निगम से प्रदत्त रॉयल्टी	0.97
	– ओडिशा एसडब्ल्यूसी के लिए निष्पादित जमा कार्य पर अर्जित की गईं इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाएं	9.53
(iii)	**पीआईएलएच (संयुक्त उद्यम)**	
	– सुविधा शुल्क और व्यय की प्रतिपूर्ति	281.71
	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
(iv)	**डॉ. डी.वी. प्रसाद**	**शून्य**
(v)	**श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव**	
	– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 48.49 लाख रु. तथा वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.41 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	48.90
	– यात्रा खर्चे	4.89
(vi)	**श्री एस. चार्ल्स**	
	– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 39.12 लाख रु. तथा वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 1.15 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	40.27
	– यात्रा खर्चे	1.92
(vii)	**श्री राकेश कुमार सिन्हा**	
	– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 37.75 लाख रु. तथा वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.58 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	38.33
	– यात्रा खर्चे	2.24
(viii)	**श्री एस.सी. मुद्गेरीकर**	
	– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 18.63 लाख रु. तथा वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 1.86 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित है)	20.49
	– यात्रा खर्चे	0.76

ग) सहायक कंपनी ''सीआरडब्ल्यूसी''

i) निगम ने अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी "सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी)" की इक्विटी में 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार 4056.00 लाख रु. (गत वर्ष 4056.00 लाख रु.) का निवेश किया है।

ii) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार सीआरडब्ल्यूसी से कुल 1641.00 लाख रु. के निम्नलिखित ऋणों की राशि बकाया है:

क) सीडब्ल्यूसी से रेलसाइड वेअरहाउसों को अन्तरण–शून्य (गत वर्ष 688.70 लाख रु.)।

ख) कार्यशील पूंजी के लिए 180.00 लाख रु. का ऋण (गत वर्ष 450.00 लाख रु.)।

ग) 1461.00 लाख रु. का आवधिक ऋण (गत वर्ष शून्य)।

iii) ऋण पर सीआरडब्ल्यूसी द्वारा देय ब्याज इस प्रकार है –

क) सीडब्ल्यूसी से रेल साइड वेअरहाउसों के अंतरण के लिए 7.63 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष (तिमाही आधार पर)

ख) सीआरडब्ल्यूसी द्वारा तिमाही आधार अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ

तिमाही के लिए क्रमशः 8.45, 8.33, 8.18 तथा 8.05 प्रतिशत पर पीएनबी की ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी ऋण देय है।

ग) आवधिक ऋण की लागू ब्याज दर 8.45 प्रतिशत की दर से है अर्थात एक वर्ष की रीसेट अवधि (तिमाही आधार पर) के साथ पीएनबी की एमसीएलआर।

iv) वर्ष के दौरान उपरोक्त ऋण पर 109.49 लाख रु. (गत वर्ष 149.86 लाख रु.) की ब्याज आय को लेखाबद्ध किया गया है।

11. पट्टों का प्रचालन

पट्टाकार के रूप में

निगम ने आईसीडी, लोनी तथा सीएफएस लॉजिस्टिक पार्क के लिए रणनीतिक भागीदारी प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो रद्द हो सकने वाले प्रचालन पट्टे हैं।

क) पट्टेदारों को 31.03.2020 को प्रदान की गई स्थायी परिसंपत्तियाँ निम्नलिखित हैं :–

लाख रु. में

विवरण	सकल राशि	संचित मूल्यह्रास	निवल खाता मूल्य
पट्टे पर भूमि	5521.00	1558.31	3962.69
वेअरहाउस एवं गोदाम	1028.22	358.69	669.53
जल संस्थापन	5.64	5.36	0.28
विद्युत संस्थापन	245.90	233.60	12.30
खुला कंटेनर यार्ड	2628.51	679.71	1948.80
कुल	9429.27	2835.67	6593.60

ख) वर्ष के दौरान पट्टे पर दी गई उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर 243.41 लाख रु. (गत वर्ष 238.05 लाख रु.) का सकल मूल्यह्रास प्रभारित किया गया। उपर्युक्त परिसंपत्तियों पर कोई क्षीणता हानि का कोई संकेत नहीं है। उपर्युक्त आईसीडी, लोनी तथा सीएफएस लॉजिस्टिक्स पार्क/को प्रति टीईयू निश्चित शुल्क और परिवर्तनशील शुल्क को ध्यान में रखकर 15 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया है, बशर्ते, न्यूनतम गारंटीड थ्रुपुट/न्यूनतम राशि 5 से 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सहित प्राप्त होनी चाहिए। वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टों से 5929.60 लाख रु. (गत वर्ष 5799.97 लाख रु.) की कुल आय दर्शाई गई जिसमें से 535.99 लाख रु. (गत वर्ष 79.63 लाख रु.) आकस्मिक किराए के रूप में दर्शाए गए हैं।

12 प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या से वर्ष में इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को विभाजित करके मूल और मिश्रित ईपीएस राशि की निम्नानुसार गणना की जाती है :–

मूल एवं मिश्रित	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ख) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ग) वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	6,80,210	6,80,210
घ) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹ में)	1000/-	1000/-
ङ) इक्विटी अंशधारियों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् लाभ (राशि ₹ में)	3,72,32,35,325/-	163,60,52,277/-
प्रति इक्विटी शेयर आय – मूल (₹ में)	5473.66	2405.22
प्रति इक्विटी शेयर आय – मूल (₹ में)	5473.66	2405.22

13. आय पर कर

i. इस वर्ष कर व्यय 3734.58 लाख रु. (गत वर्ष 6181.43 लाख रु.) हुआ जिसमें 10855.87 लाख रु. वर्तमान कर, आस्थगित कर 2175.42 लाख रु. (जमा) और पिछले वर्ष का कर समायोजन 4945.87 लाख रु. (जमा) समाविष्ट है।

ii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थागित कर देयताओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे बंद करने हेतु कानून लागू करने योग्य अधिकार हैं। दिनांक 31.03.2020 को निवल आस्थगित कर देयता 3297.25 लाख रु. (गत वर्ष 5472.67 लाख रु.) है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

(लाख रु. में)

आस्थगित कर देयताएं		2019-20	2018-19
क.	स्थायी परिसम्पत्तियों के खंड में मूल्यह्रास और अन्य अंतर	18108.69	25456.09
ख.	आयकर प्रतिपूर्ति पर प्रोद्भतू ब्याज	191.47	43.70
कुल		**18300.16**	**25499.79**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			
क.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	7482.66	9507.30
ख.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	206.41	223.78
ग.	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, दर, कर एवं शुल्कों, पीआरएमबी तथा अपरिशोधित पीआरएमबी सेवांत लागत आदि के लिए प्रावधान	5104.01	8557.11
घ.	अनिश्चित देयताओं के लिए प्रावधान	2209.83	1738.93
कुल		**15002.91**	**20027.12**
आस्थगित कर देयताएं (निवल)		**3297.25**	**5472.67**

iii. अपीलीय अधिकारी के अनुकूल निर्णयों को देखते हुए निर्धारण वर्ष 1997–98, 2001–02, 2002–03 के लिए दिनांक 31.03.2020 को आयकर विभाग से 565.53 लाख रु. वसूली योग्य राशि प्राप्त हुई।

iv. निगम ने कराधान नियम (संशोधित) अधिनियम, 2019 द्वारा शुरू किए गए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमति योग्य विकल्प का प्रयोग किया है। तदनुसार, 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर (वर्तमान कर) हेतु प्रावधान को मान्यता दी गई हैं तथा धारा 115 बीएए के अंतर्गत निर्धारित दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताओं का पुन: आकलन भी किया है।

14. सहायक/सहयोगी में हिस्सेदारी

(क) निगम की अपनी सहायक कम्पनी, सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि., (सीआरडब्ल्यूसी) में 4056.00 लाख रु. की 100 प्रतिशत इक्विटी है, इनकी गैर लेखा परीक्षित लेखों का वित्तीय विवरण निम्नानुसार है:

लाख रु. में

विवरण	2019-20	2018-19
सकल राजस्व	8262.03	8794.49
सकल व्यय	6360.53	7158.72
कर पूर्व लाभ	1901.50	1635.77
कर पश्चात् लाभ	1590.12	1487.71
परिसम्पत्तियां	20763.45	20067.81
पूंजी एवं आरक्षित	13752.41	12504.57
देयताएं	7011.04	7563.24
आकस्मिक देयता	921.87	565.76

(ख) निगम ने वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा 19(2) के संबंध में अपनी सहयोगी अर्थात् 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) की अंशपूंजी में निवेश किया है। इन एसडब्ल्यूसी को दिनांक 31.3.2020 के लेखा परीक्षित लेखों के प्राप्त न होने के कारण इनकी परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं, आय तथा व्यय में निगम के शेयर को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 जिसके तहत निगम का गठन हुआ है, के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार एवं प्रस्तुत करने की विशेष आवश्यकता नहीं हैं। परिणामस्वरूप इन्हें तैयार नहीं किया गया है।

(घ) केंद्रीय भंडारण निगम (केभनि) तथा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकोर) ने पीपावाव पोर्ट (गुजरात) पर लॉजिस्टिक्स सुविधा चलाने हेतु पीपावाव इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब (पीआईएलएच नाम से जॉइन्ट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी)) बनाने करने के लिए दिनांक 10.09.2018 को एक समझौता किया है। सीडब्ल्यूसी तथा कॉनकोर दोनों निवेश, कार्यशील पूंजी तथा लाभ को समान रूप से शेयर करेंगे। वर्ष 2019–20 में केभनि द्वारा पीआईएलएच में अपनी पूंजी प्रतिबद्धता के रूप में दिनांक 30.05.2019 को 5 करोड रुपये का निवेश किया गया है।

उनके वर्तमान लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार वित्तीय विवरण निम्नलिखित हैः–

विवरण	2019-20	केभनि का शेयर (50%)
सकल राजस्व	41.56	20.78
सकल व्यय	164.66	82.33
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(123.10)	(61.55)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	(123.10)	(61.55)
परिसम्पत्तियां	1240.43	620.22
पूंजी एवं आरक्षित	876.90	438.45
देयताएं	363.53	181.77
आकस्मिक देयता	शून्य	शून्य

(ड) निगम प्रबंधन के विचार से पीआईएलएच ने अपना कुल व्यय अर्थात – 1. सुविधा प्रयोग शुल्क 2. व्यय की प्रतिपूर्ति तथा 3. 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु इसकी लेखाबहियों में पीआईएलएच पर निगम द्वारा वहन/दिए गए बिल तथा कस्टम को देय लागत वसूली प्रभार को लेखाबद्ध नहीं किया गया है। सीडब्ल्यूसी ने उक्त व्यय के बिलों को जेडब्ल्यूजी अनुबंध के अनुसार तैयार किया है तथा यह पीआईएलएच द्वारा निगम को देय है। 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु पीआईएलएच के संशोधित लेखा परिक्षित वित्तीय विवरणों के अभाव में इसकी मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है।

इस प्रकार, निगम प्रबंधन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पीआईएलएच के लेखों में जीडब्ल्यूजी की वित्तीय स्थिति का सही एवं निष्पक्ष प्रदर्शन नहीं होता है।

निगम ने कॉनकोर को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु पीआईएलएच के वार्षिक लेखे संशोधित करने की सलाह दी है। जेडब्ल्यूजी – पीआईएलएच अनुबंध दिनांक 02.07.2020 को समाप्त हो गया है।

15. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

निगम में चार अमूर्त परिसंपत्तियाँ है :–

क) कंटेनर ट्रेन चलाने के पंजीकरण शुल्क

ख) भूमि का उपयोग करने का अधिकार

ग) सॉफ्टवेअर, और

घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस शुल्क

वर्ष 2005–06 में, निगम ने श्रेणीं–I मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे को 5000 लाख़ रु. के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और दिनांक 04.01.2007 को निगम और भारतीय रेल के बीच एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे केन्द्रीय भण्डारण निगम वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए कंटेनर ट्रेन चलाने का पात्र है जो उसी तारीख से प्रारंभ भी हो गया है। 5000 लाख रु. की पंजीकरण शुल्क को अमूर्त परिसम्पत्ति समझा गया है। रियायती अवधि को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके उसी नियम एवं शर्तों पर 10 वर्षों की अवधि के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है। करार के अनुसार, रियायत

ग्राही (केभनि) को रेल प्रशासन के अनुमोदन से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से एक वर्ष के बाद किसी भी तीसरे पक्ष को रियायती हस्तांतरण करने या रियायत ग्राही के नियंत्रण का हक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंटेनर ट्रेनों को चलाने के लिए भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से 20 वर्ष की (उपयोगी अवधि) के लिए परिशोधित किया जा रहा है। दिनाकं 31.03.2020 को केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय रेलवे को 1500 लाख रु. (गत वर्ष 1750 लाख रु.) पंजीकरण शुल्क की अपरिशोधित राशि का भुगतान किया गया।

i) उपयोगी अवधि/प्रयुक्त परिशोधन दरें :

अमूर्त परिसम्पत्तियां:	उपयोगी अवधि/परिशोधन दरें (%)
कंटेनर रेल प्रचालन के लिए पंजीकरण शुल्क	20 वर्ष (अपरिशोधन अवधि 06 वर्ष है)
भूमि प्रयोग का अधिकार	10 वर्ष
सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	10 वर्ष

ii) वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में सकल अग्रेनीत राशि, संचित परिशोधन राशि और वर्ष के प्रारम्भ एवं अन्त में अमूर्त परिसम्पत्तियों की अग्रेनीत राशि का समाशोधन 'स्थायी परिसम्पत्तियां'' की अनुसूची–II में दिया गया है।

16. परिसम्पत्तियों में क्षीणता

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान कोई क्षीणता हानि नहीं हुई है।

17. आकस्मिक देयताएं एवं गारन्टी

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 के अनुसार	प्रारंभ पर कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2020 के अनुसार
(क)	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इनमें निगम के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों एवं अन्यों के द्वारा किए गए वह दावे शामिल हैं जो मध्यस्थता/न्यायालय में हैं।				
	i) केंद्रीय सरकार के विभाग	6031.47	4289.13	694.32	2436.66
	ii) राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	28664.29	2597.87	1028.01	27094.43
	iii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	11629.74	6147.47	886.73	6369.00
	iv) अन्य (उपरोक्त में कवर नहीं)	34621.62	480.39	3136.70	37277.93
	कुल (क)	80947.12	13514.86	5745.76	73178.02
देयता				**31.3.2019**	**31.03.2020**
(ख)	बैंक गारंटी के लिए दी गई काउंटर गारंटी			291.83	440.48
(ग)	कस्टम विभाग को प्रस्तुत किए गए अभिरक्षक गारंटी बांड			371716.00	413991.75
देयता, यदि कोई हो, जो कुछ कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के विवादित दावों; जमाकर्ताओं/ठेकेदारों/गोदाम के मालिकों के साथ मध्यस्थम मामलों तथा ब्याज/दण्ड/कानूनी खर्चों के कारण हो सकती है और जो राशि निश्चित नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयताओं में प्रकट नहीं किया गया है।					
आकस्मिक देयताएं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायालय/मध्यस्थता के निर्णय/कोर्ट के बाहर निपटान, अपील का निपटान होने पर निर्भर करती है। संबंधित पार्टियों की मांग के कारण किए जाने वाले अन्य विकास और कॉन्ट्रैक्चुअल बाध्यताओं के लिए राशि ली गई।					

निगम द्वारा विवादित दावों के संबंध में मुख्य आकस्मिक देयताएं कुल दावों का 2 प्रतिशत से अधिक हैं जो उपरोक्त क्रम संख्या (क) में निम्नानुसार शामिल की गई हैं :	
(i)	आईसीडी–लोनी में निगम द्वारा कंटेनर ट्रेन चलाने पर जांच प्रभारों, सेवा प्रभारों, भूमि किराया, हैंडलिंग प्रभार, ईधन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 5131.85 लाख रु. के दावे तथा उस पर ब्याज का दावा।
(ii)	भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया 4489.94 लाख रु. का दावा।
(iii)	सै.वे. टीडब्ल्यू–I, टीडब्ल्यू–II, एम.एस. जेठा एवं वडाला के संबंध में ब्याज सहित किराए का बकाया, दरें एवं करों आदि के लिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए 20104.46 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।
(iv)	सीएफएस – कालम्बोली में ट्रेन लिंक्ड सुविधा के निर्माण खर्च, गोदाम किराया, घरेलु प्रचालन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 6456.75 लाख रु. तथा उस पर 1599.46 लाख रु. ब्याज का दावा।
(v)	पूर्व स्ट्रैटेजिक एलाइंस मैनेजमेंट ऑपरेटर (सामो) द्वारा सीएफएस– व्हाइटफील्ड पर 9384.61 लाख रु. का दावा।
(vi)	सै.वे. कालम्बोली के संबंध में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ मैसर्स एमएसएसआईडीसी. के 1524.57 लाख रु. का दावा।
(vii)	ब्लॉक सं.–5, द्वितीय तल, बालदोता भवन, चर्चगेट, मुम्बई–400020 के किराए में कम लाभ के कारण मकान मालिक द्वारा 1514.93 लाख रु. का दावा।

18. खर्चों का प्रावधान

''प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों'' पर ए.एस. 29 के अनुपालन में खर्च के लिए प्रावधान पर अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैः–

(लाख रु. में)

अथशेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रयोग/खर्च/वापिस की गई राशि	अंत शेष
4976.33	6517.81	2714.52	8779.62

19. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश विविध/वसूल योग्य देनदारियां सरकारी विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित है, प्रबंधन ने अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 29728.48 लाख रु. (गत वर्ष 27207.26 लाख रु.) के प्रावधान को पर्याप्त माना है जिसमें विविध देनदारियां (भण्डारण प्रभारों के लिए) 24989.36 लाख रु. (गत वर्ष 22982.67 लाख रु.) तथा (विपणन सुसाध्य प्रभारों के लिए) देनदारियां 2110.59 लाख रु. (गत वर्ष 1494.66 लाख रु.) अन्य वसूली के लिए 2628.53 लाख रु. (गत वर्ष 2729.93 लाख रु.) का प्रावधान शामिल है।

20. पूंजी अग्रिम

क) जयपुर विकास प्राधिकरण को जयपुर, राजस्थान में क्षेत्रीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए 437.50 लाख रु. की पूंजी अग्रिम का भुगतान किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 4/1/09 सेक्टर 4, विद्याधर नगर, जयपुर में भूमि आवंटित की है परंतु अतिक्रमण के कारण निगम द्वारा भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण को अतिक्रमण हटाने के लिए पत्र लिखा गया है।

ख) एयरपोर्ट के निकट देवानहल्ली, केआईएडीबी भूमि पर वेअरहाउस के निर्माण हेतु सीपीडब्ल्यूडी को 1235.19 लाख रु. के पूंजी अग्रिम का भुगतान किया गया।

21. शेष पुष्टियाँ

पार्टियों के विषय में ऋण एवं अग्रिम, आपूर्तियों, सेवाओं, बयाना राशि तथा प्रतिभूति जमा के लिए नामे तथा जमा शेषों हेतु निगम ने शेष की पुष्टि हेतु

पत्र भेजे हैं। पार्टियों के संबंध में प्रबंधन का मत है कि जिनसे पुष्टि/लेखे का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी देयता और लाभ पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा।

22. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सुस्थिर विकास (एसडी)

लोक उद्यम विभाग के दिनांक 21.10.2014 तथा दिनांक 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सीएसआर/08/0002/2018–डीआईआर (सीएसआर) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निगम को वर्ष 2019–20 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर 329.71 लाख रु. की राशि खर्च करना अपेक्षित था। वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के लिए 185.98 लाख रु. (गत वर्ष 402.65 लाख रु.) व्यय किए गए। शेष 143.73 लाख रु. की राशि को वर्ष 2020–21 के दौरान खर्च किया जाएगा।

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के तहत खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	नकद भुगतान	भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	44.59	44.59
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा कोई अन्य उद्देश्य	141.39	-	141.39

23. हितकारी निधि

हितकारी निधि की स्थापना वर्ष 1989–90 में कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। हितकारी निधि के प्रबंधन हेतु हितकारी निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई तथा ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए एवं 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट हेतु पंजीकरण किया। वर्ष के दौरान 372.32 लाख रु. (गत वर्ष 200.61 लाख रु.) अर्थात् कर–पश्चात् लाभ का 1% हितकारी निधि के लिए आरक्षित विनियोजित की गई। वर्ष के दौरान हितकारी निधि ट्रस्ट में 164.00 लाख रु. का योगदान किया गया था। निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद 31.03.2020 को हितकारी निधि में शेष आरक्षित 371.93 लाख रु. (गत वर्ष 163.61 लाख रु.) को हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान कर दिया जाएगा।

24. लाभांश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए, निगम ने कर पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत की दर से 11175.52 लाख रु. की राशि के लाभांश के भुगतान का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2019–20 के लिए प्रस्तावित लाभांश को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बही में लाभांश को लेखाबद्ध नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 6497.98 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

25. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(लाख रु. में)

मद सं	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित प्रकटन	31/03/2020 को	31/03/2019 को
i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में निम्न के कारण देय विलम्बित भुगतान		
	क) मूल एवं	शून्य	शून्य
	ख) उस पर देय ब्याज	शून्य	शून्य
ii)	वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी विलम्बित भुगतान पर प्रदत्त कुल ब्याज	शून्य	शून्य

मद सं	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित प्रकटन	31/03/2020 को	31/03/2019 को
iii)	वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूल राशि पर प्रदत्त देय ब्याज किंतु इस अधिनियम के अंतर्गत ब्याज राशि के बिना	शून्य	शून्य
iv)	प्रोद्भूत ब्याज राशि तथा प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत तक भुगतान न किया गया शेष	शून्य	शून्य
v)	कुल देय ब्याज जिसका भुगतान न किया गया हो। (लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किए गए गत वर्षों की इन तिथियों से देय ब्याज के साथ सभी शेष ब्याज राशि को दर्शाता है। मुख्यतः ब्याज की राशि को निश्चित करना जो आयकर उद्देश्यों के लिए स्वीकृत नहीं है)	शून्य	शून्य

नोटः क्षेत्रीय कार्यालय/विभागीय प्रमुख द्वारा दी गई सूचना/प्रमाणन के आधार पर।

26. निर्माण कार्यों के लिए उपकर

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (आईईसीएस) अधिनियम, 1996 भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 तथा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 के अधीन उपकर की वसूली एवं प्रेषण के लिए देयता केवल उन राज्यों में निर्माण कार्य के संबंध में है, जहां संबंधित राज्य सरकार द्वारा कल्याण बोर्ड बनाए गए हैं तथा प्रभावी तिथि एवं लगाए जाने वाले उपकर प्रतिशत के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

27. वेअरहाउसिंग निधि

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन, 1962 की धारा 16 के अनुसार निगम द्वारा वेअरहाउसिंग निधि का रख–रखाव किया जा रहा था जिसका वर्ष 2010–11 में पूरी तरह उपयोग हो गया था। अतः इसके लिए कोई लेखा तैयार नहीं किया गया।

28. कोविड–19 महामारी का प्रभाव

कोविड–19 महामारी के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 11 मार्च, 2020 को एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया था। यद्यपि इस महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, किंतु निगम ने इस स्थिति को बारीकी से मॉनीटर किया ताकि अनुकूल तरीके से व्यावसायिक प्रचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके। परिणामस्वरूप निगम की व्यावसायिक प्रकृति को देखते हुए, कोविड–19 महामारी का निगम के व्यावसायिक प्रचालनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः गोईंग कंसर्न के रूप में जारी रहने के लिए इसका निगम की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

29. सामान्य

आंकड़ों को रुपये में पूर्ण मान लिया गया है। गत वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां उन्हें पुनः वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित एवं उन पर पुनः कार्य किया गया है।

J.K. SARAWGI & COMPANY
NEW DELHI
CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020
SCHEDULE - '1' : SHARE CAPITAL

		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
a)	Authorised		
	1000000 shares of Rs. 1000/- each	100,00,00,000	100,00,00,000
b)	Issued		
	745250 shares of Rs. 1000/-each	74,52,50,000	74,52,50,000
c)	Subscribed		
	745250 shares of Rs. 1000/-each	74,52,50,000	74,52,50,000
d)	Called up & Paid up		
i	663950 Shares of Rs. 1000/-each, fully called and paid up	66,39,50,000	66,39,50,000
ii	81300 Shares of Rs. 1000/- each, Rs. 200/- per share called and paid up	1,62,60,000	1,62,60,000
	Total	68,02,10,000	68,02,10,000

Sl. No.	SHAREHOLDERS	NO. OF SHARES	ISSUED AND SUBSCRIBED ₹	CALLED UP AND PAID-UP ₹
1	Central Government	3,74,250	37,42,50,000	37,42,50,000
2	State Bank of India	1,77,140	17,71,40,000	14,79,40,000
3	Other Scheduled Banks	1,40,848	14,08,48,000	10,87,09,600
4	Co-operative Societies	1,045	10,45,000	10,26,600
5	Insurance Companies including Life Insurance Corporation of India	51,454	5,14,54,000	4,77,74,000
6	Recognised Associations dealing in Agricultural Produce	71	71,000	71,000
7	Companies dealing in Agricultural Produce etc.	5	5,000	5,000
	TOTAL	7,44,813	74,48,13,000	67,97,76,200
8	Co-operative Societies (disqualified share holders) pending transfer to the permissible class of shareholders (see Note (i)	437	4,37,000	4,33,800
		7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000
	Previous Year	7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000

Note:

(i) The District Central Co-op. Banks, who do not qualify to be shareholders in terms of Sec. 2(d) of The Warehousing Corporations Act. 1962, have been disqualified to be the shareholders under the permissible class of shareholders. Pending transfer of shares of these disqualified shareholders to the permissible class of shareholders, they are reflected at Sl. No.8 i.e. under Co-operative Societies (disqualified shareholders). Dividend can not be paid for these shares in terms of Rule 26(3) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.

SCHEDULE - 'II' : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	COST			
		Gross carrying amount as on 01.042019 ₹	Additions during the year ₹	Deductions/ Adjustments during the year ₹	Gross carrying amount as on 31.03.2020 ₹
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT					
TANGIBLE ASSETS					
1	Land (Freehold)	1,07,78,96,067	-	39,64,19,102	68,14,76,965
2	Land (Leasehold)	3,11,18,64,536	9,459	(37,35,05,451)	3,48,53,79,446
3(a)	Roof (pre-coated galvalume steel sheet)	33,25,70,011	28,40,94,241	(51,95,438)	62,18,59,690
3(b)	Floor (Cement Concrete)	8,17,96,561	3,72,67,948	(73,82,616)	12,64,47,125
3(c)	Road (Cement Concrete)	35,40,24,696	39,24,11,874	-	74,64,36,570
3(d)	Warehouses & Godowns and ancillaries	12,43,52,18,634	30,16,59,028	6,91,82,327	12,66,76,95,335
4	Container Yards	1,06,26,36,300	-	-	1,06,26,36,300
5	Electric Installations	59,24,23,332	1,70,31,759	-	60,94,55,091
6	Water installations	4,27,72,349	23,28,479	4,685	4,50,96,143
7	Plant & Machinery	11,79,290	-	11,79,290	-
8	Office Buildings	25,60,82,598	3,15,02,547	-	28,75,85,145
9	Residential Flats	18,79,91,211	-	-	18,79,91,211
10	Furniture	19,83,40,511	2,10,70,591	38,11,865	21,55,99,237
11	Office Equipments	7,97,23,985	1,02,90,364	16,44,659	8,83,69,690
12	Mobile phones	1,14,01,192	24,60,731	10,36,465	1,28,25,458
13	Vehicles	1,96,63,775	8,98,889	7,50,988	1,98,11,676
14	Laboratory Equipments	1,91,83,810	32,46,433	5,18,972	2,19,11,271
15	Disinfestation Equipments	3,39,82,276	42,94,795	3,60,693	3,79,16,378
16	Construction Equipments	6,99,388	5,310	(1)	7,04,699
17	Other Equipments	62,99,21,353	17,14,52,766	49,80,307	79,63,93,812
18	Wooden Crates	3,70,16,212	-	-	3,70,16,212
19	Racks	1,58,01,749	49,380	3,34,526	1,55,16,603
20	Tin Trays	2,23,032	-	-	2,23,032
21	Railway Sidings	4,29,70,865	3,98,19,058	-	8,27,89,923
22	Computers & Laptops	18,17,10,780	88,10,074	38,91,983	18,66,28,871
23	H.B.L Sheet	5,71,47,101	0	6,68,304	5,64,78,797
24	P.C.C. Blocks	14,61,360	43,32,379	-	57,93,739
25	Poly Pallets	2,34,21,231	-	-	2,34,21,231
26	Convertible Plinths	1,11,30,131	-	-	1,11,30,131
27	Non Convertible Plinths	2,22,81,260	-	-	2,22,81,260
		20,92,25,35,596	1,33,30,36,105	9,87,00,660	22,15,68,71,041
28	Work-in-Progress	24,53,08,472	1,77,28,61,120	1,06,40,81,418	95,40,88,174
29	Equipment in Hand	1,47,26,615	1,00,48,920	50,72,101	1,97,03,434
	SUB Total	**21,18,25,70,683**	**3,11,59,46,145**	**1,16,78,54,179**	**23,13,06,62,649**
INTANGIBLE ASSETS:					
30	Reg. fee for running container trains	50,00,00,000	-	-	50,00,00,000
31	Right to use of Land	15,54,750	-	-	15,54,750
32	Software	2,46,58,885	26,26,176	29,26,885	2,43,58,176
33	Licence for Private Freight Terminal	1,05,65,278	-	-	1,05,65,278
	SUB Total	**53,67,78,913**	**26,26,176**	**29,26,885**	**53,64,78,204**
	TOTAL	**21,71,93,49,596**	**3,11,85,72,321**	**1,17,07,81,064**	**23,66,71,40,853**
	Previous Year	**20,23,27,08,154**	**2,21,32,79,618**	**(72,66,38,176)**	**21,71,93,49,596**

SCHEDULE - 'II' : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	DEPRECIATION/IMPAIRMENT/AMORTISATION				CARRYING AMOUNT/W.D.V	
		Upto 01.04.2019 ₹	For the year ₹	Written Back/ Adjusted during the year ₹	Upto 31.03.2020 ₹	As on 31.3.2020 ₹	As on 31.03.2019 ₹
PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT							
TANGIBLE ASSETS:							
1	Land (Freehold)	-	-	-	-	68,14,76,965	1,07,78,96,067
2	Land (Leasehold)	83,17,78,286	7,64,99,454	6,01,431	90,76,76,309	2,57,77,03,137	2,28,00,86,250
3	Roof (Pre-coated galvalume steelsheet)	1,18,89,297	1,41,18,002	(20,10,722)	2,80,18,021	59,38,41,669	32,06,80,714
4	Floor (Cement Concrete)	34,56,173	32,12,057	(29,94,587)	96,62,817	11,67,84,308	7,83,40,388
5	Road (Cement Concrete)	1,29,78,024	1,66,40,414	4,34,651	2,91,83,787	71,72,52,783	34,10,46,672
6	Warehouses & Godowns and ancillaries	3,60,57,78,777	49,11,53,274	3,40,91,724	4,06,28,40,327	8,60,48,55,008	8,82,94,39,857
7	Container Yards	43,34,32,359	4,42,38,085	-	47,76,70,444	58,49,65,856	62,92,03,941
8	Electric Installations	48,05,23,536	2,00,21,839	-	50,05,45,375	10,89,09,716	11,18,99,796
9	Water Installations	3,95,61,555	1,98,724	4,685	3,97,55,594	53,40,549	32,10,794
10	Plant & Machinery	11,20,463	-	11,20,463	-	-	58,827
11	Office Buildings	4,90,70,143	44,65,725	-	5,35,35,868	23,40,49,277	20,70,12,455
12	Residential Flats	6,78,80,903	29,25,940	-	7,08,06,843	11,71,84,368	12,01,10,308
13	Furniture	16,95,54,661	58,77,922	37,05,892	17,17,26,691	4,38,72,546	2,87,85,850
14	Office Equipments	4,75,65,874	97,44,501	17,12,618	5,55,97,757	3,27,71,933	3,21,58,111
15	Mobile Phones	61,59,977	31,62,933	9,09,827	84,13,083	44,12,375	52,41,215
16	Vehicles	1,53,83,948	7,70,175	6,69,506	1,54,84,617	43,27,059	42,79,827
17	Laboratory Equipments	1,55,39,881	15,57,771	5,03,339	1,65,94,313	53,16,958	36,43,929
18	Disinfestation Equipments	2,92,16,444	25,70,848	3,48,337	3,14,38,955	64,77,423	47,65,832
19	Construction Equipments	6,03,940	32,046	-	6,35,986	68,713	95,448
20	Other Equipments	35,49,10,804	5,50,95,465	46,65,942	40,53,40,327	39,10,53,485	27,50,10,549
21	Wooden Crates	3,67,06,744	6,031	-	3,67,12,775	3,03,437	3,09,468
22	Racks	1,40,93,072	4,19,549	3,07,175	1,42,05,446	13,11,157	17,08,677
23	Tin Trays	2,15,008	-	-	2,15,008	8,024	8,024
24	Railway Sidings	2,00,03,288	27,91,192	-	2,27,94,480	5,99,95,443	2,29,67,577
25	Computer & Laptops	13,78,50,552	1,98,66,004	34,49,688	15,42,66,868	3,23,62,003	4,38,60,228
26	H.B.L. Sheet	5,39,98,381	2,87,115	6,34,889	5,36,50,607	28,28,190	31,48,720
27	P.C.C. Blocks	13,13,910	11,433	-	13,25,343	44,68,396	1,47,450
28	Poly Pallets	2,05,23,484	5,31,173	-	2,10,54,657	23,66,574	28,97,747
29	Convertible Plinths	39,55,548	5,03,070	-	44,58,618	66,71,513	71,74,583
30	Non Convertible Plinths	2,11,67,197	-	-	2,11,67,197	11,14,063	11,14,063
		6,48,62,32,229	77,67,00,742	4,81,54,858	7,21,47,78,113	14,94,20,92,928	14,43,63,03,367
31	Work-in-Progress	-	-	-	-	95,40,88,174	24,53,08,472
32	Equipment in Hand	7,43,135	-	-	7,43,135	1,89,60,299	1,39,83,480
SUB Total		**6,48,69,75,364**	**77,67,00,742**	**4,81,54,858**	**7,21,55,21,248**	**15,91,51,41,401**	**14,69,55,95,319**
INTANGIBLE ASSETS:							
33	Reg. fee for running container trains	32,50,00,000	2,50,00,000	-	35,00,00,000	15,00,00,000	17,50,00,000
34	Right to use of Land	14,33,294	13,904	-	14,47,198	1,07,552	1,21,456
35	Software	2,04,12,150	20,41,413	29,06,682	1,95,46,881	48,11,295	42,46,735
36	Licence for Private Freight Terminal	21,13,056	10,56,528	-	31,69,584	73,95,694	84,52,222
SUB Total		**34,89,58,500**	**2,81,11,845**	**29,06,682**	**37,41,63,663**	**16,23,14,541**	**18,78,20,413**
TOTAL		**6,83,59,33,864**	**80,48,12,587**	**5,10,61,540**	**7,58,96,84,911**	**16,07,74,55,942**	**14,88,34,15,732**
Previous Year		**6,00,34,42,925**	**87,52,74,730**	**(4,27,83,791)**	**6,83,59,33,864**	**14,88,34,15,732**	**14,22,92,65,229**

NOTES TO SCHEDULE - 'II': FIXED ASSETS

1) The ancillaries of Warehouses and Godowns consist of all ancillary civil Works within the Warehouse Complex like bituminuos road, office block, labour shed, fencing, boundary wall, weighment cabin, lavatory block, sanitary box, rain water harvesting, wire mesh steel doors.

2 a) The useful life of Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is independent of the useful life of warehouse and godowns and same are capitalized and depreciated separately. The Warehouse & godowns on completion of their useful life are repaired or replaced as the situation may warrant. All additions to the warehouse & godowns and its ancillaries are depreciated based on their useful life i.e. 30 years.

b) As and when the new Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is constructed the written down value of old betumunous road, AC Roof and floor is de-recognised from the books. The WDV of assets de-recognised in 2019-20 is ₹ 229.80 lakh. For the purpose of de-recognition of old road, roof and floor, the cost is taken as 11.06%, 5%, 5.06% of the total cost of warehouse and godown respectively.

3) Land (Freehold and Leasehold): Number of sites in possession of the Corporation are 408. The lease deeds/title deeds in respect of 42 land sites (ROs-Ahmedabad-5, Bangalore-2, Bhubaneswar-12, Bhopal-2, Chandigarh-2, Kolkata-2, Delhi-2, Guwahati-1, Hyderabad-1, Lucknow-3, Mumbai-2, Patna-8) valued at ₹ 3158.98 lakh are yet to be executed. The liability for stamp duty on such lands has been provided as per Accounting Policy No. 12.

4) In respect of 13 Leasehold lands in possession of the Corporation, the lease period has expired. The renewal of lease for these lands is in progress. In view of non availability of renewal premium payable, the liability for lease rent has been accounted for on the basis of the information available.

5) The forest lands at Khabli and Shimla were alloted to the Corporation on right to use basis for construction of warehouses for PDS activity. The ownership of these lands is with the Forest Department and possession is with the Corporation. The cost of these lands are shown as intangible asset as Right to Use of Land.

6) Department of Agriculture, Govt. of Bihar allotted lands at Munger, khagaria and Bettiah on right to use basis to create and hold the storage infrastructure for foodgrains. The ownership of these lands is with the Department of Agriculture, Govt. of Bihar and possession is with the Corporation. Since these lands are allotted free of cost they are not shown as intangible Assets.

7) The title of the land of CW Madhepura in Patna Region is with a private party, but the possession of the same is with the corporation.

8) The corporation purchased 87 flats at Bokadvira, Navi Mumbai in the year 1998-99 whose cost is ₹ 933.02 lakh. These flats are not occupied as on date and Corporation is incurring expenses on the rates & taxes, maintenance and security, they will be disposed off at appropriate time. The expected sale value being more than the cost of purchase, there is no impairment in the value of the flats.

9) The corporation purchased 69 flats at Bhopal, Madhya Pradesh in the year 1982-83 and 1996-97 whose cost is ₹ 28.58 lakh. These flats are not occupied as on date and Corporation is incurring expenses on the rates & taxes, maintenance and security. They will be disposed off at appropriate time. The expected sale value being more than the cost of purchase, there is no impairment in the value of the flats.

10) The corporation purchased 5 flats at Aliganj, Lucknow during the years 1982-1984 whose cost is ₹ 10.35 lakh. These flats are not occupied as on date and Corporation is incurring expenses on the rates & taxes, maintenance and security. They will be disposed off at appropriate time. The expected sale value being more than the cost of purchase, there is no impairment in the value of the flats.

11) For Lease hold Land at CW, Mundra in possession of corporation, lessor has disputed the use of the land for general warehousing. CWC has filed a petition in Hon'ble High Court of Gujarat and matter is subjudice.

12) Depreciation amount of ₹ 8048.13 lakh (previous year 8752.75 lakh) includes prior period depreciation of NIL (previous year ₹62.67 lakh(net Debit.)).

SCHEDULE - 'III': INVESTMENTS (AT COST)

(A) Long Term Investment in State Warehousing Corporations (Associates) (Investment made u/s 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962) (unquoted)

Sl. No.	Name of State Warehousing Corporations	No. of Equity Shares (Unquoted) (Face Value ₹ 100)		Amount (₹)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1	Andhra Pradesh State Warehousing Corporation	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2	Assam State Warehousing Corporation	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
3	Bihar State Warehousing Corporation	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
4	Chattisgarh State Warehousing Corporation	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
5	Gujrat State Warehousing Corporation	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
6	Haryana State Warehousing Corporation	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
7	Karnataka State Warehousing Corporation	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
8	Kerala State Warehousing Corporation	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
9	Madhya Pradesh Warehousing and Logistic Corporation $	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
10	Maharashtra State Warehousing Corporation (includes 24240 Bonus Shares)	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
11	Maghalaya State Warehousing Corporation	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
12	Orissa State Warehousing Corporation	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
13	Punjab State Warehousing Corporation	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
14	Rajasthan State Warehousing Corporation	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
15	Tamil Nadu State Warehousing Corporation	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
16	Telangana State Warehousing Corporation	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
17	Uttar Pradesh State Warehousing Corporation	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18	Uttarakhand State Warehousing Corporation	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19	West Bengal State Warehousing Corporation	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
	TOTAL (A)	62,03,624	62,03,624	61,79,38,400	61,79,38,400
(B)	**Other Investments**				
1	**Investment in Subsisiary (Long Term) (Unquoted)**			40,55,99,900	40,55,99,900
	Central Railside Warehouse Company Ltd. (Subsidiary) 4.05.59,990 shares having face value of ₹ 10 each				
2	**Others (Long Term/Current)**				
	a Indian Company Exchange Limited (ICEX) Unquoted 58,963,956 shares each having face value of Rs. 5/- each #	-			
	Long Term investment (5% shareholders in ICEX i.e.2,66,75,373 no. of shares of face value of Rs. 5 each)			3,76,80,451	3,76,80,451
	Current investment (6.05% shareholders in ICEX i.e. 3,22,88,583 no. of shares of face value of Rs. 5 each)			4,56,09,422	4,56,09,422
	b Pipawah Integrated logistics hub(PILH)* (Current)			4,38,44,803	
	GRAND TOTAL (A) + (b)			**1,15,06,72,976**	**1,10,68,28,173**

Note :-

1 $ Corporation had invested ₹480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC) and Chattisgarh State Warehousing Corporation(CSWC). Further equity of ₹ 50 lakh each was given to these two SWC's. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan. The Ministry of Consumer Affairs. Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for appointment of paid upshare capital of MPSWC (68.35%) and CSWC (31.65%) and for paying dividend @20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. A committee has been constituted for resolution of the issue.

2. The investments hold in the State Warehousing Corporation are not transferable without prior approval of the Govt. of India.

3. # ICEX has allotted to the Corporation 5,89,63,956 no equity shares of Rs. 5/- each in exchange of shares in NMCE, Corporation holds 11.05% share in the equity of ICEX. As per Regulation 17 of SECC Regulations, 2018, no person can acquire or hold more than 5% of the paid up equity share capital in a recognized Stock Exchange. As per SEBI's circular 26th November, 2015, Corporation has taken steps to off-load its equity in ICEX so as to bring it within the prescribed limit. The compliance to this Regulation is to be made by 3rd August, 2020. Pending off-loading of the excess equity held by the Corporation in ICEX SEBI has put restrictions on the voting rights and the payment of dividend on the shares held by the Corporation above the prescribed limit till reduction of shares to the prescribed limit of 5%.

4. 'Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) have entered into an agreement on 10.09.2018 to from a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav Integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port, India CWC made investment of ₹ 5 Crores during 2019-20 as a part of its capital commitment in PILH. Above figure of ₹ 438.45 lakh is adjusted for the loss during the year.

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - IV: Reserves

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	**Reserve Fund Under Section 30(1)**			
	As per last Balance	19,65,42,38,980		
	Add Unclaimed Dividend (more than 7 years old)	29,200		
	Add Transfer from P & I. Appropriation Account	3,33,15,75,475	22,98,58,43,655	19,65,42,38,980
2	**Reserve for Bad & Doubtful Debts**			
	As per last Balance Sheet	2,72,07,25,679.00		
	Add Additional provision made	51,35,00,889.00		
	Less: Bad Debs written off agaionst reserves	26,13,78,648.00	2,97,28,47,920	2,72,07,25,679
3.	**Other Reserves**			
a)	**Reserve for Benevolent Fund**			
	As per last Balance Sheet	1,63,60,523		
	Add: Transfer from P & L appropriation Account	3,72,32,353		
	Less: Payment to Benevolent Fund Trust	1,64,00,000	3,71,92,876	1,63,60,523
b)	**Post Retirement Medical Benefit Fund**			
	As per last Balance Sheet	62,56,69,608		
	Less: Transfer to PRMB Trust	62,56,69,608		62,56,69,608
c)	**Leave Benefit Fund**			
	As per last Balance Sheet	1,29,10,44,809		
	Add: Interest on earmarked investment	6,37,15,226		
	Add: Reserve created during the year	24,46,22,782		
	Less Payment made during the year	37,41,04,313	1,22,52,78,504	1,29,10,44,809

SCHEDULE - V: Outstanding Liabilities

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Sundry Creditors (including M.F and Projects)	1,99,69,63,597	1,78,09,90,593
2	Statutory Dues payable	56,72,43,117	28,27,45,290
3	EMD/SD from suppliers	1,07,82,96,041	95,35,13,855
4	Other Liabilities	15,98,12,019	25,67,04,510
5	Deposit Refundable	24,27,44,705	26,32,98,492
6	Liability for Expenses	1,14,74,00,099	1,14,01,86,979
7	Provision for Expenses	87,79,61,593	49,76,32,748
8	Deposit work (Others)	2,26,67,840	1,68,76,340
9	Liability for Stamp Duty	7,86,47,229	7,87,94,470
10	Liability for pay Revision	31,22,57,553	--
11	Liability for Special Voluntary Scheme	69,22,117	3,03,26,181
	TOTAL	6,49,09,15,910	5,30,10,69,458

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - VI: Provision for Pay & Allowances

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	**Producitivity Linked Incentive**			
	As per last Balance Sheet	1,60,00,000		
	Add: Provision made during the year	2,43,23,250		
	Less: Payment made during the year	1,63,01,509	2,40,21,741	1,60,00,000
2	**Performances Related Pay**			
	As per last Balance Sheet	8,48,30,006		
	Less: Transfer to Liability for PRP	8,48,30,006		
	Add: Provision made during the year	17,22,81,861	17,22,81,861	8,48,30,006
3	**Gratuity**			
	Asd per last Balance Sheet	6,40,40,633		
	Add: Provision made during the year	13,67,36,486		
	Less: Payment made to Employees Gratuity Trust	11,87,69,625	8,20,07,494	6,40,40,633
4	**LTC**			
	As per last Balance Sheet	2,97,12,700		
	Add: Provision made during the year	62,45,279		
	Less: Payment made during the year	60,31,519	2,99,26,460	2,97,12,700
5	**Pay Revision Provision**			
	As per last Balance Sheet	85,08,01,467		
	Less: Transfer to Liability for Pay Revision	85,08,01,467	-	85,08,01,467
	TOTAL		30,82,37,556	1,04,53,84,806

SCHEDULE - VII: Income Accured on Investments:

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
	Considered Good			
1	From Investment in SWCs			
	Considered Good	4,36,94,000	-	
	Considered **Doubtful**	**3,54,32,640**	**7,91,26,640**	**3,54,32,640**
	TOTAL		7,91,26,640	3,54,32,640

SCHEDULE - VIII: Stores & Spares:

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	**Stores and spares** (As certified by the Management)			
	Chemicals & Fumigants (at lower of weighted average cost and net not realisable value)	3,99,26,501		4,02,10,279
	Other Stores in hand (at lower of cost price (FIFO) and net realisable value)	2,20,92,390		1,93,94,569
	Goods in Transit	74,352	6,20,93,243	11,34,130
	TOTAL		6,20,93,243	6,07,38,978

SCHEDULE - IX: Sundry Debtors

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Sundry Debtors (Warehousing Charges)			
	Considered good	1,98,30,18,419		2,58,62,15,786
	Considered doubtful	2,49,89,36,228	4,48,19,54,647	2,29,82,67,262
2	Sundry Debtors (Marketing Facilitition charges & Others)			
	Considered good	52,05,96,344		51,12,20,102
	Considered doubtful	21,10,58,751	73,16,55,095	14,94,66,222
	TOTAL		5,21,36,09,742	5,54,51,69,372

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - X : Loans and Advances

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Loan (secured) to Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)			
	Considered good		16,41,00,000	11,38,69,880
2	Other Advances Recoverable in cash or kind or for value to be received			
	a) Advances to staff	3,49,02,762		1,14,25,042
	b) Capital advance	17,46,82,122		49,10,781
	c) Other Advance	9,03,21,704	29,99,06,588	9,67,45,287
	TOTAL		46,40,06,588	22,69,50,990

SCHEDULE - XI : Other Current Assets

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Interest Accured on Deposits and others (including saving bank accounts)		27,28,34,613	27,38,83,720
2	Due from Central Railside Warehouse Company Ltd. (Subsidiary)		9,492	9,492
3	Income tax Deducted at Source			
	Considered good	2,36,64,49,559		96,34,34,041
	Considered doubtful	1,60,57,024	2,38,25,06,583	2,07,56,408
4	Recoverable from Income Tax Department		5,65,53,386	12,81,80,842
5	Other Recoverable			
	Considered good	89,32,14,079		77,27,24,413
	Considered doubtful	21,13,63,277	1,10,45,77,356	21,68,03,147
6	**FDRs in hand** (Contractors Securities received in the form of FDRs in favour of the Corporation)		3,70,94,425	4,31,89,991
7	**FDRs pledged against Bank Gaurantees**		4,57,12,182	3,91,37,466
	TOTAL		3,89,92,88,037	2,45,81,19,520

SCHEDULE - XII : Cash & Bank Balances

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	**Cash in Hand**			
	(i) Cash in Hand/Imprest/Stamps in hand	71,29,033		58,33,594
	(ii) Temporary Advances	1,08,66,732	1,79,95,765	17,15,169
2	**Balance in the Banks**			
	State Bank of India & its Subsidiaries:			
	(i) In savings/Flexi/Current Accounts	41,44,46,158		13,27,66,045
	(ii) In Deposit Accounts			
	Other scheduled Banks:			
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts	1,35,64,58,584		51,97,25,071
	(ii) In Deposit Accounts	5,52,46,72,915	7,29,55,77,657	4,60,43,64,268
3	Bank Drafts and Cheques in hand			1,49,41,821
4	Remittance/Bank Drafts/Cheques in Transit			6,43,610
	TOTAL		7,31,35,73,422	5,27,99,89,578

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - XIII : Unamortised Expenditure

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Past Period cost of Post Retirement Medical Benefit (PRMB)			
	Balance as per last Balance Sheet	1,08,27,824		1,29,93,389
	Less: Amortised during the year	21,65,566	86,62,258	21,65,565
	TOTAL		86,62,258	1,08,27,824

SCHEDULE - XIV: Consumption of Chemicals Covers & Dunnage

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chemicals	10,57,52,114	9,18,23,494
2	Polythene Covers	1,50,40,736	1,43,02,535
3	Dunnage	1,62,98,371	1,90,38,570
	TOTAL	13,70,91,221	12,51,64,599

SCHEDULE - XV: Pay and Allowances (with provisions)

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	58,97,200	38,37,901
3	Functional Directors	1,17,44,193	94,72,795
4	Officers & other Employees	3,51,86,38,906	3,48,35,10,764
5	Contribution to Provident Fund	28,55,10,122	29,93,64,008
6	Contribution to Pension Fund	24,47,29,053	19,59,11,511
7	Contribution to Post Retirement Medical Benefit Fund	30,69,39,594	7,28,31,304
8	Amortization of Expenses (PRMB Benefit)	21,65,566	21,65,565
9	Death Componsation	1,00,00,000	1,82,18,513
	Provisions:		
10	Gratuity	13,53,44,953	6,36,35,215
11	Performance Related Pay/Productivity Linked Incentive	19,66,05,111	9,73,16,213
12	Leave Benefits	24,27,11,549	18,89,54,933
13	LTC	61,48,865	1,57,61,381
14	Pay Revision Provision	-	52,53,54,217
15	Componsation for Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS)	11,78,98,191	16,85,44,612
	Less: Administrative Overhead	10,72,13,932	
	TOTAL	4,97,71,19,371	5,14,48,78,932

SCHEDULE - XVI: Travelling Expenses

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	4,88,936	3,48,252
3	Functional Directors	4,91,585	7,87,711
4	Officers & other Employees	7,17,46,366	6,29,45,912
	TOTAL	7,27,26,887	6,40,81,875

SCHEDULED - XVII: Repairs & Maintenance

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Buildings	16,42,62,875	22,57,71,582
2	Equipments	6,06,17,117	7,48,94,279
	TOTAL	22,48,79,992	30,06,65,861

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - XVIII : Rent, Rates & Taxes

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Rent of Office	29,11,687	48,68,347
2	Rent of Godowns	21,07,39,005	20,36,82,045
3	Rent of Leases	19,50,59,697	19,55,59,538
4	Rent & Taxes	12,78,17,810	17,60,25,594
	TOTAL	53,65,28,199	58,01,35,524

SCHEDULE - XIX : Miscellaneous Expenditure

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Estt Custom Staff	11,94,28,249	5,91,95,909
2	Staff Training Expenses	1,02,20,625	1,03,44,824
3	Publicity & Propaganda	2,76,678	21,17,636
4	Royalty	39,26,289	2,02,98,910
5	Seminars & Conferences	13,52,437	21,64,687
6	Business Promotion Expenses	20,60,141	16,20,793
7	Weighment Charges	91,27,303	89,29,275
8	Cash Incentive to Bulk Depositors	4,36,200	14,51,598
9	Engineering Consultancy Services Expenses	-	10,53,153
10	Advertisement Expenses	1,59,51,067	2,36,17,765
11	Conveyance Charges	4,01,98,618	3,92,20,959
12	Compensation To Depositors	17,73,973	87,00,623
13	Computerisation Charges	1,28,97,213	1,30,03,923
14	Entertainment	1,53,78,440	1,28,35,278
15	Freight & Octroi	46,31,833	41,17,478
16	Guest House Expenses	9,22,787	10,36,994
17	Internal Handling	13,58,110	4,47,662
18	Legal Expenses	3,28,65,991	2,56,92,551
19	Newspapers, Books & Periodicals	12,02,116	13,45,026
20	Postage/Telegram & Telex	57,68,136	55,98,328
21	Difference In Paisa Rounding Off	(3,122)	(34,125)
22	Research & Development Expenses	-	4,56,000
23	Subscription & Member Fees	39,46,858	12,84,883
24	Staff Car Exp.-Petrol	27,08,932	21,94,240
25	Staff Car Exp.-Maintenance	10,82,458	12,82,348
26	Telephone Expenses	1,55,00,549	1,71,97,249
27	Water & Elec. Charges	14,84,16,172	13,22,15,804
28	Professional Charges	5,11,55,357	3,10,58,478
29	FESS Expenses	3,25,885	8,85,537
30	Other Expenses-Pest Control Services	5,50,39,958	4,42,41,237
31	Office Expense	71,98,528	65,91,666
32	ISO Expenses	4,60,451	4,97,248
33	Un-Utilised GST/Service Tax Input Credit	24,14,94,985	22,29,10,951
34	Insurance Compensation Loss	3,41,128	14,45,242
35	Lab testing and other expenses for FSSAI license	52,009	-
36	COVID-19 Prevention measure expenses	1,22,837	-
37	Loss on investment in PILH	61,55,197	-
38	Other Miscellaneous Expenses	6,48,41,121	4,14,66,470
	TOTAL	87,86,15,509	74,68,86,600

SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2020

SCHEDULE - XX : Interest (expenses)

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Government	-	-
2	Banks	-	-
3	Others	82,40,330	1,03,70,274
	TOTAL	82,40,330	1,03,70,274

SCHEDULE - XXI: Auditor's Fee and Expenses

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Audit fee	66,61,320	53,46,000
2	Travelling Expenses	16,65,218	11,11,149
3	Tax Audit Fee	13,94,680	11,28,000
4	Other Services	6,26,526	2,12,000
	TOTAL	1,03,47,744	77,97,149

SCHEDULE - XXII: Prior Period adjustments(Net):

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Income	9,45,954	(21,89,015)
2	Expenses	1,53,940	(1,07,67,020)
	TOTAL	10,99,894	(1,29,56,035)

SCHEDULE - XXIII: Tax Expense

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Current Tax	1,08,55,87,078	41,07,36,829
2	Deferred Tax	(21,75,42,577)	23,21,36,606
3	Tax adjustment of earlier years	(49,45,86,757)	(2,47,30,508)
	TOTAL	37,34,57,744	61,81,42,927

SCHEDULE - XXIV: Warehousing Charges (Income)

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Warehousing Charges	11,06,25,55,842	9,69,09,08,542
	Less: Discount to Co-operative Societies & others	11,44,92,026	16,84,53,489
	TOTAL	10,94,80,63,816	9,52,24,55,053

SCHEDULE - XXV: Interest (Income)

Sl. No.	Head of Account		Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	From Deposits/Saving Bank A/c		47,56,68,492	49,31,91,437
2	From Loans and Advances to:			
	Staff	6,90,409		(14,33,790)
	Others	10,20,06,382	10,26,96,791	3,74,60,307
	TOTAL		57,83,65,283	52,92,17,954

SCHEDULE - XXVI: Dividend Income

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	From investment in Associates (SWCs)	25,18,94,650	18,39,90,703
2	From investment in subsidiary (CRWC)	2,83,92,000	6,89,52,000
	TOTAL	28,02,86,650	25,29,42,703

SCHEDULE - XXVII: Miscellaneous Receipts

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Operating:		
	From Engineering Consultancy Services	9,53,344	11,40,721
	Other oporating Misc. Receipts	29,57,12,263	38,31,60,943
		29,66,65,607	38,43,01,664
2	Non-operating :		
	Difference in Foreign Exchange (Net Gain)	10,41,445	8,32,395
	Other non-operating Misc. Receipts	1,76,67,462	1,30,54,312
		1,87,08,907	1,38,86,707
	TOTAL	31,53,74,514	39,81,88,371

SCHEDULE - XXVIII: SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Basis of Accounting

(1) The Financial Statements of the Corporation have been prepares under the historical cost convention of the accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) and comply with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India, to the extent applicable.

Use of Estimates

(2) The preparation of the financial statements in conformity with the Indian GAAP requires that the management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

Inventories

(3) Chemicals and construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value. Cost of purchase includes duties, taxes, freight and other expenses net of trade discount, rebates & other similar items.

(4) Store in hand i.e. Printing & Stationary, Liveries, Polythene Covers and Dunnage etc. are valued at lower of cost on first in first out basis and net realizable value.

(5) Unserviceable/obsolete construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value.

(6) The procurement stock is valued at lower of cost and net realisable value. Cost being worked out on first in first out basis.

Prior period expenses/income

(7) The prior period expenses/income and prepaid expenses having value of ₹ 1,00,000/- and below for each item are recognized in the current year".

Cash Flow Statement

(8) a) Cash flows are reported using the indirect method, prescribed in Accounting Standard (AS)-3 on "Cash Flow Statement", whereby profit/(loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals of accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities are segregated based on the available information.

b) Cash & Cash equivalent comprises of Cash in hand, balance with bank and short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

Property, Plant & Equipment and Depreciation

(9) (a) The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.

(b) Depreciation on Fixed Assets determined by the Corporation (based on Technician's report on life of assets) as detailed below:

Fixed Assets	Useful Life (in years)	Residual Value (%)
Property, plant & Equipment/ Tangible Assets		
Warehouses & Godowns and ancillaries, Container Yards, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor-Cement Concreate, Road -Cement Concrete (CC)	30	5
Convertible Plinths	30	5

Fixed Assets	Useful Life (in years)	Residual Value (%)
Non-Convertible Plinths	5	5
Office Buildings	60	5
Residential Flats	60	5
Water & Electrical Installations	10	5
Plant & Machinery/Railway Siding/Lorry Weighbridge	15	5
Furniture & Fittings/Electrical Equipments	10	5
Office Equipment	5	5
Other Equipments/ Construction Equipments	6	5
Mobile Phones	3	5
HBL Sheets	4	5
Motor Vehicles/ Motor Lorries/Motor Car	8	5
Laboratory Equipments	5	5
Disinfestation Equipments	4	5
Wooden Crates	6	5
PCC Blocks	8	5
Racks/Tin Trays	10	5
Poly Pallets	10	5
Computers	3	5
Intangible Assets		
Registration fee for Container Trains	20	NIL
Right to use of land	10	NIL
Computers Software	3	NIL
License Fees-Private Freight Terminal	10	NIL

(c) The depreciation on warehouses/ building and ancillaries, container yard, Roof (pre-coated galvalume steel sheets). Floor(Cement Concrete), Road (Cement Concrete) and other assets constructed /created over the leasehold lands is charged as per their useful life stated above, irrespective of the period of lease since the lease is generally renewed on its expiry. In case the lease of the land is not renewed, the compensation received, on these assets is adjusted against the written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted in the books.

(d) The assets having value upto ₹ 500/- are charged to Revenue. Assets having value more than ₹ 500/- and upto ₹ 5,000/- are capitalized and depreciation thereon is charged @ 100% leaving a nominal value of ₹ 1/- for each such asset.

(e) Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is depreciated over the period of lease.

(f) Capital work in progress includes the items of Property, Plant & Equipment that are not yet ready for intended use.

(g) Interest on compensation for acquisition (under land acquisition proceedings) is charged to Profit & Loss account.

(h) Significant components of warehouse & godowns i.e. Roof (Pre-coated Galvalume Steel Sheets or equivalent), Roads (Cement Concrete) and Floor (Cement Concrete) are capitalized and depreciated separately.

(10) Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use or as the case may be upto the month in which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed.

Expenditure on Land and Civil Works

(11) Capitalisation of godowns is based on completion of storage-worthiness and depreciation is charged on the basis of certificate of commissioning of the godowns.

(12) Actual expenditure incurred in connection with the acquisition of land is capitalized along with the stamp duty payable at the prevailing rate. The necessary adjustment

for the difference in the stamp duty paid and already capitalized is made in the year of payment/execution of title deed.

(13) Expenditure on risk and cost contracts (Civil) in excess of security deposit available is charged to capital work or repair work, as the case may be pending its recovery.

(14) The construction overheads incurred on the capital works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.

(15) Pursuant to arbitration award in a civil contract, the compensation paid/payable of a revenue nature like interest, loss of profit etc. is charged to revenue and compensation paid/payable of a capital nature is to be capitalized.

Revenue Recognition

(16) Revenue is recognised when there is no significant uncertainty regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the service.

a) Income from warehousing services rendered is recognized based on agreement/arrangement with the customers as the service is performed using the;

(i) Completed service contract method for imported cargo on receipt/release of cargo.

(ii) Proportionate completion method for all other services rendered by the Corporation including income from consultancy fee/supervision fee charged on deposit work undertaken by the Corporation.

(iii) In respect of time barred bonds/long standing cargo, on its realization out of the sale proceeds.

b) Income from sale of empties and waste (like old newspapers) are accounted for on realization basis.

c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established during the year.

d) The interest income is recognized when no significant uncertainly as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Cost of Consumables

(17) The cost of black polythene films, multi-layered cross laminated covers, bamboo mats, PVC floor dunnage and polythene covers and other such consumables is charged to revenue in the year of its issue for use.

VRS Expenditure

(18) The termination benefits (including expenditure on Voluntary retirement) are accounted for in the year they are incurred.

Insurance Claims

(19) The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The difference, if any, on settlement of the insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment to the depositor is made after receipt of claim proceeds from the insurer.

Arbitration Awards

(20) Arbitration awards against the Corporation unless contested are accounted for. However, amounts awarded in favor of Corporation are accounted at the time of realization, owing to uncertainly of their collection.

Accounting of claims against contractors/parties

(21) Claims against constructors/parties are accounted when there is a reasonable certainty of recovery.

Unclaimed Dividend

(22) The dividend warrants which are not encashed are shown as liability under the

head "Unclaimed Dividend" irrespective of the year to which they relate.

Foreign Currency Transactions

(23) Initial Recognition

Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions.

Subsequent Recognition

As at the reporting date, non-monetary items (revenue items & fixed assets) which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

All monetary assets and liabilities (current assets & current liabilities) in foreign currency are restated using the exchange rate at the Balance Sheet date and exchange differences are recognized in the Profit and Loss Account.

Government Grants

(24) Government Grants are recognized when there is a reasonable assurance that the same will be received and all conditions attached will be complied with.

(a) Capital Grants relating to specific fixed assets are reduced from the gross value of the respective assets.

(b) Revenue grants are recognised in the profit & loss account by reducing the related expenses.

Investments

(25) Investments are classified into current and non-current investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provision for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.

Employee Benefits

(26) a) All short term employee benefits are recognized at undiscounted amount in the accounting period in which they are incurred.

b) The Provident Fund, Pension Fund and Post Retirement Medical benefit Fund being defined contribution plans, amount of contribution made during the year is recognized as an expense.

c) Employees Benefits under defined benefit plans in respect of Leave Encashment, Gratuity and L T C are recognized based on the present value of defined benefit obligation and computed based on the actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the year end. Actuarial liability in excess of plan assets in recognized during the year.

d) Ex-gratia payment on death of employee in service is recognised on accrual basis in profit & loss account.

Leases

(27) Operating Lease:

Where the Corporation is Lessor:

Leases in which the Corporation does not transfer substaintially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Income on an operating lease is recognized in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term. Costs including depreciation are recognized as an expense in the profit and loss account.

Where the Corporation is a Lessee:

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight line basis over the lease term.

Taxes on Income

(28) a) Income Tax Expense comprises of the current tax and deferred tax.

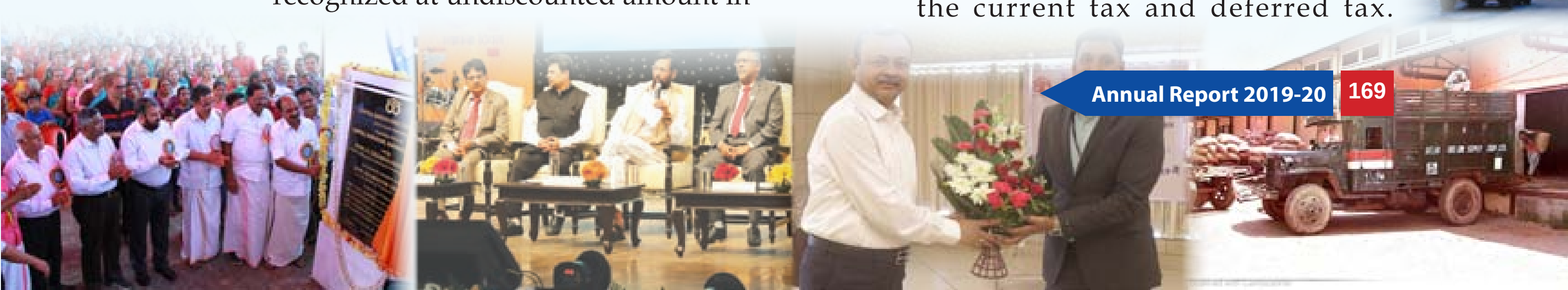

Provision for current tax is based on the assessable profit and computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The deferred tax is recognised, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between the taxable and accounting income/expenditure, that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.

b) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized, If the Corporation has carry forward unabsorbed depreciation and tax losses, deferred Tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

c) Minimum Alternative Tax ('MAT') paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefits in the from of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the corporation will pay normal tax in future. The corporation reviews the same at each balance sheet date and writes down the carrying amount of MAT credit entitlement to the extent there is no longer convincing evidence to the effect that corporation will be able to utilize that credit during the specified period.

Intangible Assets

29 (a) The licence fee/registration fee paid to the Indian Railways for container rail transporation is capitalized as an 'Intangible Asset' and amortized over the period of 20 years i.e. the period for which permission given by Railways, from the year of starting the operations.

(b) The consideration paid towards lands held in possession on "right to use" basis is capitalized as 'Intangible Asset' and depreciated over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses / buildings and other assets constructed on such land, depreciation as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.8 (b) is charged, irrespective of the period of right to use. In case the land on "right to use" basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.

(c) Software which is not an integral part of related hardware is treated as an intangible asset and amortized over a period of 3 years.

(d) The cost of licence for Private Freight Terminals is amortised over a period of 10 years.

Impairment of Assets

(30) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognised in the prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

(31) (a) Provision is recognized when corporation has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made.

(b) Contingent liabilities in respect of claims against the corporation not acknowledged as debts are determined on the basis of information available and judgement of the management and are disclosed by way of notes to the accounts. However contingent assets are neither recognized nor disclosed.

(c) Liabilities/Income accuring due to decisions after the date of circulation of accounts having retrospective effect are accounted for under the relevant direct head of account.

(d) Liability on account of travelling expenditure and leave travel concession to employees where the journey commenced in current financial year but bills are awaited is provided to the extent of advance paid and necessary adjustment is made in the subsequent year when the bills are received.

(e) Property tax, unless contested, is accounted for on the basis of demand received and information available.

Provision for Bad & Doubtful Debts

(32) The provision for bad & doubtful debts is made whenever the debtors/loans & advances are considered doubtful of recovery.

J.K. SARAWGI & COMPANY
NEW DELHI
CHARTERED ACCOUNTANTS

SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. Effect of changes in Accounting Policies

New Policy No.	Accounting Policy (Old)	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹ in lakh)
8	No Policy	**Cash Flow Statement** a) Cash flows are reported using the indirect method, prescribed in Accounting Standard (AS)-3 on "Cash Flow Statement", whereby profit/(loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities are segregated based on the available information. b) Cash & Cash equivalent comprises of Cash in hand, balance with bank and short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.	NIL (New Policy)
14	The construction overheads incurred on the capital and deposit works executed departmentally are allocated @ 7% (seven percent) of the cost of work or at actual overhead rate whichever is less. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.	The construction overheads incurred on the capital works executed departmentally @ 7% (seven percent) of the cost of work. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.	247.80 (Increase)
19	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The profit	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The difference, if	NIL

New Policy No.	Accounting Policy (Old)	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹ in lakh)
	or loss on account of settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/ actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment of claim to depositor is made after receipt of the same from the insurer.	any, on settlement of the insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment to the depositor is made after receipt of claim proceeds from the insurer.	
Not Applicable	**Old Policy 8(h)** Interest income on loans & advance to employees in Engineering Division and depreciation on Property, plant and equipment deployed in Construction cell are not capitalized.	Deleted	NIL

2. **Capital Commitment/Estimated Liabilities on Civil Contracts**

   (a) The estimated amount of civil contracts on capital account remaining to be executed as on 31.03.2020 is ₹ 11518.84 lakh (Previous year ₹ 3902.82 lakh).

   (b) The estimated liability for construction work completed up to 31.03.2020 but not billed by contractors is ₹ 4764.14 lakh (Previous year ₹ 1567.28 lakh), which has been accounted for on the basis of certificate of site engineers.

3. **Allocation of Engineering Overheads**

   As per accounting policy no. 14, engineering overheads amounting to ₹ 1072.14 lakh (Previous year ₹ 354.85 lakh) have been allocated to Capital works undertaken by the corporation during the year.

4. **Revenue Recognition**

A) Ministry of Consumer affairs, Food and Public Distribution (vide their letter dated 13.11.2019) revised the storage rates for FCI stocks on reservation basis for the year 2017-18 from ₹ 4.68 to ₹ 5.21 per bag per month. The arrears of income in respect of such stocks of 8053.21 Lakh for the period from 01.04.2017 to 31.03.2019 have been accounted for in the current year. Income of 2019-20 is accounted at the rate of ₹ 5.21 per bag per month.

B) Recognition of revenue has been postponed in following cases amounting to ₹ 61514.41 lakh in accordance with AS-9 due to uncertainly in their ultimate collection:

   a) Claims of Corporation in respect of dispute with strategic alliance management operator (SAMO) at ICD-Loni towards(a) variable fee on empty containers for ₹ 1670.28 lakh (b) containers transported on trains of other Private Container Transport Operators(PCTOs) for ₹ 6556.94 lakh (c) terminal Access Charges for ₹ 13978.98 lakh(d) fee in respect of the containers moved between ICD-Loni & gateway port by road ₹435.21 lakh (e) charges towards excess area for ₹1962.50 lakh, (f) loss due to failure of WWILPL to provide one rake as per agreement for ₹1036.80 lakh, (g) loss of business and revenue to CWC ₹454.22 lakh and (h) interest on delay in payment of ₹20596.34 lakh.

b) In respect of erstwhile strategic alliance management contract at CFS, Whitefield, Bangalore which was discontinued from 30.04.2014, Corporation had filed a counter-claim of ₹2856.13 lakh before the arbitrator towards share of income from bonded storage and empty containers etc. which was rejected by arbitrator. The matter is in appeal before High Court. In arbitration, Corporation has also made a counter claim of ₹885.08 lakh for recovery of expenses.

c. In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Logistics Park, Navi-Mumbai, there is a dispute with regard to start of railway operations as strategic alliance management operator (SAMO) paid variable fee@ 6% of gross revenue as against 8% claimed by the corporation up to 25th August 2014, the disputed amount of ₹ 1558.38 lakh towards variable fee and interest of ₹ 3945.80 lakh for delay in payment.

d. In respect of strategic alliance management contract for rail linked facility at CFS, Kalamboli, where the payment towards fixed and variable fee was delayed by Strategic Alliance Management Operator (SAMO) and legal proceedings are pending and interest of ₹ 1708.60 lakh claimed by the Corporation for delay in payment but disputed by SAMO.

e. On expiry of lease of CFS and Buffer yard facility at Navi Mumbai to CWC, the physical possession of facility was handed over by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to another operator in December, 2005 when the physical possession of containers/cargo in custody of Corporation was also handed to him Corporation made a claim of ₹ 3095.00 lakh on the new operator/JNPT.

f. Land (including godown) at Saharanpur-BD measuring 22.867 acres was transferred to M/s DFCCIL during FY 2018-19 for consideration of ₹ 411.20 lakh and profit has been booked in FY 2018-19 for ₹ 410.43 lakh. Later on, CWC reviewed the claim and thereafter raised a differential claim of ₹ 1310.10 lakh, out of which ₹ 535.95 lakh has been paid by DFCCIL during FY 2019-20, which has been transferred to profit on sale of assets account in FY 2019-20, which has been transferred to profit on sale of assets account in FY 2019-20. Since the recovery of balance amount of ₹ 774.15 lakh is contingent/ uncertain in nature, the income has not been booked by corporation.

5) Transactions in Foreign Currency

(a) No transactions were made in foreign currency during the year.

(b) The net exchange difference of ₹ 10.41 lakh (Income) (previous year ₹ 8.32 lakh (Income) has been recognized during the year which relates to net payable/ receivables in foreign currency.

6) Government Grants

The details of receipts and utilization of government grants during 2019-20 and their balances as on 31.03.2020 are as under:

₹ in lakh

S. No.	Purpose	Centre Name	Opening Balance	Grant Received	Grant Utilised	Grant Returned	Closing Balance
	Capital Grant		a	b	c	d	e=(a+b-c-d)
1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey- received from Government of Kerala (#a)	CW Purkkad	488.00	-	-	-	488.00

S. No.	Purpose	Centre Name	Opening Balance	Grant Received	Grant Utilised	Grant Returned	Closing Balance
2	Setting up of CFS at Pipavav (Gujarat)-received from Ministry of Commerce & Industry (#b)	CFS Pipavav	155.64	-	-	-	155.64
3	Modernization and automation of facility at ICD-Patparganj (Delhi) - received from Ministry of Commerce & Industry (#b)	ICD Parparganj	385.36	-	-	-	385.36
	Total Grant		**1029.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1029.00**

 # Note:

a) The Grant was to be utilized by 28th September, 2018. There is delay on work due to reclamation/conversion of marshy land for construction of the godowns for storage of paddy. Request for time extention has been made by Corporation. As there is no interest clause in the terms and conditions of grant, interest has not been provided.

b) Grants of ₹ 155.64 lakh and ₹ 385.36 lakh utilized by the corporation under ASIDE scheme for CFS Pipavav and ICD Patparganj respectively in earlier years was reinstated in 2017-18 pending decision of Ministry of Commerce on regularization of expenditure made. Interest @ 10% p.a. of ₹ 54.10 Lakh for current Financial Year 2019-20 has been provided in books. Total interest accounted till 31.03.2020 is ₹ 658.86 lakh.

7) Accounting for Investments

(a) (i) The investments made by the corporation as on 31.03.2020 are as under:-

₹ in lakh

Investments (unquoted):	**As on 31.03.2020**	**As on 31.03.2019**
Equity in State Warehousing Corporation (SWCs) (associates) (Long Term)	6179.38	6179.38
Equity in Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC) (100% subsidiary) (Long Term)	4056.00	4056.00
Equity in Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) - Long Term ₹376.81 Lakh - Current ₹456.09 Lakh	832.90	832.90
Pipawah Integrated logistics hub(PILH) (Current)	438.45	-
Total	11506.73	11068.28

(ii) Corporation has to subscribe for 50% of its share in the share capital of State Warehousing Corporations (SWCs) where respective State Governments have already subscribed for their 50% share. Corporation has not paid its share of 50% in the share capital of Assam SWC, Karnataka SWC, Kerala SWC and Meghalaya SWC due to reasons such as accumulated losses of SWC, non preparation of accounts, non holding the AGM in time and nonpayment of the dividend in time.

(b) The Dividend earned on above investments amounting to ₹ 2802.87 lakh and included in Profit & Loss Account is as under:

₹ in lakh

Subsidiary	2019-20	2018-19
Dividend from State Warehousing Corporations (SWCs)	2518.95	1839.91
Dividend from CRWC (subsidiary company)	283.92	689.52
Total	2802.87	2529.43

8) Disclosure on Employee Benefits

(A) Defined Contribution Plan

(i) a) The employer's contribution to CWC employee's provident fund for the year has been ₹ 2855.10 lakh (previous year 3013.13 lakh).

b) The employer's contribution to CWC pension fund for the year has been ₹ 2447.29 lakh (previous year ₹ 1972.24 lakh).

(ii) a) The employer's contribution to CWC Post Retirement Medical Benefit Fund for the year has been fixed ₹ 3069.40 lakh (previous year ₹ 732.97 lakh).

b) In PRMB scheme, the participating retired employees and existing employees of corporation are required to make annual contribution of ₹ 1500/- by group A, ₹ 1200/- by group B, ₹ 900/- by group C and ₹ 600/- by group D category of employees.

(B) Defined Benefit Plan

(i) The Provision for Employee Benefits i.e. Gratuity, Leave Benefit and LTC has been made on the basis of Actuarial valuation. The Actuarial Valuation is got done at the end of the financial year.

(ii) In respect of Reserve for Leave Benefit Fund, in terms of the decision of the Board on 12.02.2018 credit for interest @ 7.58% earned by the corporation during the year of ₹ 637.15 lakh (net of income tax liability) (previous year ₹ 630.96 lakh) on Leave Benefit Fund Investment has been transferred from Profit & Loss Appropriation A/c to Reserve for Leave Benefits Fund.

(iii) Reconciliation of opening and closing balance of Employee Benefit obligation is as under:

(₹ in Crors)

S. No.	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (unfunded)		LTC (unfunded)	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
1	Present Value of Obligation as on 1st April	292.44	338.29	129.10	140.86	2.97	2.58
2	Add: Interest Cost	22.23	25.71	9.81	10.71	0	0
3	Add: Current Service Cost	7.40	8.95	8.79	6.62	0.62	1.60
4	Add: Past Service Cost-(non vested benefits)	0	0	0	0	0	0
5	Add: Past Service Cost-(vested benefits)	0	0	0	0	0	0
6	Less: Benefit Paid	(77.77)	(73.07)	(37.41)	(37.37)	(0.60)	(1.21)

S. No.	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (unfunded)		LTC (unfunded)	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
7	Actuarial (Gain)/Loss in obligation (balancing figure)	2.78	(7.44)	12.23	8.28	0	0
8	Present Value of Obligation as on 31st March	247.08	292.44	122.53	129.10	2.99	2.97
9	Fair Value of Plan Assets, 1 April	286.04	252.23	0	0	0	0
10	Add: Expected return on Plan Assets	21.74	19.17	0	0	0	0
11	Add: Contributions	11.88	86.06	0	0	0	0
12	Add: Fund Transfer (Inwards)	0	0.05	0	0	0	0
13	Less: Benefits Paid	(77.77)	(73.07)	0	0	0	0
14	Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets (balancing figure)	(3.01)	1.60	0	0	0	0
15	Fair value of Plan Assets as on 31st March	238.88	286.04	0	0	0	0
16	Total Actuarial Valuation Gain/(Loss) to be recognized immediately as per Standard	(5.79)	9.04	12.23	(8.28)	0	0
17	Credit from return on Investment (Net of Tax)	0	0	6.37	6.31	0	0
18	Expenses recognized in P & L A/c	13.68	6.36	24.46	18.90	0.62	1.58
19	Expenses capitalized	0	0.05	0	0.40	0	0.02
	Total Expenses	**13.68**	**6.41**	**24.46**	**19.30**	**0.62**	**1.60**

(iv) Reconciliation of Fair Value of Plan Assets (Gratuity Fund)

In respect of employee benefits, the Corporation has no plan assets except for Gratuity, for which a Gratuity Trust was established on 24th March 2010. The fair value of the plan assets in respect of Gratuity Fund as on 31.03.2020 is ₹238.88 crore (Previous year ₹286.04 crore) as per details given below:

(₹ in Crore)

Particulars	2019-20	2018-19
Fair Value of Plan Assets at beginning of the period	286.04	252.23
Expected return on plan assets	21.74	19.17
Employer contributions (Paid to Trust)	11.88	86.06
Fund Transfer (IN)	0	0.05
Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(3.01)	1.60
Benefits paid	(77.77)	(73.07)
Fair Value of Plan assets at the end of the period	**238.88**	**286.04**

(v) The liability of Employee Benefits has been valued by the Actuary using Projected Unit Credit (PUC) method after considering inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

(vi) The Actuarial Assumptions used for valuation of liability for employee benefits are as under:-

Financial Assumptions	Gratuity		Leave Benefits		LTC	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
Discount Rate	6.80%	7.60%	6.80%	7.60%	6.80%	7.60%
Expected rate of return on Plan Assets	6.80%	7.60%	NA	NA	NA	NA
Estimated Future Salary Increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Mortality	**Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate**	**Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate**	**Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate**	**Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate**	**Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate**	**Indian Assured Lives Mortality 06-08 Ultimate**
Attrition/Withdrawal rate per annum	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Average future working life (in years)	16.05	12.84	16.05	12.84	16.05	12.84

(vii) The present value of the defined benefit obligation (net of plan assets) for the current year and previous four years are as under:

₹ in lakh

Defined Benefit	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
Gratuity	820.07	640.41	8605.69	1292.99	883.61
Leave Benefit	12252.79	12910.45	14085.90	15906.48	17765.26
LTC	299.26	297.13	258.41	244.35	194.24

(viii) With effect from year 2013-14, Corporation extended the benefit of payment of lump-sum ex-gratia compensation to the nominee/legal heir of employees who die while in service where amount ₹ 7.50 lakh is payable for C&D group of employees and ₹ 10.00 lakh is payable for Group A & B group of employees. The expenditure of ₹ 100.00 lakh (previous year ₹ 182.19 lakh) towards death compensation has been accounted for in the current year.

9) Segment Reporting

In the opinion of the management, the Corporation does not have separate reportable segment.

10) Related Party Disclosures

As per Accounting Standard 18, the disclosures of transaction with the related parties are given below:

a. List of Related parties and relationship:

Sl. No.	Name of the Related Party	Relationship
1)	Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC)	Subsidiary Company
ii)	19 State Warehousing Corporations (SWCs)- (Sch-III)	Associate
iii)	Pipawah integrated logistics hub (PILH)	Joint Venture
	Key Management Personel	

iv)	Shri D.V. Prasad	Chairman
v)	Shri Arun Kumar Shrivastava	Managing Director
vi)	Shri S. Charies	Director (Finance)
vii)	Sh. Rakesh Kumar Sinha (w.e.f. 16.05.2019)	Director (Personnel)
viii)	Shri S.C. Mudgerikar (up to 30.09.2019)	Director (M & CP)

b. Related Party Transactions:

(₹ in lakh)

(i)	**CRWC (Subsidiary Company)**	
	- Dividend received	283.92
	- Payment of loan by CWC to CRWC	1461.00
	- Repayment of Secured Loan by CRWC (Loan outstanding as on 31.03.2020 is 1641.00 lakh)	958.70
	- Interest received on loan given to CRWC	109.49
	-Pest Control Services provided to CRWC	1.89
(ii)	**19 State Warehousing Corporation (SWCs) (Associates)**	
	- Dividend income from SWCs	2518.95
	- Godown rent paid to UPSWC	8.34
	- Godown rent paid to Gujarat SWC	274.62
	- Royalty paid to Gujarat SWC	0.97
	- Engineering consultancy services earned on deposit work executed for Orissa SWC.	9.53
(iii)	**PILH (Joint Venture)**	
	- Facilitation charges and reimbursement of expenses	281.71
	Key Management Personnel	
(iv)	**Dr. D.V. Prasad**	**NIL**
(v)	**Sh. Arun Kumar Shrivastava**	
	- Remuneration (Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act, 1961 ₹ 48.49 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act, 1961 ₹ 0.41 lakh)	48.90
	- Travelling Expenses	4.89
(vi)	**Sh. S. Charles**	
	- Remuneration (Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act, 1961 ₹ 39.12 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act, 1961 ₹ 1.15 lakh)	40.27
	Travelling Expenses	1.92
(vii)	**Sh. RakeshKumar Sinha**	
	- Remuneration (Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act, 1961 ₹ 37.75 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act, 1961 ₹ 0.58 lakh)	38.33
	Travelling Expenses	2.24
(viii)	**Sh. S.C. Mudgerikar**	
	- Remuneration (Including salary as per section 17(1) of Income Tax Act, 1961 ₹ 18.63 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act, 1961 ₹ 1.86 lakh)	20.49
	Travelling Expenses	0.76

c. Subsidiary company "CRWC"

i) As on 31.03.2020, Corporation has an investment of ₹4056.00 Lakh (previous year ₹4056.00 lakh) in the equity of its 100% owned subsidiary company "Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC)"

ii) The amount of loans outstanding from CRWC as on 31.03.2020 of ₹1641.00 lakh consists of loan towards:

a. Transfer of Railside Warehouses from CWC- Nil (previous year ₹688.70 lakh)

b. Working Capital loan of ₹180 lakh (previous year ₹450 lakh)

c. Term Loan of ₹1461 lakh (previous year Nil),

iii) The interest payable by CRWC on loan towards

a. Transfer of Railside Warehouses from CWC is @ 7.63% per annum (on quarterly rest).

b. Working Capital loan is payable by CRWC at the interest rate of

PNB on quarterly rest i.e. 8.45%, 8.33%, 8.18% and 8.05% for 1st, 2nd, 3rd and 4th quarters respectively.

c. Term Loan applicable rate of interest is @ 8.45% i.e. MCLR of Punjab National Bank with 01 year reset period (on quarterly rests).

iv) The interest of ₹ 109.49 lakh (previous year ₹ 149.86 lakh) on the above loans has been accounted for during the year.

11) Operating Leases

As a Lessor

The Corporation has entered into strategic alliance management contracts for ICDs at Loni and CFS Logistic Park, which is in the nature of cancelable Operating Lease.

a) The Fixed Assets provided to the lessees as on 31.03.2020 are as under:-

₹ in lakh

Particulars	Gross carrying amount	Accumulated Depreciation	Net Book Value
Leasehold Land	5521.00	1558.31	3962.69
Warehouses & Godowns	1028.22	358.69	669.53
Water Installation	5.64	5.36	0.28
Electric Installation	245.90	233.60	12.30
Open Container Yard	2628.51	679.71	1948.80
Total	9429.27	2835.67	6593.60

b) The aggregate depreciation ₹ 243.41 lakh (previous year ₹ 238.05 lakh) has been charged on the above leased assets during the year. There is no indication of impairment Loss on the above assets. The ICD Loni and CFS Logistic Park have been leased for a period of fifteen years in consideration of Fixed fee and Variable fee per TEU subject to minimum guaranteed throughput/ minimum amount with escalation clause of 5% and 10% per annum respectively. Total income of ₹ 5929.60 lakh (previous year ₹ 5799.97 lakh) has been recognized during the year from operating leases out of which contingent rent is ₹ 535.99 lakh (previous year ₹ 79.63 lakh).

12) Earnings Per Share

Basic and diluted EPS has been calculated below by dividing the profit for the year attributable to equity share holders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year:

Basic and Diluted	Year ended 31.03.2020	Year ended 31.03.2019
a) Number of Equity shares at the beginning of the year	6,80,210	6,80,210
b) Number of equity shares at the end of the year	6,80,210	6,80,210
c) Weighted average number of equity shares outstanding during the year	6,80,210	6,80,210
d) Face Value of each Equity share (In ₹)	1000/-	1000/-
d) Profit after Tax available for equity shareholders (Amount in ₹)	3,72,32,35,325/-	163,60,52,277/-
Earning Per Equity Share - Basic (in ₹)	5473.66	2405.22
Earning Per Equity Share - Basic (in ₹)	5473.66	2405.22

13) **Taxes on Income**

i. The tax expense for the current year is ₹ 3734.58 lakh (previous year ₹ 6181.43 lakh) which comprises of current tax of ₹ 10855.87 lakh, deferred tax of ₹ 2175.42 lakh (credit), and tax adjustment of earlier years of ₹ 4945.87 lakh (Credit).

ii. The deferred tax assets and deferred tax liabilities have been set off there being a legal enforcable right to set off the same. The net deferred tax liability as on 31.3.2020 is ₹ 3297.25 lakh (previous year ₹ 5472.67 lakh) comprising of the following:

₹ in lakh

Deferred Tax Liabilities		**2019-20**	**2018-19**
a.	Depreciation and other differences in block of Fixed Assets.	18108.69	25456.09
b.	Accured interest on income tax refund	191.47	43.70
Total		**18300.16**	**25499.79**
Deferred Tax Assets			
a.	Provision for Bad & Doubtful Debts	7482.66	9507.30
b.	Provision for Gratuity	206.41	223.78
c.	Provision for SVRS, rates, taxes & duties PRMB and unamortized PRMS past service cost etc.	5104.01	8557.11
d.	Provision for Unascertained Liabilities	2209.83	1738.93
Total		**15002.91**	**20027.12**
Deferred Tax Liability (Net)		**3297.25**	**5472.67**

iii. In view of favorable decisions of the Appellate Authority, the amount recoverable from Income Tax Department as on 31.3.2020 for AY 1997-98, 2001-02 and 2002-03 is ₹ 565.53 lakh.

iv. The Corporation has exercised the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019. Accordingly, it has recognized the Provision for income tax (Current Tax) for the year ended 31.03.2020 and also re-measured Deferred Tax Assets/Liability on the basis of the rate prescribed under Section 115BAA.

14) **Interests in Subsidiary/Joint Venture**

(a) Corporation holds 100% equity of ₹ 4056.00 lakh in its subsidiary company i.e. Central Railside Warehouse Company Ltd., (CRWC), whose financial details as per their **unaudited** accounts are as undedr:

₹ in lakh

PARTICULARS	**2019-20**	**2018-19**
Gross Revenue	8262.03	8794.49
Gross Expenses	6360.53	7158.72
Profit before tax	1901.50	1635.77
Profit after tax	1590.12	1487.71
Assets	20763.45	20067.81
Capital & Reserves	13752.41	12504.57
Liabilities	7011.04	7563.24
Contingent Liability	921.87	565.76

(b) In Terms of section 19(2) of the Warehousing Corporations Act 1962. Corporation has invested in the share capital of its Associates i.e. 19 State Warehousing Corporation (SWCs). Due to non-receipt of audited accounts as on 31.03.2020 of these SWCs, the share of the Corporation in their assets, liabilities, contingent liabilities, income and expenses cannot be disclosed.

(c) There is no specific requirements of preparation and presentation of consolidated financial statements as per The Warehousing Corporations Act, 1962 under which Corporation has been constituted. As a result, the same have not been prepared.

(d) Central Warehousing Corporation (CWC) and Container Corporation of India (CONCOR) had entered into an agreement on 10.09.2018 to form a Joint Working Group (JWG) named as Pipavav integrated Logistic Hub (PILH) to operate the logistic facility at Pipavav Port (Gujarat). Both CWC and CONCOR share the investment, working capital and profits equally. In the year 2019-20, CWC has made an investment of Rs. 5 Crores on 30.05.2019 as a part of its capital commitment in PILH.

Financial details as per their **current audited accounts** are as under:

PARTICULARS	2019-20	CWC's Share i.e. 50%
Gross Revenue	41.56	20.78
Gross Expenses	164.66	82.33
Profit/(Loss) before tax	(123.10)	(61.55)
Profit/(Loss) after tax	(123.10)	(61.55)
Assets	1240.43	620.22
Capital & Reserves	876.90	438.45
Liabilities	363.53	181.77
Contingent Liability	NIL	NIL

(e) CWC Management is of the opinion that PILH has not accounted its full expenditure viz.(1) facility usage charges (2) re-imbursement of expenses and (3) Cost Recovery Charges payable to Customs incurred/billed by CWC on PILH on its books of accounts for the year ended 31.03.2020. CWC has billed these expenses as per JWG agreement and the same is not ascertainable in absense of revised audited financial statements of PILH for the year ended 31.03.2020.

Thus, as per CWC Management, the accounts, of PILH for FY 2019-20 does not exhibit a true and fair view of the financial status of the JWG.

CWC has advised CONCOR to get the PILH annual accounts revised for the financial year 2019-20. JWG-PILH agreement is terminated w.e.f. 02.07.2020.

15) Intangible Assets

Corporation has Four Intangible Assets -

a) Registration Fee for Running Container Trains,

b) Right to use land.

c) Software, and

d) License fee for Private Freight Terminal.

In the year 2005-06, Corporation paid registration fee of ₹ 5000 lakh to Indian Railways for running of container trains on Category-1 Routes and Concessionaire Agreement was signed between CWC and Indian Railway on 04.01.2007, which entitles CWC to run the container trains for a period of 20 years from the date of commercial operations which commenced on same date. The Registration Fee of ₹ 5000 lakh has been shown as Intangible Asset. The concessional period is extendable for a further period of 10 years on the same terms & conditions by paying requisite fee. As per the agreement, the concessionaore (CWC) is entitled to transfer or assign the concession to any third party or change the control of

concessionaire after one year from the date of commercial operations with the approval of Railway Administration. Keeping this in view, the registration fee paid for running container trains is being amortized over a period of 20 years (useful life) from the date of commencement of commercial operations. The unamortized amount of Registration Fee paid by CWC to Indian Railways as on 31.03.2020 is ₹ 1500 lakh (previous year ₹ 1750 lakh).

i) Useful life / Amortization Rates used:

Intangible Assets:	Useful life/amortixation rate (%)
Registration Fee for running Container Trains	20 years (unamortized period is 06 years)
Right to use of land	10 years
Software	3 years
Licence for Private Freight Terminal	10 years

ii) The gross carrying amount, accumulated amount of mortization at the beginning and end of the year, reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the year of intangible assets are stated in Schedule II on "Fixed Assets".

16) Impairment of Assets

In the opinion of the management there has been no impairment loss during the year.

17) Contingent Liabilities and Guarantees

₹ in lakh

S. No.	Particulars	As on 31.03.2019	Reduction against opening	Addition during the year	As on 31.03.2020
(a)	Claims against the Corporation not acknowledged as debts including claims of suppliers/contractors and others against the Corporation which are in arbitration/court.				
	i) Central Govt. Departments	6031.47	4289.13	694.32	2436.66
	ii) State Govt. Departments or local Bodies	28664.29	2597.87	1028.01	27094.43
	iii) Central Public Sector Enterprises (CPSEs)	11629.74	6147.47	886.73	6369.00
	iv) Others (Not Covered above)	34621.62	480.39	3136.70	37277.93
	Total (a)	80947.12	13514.86	5745.76	73178.02
Guarantees				**31.3.2019**	**31.03.2020**
(b)	Counter Guarantees given for Bank Guarantees			291.83	440.48
(c)	Custodian guarantee bonds furnished to Customs department			371716.00	413991.75
Liability, if any, that may arise due to disputed claims of some of the employee(s)/ex-employee(s), arbitration cases with depositors/contractors/godown owners and interest/penalty/legal costs is not disclosed in contingent liabilities in respect of which amounts are unascertainable.					
The contingent liabilities stated above are dependent upon the outcome of decision of court/ arbitration/ out of court settlement, disposal of appeal, the amount being called up in terms of contractual obligations and other developments arising on account of demand by concerned parties.					

The Major Contingent Liabilities in respect of claims disputed by the Corporation exceeding 2% of the total claims included in S.No.(a) above are as under:	
(i)	Claim of ₹ 5131.85 Lakh made by SAMO at ICD-Loni towards Examination Charges, Service Charges, Ground Rent, Handling Charges, Fuel Surcharge etc. on containers moved by train by the Corporation and interest thereon.
(ii)	The Claims of ₹ 4489.94 lakh made by FCI against storage and transit losses.
(iii)	The Claim of ₹ 20104.46 lakh made by Mumbai Port Trust towards arrears of rent, rates & taxes including interest etc. in respect of CW, TW-I, TW-II, M.S. Jetha and Wadala disputed by the Corporation.
(iv)	Claim of ₹ 6456.75 Lakh made by SAMO at CFS-Kalamboli towards constructions cost of Rail linked facility, godown rent, domestic operation charges etc. and interest thereon of ₹ 1599.46 lakh.
(v)	The claim of ₹ 9384.61 lakh made by erstwhile strategic alliance management operator (SAMO) at CFS - Whitefield.
(vi)	The claim of M/s MSSIDC for ₹ 1524.57 lakh towards 10% escalation per year in respect of CW Kalamboli.
(vii)	The claim of owner for ₹ 1514.93 lakh in respect of mesne profit for the hired premise at Block no 5, IInd Floor, BaldotaBhawan, Churchgate, Mumbai-400020.

18) Provisions for expenses

In compliance of AS 29 on "Provisions, Contingent liabilities and Contingent Assets*, The required information on Provision for Expenses is as under:

₹ in lakh

Opening Balance	Additions during the year	Amount used/ Incurred/reversed during the year	Closing Balance
4976.33	6517.81	2714.52	8779.62

19) Provision for Bad & Doubtful Debts

Considering that most of the sundry debtors/recoverable relate to government departments/undertakings, the management considers provision for Bad & Doubtful Debts of ₹ 29728.48 lakh (previous year ₹ 27207.26 lakh) as adequate which comprises of provision of ₹ 24989.36 lakh (previous year ₹ 22982.67 lakh, towards sunday debtors (storage charges), ₹ 2110.59 lakh (previous year ₹ 1494.66 lakh) towards sunday debtors (marketing facilitation charges) and 2628.53 (previous year ₹ 2729.93 lakh) lakh towards other recoverable.

20) Capital Advance

a) Capital Advance of ₹ 437.50 lakh has been paid to Jaipur Development Authority (JDA) for allotment of land at Jaipur, Rajasthan for construction of Reginal Office Building. JDA has allotted the land at 4/1/09 Sector 4, Vidyadhar Nagar, Jaipur but possession of the land is not taken by CWC due to encroachment at land for which a letter has been written to JDA for removing encroachment.

b) The capital advance of Rs. 1235.19 lakh paid to CPWD for Construction of Warehouse at Devanahalli, KIADB Land, Near Airport.

21) Balance Confirmations

For debit and credit balances in respect of parties for Loans and Advances, Supplies, Services, Earnest Money and Security

Deposit, Corporation has sent letters for confirmation of balances. The management is of the view that in respect of parties from whom confirmation/ statement of account has not been received, the impact on the liability and profit will not be significant.

22) Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD)

As per guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) issued vide OM dated 21.10.2014 and OM No. CSR/08/0002/2018-Dir (CSR) dated 10.12.2018 Corporation was required to spend during the year 2019-20 an amount of ₹ 329.71 lakh on Corporate Social Responsibility. An amount of ₹ 185.98 lakh (previous year ₹ 402.65 lakh) was incurred during the year towards Corporate Social Responsibility. The balance amount of ₹ 143.73 shall be spend during the year 2020-21.

The details of amount spent during the year on Corporate Social Responsibility is as under:-

₹ in lakh

S. No.	Particulars	Paid in Cash	Yet to be paid	Total
(i)	Construction/acquisition of any asset	-	44.59	44.59
(ii)	On purposes other than (i) above	141.39	-	141.39

23) Benevolent Fund

The Benevolent Fund established during the year 1989-90 for the purpose of staff welfare, is being managed by Benevolent Fund Trust which is registered for income tax exemption under sections 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961. During the year, 1% of profit after tax i.e. ₹ 372.32 lakh (Previous year ₹ 200.61 lakh) is appropriated to the Reserve for Benevolent Fund. During the year an amount of ₹ 164.00 lakh was contributed to Benevolent Fund Trust. The balance in Reserve for Benevolent Fund as on 31.03.2020 is ₹ 371.93 lakh (Previous year ₹ 163.61 lakh) which shall be paid to Benevolent Fund Trust after the approval of the Board of Directors.

24) Dividend

For the financial year 2019-20, Corporation proposes to pay dividend @ 30% of Profit after Tax (PAT) amounting to ₹ 11175.52 lakh. The proposed dividend for the year 2019-20 has not been accounted in the books as per As 4 (Para 14) issued by ICAI. It has already paid interim dividend amounting to Rs. 6497.98 lakh during the financial year 2020-21.

25) Micro, Small, and Medium Enterprises

₹ in lakh

Item No.	Disclosure required under the Micro, Small & Medium Development Act, 2006	As on 31/03/2020	As on 31/03/2019
i)	Delayed payments due as at the end of each accounting year on account of		
	(a) Principal &	NIL	NIL
	(b) Interest due thereon	NIL	NIL
ii)	Total interest paid on all delayed payments during the year under the provisions of the Act	NIL	NIL

Item No.	Disclosure required under the Micro, Small & Medium Development Act, 2006	As on 31/03/2020	As on 31/03/2019
iii)	Interest due on principal amounts paid beyond the due date during the year but without the interest amounts under this Act	NIL	NIL
iv)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	NIL	NIL
v)	Total Interest Due but not paid (Represents all interest amounts remaining due together with that from prior year (s) until such date when the interest was actually paid to the small enterprises. Mainly to ascertain the amount of interest disallowable for income tax purposes)	NIL	NIL

Note: Based on information/certification given by the regional offices/divisional heads

26) Cess for Construction Works

Liability for collection and remittance of Class under the Building & Other Construction Workers (RECS) Act, 1996, Building & Other Construction Workers Welfare Cess Act, 1996 and Building & Other Construction Workers Welfare Cess Rules 1998, has been created in respect of works only in those States where the Welfare Board has been constituted by the concerned State Government and notification regarding effective date and Cess percentage to be levied has been issued.

27) Warehousing Fund

The Warehousing Fund which was being maintained by the Corporation as per section 16 of the Warehousing Corporation Act, 1962 got fully utilized in the year 2010-11, hence no accounts have been prepared for the same.

28) Impact of COVID - 19 Pandemic

The COVID-19 Panademic outbreak was declared as a global panademic by the World Health Organisation (WHO) on 11th March 2020. Although the pandemic had an adverse impact on economy and business across the globe, the Corporation has closely monitored the situation to take prompt actions to ensure continuity of business operations in an optimised manner, Consequently, considering the nature of business of corporation, there is no impact of COVID-19 pandemic on the business operations of the Corporation and hence it has no significant impact on the ability of the Corporation to continue as a going concern.

29) General

The figures have been rounded off to the nearest rupee. The previous year figures have been reworked, regrouped and rearranged wherever considered necessary.

J.K. SARAWGI & COMPANY
NEW DELHI
CHARTERED ACCOUNTANTS

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी–प्रवाह विवरण

विवरण		इस वर्ष		गत वर्ष
	₹	₹	₹	₹
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर पूर्व निवल लाभ		4,09,66,93,069		2,25,41,95,204
समायोजन के लिए:				
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षीणता हानि	80,48,12,581		86,90,08,178	
पूर्व अवधि मूल्यह्रास	-		62,66,552	
पीआरएमएस की पूर्व सेवा लागत का परिशोधन	21,65,566		21,65,565	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	51,35,00,889		58,94,62,819	
ब्याज खर्च	82,40,330		1,03,70,274	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि/परिसंपत्तियां बट्टे खाते में	4,35,04,889		1,41,98,591	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	1,38,19,102		86,94,323	
परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	(11,47,20,797)		(4,25,75,721)	
राज्य भण्डारण निगमों से लाभांश आय	(25,18,94,650)		(18,39,90,703)	
सीआरडब्ल्यूसी से लाभांश आय	(2,83,92,000)		(6,89,52,000)	
ब्याज आय	(57,83,65,283)		(52,92,17,954)	
विदेशी मुद्रा विनिमय में अन्तर	(10,41,445)		(8,32,395)	
अधिक देयताएं/पुरांकित प्रावधान/समायोजित	(16,03,99,652)		(1,14,13,022)	
अतिरिक्त मूल्यह्रास पुरांकित/समायोजित	(7,75,711)		(11,39,492)	
		25,04,53,819		**66,20,45,015**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ		**4,34,71,46,888**		**2,91,62,40,219**
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	(20,31,71,490)		40,20,01,196	
इन्वेंटरीज	(13,54,265)		(2,51,768)	
सहायक कम्पनी (सीआरडब्ल्यूसी) को देय/वसूली योग्य राशि	-		-	
देयताएं तथा प्रावधान	(14,74,80,224)		(1,87,83,92,596)	
		(35,20,05,979)		**(1,47,66,43,168)**
प्रचालन कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी		**3,99,51,40,909**		**1,43,95,97,051**
आयकर प्रदत्त		**(1,13,82,14,590)**		**(53,81,23,732)**
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		**2,85,69,26,319**		**90,14,73,319**
ख. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :				
डब्ल्यूआईपी सहित स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	(2,04,94,18,802)		(1,60,41,18,375)	
स्थाई परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	12,25,57,630		10,42,09,764	
पीआईएलएच में निवेश	(4,38,44,803)		-	
पीआरएमबी निधि निवेश	62,56,69,608		1,47,16,69,574	
छुट्टी लाभ निधि निवेश	6,57,66,305		11,75,44,763	
सीआरडब्ल्यूसी को दिया गया ऋण	(5,02,30,120)		12,78,26,508	
एसडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	20,82,00,650		18,43,33,748	

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी–प्रवाह विवरण

	विवरण	इस वर्ष ₹	₹	गत वर्ष ₹	₹
	सीआरडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	2,83,92,000		6,89,52,000	
	प्राप्त ब्याज	57,94,14,390		55,37,16,494	
	निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)		**(51,34,93,142)**		**1,02,41,34,476**
ग.	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :**				
	हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान	(1,64,00,000)		(68,87,533)	
	भारत सरकार से प्राप्त/उपयोग किया गया अनुदान	-		(9,81,02,028)	
	प्रदत्त ब्याज	(28,12,391)		(33,71,158)	
	प्रदत्त लाभांश	(29,06,36,942)		(40,25,87,332)	
	वित्तीय कार्यकलापों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)		**(30,98,49,333)**		**(51,09,48,051)**
घ.	**नकदी में निवल वृद्धि एवं समकक्ष नकदी (क+ख+ग)**		**2,03,35,83,844**		**1,41,46,59,744**
ङ.	**वर्ष के आरंभ में नकदी एवं समकक्ष नकदी**		**5,27,99,89,578**		**3,86,53,29,834**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं समकक्ष नकदी #		**7,31,35,73,422**		**5,27,99,89,578**
#	**नकदी एवं बैंक शेष**				
क	नकदी एवं बैंक में 55246.73 लाख रु. (गत वर्ष 46043.64 लाख रु.) का जमा शामिल		7,31,35,73,422		5,26,44,04,147
ख	बैंक ड्राफ्ट एवं हस्तगत चैक		-		1,49,41,821
ग	मार्गस्थ प्रेषण/बैंक ड्राफ्ट/चैक		-		6,43,610
	कुल		**7,31,35,73,422**		**5,27,99,89,578**

2 जहाँ कहीं आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(एस. चार्ल्स)
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)
प्रबंध निदेशक

इसी तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 006836 सी

J.K. SARAWGI & COMPANY CHARTERED ACCOUNTANTS NEW DELHI

(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)
पार्टनर
सदस्य सं. 009878

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17/07/2020

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:				
Net profit before Tax		4,09,66,93,069		2,25,41,95,204
Adjustment for :				
Depreciation, Amortisation & Impairment Loss	80,48,12,581		86,90,08,178	
Prior Period Depreciation	-		62,66,552	
Amortisation of Past Service Cost of PRMS	21,65,566		21,65,565	
Provision for Bad & Doubtful Debis	51,35,00,889		58,94,62,819	
Interest Expense	82,40,330		1,03,70,274	
Loss on sale of Assets/Assets written off	4,35,04,889		1,41,98,591	
Bad Debts written off	1,38,19,102		86,94,323	
Profit on sale of Assets	(11,47,20,797)		(4,25,75,721)	
Dividend Income from SWC's	(25,18,94,650)		(18,39,90,703)	
Dividend Income from CRWC	(2,83,92,000)		(6,89,52,000)	
Interest Income	(57,83,65,283)		(52,92,17,954)	
Difference in Foreign Exchange	(10,41,445)		(8,32,395)	
Excess Liabilities/Provisions written back/adjusted	(16,03,99,652)		(1,14,13,022)	
Excess Depreciation written back/adjusted	(7,75,711)		(11,39,492)	
		25,04,53,819		**66,20,45,015**
Operating Profit before Working Capital Changes		**4,34,71,46,888**		**2,91,62,40,219**
Trade and Other receivables	(20,31,71,490)		40,20,01,196	
Inventories	(13,54,265)		(2,51,768)	
Amount Payable to/Recoverable from Subsidiary (CRWC)	-		-	
Liabilities and Provisions	(14,74,80,224)		(1,87,83,92,596)	
		(35,20,05,979)		**(1,47,66,43,168)**
CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES		**3,99,51,40,909**		**1,43,95,97,051**
Income Tax paid		**(1,13,82,14,590)**		**(53,81,23,732)**
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**2,85,69,26,319**		**90,14,73,319**
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:				
Purchase of Fixed Assets including WIP	(2,04,94,18,802)		(1,60,41,18,375)	
Proceeds from sale of Fixed Assets	12,25,57,630		10,42,09,764	
Investment in PILH	(4,38,44,803)		-	
PRMB Fund Investment	62,56,69,608		1,47,16,69,574	
Leave Benefit Fund Investment	6,57,66,305		11,75,44,763	
Loan given to CRWC	(5,02,30,120)		12,78,26,508	
Dividend received from SWC	20,82,00,650		18,43,33,748	

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2020

PARTICULARS		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
		₹	₹	₹	₹
	Dividend received from CRWC	2,83,92,000		6,89,52,000	
	Interest Received	57,94,14,390		55,37,16,494	
	NET CASH (USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)		**(51,34,93,142)**		**1,02,41,34,476**
C.	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**				
	Payment to Benevolent Fund Trust	(1,64,00,000)		(68,87,533)	
	Grant received from/utilised to Govt. of India	-		(9,81,02,028)	
	Interest Paid	(28,12,391)		(33,71,158)	
	Dividend Paid	(29,06,36,942)		(40,25,87,332)	
	NET CASH (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (C)		**(30,98,49,333)**		**(51,09,48,051)**
D.	**NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)**		**2,03,35,83,844**		**1,41,46,59,744**
E.	**CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		**5,27,99,89,578**		**3,86,53,29,834**
	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR #	**D + E**	**7,31,35,73,422**		**5,27,99,89,578**
#	**Cash and Bank Balances**				
a	Cash and Bank includes Deposit of ₹ 55246.73 (previous year ₹ 46043.64 lakhs)		7,31,35,73,422		5,26,44,04,147
b	Bank Drafts and Cheques in hand		-		1,49,41,821
c	Remittance/Bank Draft/Cheques in Transit		-		6,43,610
	Total		**7,31,35,73,422**		**5,27,99,89,578**

2 Previous years figures have been regrouped and rearranged whereever necessary

For and on behalf of the Board

(S. CHARLES)
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)
Managing Director

In terms of our separate report of even date

For J.K. Sarawgi & Company
Chartered Accountants
FRN: 006836C

J.K. SARAWGI & COMPANY NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

(Laxman Swaroop Khandelwal)
Partner
M. No. 009878

Place: New Delhi
Dated : 17/07/2020

केन्द्रीय भंडारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation
(A Govt. of India Undertaking)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' Report

63वीं वार्षिक रिपोर्ट

63rd Annual Report

2019-20

जे.के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सभी अंशधारी
केन्द्रीय भंडारण निगम

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

राय

हमने मैसर्स केन्द्रीय भंडारण निगम ("निगम") के सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 के तुलन–पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई हैं जिसकी रिपोर्ट हमें दी गई हैं और जिनके लेखे समेकित वार्षिक लेखों में विलय कर दिए गए हैं तथा हमारी राय इन अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर ही पूर्णतया आधारित है।

हमारी लेखा परीक्षा तथा पूर्वी/दक्षिणी/पश्चिमी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों के अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की समेकित रिपोर्टों तथा निगम के अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर एवं हमें दी गई पूरी जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में दिए गए वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को निगम की वित्तीय स्थिति तथा इसी वर्ष को समाप्त इसके वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

राय का आधार

हमने इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे

JK Sarawgi & Company
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO
THE SHAREHOLDERS OF
CENTRAL WAREHOUSING
CORORATION

Report on Financial Statements

Opinion

We have audited the Financial Statements of M/s Central Warehousing Corporation ("the Corporation") for the General Fund, which comprise the Balance Sheet as at March 31st2020 and the Profit and Loss Account, Cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

We did not audit the financial statements of Regional Offices falling in eastern zone, southern zone and western zone, for the year ended 31st March, 2020. These financial statements and other financial information have been audited by other Auditors, whose reports have been furnished to us and whose accounts have been merged in the consolidated Annual Accounts, and our opinion is based solely on the reports of these other auditors.

Based on our audit and on Consolidation of reports of other auditors on separate financial statements of the eastern/southern/western zones' Regional Offices and on the other financial information of the Corporation, and to the best of our information and according to the explanations given to us , in our opinion the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the corporation as at 31st March, 2020; of its financial performance; and its Cash Flow Statement for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are

दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में भी उल्लेखित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित है, इकाई के लिए स्वतंत्र है तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा जिन पर प्रशासन का प्रभार है उनका उत्तरदायित्व

प्रबंधन उक्त लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा इनके सही प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी है तथा प्रबंधन के रूप में ऐसा आंतरिक नियंत्रण निर्धारण करना आवश्यक है जिससे वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली गलत जानकारी से बचा जा सके।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन, गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने, प्रकटीकरण जैसा लागू हो, महामारी (कोविड–19) के मामूली प्रभाव सहित गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग करके निगम की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी लेता है जब तक प्रबंधन या तो निगम को बंद या उसके प्रचालन को समाप्त करना चाहता हो या उसके लिए ऐसा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो।

जिनके पास प्रशासन का प्रभार है वे निगम के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख–रेख के उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली जानकारी से पूरी तरह मुक्त है तथा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्चस्तरीय है किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदण्डों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही गलत जानकारी यदि कोई हो, का पता लगा सके। धोखा, गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यह विचारणीय सामग्री हो सकती

further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern,disclosing, as applicable, matters related to going concern including insignificant impact of pandemic (COVID-19) and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered

है, यदि यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो। यह सामान्यतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं।

मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) 3158.98 लाख रु. के 42 भूमि साइटों का लीज़ डीड/टाइटल डीड के संबंध में, जो अभी किया जाना है (अनुसूची–II की टिप्पणी सं. 3)।

(ख) अंतिम वसूली की अनिश्चितता से निगम की 61514.41 लाख रु. की राशि का दावा विवादित होने के कारण राजस्व की पहचान न होने के संबंध में (अनुसूची–XXIX की टिप्पणी सं. 4 ख)।

(ग) कुछ पार्टियों से डेबिट/क्रेडिट द्वारा लेखों पर प्रभाव के संबंध में (अनुसूची XXXII की टिप्पणी सं. 21)।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

कृते जे. के. सरावगी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
एफआरएन नं. 006836 सी

(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)
साझेदार
एम.नं.–009878

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जुलाई, 2020

material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the notes to the financial statements.

(a) Note No. 3 of Schedule-II-regarding lease deed/title deed of 42 land sites valued at Rs.3158.98 lakhs,yet to be executed.

(b) Note No. 4 (B)of Schedule - XXIX regarding non recognition of revenue on account of disputed claims of the Corporation to the tune of Rs.61514.41 lakhs due to uncertainty in their ultimate collection.

(c) Note No. 21 of schedule XXIX regarding impact on Accounts due to non-confirmation of debit/credit balances of parties

Our report is not modified in respect of above said matters.

For J K Sarawgi & Company
Chartered Accountants
F.R.N. 006836C

(Laxman Swaroop Khandelwal)
Partner
M.No. 009878

Place of Signature: New Delhi
Dated 17th July, 2020

वर्ष 2019–20 के लिए निगम के लेखों पर साविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के उत्तर

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (मामले पर बल)	प्रबंधन के उत्तर
(क) 3158.98 लाख रु. के 42 भूमि साइटों के लीज डीड/टाइटल डीड के संबंध में, जो भी किया जाना है (अनुसूची–II की टिप्पणी सं. 3)।	42 गैर निष्पादित भूमि लीज डीड के मामले को प्रबंध निदेशक स्तर पर मासिक आधार पर निगरानी की जा रही है इसके अलावा लेखा परीक्षा समिति द्वारा भी अपनी बैठकों में नियमित कार्यसूची मद के अनुसार समीक्षा की गई है। जो लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुई है उनके लिए मुख्य अभियंता (योजना) द्वारा संबंधित यूनिटों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित प्राधिकारी के साथ टाइटल डीड के निष्पादित कार्य को शीघ्र करने के लिए मामले को उठाएं।
(ख) अंतिम वसूली की अनिश्चितता से निगम की 61514.41 लाख रु. की राशि का विवादित दावा होने के कारण राजस्व की पहचान न होने के संबंध में (अनुसूची–XXIX की टिप्पणी सं. 4(ख)।	निगम के विवादित दावे न्यायिक निर्णय के अधीन हैं इसके परिणाम अनुकूल होने के आधार पर विवादित राजस्व की पहचान की जा सकती है।
(ग) कुछ पार्टियों से शेष की पुष्टि न होने से लेखों पर प्रभाव के संबंध में (अनुसूची–XXIX की टिप्पणी सं. 21)।	वर्ष 2019–20 की शेष की पुष्टियों के पत्र संबंधित पार्टियों को इस अनुरोध के साथ भेजे हैं कि वे सांविधिक लेखा परीक्षकों को सीधे ही शेष की पुष्टि करें। कुछ पार्टियों ने उत्तर नहीं दिया है। शेष की पुष्टि के पत्र इस वर्ष भी छमाई आधार पर भेजे जाएंगे तथा पुष्टि प्राप्त न होने पर अनुस्मारक भेजे जाएंगे।

Replies to the Statutory Auditor's Report on the Accounts of the Corporation for the year 2019-20

Auditor's Report (Emphasis of matters)	Reply of the Management
(a) Note No. 3 of Schedule II-regarding lease deed/title deed of 42 land sites valued at Rs. 3158.98 lakh, yet to be executed.	The issue of non execution of 42 land lease deeds is now being monitored on monthly basis at MD level. Further the Audit Committee has also been reviewing this as a regular agenda item in its meetings For the lease deeds not yet executed, the concerned units have been advised by the Chief Engineer (Planning to take up with the concerned authorities for expenditing the execution of the title deeds.
(b) Note No. 4(B) of Schedule - XXIX - regarding non recognition of revenue on account of disputed claims of the Corporation to the tune of account of disputed claims of the Corporation to the tune of Rs. 61514.41 lakh due to uncertainty in their ultimate collection.	The disputed claims of the corporation are under adjudication. The disputed revenues can be recognized based on the outcome of the same being favorable.
(c) Note No. 21 of Schedule XXIX - regarding impact on accounts due to non-confirmation of balances from some of the parties.	The letters of confirmations of balances were sent to all the concerned parties in 2019-20 with a request to confirm the balance to the Statutory Auditors directly. Some parties did not respond. Letters of confirmation of balance shall be sent this year also on half year basis and wherever confirmation is not received, reminders will be sent.

2019-20

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम के लेखों पर वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **केन्द्रीय भंडारण निगम** की सामान्य निधि के वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी निगम के प्रबंधन की है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(3) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय यानि दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(5) के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक **17 जुलाई, 2020** की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा करने का वक्तव्य दिया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **केन्द्रीय भंडारण निगम** के सामान्य निधि के संबंध में वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्य प्रणाली के कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांचों, निगम के कार्मिकों एवं लेखों के कुछ चुनिंदा प्रलेखों के परीक्षण तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 31(5) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में लाए गए हैं तथा जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने के लिए आवश्यक है।

1. **वित्तीय विवरणों के प्रारूप पर टिप्पणी**

निगम ने केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 (वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशंस अधिनियम, 1962 के साथ पठित) के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है। लेखों के अंग के रुप में टिप्पणियां गैर अनुपालन के इस तथ्य को इसके कारणों सहित प्रकट नहीं करते हैं।

2. **वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां**

अ. **पूंजी तथा देयताएं**
बकाया देयताएं (नोट-V)
व्यय के लिए प्रावधान रु. 87,79,61,593

पूर्व वर्षो के लिए देय कार्यालय किरायों हेतु प्रदान की गई विद्यमान देयता को पुरांकित किए जाने के कारण उपर्युक्त 5.45 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। निगम द्वारा देयता को बिना किसी यथोचित तथा स्वीकार्य कारणों से पुरांकित किया गया था। विरोधी पक्ष ने भी निगम पर अपना दावा वापिस नहीं लिया है या माफ नहीं किया है और वर्तमान में मामले पर मुकदमा चल रहा है।

इसके परिणामस्वरूप 5.45 करोड़ रुपये की बकाया देयता को कम दर्शाया गया है तथा वर्ष के लिए लाभ को 5.45 करोड़ रुपए तक अधिक दर्शाया गया है।

ख. **संपत्ति एवं परिसंपत्ति**
स्थायी परिसंपत्तियाँ (अनुसूची-II)
अमूर्त परिसंपत्ति
कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्कः 15,00,00,000/– रु.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 31(8) OF THE WAREHOUSING CORPORATIONS ACT, 1962 ON THE ACCOUNTS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2020.

The preparation of financial statements in respect of General Fund of Central Warehousing Corporation for the year ended 31st March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Warehousing Corporations Act, 1962 is the responsibility of the management of the corporation. The Statutory Auditors appointed by the Government of India on the advice of Comptroller and Auditor General of India under Section 31(3) of the Warehousing Corporations Act, 1962 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 31(5) of the Warehousing Corporations Act, 1962 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 17th July 2020.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 31(8) of the Warehousing Corporations Act, 1962 of the financial statements in respect of General Fund of Central Warehousing Corporation for the year ended 31st March 2020. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and corporation personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 31(5) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

I. Comment on Format of Financial Statements

The Corporation has not prepared its financial statements as per format prescribed under The Central Warehousing Corporation Rules, 1963 (read with The Warehousing Corporation Act, 1962). The Notes forming part of Accounts do not disclose this fact of non compliance along with reason(s) for the same.

II. Comments on Financial Position

A. Capital and Liabilities
Outstanding Liabilities (Note-V)
Provision for Expenses: 87,79,61,593

The above is understated by 5.45 crore due to written back of an existing liability provided for office rent payable for earlier years. The liability was written back by the Corporation without any justifiable and acceptable reasons. Opposite party has also not withdrawn or waived its claim on the Corporation and the matter presently is under litigation.

This has resulted into understatement of outstanding liabilities by ₹5.45 crore and overstatement of profit for the year by ₹5.45 crore.

B. Property & Assets
Fixed Assets (Schedule II)
Intangible Assets
Registration fee for container trains: 15,00,00,000

निगम ने वर्ष 2011–12 के लिए कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क के परिशोधन के लिए अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है। हालांकि अधिक परिशोधन प्रभार 1.88 करोड़ रु. को वर्ष 2011–12 तक समायोजित करने के लिए छोड़ दिया गया था।

इसके परिणामस्वरुप 1.88 करोड़ रु. की पूर्व अवधि आय तथा अमूर्त परिसंपत्ति को कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखों की टिप्पणियों की अनुसूची XXIX के पैरा 15 (I) भी उस सीमा तक गलत है जिसमें कहा गया है कि इसकी अपरिशोधित अवधि 6 वर्ष है जबकि वास्तविक अपरिशोधित अवधि 6 वर्ष 9 माह है।

स्थान ....
दिनांकः 24.09.2020
नई दिल्ली

भारत के नियंत्रण एवं
महालेखा परीक्षक के लिए एवं
उनकी ओर से

(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

The Corporation had changed its accounting policy of amortisation of registration fee for container trains in 2011-12, however omitted to adjust excess amortisation charged till 2011-12 amounting to 1.88 crore.

This has resulted in understatement of prior period income and Intangible Assets by ₹1.88 crore. Besides, Para 15(i) of Schedule XXIX to Notes to Accounts is also incorrect to the extent that it states unamortised period is 6 years whereas the actual unamortised period is 6 years and 9 months.

Place: ....
Date: 24.09.2020
New Delhi

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(Amitabh Prasad)
Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)

अनुलग्नक–II

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन के उत्तर	टिप्पणी की प्रकृति (लाभ एवं हानि पर प्रकटन/प्रभाव)
1.	निगम ने केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 (वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशंस अधिनियम, 1962 के साथ पठित) के अंतर्गत निर्धारित प्रारुप के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं किया है। लेखों के अंग के रुप में टिप्पणियों गैर अनुपालन के इस तथ्य को इसके कारणों सहित प्रकट नहीं करते हैं।	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय केंद्रीय भंडारण निगम नियम, 1963 में निर्धारित प्रारुप की तुलना में वार्षिक लेखों को तैयार किए जाने वाले प्रारुप में अंतर फार्म सी, डी एवं ई (तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि लेखे एवं लाभ एवं हानि विनियोजन लेखे) में दी गई मदों को जोड़े जाने के कारण है, जिसे आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों के साथ वित्तीय सूचना के बेहतर प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण के लिए किया गया है। फार्म सी, डी एवं ई में दी गई मदें जो वर्तमान में लागू नहीं है, उसे लेखों में नहीं दिखाया गया है।	प्रकटन
2.	**व्यय के लिए प्रावधानः** पूर्व वर्षों के लिए देय कार्यालय किरायों हेतु प्रदान की गई विद्यमान देयता को पुरांकित किए जाने के कारण उपर्युक्त 5.45 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। निगम द्वारा देयता को बिना किसी यथोचित तथा स्वीकार्य कारणों से पुरांकित किया गया था। विरोधी पक्ष ने भी निगम पर अपना दावा वापिस नहीं लिया है या माफ नहीं किया है और वर्तमान में मामले पर मुकदमा चल रहा है। इसके परिणामस्वरूप 5.45 करोड़ रुपये की बकाया देयता को कम दर्शाया गया है तथा वर्ष के लिए लाभ को 5.45 करोड़ रुपए तक अधिक दर्शाया गया है।	विधि फर्म मैसर्स विशाल एस. खानवकर द्वारा दी गई विशेषज्ञ राय के आधार पर देयता को पुरांकित किया गया था। मुंबई के वकील केस को डील कर रहे है। उक्त विशेषज्ञ की राय में यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि केंद्रीय भंडारण निगम के पास मजबूत तर्कपूर्ण मामला है और निगम के विरुद्ध किसी भी देयता की संभावना नहीं है। चूंकि इस मामले के विरुद्ध कोई संभावित आउटफ्लो नहीं है, अतः प्रबंधन का मत है कि इस देयता को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।	लाभ में कमी– 5.45 करोड़ रु.

Schedule II

Management replies on the comments of the Comptroller and Auditor General of India on the accounts of the Corporation for the year ended 31st March 2020.

S No.	C&AG Comment	Management Reply	Nature of Comment (Disclosure/Impact on P&L)
1.	The Corporation has not prepared its financial statements as per format prescribed under The Central Warehousing Corporation Rules, 1963 (read with The Warehousing Corporation Act, 1962). The Notes forming part of Accounts do not disclose this fact of non -compliance along with reason(s) for the same.	The variations in the format in which Annual Accounts are prepared as compared to the formats prescribed in the WH Rules, 1963 are due to Addition of line items in Form C, D & E (Balance Sheet, Profit & Loss A/C & P & L Appropriation A/C) in preparation of Annual Accounts for FY 2019-20 which has been done for better presentation and disclosure of financial information in line with the applicable accounting standards issued by ICAI. Line items in Forms C, D & E which are not applicable at present are not shown in the Accounts.	Disclosure
2.	**Provision for Expenses:** The above is understated by ₹5.45 crore due to written back of an existing liability provided for office rent payable for earlier years. The liability was written back by the Corporation without any justifiable and acceptable reasons. Opposite party has also not withdrawn or waived its claim on the Corporation and the matter presently is under litigation. This has resulted into understatement of outstanding liabilities by ₹5.45 crore and overstatement of profit for the year by ₹5.45 crore.	This liability was written back based on the Expert Opinion given by the Law firm M/s Vishal S. Khanavkar, Advocate of Mumbai dealing with the case. In the said expert opinion, it was clearly indicated that CWC has a strong arguable case and there is no likelihood of any liability against CWC. As there is no probable outflow against this case, management is of the view that there is no requirement of continuing this liability.	Decease in Profit Rs 5.45

क्र. सं.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन के उत्तर	टिप्पणी की प्रकृति (लाभ एवं हानि पर प्रकटन/प्रभाव)
3.	निगम ने वर्ष 2011–12 के लिए कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क के परिशोधन के लिए अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया है। हालांकि अधिक परिशोधन प्रभार 1.88 करोड़ रु. को वर्ष 2011–12 तक समायोजित करने के लिए छोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरुप 1.88 करोड़ रु. की पूर्व अवधि आय तथा अमूर्त परिसंपत्ति को कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखों की टिप्पणियों की अनुसूची XXIX के पैरा 15 (I) भी उस सीमा तक गलत है जिसमें कहा गया है कि इसकी अपरिशोधित अवधि 6 वर्ष है जबकि वास्तविक अपरिशोधित अवधि 6 वर्ष 9 माह है।	यह टिप्पणी वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान हुई चूक से संबंधित है तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नहीं है। हालांकि, जैसा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाव दिया गया है, इसे वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्व अवधि आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा।	लाभ में वृद्धि – 1.88 करोड़ रु.
	लाभ में निवल कमी		3.57 करोड़ रुपये

S No.	C&AG Comment	Management Reply	Nature of Comment (Disclosure/Impact on P&L)
3.	The Corporation had changed its accounting policy of amortisation of registration fee for container trains in 2011-12, however omitted to adjust excess amortisation charged till 2011-12 amounting to ₹1.88 crore. This has resulted in understatement of prior period income and Intangible Assets by ₹1.88 crore. Besides, Para 15(i) of Schedule XXIX to Notes to Accounts is also incorrect to the extent that it states unamortised period is 6 years whereas the actual unamortised period is 6 years and 9 months.	This observation pertains to an omission during the FY 2011-12 and is not of FY 2019-20. However, as suggested by C & AG, this shall be booked as Prior period income in FY 2020-21	Increase in Profit-Rs 1.88 Cr
	Net Decrease in Profit		Rs 3.57 Cr

अध्यक्ष का अभिभाषण
CHAIRMAN'S ADDRESS

प्रिय अंशधारियों, देवियो एवं सज्जनों,

आपके निगम की 58वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशक मंडल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त खुशी हो रही है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति और निगम के प्रति आपके संरक्षण एवं विश्वास बनाए रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2019–20 के लिए आपके निगम के कार्य–निष्पादन (Performance) को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है।

आर्थिक एवं व्यापारिक परिवेश

प्रिय अंशधारियों,

वेअरहाउसिंग लॉजिस्टिक वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण घटक (Component) है तथा परिवहन के विभिन्न चरणों के दौरान वस्तुओं के गुणवत्ता भंडारण एवं व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में एक क्षेत्र के रूप में वेअरहाउसिंग कई गुना विकसित हुआ है, जिसमें निम्न–श्रेणी के पारंपरिक गोदामों को पूर्व–इंजीनियर संरचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित (Replaced) किया जा रहा है जो चौबीसों घंटे निगरानी और मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के साथ हवादार और क्लाइमेट प्रूफ हैं।

भारत में पारंपरिक भंडारण सेवाओं के अलावा, वेअरहाउस अब मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित हैं जैसे कार्गो का एकत्रीकरण (Breaking up of Cargo) तथा ब्रेकिंग–अप, पैकेजिंग, लेबलिंग, बार कोडिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स और वेअरहाउसिंग के लिए आकस्मिक अन्य मूल्य संवर्धित सेवाएँ (Value added Services)। भारत में वेअरहाउसिंग का विकास मुख्य रूप से भारत सरकार की मेक–इन–इंडिया पहल, व्यापार बढ़ाना, उत्कृष्ट तकनीक तथा डिजीटल इंडिया जैसे कारकों द्वारा संचालित हो रहा है।

भारत में वेअरहाउसिंग उद्योग अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है और वैश्विक मानकों (Global standards) तथा व्यावसायिक विकास के अनुरूप होने से पहले इसे एक लंबा रास्ता तय करना है। तेजी से विकसित हो रहे व्यापार, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों का लाभ उठाते हुए, वेअरहाउसिंग शीघ्र ही भारत में लॉजिस्टिक और आधुनिक व्यापार का आधार बन सकता है।

महामारी (Pandemic) के बाद विनिर्माण (Manufacturing) कार्य में जब तेजी आएगी तो संभावना है कि फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals), ई–कॉमर्स और खाद्य उद्योग जैसे क्षेत्र अपनी

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

On behalf of the Board of Directors, I am happy to welcome you to the **58th Annual General Meeting** of your Corporation. I thank you for your presence here today and for your patronage and confidence reposed on the Corporation. It is a privilege for me to present the performance of your Corporation for the year 2019-20.

Economic & Business Environment

Dear Shareholders,

Warehousing is an important component of the Logistic value chain and plays a significant role in quality storage of goods and merchandise during the varied stages of transportation. Warehousing as a sector in India has evolved manifold, with the low-grade conventional godowns being replaced by pre-engineered structures that are insulated, ventilated and climate-proof, with round the clock surveillance and standard safety protocols and procedures.

Apart from conventional storing services, warehouses in India are now equipped to provide value-added services like consolidation and breaking up of cargo, packaging, labeling, bar coding, reverse logistics and other value-added services incidental to Warehousing. The growth of warehousing in India is primarily being driven by the factors like Make-In-India initiative of Govt. of India, enhanced Trade, Superior Technology and Digital India.

The warehousing industry in India is still at a nascent stage and it has a long way to go before it can match global standards and business growth. Leveraging the fast-evolving trade, infrastructure, technology, and human resources, warehousing can soon become the backbone of the logistics and modern trade in India.

Post pandemic once manufacturing picks up, it is expected that sectors like pharmaceuticals, e-commerce and food industries would ramp up their storage capacities in line with the demand.

भंडारण क्षमताओं को मांग के अनुरूप बनाएंगे। महामारी (Pandemic) के बाद विशेष रूप से ई–कॉमर्स, 3पीएल (थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स) एफएमसीजी (आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के लिए) एवं फार्मास्यूटिकल्स (Pharmaceuticals) जैसे क्षेत्रों से बढ़ती मांग को देखते हुए इस सेगमेंट की स्थिति शीघ्र बेहतर हो सकेगी।

वित्तीय निष्पादन

प्रिय साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो गई होगी, जिसमें वर्ष 2019–20 के दौरान आपके निगम के कार्य–निष्पादन (Performance) की विशेषताओं पर निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा–परीक्षित (Audited) वित्तीय विवरण तथा उन पर सांविधिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditor's) की रिपोर्ट शामिल है। आपकी सहमति से मैं मान लेता हूँ कि आपने इन्हें पढ़ लिया है।

यद्यपि निदेशक मंडल की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान निगम के भौतिक एवं वित्तीय कार्य – निष्पादन (physical and financial performance) एवं विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी दिया गया है, फिर भी मैं वर्ष 2019–20 के दौरान निगम की कुछ विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो इस प्रकार हैः

(क) आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष 1604.62 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष के दौरान 1727.63 करोड़ रु. रहा।

(ख) आपके निगम का वर्ष 2018–19 में 225.42 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) 409.67 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2018–19 में 163.61 करोड़ रु. की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान कर–पश्चात् लाभ (पीएटी) 372.32 करोड़ रु. रहा।

(ग) वर्ष 2018–19 के 167.51 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 204.18 करोड़ रु. पूंजी व्यय किया गया।

लाभांश

आपका निगम शुरू से ही लाभांश (Dividend) का भुगतान कर रहा है। वर्ष के दौरान कर पश्चात् लाभ (पीएटी) 372.32 करोड़ रु. तथा प्रदत्त पूंजी (Paid up capital) 68.02 करोड़ रु. रही। वर्ष 2019–20 के लिए अंशधारियों को प्रदत्त शेयर पूंजी (Paid up share capital) के 95.53 प्रतिशत पर 64.98 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश (Interim dividend) का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश (Interim dividend) के अतिरिक्त, प्रदत्त पूंजी (Paid up) के 67.76 प्रतिशत पर 46.77 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है। इस प्रकार,

The recovery for the segment could be quick post the pandemic on the back of strong inherent demand, especially from sectors like e-commerce, 3PL (third party logistics), FMCG (for essential goods/services) and pharmaceuticals.

Financial Performance:

Dear friends, I hope, you all have received the copy of Annual Report for the year 2019-20, which contains the Audited Financial Statements, the Statutory Auditor's Report thereon and the Directors' Report highlighting the performance of your Corporation during 2019-20. With your consent, I take them as read.

Though the Directors' Report gives a more detailed account of the physical and financial performance of the Corporation and also various activities undertaken by the Corporation during the year, I will broadly highlight before you the accomplishments of the Corporation during the year 2019-20 as under:-

(a) Your Corporation has achieved a turnover of Rs.1727.63 crore during the year as against Rs.1604.62 crore last year.

(b) In the year, your Corporation has earned Profit before Tax (PBT) of Rs. 409.67 crore as compared to Rs. 225.42 crore during the year 2018-19. The Profit after Tax (PAT) for the year is Rs. 372.32 crore as against Rs.163.61crore during the year 2018-19.

(c) Achieved CAPEX of Rs.204.18 crore as against Rs.167.51 crore in the year 2018-19.

Dividend

Your Corporation has been paying dividend since inception. Profit after Tax (PAT) for the year is Rs. 372.32 crore and the paid up capital is Rs.68.02 crore. Interim Dividend for the year 2019-20 at 95.53% of the paid up share capital amounting to Rs. 64.98 crore has already been paid to the shareholders. In addition to the interim dividend, final dividend at 67.76% of the paid up capital amounting to Rs. 46.77 crore for the year is proposed. With this, the total dividend

वर्ष 2018–19 के लिए कुल लाभांश प्रदत्त पूंजी (Paid up) का 164.29 प्रतिशत होगा। इसके कारण वर्ष 2019–20 के लाभांश के लिए निगम का कुल आउटफ्लो 111.75 करोड़ रु. होगा।

भौतिक निष्पादन

31 मार्च 2020 को आपका निगम 412 वेअरहाउस चला रहा था। वर्ष के दौरान औसत भंडारण क्षमता 100.18 मी.टन थी और 2018–19 में 83 प्रतिशत की तुलना में औसत क्षमता उपयोग 84.35 प्रतिशत रहा।

कड़ी प्रतिस्पर्धा (stiff competition) एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की सीधी पोर्ट एंट्री (डीपीई) एवं सीधी पोर्ट डिलीवरी (डीपीडी) में वृद्धि होने के बावजूद आपके निगम ने पिछले वर्ष 5.58 लाख टीईयू की तुलना में इस वर्ष के दौरान अपने 24 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैंड क्लियरेंस डिपो (आईसीडी) पर 6.36 लाख टीईयू हैंडल किए।

परियोजना कार्यान्वयन

आपके निगम ने वर्ष 2019–20 के दौरान दो राज्यों अर्थात राजस्थान एवं केरल में छह स्थानों पर 38100 मी.टन भंडारण क्षमता में वृद्धि की है। वर्ष के दौरान सात राज्यों में 13 स्थानों पर स्थित 120925 मी.टन क्षमता के वेअरहाउसों को भंडारण योग्य बनाया गया।

वर्ष 2020–21 के दौरान, निगम की देश में विभिन्न स्थानों पर 3.90 लाख मी.टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण तथा 172 वेअरहाउसों को अपग्रेड करने की योजना है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- **वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस)**, एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है, जिसमें विभिन्न भंडारण प्रचालनों को स्वचालित करके देशभर में ~390 वेअरहाउसों में शुरू किया गया है।
- गोदामों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए देशभर में 380 वेअरहाउसों पर **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली** स्थापित की गई है। मोबाइल फोन पर रिमोट व्यूइंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है।
- निगम की वेबसाइट www.cwcwms.com पर **एक डैशबोर्ड** को निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों के

for the year 2018-19 shall be 164.29% of the paid up capital. This shall result in a total outflow of Rs. 111.75 crore to the Corporation on account of dividend for the year 2019-20.

Physical Performance

As on 31st March, 2020, your Corporation has operated 412 warehouses. The average storage capacity during the year was 100.18 lakh MT and average capacity utilization was 84.35% as against 83% in 2018-19.

Inspite of stiff competition and increase in Direct Port Entry (DPE) and Direct Port Delivery (DPD) of containers at major Ports, Corporation handled 6.36 lakh TEUs during the year as against 5.58 lakh TEUs during the last year at its 24 Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs).

Project Implementation

Your Corporation added a storage capacity of 38100 MT during the year 2018-19 at six locations in two States i.e. Rajasthan and Kerala. During the year 13 warehouses located in seven states having 120925 MT capacity were made storage-worthy.

During the year 2020-21, Corporation has planned to construct additional storage capacity of 3.90 lakh MTs at various locations in the country and upgrade 172 warehouses.

Information Technology

- **Warehouse Management System (WMS)**, a cloud-based application automating various warehousing operations, has been rolled out at ~390 warehouses across PAN India.
- **CCTV Surveillance System** has been installed at 380 warehouses PAN India to strengthen the security of the warehouses. Infrastructure has also been made available to upgrade CCTV cameras with remote viewing facility on Mobile phone.
- A **dashboard** of The Corporation website www.cwcwms.com has been developed to

सैन्ट्रल पूल स्टॉक को देखने के लिए विकसित किया गया है। डैशबोर्ड में वेअरहाउस डैशबोर्ड, कैपसिटी टोटल डैशबोर्ड इन एमटी, कैपसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस) इन एमटी, कैपसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस डिपोजिटर्स) इन एमटी, कमोडिटी डैशबोर्ड (डब्ल्यूएमएस वेअरहाउस) एवं सैन्ट्रल पूल डैशबोर्ड (एफसीआई) शामिल हैं।

- **निगमित कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–ऑफिस को लागू कर दिया गया है।** कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच निगम का प्रचालन बाधा रहित सुनिश्चित करते हुए ई–ऑफिस निगम के अधिकारियों की ''वर्किंग फ्रॉम होम'' में सहायता कर रहा है, इसके अलावा, ई–ऑफिस से निगम में पेपरलेस वातावरण बना है जिससे दक्षता (Efficient) बढ़ेगी, निर्णय लेने में तेजी, लागत में बचत (Cost saving) और कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी आएगी।

- **निगम की नई वेबसाइट** (www.cewacor.nic.in) को शुरू कर दिया गया है। सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के पृष्ठों के साथ नई वेबसाइट को सूचनाप्रद (Informative) बनाया गया है। साथ ही, वेबसाइट की क्रियाशील प्रकृति (Dynamic nature) उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाती है।

- **बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस)** को निगमित कार्यालय और निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया गया है ताकि एक मंच के माध्यम से बिलों की मूवमेंट तथा उनके भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके। यह थर्ड पार्टी भुगतान पर सीवीसी दिशा–निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए निगम को सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, बीटीएस विक्रेताओं की सैन्ट्रल रिपोज़िटरी तैयार करने की भी सुविधा देता है।

- निगम ने सर्तकता विभाग द्वारा की गई प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए **सतर्कता सूचना प्रणाली (वीआईएस)** को वर्ष 2020–21 में शुरू करने हेतु विकसित तथा पूर्ण रूप से परीक्षित किया है। सभी दस्तावेजों और फाइलों को डिजीटाइज्ड कर दिया गया है तथा सतर्कता विभाग की सभी मूवमेंट मैन्युअल फाइल को समाप्त कर **ई–फाइल मूवमेंट** कर दिया गया है।

- **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पोर्टल:** (Post-retirement medical benefit portal) निगम के सेवानिवृत्त (Retired) कर्मचारियों के लिए शुरू किया

view the central pool stock of food grains at warehouses of CWC. The dashboard comprises of Warehouse dashboard, Capacity total dashboard in MT, Capacity Utilization (WMS) in MT, Capacity Utilization (WMS Depositors) in MT, Commodity Dashboard (WMS Warehouse) and Central Pool dashboard (FCI).

- **E-Office has been implemented in CO and all ROs**. E-Office is assisting the officials of Corporation in "Working from Home", amidst the outbreak of Corona Virus, ensuring un-interrupted operations of CWC. Further, e-Office shall result in paperless environment in CWC, with enhanced efficiency, faster decision making, and cost saving and reduced carbon footprints.

- The **revamped website of Corporation** (www.cewacor.nic.in) has been made live. The revamped website has been made informative with dedicated pages for all the Divisions and ROs. Also, the dynamic nature of the website increases the user experience.

- **Bill Tracking System (BTS)** has been implemented in Corporate Office and all the Regional Offices of the Corporation to track the movement of bills and status of payment online through one platform. This facilitates the Corporation to ensure the CVC guidelines on 3rd party payments. Further, BTS also allowed in preparing a central repository of the vendors.

- Corporation has developed and thoroughly tested **Vigilance Information System (VIS)** for launching in 2020-2021 for digitizing the processes undertaken by Vigilance Division. Further, all the documents and files have been digitized and all the manual file movement in Vigilance Division had been dispensed with **e-File movement**.

- **Post-retirement medical benefit portal** has been launched to enable the retired officials of the Corporations to manage

गया है ताकि वे अपनी सुविधानुसार घर से इंटरनेट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ले सकें।

- **ई–ऑक्शनिंग और ई–टेण्डरिंग पोर्टल** को नया रूप दिया गया है ताकि बेहतर पारदर्शिता, व्यापक प्रचार एवं सुचारू रूप से काम किया जा सके।
- **निगम का कैरियर पोर्टल** उम्मीदवारों के लिए निगम से संबंधित सभी नौकरियों की अद्यतन जानकारी और उनके प्रश्नों के उत्तर एक ही मंच से देने के लिए शुरू किया गया है।
- **सी.एफ.एस/आई.सी.डी. सॉफ्टवेयर सी.एफ.एस. व्हाइटफील्ड, बंगलौर क्षेत्र जैसे नए स्थानों पर सी.एफ. एस. प्रचालनों** को स्वचालित (automating) करने के लिए लगाया गया है ताकि यूज़र्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे सभी प्रचालनों का निष्पादन ऑनलाइन करने में सक्षम हो सके।
- निगम फेसबुक और ट्विटर एकाउंट के माध्यम से सोशल मीडिया से भी जुड़ा हुआ है। निगम के नवीनतम समाचार और महत्वपूर्ण गतिविधियों को नियमित रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के साथ सांझा किया जाता है।
- निगम ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय–समय पर होने वाली बैठकों, चर्चाओं और रिपोर्टों के लिए निगमित कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा को लागू किया है।

गुणवत्ता प्रबंधन

आपके निगम ने उन्नत गुणवत्ता मानकों (upgraded Quality Standards) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित एवं व्यवस्थित रखा है। सभी 368 स्वनिर्मित वेअरहाउसों/सीएफएस/आईसीडी/एसीसी और 15 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निगमित कार्यालय को आई एस ओ 9001:2015 क्यू एम एस के लिए, आईएसओ 14001:2015 ईएमएस के लिए और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रमाणित किया गया।

भविष्य का दृष्टिकोण

प्रिय अंशधारियो, बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए वेअरहाउसिंग क्षमता का विस्तार, निजी फ्रेट टर्मिनल की स्थापना, अधिक से अधिक मूल्य वर्धित सेवाएं (value added services) प्रदान करना जैसे सूची प्रबंधन, बिलिंग,

their post-retirement medical benefits from the comfort of their home through the internet.

- **Portals for e-auctioning and e-tendering have been revamped** for better transparency, wider publicity and smoother working.
- **Career Portal for the Corporation** has been launched for providing candidates a single platform for all job-related updates from the Corporation and their queries regarding the same.
- **CFS/ICD software has been rolled out at new locations, i.e. CFS Whitefield, Bangalore region** for automating CFS operations at the new location enabling the users to perform all such operations online through the software.
- Corporation has also registered its presence on the social media through Facebook & Twitter Accounts. The latest news and important activities of the Corporation are regularly shared with the public through social media.
- Corporation has implemented Video Conferencing facility at Corporate Offices and Regional Offices for carrying out periodical meetings, discussions and reports on the important issues.

Quality Management

Your Corporation successfully implemented and maintained upgraded Quality Standards. All the 368 own constructed warehouses/CFSs/ICDs/ACCs and 15 Regional Offices and Corporate Office have been certified under ISO 9001:2015 for QMS, ISO 14001:2015 for EMS and OHSAS 18001:2007 for occupational Health & Safety Management System.

Future Outlook

Dear Shareholders, keeping in view the competitive position in the market, many new initiatives such as expansion of warehousing capacity, setting up of Private Freight Terminals,

ग्राहकों की आवश्यकतानुसार वितरण व्यवस्था, वेअरहाउसिंग और ई–बिज़नेस अवसरों की बढ़ती क्षमता का उपयोग करना, विज्ञापन और प्रचार में बढ़ोतरी, लेन–देन की लागत कम करने और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (information technology) का विभिन्न गतिविधियों के लिए और अधिक प्रयोग करना जैसे अनेक नए कदम उठाए गए जिससे हम निगम को उच्चतम विकास के पथ पर ले जाएं।

राज्य भंडारण निगम

आपका निगम 19 राज्य भण्डारण निगमों (एस डब्ल्यू सी) में 50 प्रतिशत इक्विटी रखता है और शेष 50 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों के पास है। 31 मार्च, 2020 तक ये राज्य भण्डारण निगम 397.24 लाख मी.टन की कुल भण्डारण क्षमता के साथ 2093 वेअरहाउसों का नेटवर्क संचालित कर रहे थे। 31 मार्च, 2020 तक राज्य भण्डारण निगमों की इक्विटी में निगम का कुल निवेश 61.79 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य भण्डारण निगमों में निवेश करने से निगम ने 20.82 करोड़ रु. की लाभांश आय अर्जित की।

सहायक कम्पनी: सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी)

निगम की पूर्ण स्वामित्व सहायक कम्पनी यानि सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी (सीआरडब्ल्यूसी) है जिसके पास 3.35 लाख मी. टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 19 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्पलैक्स (आरडब्ल्यूसी) हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान 134505 वैगन हैंडल किए गए। इसी साल सीआरडब्ल्यूसी ने कर पूर्व लाभ के 19.39 करोड़ रु.के साथ 82.55 करोड़ रु. की आय अर्जित की तथा 15.32 करोड़ रुपये कर पश्चात् लाभ अर्जित किया। वर्ष 2019–20 के दौरान, सीआरडब्ल्यूसी ने केंद्रीय भंडारण निगम को 2.83 करोड़ रु. के लाभांश का भुगतान किया।

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

सीएसआर भारत में व्यापार निगमों द्वारा एक परिवर्तनकारी पद्धति है, जो सरकार द्वारा अनिवार्य है। सामूहिक समुदाय के कल्याण के लिए सीएसआर एक पहल के रूप में समाज के उत्थान हेतु एक सकारात्मक कदम है। इसी उद्देश्य के साथ आपके निगम ने विभिन्न निगमित

providing more and more value added services such as inventory management, billing, distribution customized to the requirements of customers, tapping the growing potential of warehousing and e-business opportunities, increase in publicity and advertisement, more extensive use of information technology in various activities for minimizing transaction costs and meeting customer requirements are being taken to take the organization to a higher growth path.

State Warehousing Corporations

Your Corporation holds 50% equity in 19 State Warehousing Corporations (**SWCs)** with respective State Governments holding the remaining 50% equity. As on 31st March, 2020, these SWCs operate a network of 2093 warehouses with aggregate storage capacity of 397.24 lakh MT. The total investment of the Corporation in the equity of the SWCs as on the 31st March, 2020 stood at Rs.61.79 crore. During 2019-20, dividend income of Rs. 20.82 crore was earned by the Corporation from investment in the State Warehousing Corporations.

Subsidiary Company: Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC)

The wholly owned subsidiary Company of the Corporation i.e. Central Railside Warehouse Company Ltd. (**CRWC**) which is having 19 Rail Side Warehouse Complexes (RWCs) with total storage capacity of 3.35 lakh MT, handled 134505 wagons during the year 2019-20. During this year, CRWC earned an income of Rs. 82.55 crore, with a profit before tax of Rs. 19.39 crore. It earned a profit after tax of Rs.15.32 crore. During 2019-20, CRWC paid a dividend of Rs. 2.83 crore to CWC.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities

Dear Shareholders, Corporate Social Responsibility is a transformational practice by the business Corporations in India, mandated by the Government. As an initiative towards the collective community well-being, CSR is a

सामाजिक दायित्व परियोजनाओं को चलाया है। कार्यक्रम के तहत योजना के मुख्य क्षेत्र जैसे–वर्षा जल संरक्षण, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता हैं। रिपोर्ट वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर 185.98 लाख रु. खर्च किए गए जिसमें से 10.00 लाख रु. 'स्वच्छ भारत कोष' में तथा कोविड –19 हेतु 12.22 लाख रूपये 'पीएम केयर्स' निधि में योगदान दिया गया।

positive step towards upliftment of the society. In line with this, your Corporation has been driving various corporate social responsibility projects. The focus areas for the scheme under the programmes are rain water harvesting, skill development, healthcare & sanitization. During the year under report, an amount of Rs. 185.98 lakh has been spent on different activities, out of which Rs.10.00 lakh contributed to 'Swachh Bharat Kosh' and Rs.12.22 lakh was contributed in PM CARES Fund for COVID-19.

आईजीएमआरआई, हापुड में निगम का प्रशिक्षण केंद्र भंडारण तकनीकों और प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान केंद्रीय भंडारण निगम ने 29 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 1837 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

The Corporation's Training Centre at IGMRI, Hapur has been imparting training in warehousing technologies and managerial areas. During the year 2019-20, CWC conducted 29 in-house training programmes where 1837 officials were trained.

कारपोरेट गवर्नेंस

आपका निगम सभी हितधारियों (stakeholders) के लिए मूल्य सृजित (creating value) करते हुए पारदर्शी और नैतिक प्रशासन की पद्धतियों के उच्चतम मानकों (highest standards of transparent and ethical governance practices) को बनाए रखता है। केंद्रीय भंडारण निगम में कारपोरेट गवर्नेंस की रूपरेखा के मार्गदर्शक सिद्धांत (guiding principles of Corporate Governance framework) अक्षरशः नियमों/विनियमों के अनुपालन (law/regulations in letter and spirit) पर आधारित होते हैं, जिनसे सभी हितधारियों के हितों को बढ़ाने तथा सुरक्षित करने हेतु पारदर्शी प्रणाली/पद्धतियों (transparent systems/practices) को अपनाया जाता है। पारदर्शिता (transparency) तथा समय पर सामग्री की जानकारी देने के उद्देश्य से सभी कार्मिकों की सत्यनिष्ठा तथा नैतिक व्यवहार (integrity and ethical behavior) एवं विश्वास और भरोसे (trust and confidence) का वातावरण तैयार किया जाता है। आपका निगम लोक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों (guidelines) का पालन भी कर रहा है। इस संबंध में आपका निगम संगत विनियामक और संवैधानिक रूपरेखा (relevant regulatory and statutory framework) का अनुपालन कर रहा है। इसे प्रमाणित करते हुए, कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों (guidelines) में दी गई शर्तों के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों (statutory auditors) से प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र वर्ष 2019–20 की निदेशकों की रिपोर्ट (Directors' report) के एक भाग के रूप में दिया गया है।

Corporate Governance

Your Corporation has been upholding the highest standards of transparent and ethical governance practices while creating value for all stakeholders. The guiding principles of Corporate Governance framework at CWC are based upon compliance of law/regulations in letter and spirit, adopting transparent systems/practices, to promote and safeguard the interests of all stakeholders, integrity and ethical behavior of all personnel and having a climate of trust and confidence by means of transparent and timely disclosure of material information. Your Corporation is also following guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). Your Corporation is duly complying with relevant regulatory and statutory framework in this regard. As a testimony of the same, a certificate of compliance from statutory auditors with respect to conditions enumerated in DPE guidelines on Corporate Governance forms part of the Directors' report for 2019-20.

पुरस्कार और सम्मान

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली (Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi) द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य निष्पादन (excellent performance in the Official Language Policy) के लिए तृतीय पुरस्कार (Third Prize) तथा निगम की गृह पत्रिका **"भंडारण भारती"** को भी श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन (Best Publication) के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, गुवाहाटी, कोच्चि, चेन्नई, मुम्बई तथा बेंगलुरु को भी नराकास (उपक्रम) (TOLIC) द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन (excellent work in Official Language) हेतु पुरस्कार प्रदान किए गए।

आभार

निदेशक मण्डल की ओर से, मैं सभी हितधारियों (stakeholders) अर्थात् हमारे अंशधारियों, जमाकर्ताओं, आपूर्तिकताओं, रणनीतिक भागीदारों (Shareholders; depositors, suppliers, strategic alliance partners) बैंकरों, बीमाकर्ताओं को उनके विश्वास तथा समर्थन के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं अपने प्रमुख जमाकर्ताओं जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, नैफेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और विशेष रूप से कृषक समुदाय (farming community) को उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण (support and patronage) के लिए धन्यवाद देता हूं और उन्हें अपनी बेहतर सेवाएं देने का विश्वास दिलाता हूं।

मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा दिए गए समर्थन और मार्गदर्शन (support and guidance) के लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ।

मैं सभी कर्मचारियों को निगम को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपके निरंतर समर्थन (support) के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम अपने सभी हितधारियों (stakeholders) को अधिक से अधिक सुविधाएं निरंतर प्रदान करते रहेंगे।

धन्यवाद, जय हिन्द।

Awards & Accolades

During the year under report your Corporation was awarded Third prize for excellent performance in the Official Language Policy and Third Prize for Best Publication of "Bhandaran Bharti" in-house journal from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi. Regional office Lucknow, Guwahati, Kochi, Chennai, Mumbai and Bengaluru were also awarded prize for the year 2018-19 by TOLIC (Undertaking) for excellent work in Official Language.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I take this opportunity to express our gratitude and appreciation for all the stakeholders i.e. our shareholders, depositors, suppliers, strategic alliance partners, bankers, insurers for their trust and support. I would like to thank our major depositors i.e. Food Corporation of India, the State Civil Supplies Corporations, NAFED, Cotton Corporation of India and particularly the farming community for their continuous support and patronage and we assure them of our best services.

I gratefully acknowledge the support and guidance provided by the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Government of India.

I specially thank all employees of our Corporation for taking this Corporation to greater heights year after year.

I once again thank you all for your continuous support and assure you that we shall continue to create more value for all our stakeholders.

Thank you. Jai Hind.

निगम के प्रबंध निदेशक निगमित कार्यालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए।
MD, CWC hoisting the flag on the occasion of 74^{th} Independence Day at Corporate Office.

केन्द्रीय भण्डारण निगम
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई लिल्ली–110016

CENTRAL WAREHOUSEING CORPORATIOPN
4/1, Siri Institutinal Area, August Kranti Marg,
Hauz Khas, New Delhi - 110016

दूरभाष / Phone: 011-26566107, वेबसाईट / Website: www.cewacor.nic.in